खण्ड-279, अंक-2
बुधवार, 29 श्रावण, शक संवत् 1891
(20 अगस्त, 1969 ई0)

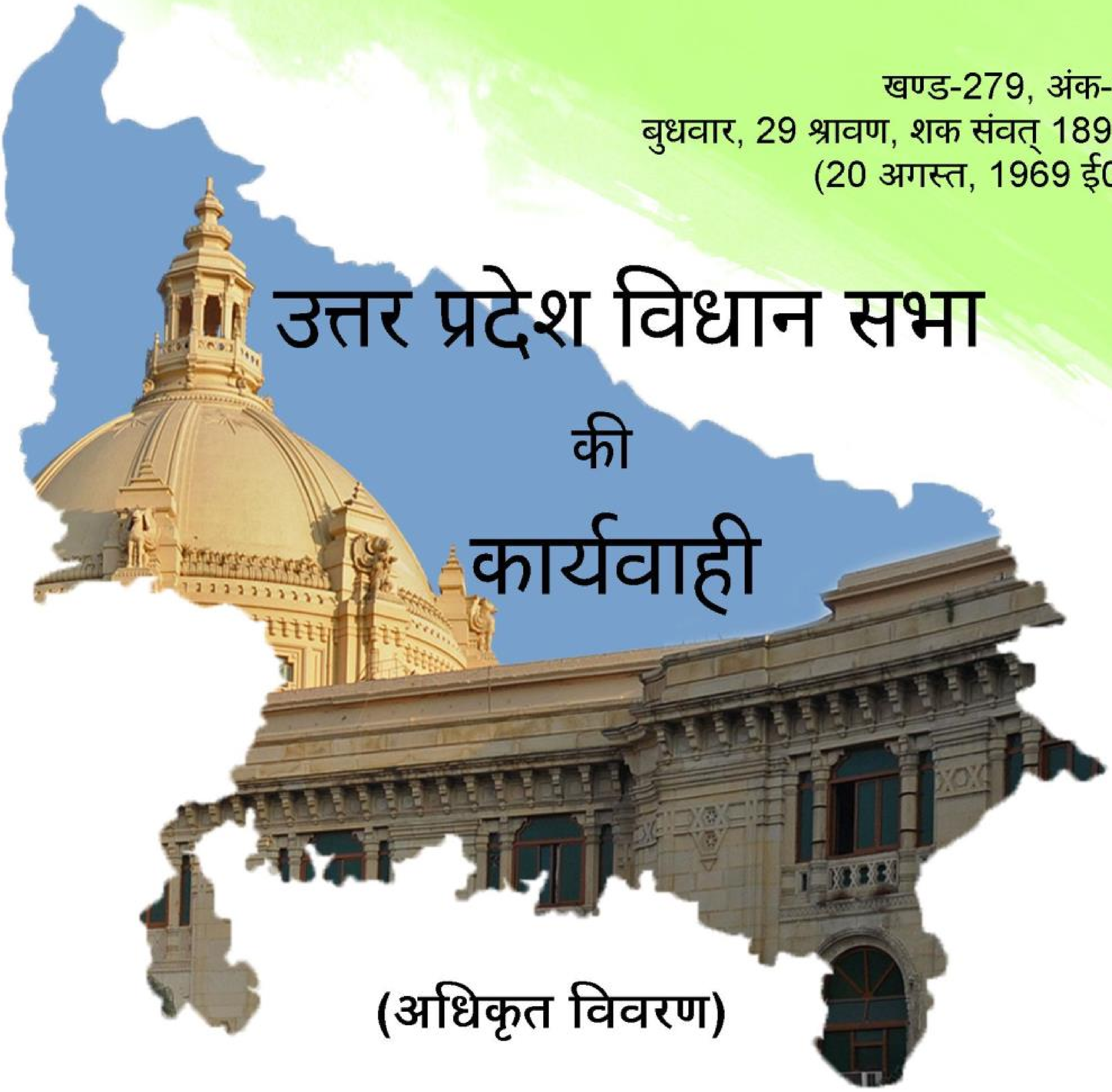

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 279 में 9 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६९

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	१४३–१४७
प्रश्नोत्तर	१४७–१८४
प्रश्नों के सम्बन्ध में जानकारी	१८५–१८७
काश्तकारों को बिना दस गुना जमा किये, भूमिधरी अधिकार प्रदान करने के सम्बन्ध में याचिका (सदन में प्रस्तुत की गई)	१८७–१८८
चिकित्सा मंत्री द्वारा प्रश्नों का गलत उत्तर देने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (अस्वीकृत)	१८९
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में वैधानिक आपत्ति (अनुमति नहीं दी गई)	१८९–१९२
उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ (पारित) ..	१९२–२४४
संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक, १९६९ के अनुसमर्थन का संकल्प (स्वीकृत)	२४४–२५४
हलवाइयों द्वारा बेची जाने वाली भोज्य सामग्री पर बिक्री-कर लगाने के सम्बन्ध में कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना (अनुमति नहीं दी गई) ..	२५५
पर्वतीय क्षेत्र में हरिजन युवतियों के क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना	२५५
नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें	२५५–२५८
बस्ती जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२५८–२६२
जिला परिषद्, प्रतापगढ़ के अध्यापकों के स्थानान्तरण तथा वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य	२६३–२६७
नत्थियां	२६८–२८०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, २० अगस्त, १९६९

विधान सभा की बैठक, सभा मंडप, लखनऊ में १०-३० बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य--३८६

अजबसिंह, श्री
अजीत प्रताप सिंह, श्री
अतीकुर्रहमान, श्री
अनन्तराम जायसवाल, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल गफ्फार हाशमी, श्री
अब्दुल सलाम शाह, श्री
अभिमन्यु प्रसाद पांडेय, श्री
अमरनाथ, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेश कुमार, श्री
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री
अशफाक अहमद, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अहमदलूत खां, श्री
अहमदुल्ला खां, श्री
आनन्द, ब्रह्मशाह, राजा
आनन्द सिंह, श्री
आबिद अली, श्री
आशाराम इन्दु, श्री
आशासिंह, श्रीमती
इन्द्रजीत, श्री
इन्द्रमणी, श्री
इन्द्रमोहिनी, श्रीमती
इन्द्रलाल, श्री
इम्तियाज हुसैन, श्री
ईश्वर दयाल, श्री
उदय नाथ, श्री
उदित नारायण, श्री
उपेन्द्रनाथ, श्री
उमादत्त शर्मा, श्री
उमानाथ सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर शुक्ला, श्री
ऋषिपाल सिंह, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओम प्रकाश सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कन्हैयालाल सोनकर, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
करनसिंह, श्री
कलारानी, श्रीमती
कल्पनाथ सिंह, श्री
कल्यान सिंह, श्री
काजी मसूद, श्री
किशन लाल, श्री
कुदसिया बेगम, श्रीमती
कृपा दयाल, श्री
कृष्णकान्त, श्री
कृष्णदत्त, श्री (उर्फ बालराज)
कृष्ण मगन सिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णस्वरूप, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ, श्री
केशव चन्द्र सिंह, श्री
केशोराम, श्री (जिला बदायूं)
केशोराम, श्री (जिला बरेली)
कोरी सुखलाल, श्री

खचेड़ू सिंह मोहरिया, श्री
गंगा प्रसाद, श्री (जिला एटा)
गंगा प्रसाद, श्री (जिला गोंडा)
गंगा सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गनेशदत्त बाजपेयी, श्री
गया प्रसाद, श्री
गायत्री देवी, श्रीमती
गिरजा शंकर, श्री
गिरधारी लाल, चौधरी
गुप्तार सिंह, श्री
गुलाब सिंह, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोपालदत्त, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोस्वामी राधा कृष्ण, श्री
घासीराम, श्री
चंचल सिंह, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्र पाल अजाद, श्री
चन्द्र प्रताप नरायन सिंह, कुंवर
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री
चन्द्र मोहन, श्री
चरणसिंह, श्री
चिरंजीलाल श्री
चेतराम गंगवार, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जंगबहादुर, श्री
जंगबहादुर सिंह, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीश्वर दयाल, डाक्टर (उर्फ मन्ना)
जगन नाथ खन्ना, श्री
जगन प्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगरनाथ, श्री
जगवीर सिंह, श्री
जमादार, श्री
जयनारायण सिंह, श्री
जलील अब्बासी, श्री
जितेन्द्रपाल सिंह, श्री
जे० एन सिन्हा, श्री
जैराम, श्री
ज्वाला प्रसाद कुरील, श्री
डी० पी० बोरा, श्री
डूंगर सिंह, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तेज नरायन, श्री
तेजपाल, श्री
तेज बहादुर, श्री
तेजभान सिंह, कुंवर
त्रिलोकचन्द, श्री
त्रिवेणी, श्री
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला गोंडा)
त्रिवेणी सहाय, श्री (जिला बदायूं)
दल सिंगार, श्री
दीपनारायन बन, श्री
दीपनारायण मणि, श्री
दुर्जन, श्री
दुलारे लाल, श्री
देवकीनन्दन विभव, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र सिंह, कुंवर
धनुषधारी पाडेय, श्री
धर्मदत्त, श्री
धर्मवीर, श्री
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मुजफ्फरनगर)
धर्मवीर सिंह, श्री (जिला मेरठ)
धर्म सिंह, श्री
धूम प्रसाद, श्री
नगीना सिंह, श्री
नत्था राम रावत, श्री
नरेन्द्र सिंह, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नसीम उद्दीन, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायण दास, श्री
नित्यानन्द स्वामी, श्री
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)
निहाला सिंह, श्री
नेतराम सिंह, श्री
नैनसिंह, श्री
नैपाल, श्री
नौनिहाल सिंह, श्री
पन्नालाल, श्री
परमाईलाल, श्री
पारसनाथ सिंह, श्री
पूरनचन्द, श्री
प्यारी देवी गुप्ता, श्रीमती
प्यारेलाल, श्री

प्रकाश नारायन गुप्त, डाक्टर
प्रताप नारायण, श्री
प्रियदर्शी जेटली, श्री
प्रेमचन्द्र शर्मा, श्री
फिरंगी, श्री
बंश गोपाल शुक्ल, श्री
बंशीधर, श्री
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्रा, श्री
बच्चा पाठक, श्री
बदनसिंह, श्री
बद्री प्रसाद, श्री
बनारसी, श्री
बब्बन, श्री
बलराम सिंह यादव, श्री
बलवीर सिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री (जिला जालौन)
बसन्तलाल, श्री (जिला लखनऊ)
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बांके लाल, श्री
बिशन लाल, श्री
बिहारीलाल, श्री
बैनीसिंह, श्री
बजनाथ, श्री (जिला देवरिया)
बैजनाथ, श्री (जिला वाराणसी)
ब्रजराज सिंह, श्री
भगवती सिंह विशारद, श्री
भगेलू सिंह, श्री
भगौती, श्री
भगौती प्रसाद शुक्ल, श्री
भगौती सिंह, श्री
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बरेली)
भानुप्रताप सिंह, श्री (जिला बस्ती)
भाभी, श्री
भारतसिंह चौहान, श्री
भीमा प्रसाद, श्री
मंगल उपाध्याय, श्री
मदन मोहन मिश्रा, श्री
मनफूल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मनोहरलाल, श्री
मन्जूर अहमद, श्री
मसालो देवी, श्रीमती
महमूद हसन खां, श्री
महरम सिंह, श्री
महातम, श्री
महादेव प्रसाद, श्री
महावीर सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महावीर सिंह, श्री (जिला सहारनपुर)
महीरज ध्वज सिंह, श्री (उर्फ बाबू भैया)
मह लाल, श्री
महेन्द्र सिंह, श्री (जिला अलीगढ़)
महेश्वरदत्त सिंह, श्री
माखन लाल, श्री
माता प्रसाद, श्री
माधव प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मुन्शीलाल चमार, श्री
मुमताज मोहम्मद खां, श्री
मुल्तान सिंह, श्री
मुस्तफा कामिल किदवाई, श्री
मेहरबान सिंह, श्री
मोतीलाल, श्री
मोतीलाल देहलवी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहम्मद असरार अहमद, श्री
मो० महमूद अली खां, श्री
यादवेन्द्र दत्त दुबे, श्री
यादवेन्द्र सिंह, श्री (उर्फ लल्लन जी)
रघुनाथ सिंह, श्री (जिला कानपुर)
रघुनाथ सिंह वर्मा, श्री
रघुराज सिंह चौधरी, श्री
राजनाथ, श्री
राजपती देवी, श्रीमती
राजबहादुर चन्द, श्री
राजबिहारी सिंह, श्री
राजमंगल पाण्डेय, श्री
राजाराम, श्री
राजितराम पाण्डेय, श्री
राजेन्द्र किशोरी, श्रीमती
राजेन्द्र कुमार शर्मा, श्री
राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्र प्रताप सिंह, श्री
राजेश्वर सिंह, श्री
राम अवध, श्री
रामकरन, श्री (जिला गाजीपुर)
रामकरन, श्री (जिला गोरखपुर)
राम किंकर, श्री
रामकिशोर शुक्ल, श्री
राम कुंवर श्री
रामकुमार, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री

रामगोपाल संड, श्री
रामचन्द्र आजाद, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण, श्री (जिला इलाहाबाद)
रामचरन, श्री (जिला आगरा)
रामजियावन, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
राम दुलारे, श्री
रामदेव, श्री
रामधारी, श्री,
रामनिहोर, श्री
राम निहोर राय, श्री
रामपति, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपाल सिंह यादव, चौधरी
रामपूजन पटेल, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्यारे शुक्ल, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद देशमुख, श्री
रामबचन, श्री (जिला आजमगढ़, फूलपुर)
रामबचन यादव, श्री (जिला आजमगढ़, रानी की सराय)
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरतन, श्री
राम रतन पान्डेय, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखन सिंह, श्री
राम लगन दूबे, श्री
रामलाल भाई, श्री
रामलाल राही, श्री
राम विलास, श्री
रामशिरोमणि, श्री
रामसागर, श्री
रामसिंह, श्री
राम सिंह खन्ना, श्री
रामसूरत सिंह, श्री
रामसेवक, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
राम हरख, श्री
राव अब्दुर रफी खां, श्री
रियासत हुसैन, श्री
रूपनाथ सिंह यादव, श्री
रूप राम, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालन शर्मा, श्री
लालबहादुर, श्री
लालसा, श्री
लालसा प्रसाद, श्री
लालू, श्री
लीलाधर, श्री
वशिष्ठ नारायण शर्मा, श्री
वासुदेव, श्री
वासुदेव सिंह, श्री
विजयकुमार त्रिपाठी, राजा
विजयशंकर सिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विशम्भर सिंह यादव, श्री
विश्रामदास, श्री
विश्वनाथ कपूर, श्री
विश्वनाथ प्रताप सिंह, श्री
वीर बहादुर सिंह, श्री
वीरेन्द्र कुमार, चौधरी
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
शंकर प्रसाद जायसवाल, श्री
शकुन्तला देवी, श्रीमती
शचीन्द्र नाथ बख्शी, श्री
शफीक अहमद खां, श्री
शमीम आलम, श्री
शम्भूनाथ चौधरी, श्री
शम्भूनारायण सिंह, श्री
शान्ति प्रपन्न शर्मा, श्री
शान्ति देवी, श्रीमती
शान्ति चरन पिड़ारा, श्री
शिव कुमार, श्री (जिला शाहजहांपुर)
शिव कुमार, श्री (जिला सुल्तानपुर)
शिव कैलाश, श्री
शिवदास, श्री
शिवपाल सिंह, श्री
शिव प्रसाद पांडिया, श्री
शिवबचन, श्री
शिव महेंद्र सिंह, कुंवर (उर्फ शेरसिंह)
शिवलाल, श्री
शिवबक्ष सिंह राठौर, श्री
शिव शंकर, श्री
शिव शंकर सिंह, श्री
शिव सम्पत्ति शर्मा, श्री
शिवानन्द नौटियाल, श्री
शीतला प्रसाद सिंह, श्री

शुकरू, श्री
शेरसिंह दानू, श्री
शेष नारायण शुक्ल, श्री
शौनाथ सिंह, श्री
श्याम किशोर, डाक्टर
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल रावत, श्री
श्याम सुन्दर लाल गुप्त, श्री (उर्फ छन्नू बाबू)
श्रीकृष्ण बाजपेयी, श्री
श्रीनिवास प्रसाद सिंह, राजा
श्रीराम सिंह, श्री
श्रीशचन्द्र, श्री
सईद मुर्तजा, श्री
सच्चिदानन्द, श्री
सजीवन लाल, श्री
सत्तार अहमद, श्री
सन्तराम, श्री
सन्तू, श्री
सरदार सिंह, श्री
सरस्वती देवी, श्रीमती
सर्वसुख सिंह, श्री
सिया दुलारी, श्रीमती
सियाराम, श्री
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुखबीर, श्री
सुखपाल पांडेय, श्री
सुदामा प्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम श्री
सुबेदार प्रसाद, श्री
सूबेदार सिंह, श्री
सूर्यनाथ ,श्री
सेवाराम, श्री
सोहन लाल धुसिया, श्री
सौभाग्यवती, श्रीमती
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री
हंसा, श्री
हबीब अहमद, श्री
हबीबुर्रहमान, श्री
हमीदा हबीबउल्ला, श्रीमती
हरनरायन, श्री
हरवंश प्रसाद, श्री
हरिनाथ तिवारी, श्री
हरि प्रसाद शाही, डाक्टर
हरिवंश, श्री
हरीदत्त काण्डपाल, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन राहत मोलाई, श्री
हिम्मत सिंह, श्री
हुक्मसिंह ,श्री (जिला आगरा, फतेहाबाद)
हुक्म सिंह, श्री (जिला आगरा, पश्चिम)
होती लाल अग्रवाल, श्री

प्रश्नोत्तर

बुधवार, २० अगस्त, १९६९

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

श्री महेन्द्रकुमार, चेयरमैन, मवाना नगरपालिका की गिरफ्तारी

*१—श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर), श्री चन्द्रभान (जिला मुजफ्फरनगर), श्री शेर अली खां (जिला मेरठ) तथा श्री नैपाल (जिला मेरठ)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्री महेन्द्र कुमार चेयरमैन म्युनिसिपल बोर्ड, मवाना (मेरठ) तारीख ३ अगस्त, १९६९ को रिश्वत लेते हुये रंगे हाथ गिरफ्तार किये गये? यदि हां, तो उनके विरुद्ध अब तक विभागीय कार्यवाही क्या की गई?

स्वायत शासन मंत्री (श्री अतीकुर्रहमान)—

जी हां।

मामला विचाराधीन है ।

लेकिन अब हुजूरवाला इनके सस्पेंशन के आर्डर चले गये हैं ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इन अध्यक्ष के खिलाफ मार्च, अप्रैल और मई में श्री मंत्री जी और सचिवों को रिश्वत के गम्भीर आरोप भेजे गये थे ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, कुछ दरख्वास्तें इनके खिलाफ हैं पहले से भी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो शिकायत मार्च, अप्रैल और मई में मंत्री जी को और विभाग के सचिव को मिलीं उन पर अभी तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

शासन ने कलेक्टर को लिखा और कलेक्टर का उस सम्बन्ध में अभी तक कोई जवाब प्राप्त नहीं हुआ।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन चेयरमैन के खिलाफ सस्पेंशन आर्डर कब गया है ? क्या यह बात भी सही है कि वह तब गया है जब कि माननीय वीरेन्द्र वर्मा जी ने प्रश्न किया है और सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी नहीं, यह वजह नहीं है, हालांकि यह हुआ प्रश्न के बाद। वजह यह कि यह ट्रैप ३ अगस्त को ले डाउन किया गया था तो ६ को हमारे पास डी० एम० का लेटर आया। सेक्रेटरी ने ८ तारीख को मुझको भेजा और मैंने ११ तारीख को देखा—उसके पहले यहां मसरूफियत की वजह से नहीं देख पाया। १२ को यह डिपार्टमेंट गया और वहां से ला डिपार्टमेंट को ओपीनियन के लिए गया और वह ओपीनियन १६ को हुई और फिर एक १९ को हुई।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

जो दो ओपीनियंस थीं वह बताने की कृपा करेंगे कि १६ को क्या हुई और १९ को क्या हुई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

पहले ओपीनियन दी गयी थी कि प्रासीक्यूशन की जो डेफिनीशन है कि प्रासीक्यूशन किस वक्त कमेंस होता है, तो वह चार्ज-शीट लगने के बाद कमेंस होता है जब कि चार्ज-शीट हमको मौसूल हो जाय। फिर मैं मुत्मयिन नहीं हुआ और एल० आर० की ओपीनियन के लिये उसे भेजा। एल० आर० ने यह ओपीनियन दी कि प्रासीक्यूशन कमेंस हो गया है जब कि उनके खिलाफ यह कार्यवाही शुरू हो गयी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी (जिला बलिया)—

पहली शिकायत जो जिलाधीश की जांच करने के लिए दी गयी थी वह कब दी गयी, उसमें विलम्ब यदि हो रहा है तो मंत्री जी जिलाधीश को तत्काल शिकायत की जांच के लिये लिखेंगे कि जांच करके तुरन्त भेजें।

श्री अतीकुर्रहमान—

मैं जरूर रिमाइंड करूंगा।

उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी समिति की सिफारिशों का कार्यान्वयन

**२—श्री बंशगोपाल शुक्ल (जिला लखनऊ)—

उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या उत्तर प्रदेश सफ़ाई कर्मचारियों की कोई वेतन कमेटी बनाई थी? यदि हां, तो कब और उसका जो निर्णय हुआ वह लागू किया गया या नहीं, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, अगस्त, १९६६ में समिति की अधिकांश सिफ़ारिशें शासन द्वारा मान ली गई और शासकीय संकल्प संख्या ५०१९ए/११—क—७७(१)—६७, दिनांक २६ सितम्बर, १९६८ जारी कर दिया गया।

श्री बंशगोपाल शुक्ल—

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अधिकांश सिफारिशें मान ली गयी हैं वे कौन सी हैं?

श्री अतीकुर्रहमान—

जितनी कापियां हजूर फ़रमायें, २०—२५ कापियां, लाइब्रेरी में रखवा देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा सदस्य अध्ययन कर सकें।

श्री वंशगोपाल शुक्ल—

यह जो लिखा है कि सब जगह आदेश भेज दिये हैं २६ सितम्बर, सन् १९६८ को तो यह कहां कहां लागू हुये और कहां कहां लागू नहीं हुए?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। तीन म्युनिसपल बोर्डों में १ अप्रैल, १९६८ से लागू हुए और १४ में १ अप्रैल, १९६९ से लागू हुये।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

क्या मन्त्री जी यह बतलायेंगे कि कौन-कौन सी सिफ़ारिशें लागू नहीं की गई हैं? आपने कहा कि अधिकांश लागू की गयीं तो कौन सी लागू नहीं की गयी?

श्री अध्यक्ष—

वह बहुत लम्बी चौड़ी हैं। मैं उनको पढ़ने की इजाजत नहीं देता हूं।

नित्यानन्द स्वामी (जिला देहरादून)—

जिन नगरपालिकाओं ने इन सिफ़ारिशों को लागू नहीं किया है उन नगरपालिकाओं की उस समय तक ग्रान्ट बन्द कर देने पर विचार करेंगे जब तक वे इनको लागू न करें?

श्री अतीकुर्रहमान—

इत्तिला यह है कि बहुत सी म्युनिसिपल बोर्ड ने लागू किया है और उनसे रिपोर्ट मंगायी जा रही है। उसके बाद जो जरूरी कार्यवाही समझी जायगी, की जायगी।

दीपनारायण मणि—

क्या उनको आवास की सुविधा जारी रखने के आदेश दिये हैं?

श्री अतीकुर्रहमान—

आवास और एम्प्लायमेंट के सिलसिले में गवर्नमेन्ट आफ़ इंडिया से सब्सीडी दी जाती हैं हरिजन सहायक विभाग को और उस विभाग से लोकल बाडीज को जाती है और उसका मैचिंग कंट्रीब्युशन देना पड़ता है। होता यह है कि महापालिका मैचिंग कंट्रीब्युशन नहीं देती है और लैप्स हो जाती हैं।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या मन्त्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस समिति ने न केवल नगरपालिकाओं के लिए बल्कि टाउन एरिया और नोटीफ़ाइड एरिया के लिये भी सिफ़ारिश की थी तो उनमें से कितनों ने ईन सिफारशों के मुताबिक वेतन देना आरम्भ कर दिया है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सिफारिश तो सब के लिये थी और जितने बोर्ड आप के सामने रखें उतने ही बोर्डों के इम्प्लीमेंटेशन की इत्तिला है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

उनका कहना था कि जिन नगरपालिकाओं ने लागू नहीं किया है उनके खिलाफ जरूरी कार्यवाही की जायगी तो कौन सी कार्यवाही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

मने मुनासिब कार्यवाही के लिये कहा जरूरी कार्यवाही के लिए नहीं। जो सवाल करने वाले साहब थे उनका यह था कि ग्रान्ट बन्द की जायगी तो गवर्नमेन्ट के सामने यह नहीं है कि इस वजह से ग्रान्ट बन्द कर दी जाय।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो वेतन कमेटी बनाई गई थी उसकी कौन-कौन सी सिफारिशें नहीं मानीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो पहले ही जवाब हो चुका है।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

श्रीमन, सिफ़ारिशों की सूची लम्बी है, आपने कहा था। मुझे केवल एक बात मंत्री जी बतला दें कि इन नयी सिफारिशों से सफाई कर्मचारियों के टोटल एम्योलूमेंट्स में कितना अन्तर आ जायगा ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जहां तक एम्योलूमेंटस का सवाल है तो पोजीशन यह थी कि इनकी छः श्रेणी हैं। जो लोकल बाडीज की पहली श्रेणी है उसमें १–४–४७ की पोजीशन यह थी कि २५–१–३५ मिलता था। फिर रिकमन्डेशन हुआ ४०–१–५० और सरकार ने माना ३०–१–४० यानी दस रुपया कम। दूसरी श्रेणी की पालिकाओं में १–४–४७ की पोजीशन थी २०–१–३०। उसके बाद रिकमेंडेशन हुआ ३५–१–४५ और जो सरकार ने लागू किया वह २५–१–३५। इसके बाद जो तीसरी, चौथी और पांचवीं श्रेणी की पालिकायें थीं उनमें साढ़े अठारह से २३ रुपया, १६ से २१ रुपया और १४ से १९ रुपया था। इन सब को २५–१–३५ किया गया।

श्री कन्हैया लाल बाल्मीकी (जिला हरदोई)—

श्रीमन्, मैं भी इस कमेटी का एक सदस्य था। इस कमेटी की रिपोर्ट सरकार के पास आयी। उस कमेटी की रिपोर्ट में यह छूट दी गयी थी कि जिन नगर महापालिकाओं की वित्तीय

स्थिति इतनी सुदृढ़ न हो कि वह पूरा भार वहन कर सकें तो वे १९७० के बाद से उन सिफारिशों को पूर्ण रूपेण कार्यान्वित कर सकेंगी। यदि सरकार ने इस संबंध में आदेश दिये हैं तो वे कौन-कौन सी नगर-पालिकाएं हैं जिन्होंने अभी तक उस कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया है ?

श्री अतीकुर्रहमान--

जी हां, यह बात सही है कि ये आदेश दिये गये थे कि जिन महापालिकाओं की वित्तीय स्थिति ऐसी है कि वे उन रिकमेंडेशन्स को पूर्ण रूप से लागू कर सकती हैं तो वे उन्हें लागू करें। कुछ महापालिकाएं १९६६ व १९६८ से लागू भी करती चली आ रही हैं। बाकी महापालिकाएं अप्रैल, १९७० से लाजिमी उन रिकमेंडेशन्स को लागू कर देंगी। जहां तक लागू न करने की बात है उसके बारे में मैं आप से अर्ज कर चुका हूं।

श्री धर्मसिंह--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन नगरपालिकाओं या टाउन एरियाज की आर्थिक हालत अच्छी नहीं है और वे इस रिपोर्ट को कार्यान्वित कर पाने में असमर्थ हैं, उनकी सहायता के लिए सरकार अपनी तरफ से कुछ प्राविजन करेगी ताकि उस कमेटी की रिपोर्ट लागू की जा सके ?

श्री अतीकुर्रहमान--

सरकार इस सिलसिले में अनुदान वगैरह तो नहीं दे सकेगी, लेकिन इस विषय में विचार हो रहा है कि उनके रिसोर्सेज कैसे बढ़ें और जब उनके रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो उनको सुविधा होगी।

श्री कन्हैयालाल बाल्मीकी--

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कवाल टाउन्स में जो नगर महापालिकाएं हैं क्या उन सभी में ये सुविधाएं मिल रही हैं और उन रिकमेंडेशन्स को लागू कर दिया गया है और अगर नहीं लागू किया गया तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान--

मेरी जहां तक जानकारी है उन सब में ये लागू की गई हैं। मैं और जानकारी प्राप्त कर लूंगा।

कानपुर रेलवे स्टेशन से कुमारी गुलाब का अपहरण

*२--श्री मनोहर लाल (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक ४ अगस्त, १९६९ को कानपुर स्टेशन पर २० वर्षीय कुमारी गुलाब का अपहरण एक सिपाही द्वारा किया गया तथा अभी तक कुमारी गुलाब का पता नहीं है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

कानपुर स्टेशन पर एक कांनिस्टेबुल द्वारा दिनांक १-८-१९६९ को कुमारी गुलाब का अपहरण किये जाने के संबंध में दिनांक ३,४-८-१९६९ की रात में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। तत्काल प्रारम्भिक जांच के पश्चात् संबंधित कांस्टिबुल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया और उसे निलम्बित किया गया। उसके विरुद्ध धारा ३४२/३२३/३८४/३६६ भा० द० वि० के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज कर के जांच की जा रही है। कुमारी गुलाब का पता चल गया है। वह अपने घर बम्बई सकुशल पहुंच गई है।

श्री मनोहर लाल--

इस घटना की रिपोर्ट जी० आर० पी० थाने में नहीं लिखी गयी। वे लोग एस० एस० पी० के पास गये तब उन्होंने इस घटना की रिपोर्ट लिखायी और कार्यवाही करायी। क्या मुख्य मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ ?

श्री कृष्णानन्द राय--

इसकी सूचना तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है, मगर पत्रावली के देखने से मालूम होता है कि इस घटना की रिपोर्ट ३/४ अगस्त, १९६९ को रात के डेढ़ बजे धारा ३४२/३२३/३८४/३६६ आई० पी० सी० के अन्तर्गत छावनी में लिखी गयी।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

उस सिपाही को किस तिथि में सस्पेंड किया गया, वह लड़की कब अपने घर पहुंची और इस बीच में वह कहां रही ?

श्री कृष्णानन्द राय--

सिपाही को ३,४ अगस्त, १९६९ को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। कानपुर के पुलिस अधिकारियों ने बम्बई के पुलिस कमिश्नर से बात फोन पर की है और यह मालूम हुआ है कि लड़की अपने घर बम्बई पहुंच गयी है। वह किस तिथि को पहुंची, इस विषय में रिपोर्ट मांगी गयी है।

श्री नित्यानन्द स्वामी--

इस प्रश्न की अहमियत को देखते हुए और यह देखते हुए कि अभियुक्त भी पुलिस फोर्स का ही व्यक्ति है यह उचित होगा कि पुलिस के जरिये जांच न कराएं। इसकी जांच सी० आई० डी० से कराएं तो अच्छा रहेगा ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

अध्यक्ष महोदय, पुलिस ही ने तो उसे पकड़ा है और उसे निलम्बित भी किया है। तो ख्वाह मख्वाह उस पर अविश्वास किया जाए और इसकी जांच को सी० आई० डी० के पास भेजा जाए, इसकी आवश्यकता मुझे प्रतीत नहीं होती है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या यह मुख्य मन्त्री की जानकारी में है कि डेढ़ दो महीने पहले इसी प्रकार की एक लड़की के अपहरण की बाबत लड़की की माता ने एक शिकायत मुख्य मन्त्री को भेजी थी और सम्भवतः वह मुख्य मन्त्री जी से मिली भी थी। उन्होंने यह चर्चा भी की थी कि इस प्रकार का एक गैंग है और उस गैंग में रेलवे पुलिस फोर्स का एक दरोगा भी मिला हुआ है और वह यही काम करता है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मेरे पास तो बहुत से लोग मिलने भी आते हैं और दिन भर में १००-२०० व ४०० अर्जियां भी आती हैं। वह स्त्री अगर मुझसे मिली होगी तो अवश्य ही मैंने उस अर्जी को जांच के लिए गृह सचिव के पास भिजवाया होगा और साथ ही आरोपों की अहमियत को समझते हुए यह कहा होगा कि सी० आई० डी० से उसकी जरूर जांच करा लें। मगर मुझे इस संबंध में कुछ याद नहीं पड़ता है। मेरा नार्मल रुटिन जो इस सम्बन्ध में रहता है वह यही रहता है कि जो अर्जियां आती हैं जिनका संबंध अपहरण से होता है और जो सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने योग्य होती हैं उन पर मैं वैसे ही आदेश देता हूं।

श्री सुखपाल पाण्डेय (जिला बस्ती)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपा कर के बताएंगे कि उस लड़की को भगाने में एक पुलिस अधिकारी का भी हाथ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

यह बात न तो शिकायत के रूप में मेरे पास आयी है और न मेरी जानकारी ही में है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मुख्य मन्त्री जी बतलायेंगे कि मैंने जिस लड़के के अपहरण के बारे में शिकायत की और लिखित रूप में भी भेजा तो वह लड़का अभी तक बरामद नहीं हुआ है ? जब दरोगा के पास जांच के लिये लोग पहुंचे तो उसने कहा कि दूसरा लड़का पैदा हो जावेगा, परवाह न करो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मेरी जानकारी में ऐसी कोई बात नहीं है।

श्री मनोहर लाल--

क्या मुख्य मन्त्री जी इसकी जांच करायेंगे कि दरोगा ने कहा कि दूसरा लड़का पैदा हो जावेगा ?

श्री कृष्णानन्द राय---

दूसरे केस के सम्बन्ध में प्रश्न पूछ रहे हैं कैसे उत्तर दिया जाय।

श्री शम्भूनाथ चौधरी--

थाने में रिपोर्ट किसने की, क्या मुख्य मन्त्री जी इस बारे में सदन को अवगत करायेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय--

वह रिपोर्ट राम कुमार ने एक स्थानीय वकील के साथ लिखवाई। मैं पढ़ कर सुनाये देता हूं :

"मैं तलपुरवा, थाना बांसी, जिला बस्ती का रहने वाला हूं और मेरा भाई राम सुभग मोफत लाल मिल बम्बई में काम करते हैं। हम दोनों मझगांव शक्करवाड़ी मफतलाल बिल्डिंग, बम्बई नं० ६८ में रहते हैं। हमारे सामने गुलाब नाम की एक गुजराती लड़की रहती है। उससे हमारे भाई राम सुभग का प्रेम हो गया था। मेरा भाई इसलिये उसको अपने साथ अपने गांव तलपुरवा लाया था। उसकी तबियत गांव में दो-तीन दिन में उचट गई। मेरी छुट्टी खतम हो रही थी और मैं बम्बई लौट रहा था। तब वह भी मेरे साथ बम्बई जाने को तैयार हो गई। मैं उसके साथ बम्बई जाने के लिये कानपुर आया। मेरे पास पूरा किराया नहीं था। गांव वालों से मिलना भी था। इसलिये मैं कानपुर स्टेशन पर ता० १-८-१९६९ को ११ बजे दिन छोटी लाइन की गाड़ी से उतरा। लड़की भी मेरे साथ थी। स्टेशन पर मुझे एक वर्दी में सिपाही मिला। उसने मुझसे कहा कि तुम यह लड़की भगा कर लाये हो। मैंने कहा कि नहीं यह तो मेरे साथ बम्बई जा रही है। परन्तु सिपाही ने नहीं माना और यह कहा कि जांच करेंगे। हम लोगों को जबरदस्ती स्टेशन के बाहर एक लकड़ी के टाल पर ले गया। वहां मुझे मारा और लड़की से और मुझसे पूछ ताछ किया। हम दोनों ने फिर वही बात दुहराई। फिर भी वह सिपाही हम लोगों को लेकर जी० आर० पी० थाना पर गया। वहां पुलिस ने हम दोनों से पूछ ताछ की और कहा कि जाने दो यह आदमी तो लड़की को उसके घर ही ले जा रहा है। हम दोनों बाहर निकले और सड़क पर आये तो सिपाही भी पीछे

आया। सड़क पर उसने मेरे पास से जो २७ रु० थे वह धौंस देकर ले लिये और कहा कि तुम जाओ हम लड़की को भेज देंगे। यह कहकर वह लड़की को लेकर अन्दर सड़क पर चला गया। मैं थोड़ा इंतजार कर शहर में आया और फिर लौटकर स्टेशन पर देख भाल करता रहा परन्तु लड़की नहीं लौटी। उसके बाद हमने अपने गांव वालों को जो हटिया में रहते हैं बताकर उनकी मदद से फिर हमने लड़की की तलाश स्टेशन पर की। लड़की नहीं मिली पर मालूम हुआ कि जो सिपाही उसे धोखा देकर ले गया उसका नाम रामराज तिवारी है। हमने काफी तलाश की पर लड़की न मिली, न सिपाही। प्रार्थना है कि जरूरी कार्यवाही की जाये। लड़की की उम्र २० साल क होगी।

थाना पैलानी में श्री शिवनाथसिंह की मृत्यु की जांच

**४—श्री हरिवंश (जिला देवरिया), श्री शिवकैलाश (जिला बाराबंकी), श्री श्यामलाल (जिला आजमगढ़), श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़), श्री नगीना सिंह (जिला बलिया), श्री रामपूजन पटेल (जिला इलाहाबाद) तथा श्री शिव प्रसाद पांडिया (जिला रायबरेली)—

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला बांदा, थाना पैलानी, के ग्राम गौरीकलां में दिनांक ४-५ जुलाई, १९६९ की रात में हुये श्री शिवनाथ सिंह के कत्ल के सम्बन्ध में दिनांक २४ जुलाई, १९६९ को किसी विधायक का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो पत्र क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस संबंध में दिनांक २४-७-१९६९ को श्री अनन्तराम जायसवाल विधायक का पत्र प्राप्त हुआ जिसमें ४/५ जुलाई की रात में ग्राम गौरीकलां, थाना पैलानी, जिला बांदा में श्री शिवनाथ सिंह की हत्या किये जाने का उल्लेख तथा सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने का अनुरोध किया गया है। इस पत्र को पुलिस महानिरीक्षक को भेजकर यह आदेश दिये गये हैं कि वे इस मामले की सी० आई० डी० द्वारा जांच कराने के औचित्य पर विचार कर तदनुसार कार्यवाही करें।

श्री हरिवंश—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मृतक शिवनाथ सिंह और रामसिंह के बीच अदालत में कोई जायदाद का मुकदमा चल रहा था?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां, श्री शिवनाथ सिंह और रामसिंह के बीच जायदाद का मुकदमा चल रहा था। रामसिंह ने कहा कि वह उस जमीन पर काबिज है।

श्री हरिवंश—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि मृतक शिवनाथ सिंह के भांजे श्री इन्द्रजीत सिंह ने २३-७-१९६९ को मुख्य मन्त्री जी को कोई पत्र भेजा है? यदि भेजा है, तो वह क्या है?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां, इन्द्रजीत सिंह ने पत्र भेजा है। उसमें उन्होंने सी० आई० डी० जांच की मांग की है और कहा है कि हमारे मामा की हत्या कर दी गयी है और हमको भी जान का खतरा है।

श्री हरिवंश—

क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि सी० आई० डी० जांच बैठाने की जो बात कही गयी है वह अब तक बैठायी गयी या नहीं?

श्री कृष्णानन्द राय—

अभी तक केवल यह हुआ है कि यहां से मुख्य मंत्री जी ने होम सेक्रेटरी को और होम सेक्रेटरी ने आई० जी० को भेज दिया है कि सी० आई० डी० जांच के औचित्य पर विचार कर लिया जाय। अभी कोई रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री शम्भू नाथ चौधरी—

क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस घटना की जो रिपोर्ट हुई है वह कितने अभियुक्तों के खिलाफ़ है और कितने गिरफ्तार हुए ह ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस घटना की रिपोर्ट जो है उस हल्के के चौकीदार ने की थी और उसमें किसी भी मुलजिम का नाम मैन्शन नहीं किया।

श्री श्यामलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि घटना का कारण क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

अभी तक यही निश्चित नहीं हो रहा है कि श्री शिवनाथ सिंह जी की हत्या हुई है या स्वाभाविक मृत्यु से मरे हैं ? और दुश्मनी तो है जैसा कि इन्द्रजीत सिंह के पत्र में है।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)—

अभी मंत्री जी ने कहा कि यह निश्चित नहीं हो पाया है कि हत्या हुई या क्या कारण है ? तो शव का पोस्टमार्टम हुआ या नहीं ? अगर हुआ तो मेडिकल रिपोर्ट क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

पोस्टमार्टम हुआ है और मेडिकल रिपोर्ट में डाक्टर ने यह लिखा था कि "Death due to haemorrhage resulting from rupture of spleen."

फ़िर उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया तो उन्होंने लिखा—

"Rupture of spleen can occur even with a minute injury. As the spleen found ruptured and shrunken and blood oozing out so weight could not be given. He was well built man. The spleen could have been enlarged and ruptured due to a minor injury invisible outside. Enlarged spleen can rupture even without any external visible injury accidentally can cause death."

तो श्रीमन, डाक्टर की रिपोर्ट से ऐसा मालूम होता है कि तिल्ली फ़ट जाने पर स्वाभाविक मृत्यु भी हो सकती है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

मंत्री जी न कहा कि चौकीदार ने रिपोर्ट की है। लेकिन जो सम्बन्धी ने दरख्वास्त दी उसमें अभियुक्तों के नाम हैं ? यदि हैं तो उनक खिलाफ़ क्या कार्यवाही हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इन्दरजीत सिंह न जो यह रिपोर्ट लिखाई है उसमें इस बात की चर्चा है, लेकिन चूंकि मुकदमा चल रहा है और उनकी मृत्यु के बारे म सन्देह है, इसलिये अभी कोई और कार्यवाही नहीं की गयी है।

श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने आदमियों के खिलाफ़ पुलिस ने कार्यवाही की और लोगों को अब तक गिरफ्तार न करने का कारण क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, अभी तो इसकी जांच हो रही है कि उनकी हत्या हुई है या नहीं। डाक्टर की रिपोर्ट से ऐसा पता चलता है कि स्वाभाविक रूप से उनकी मृत्यु हुई है। जिनके ऊपर शक है उनको गिरफ्तार न करने का कारण यह है कि उन लोगों का कब्जे आदि के संबंध में मुकदमा चल रहा है और पुलिस इस नतीजे पर पहुंची भी नहीं है कि उनकी हत्या की गयी है।

(व्यवधान)

श्री हिम्मतसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने यह क्लैरिफ़िकेशन किस आधार पर मांगा था ?

श्री कृष्णानन्द राय—

डाक्टर की रिपोर्ट थी कि यह मौत हैमरेज से हुई है यकायक तिल्ली फ़ट जाने के कारण। इसी का आग क्लैरिफिकेशन मांगा गया था।

रायपुर थाने में माता बक्स सिंह की हत्या की जांच

**५—श्री रामप्यारे शुक्ला (जिला सुल्तानपुर) तथा श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

क्या गृह मन्त्री को इस बात की सूचना है कि दिनांक २१, २२ जुलाई, १९६९ की रात में श्री माता बक्स सिंह, निवासी ग्राम कसारा, थाना रामपुर, जिला सुल्तानपुर का कत्ल उनके घर पर कर दिया गया और लाश गायब कर दी गयी जिसकी रिपोर्ट रायपुर थाने पर दिनांक २२ जुलाई, १९६९ को कर दी गयी ? यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

दिनांक २१–७–६९ की रात में श्री माता बक्स सिंह, निवासी ग्राम पतापुर, थाना रायपुर, जिला सुल्तानपुर की, घर पर भोजन करते समय हत्या कर दी गयी और लाश अभियुक्तों द्वारा गायब की गयी। इस आशय की सूचना दिनांक २२–७–१९६९ को, प्रातः ११ ३० बजे थाना रायपुर में प्राप्त हुई जिसके आधार पर एक मुकदमा अन्तर्गत धारा १४७/१४८/१४९/३०२/२०१/४५२ भा० दं० वि० थाना रायपुर में कायम किया गया। इसमें जांच हो रही है।

**६—श्री रामप्यारे शुक्ला तथा श्री शिवकुमार पांडेय—

क्या सरकार इस मामले की जांच खुफ़िया पुलिस से कराने की कृपा करेगी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यदि स्थानीय पुलिस की जांच के उपरान्त आवश्यक होगा तो खुफ़िया पुलिस से जांच कराई जायगी।

श्री रामप्यारे शुक्ला—

क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतायेंगे कि मृतक की बेवा ने कोई प्रार्थना-पत्र माननीय गृह मन्त्री जी को इस संबंध में दिया है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

उनकी पत्नी ने थाने में रिपोर्ट लिखाई है, इसकी सूचना है, गृह मन्त्री को कोई प्रार्थना पत्र दिया या नहीं, इसकी सूचना नहीं है ।

श्री रामप्यारे शुक्ला—

श्रीमन्, रिपोर्ट में किसी मुल्जिम को नामजद भी किया है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, रिपोर्ट में यह है कि वह व्यक्ति अज्ञात है ।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, लाश पुलिस द्वारा बरामद हुई या जनता द्वारा ?

श्री कृष्णानन्द राय—

पुलिस द्वारा लाश बरामद हुई है ।

श्री शिव कुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, जिसकी मौत हुई है उसकी औरत के नाम बताने पर भी नामजद रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जहां तक प्रथम सूचना की रिपोर्ट है उसमें नाम नहीं लिखा गया है ?

श्री रामगोपाल संड—

क्या मन्त्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन अभियुक्तों की नामजद रिपोर्ट की गई थी, उनके पास लाइसेन्सशुदा बन्दूकें हैं और क्या उनकी बैलास्टिक एक्सपर्ट से जांच कराई गई है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, मैंने कहा कि प्रथम सूचना में तो नाम है नहीं ।

श्री रामप्यारे शुक्ला—

क्या प्रथम सूचना में किसी पर सन्देह प्रकट किया गया था । यदि किया गया था तो क्या वह लाइसेन्सी है आर्म्स का ?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, उस गांव के बड़ेलाल जी के ऊपर सन्देह प्रथम सूचना में प्रकट किया गया है । वह लाइसेन्सी है या नहीं, इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है ।

श्री रामप्यारे शुक्ला—

क्या इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

यह भी तफतीश की जा रही है । अभी गिरफ्तारी नहीं हुई।

श्री नित्यानन्द स्वामी—

क्या माननीय मन्त्री बतलायेंगे कि लाश जिस घर से बरामद हुई उस व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई ?

श्री कृष्णानन्द राय—

लाश किसी के घर से बरामद नहीं हुई बल्कि एक ताल के पास से बरामद हुई है।

श्री शिवकुमार (सुल्तानपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी उस बन्दूक की जांच करायेंगे जिस पर शक जाहिर किया गया है?

श्री कृष्णानन्द राय—

अवश्य जांच करायेंगे।

शिरोमणिनगर जिला हरदोई में शिवदत्त की हत्या

**७—श्री मनोहरलाल—

क्या मुख्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक २५ जून, १९६९ को शिरोमणि नगर, जिला हरदोई में ३२ वर्षीय शिवदत्त, पुत्र श्रीराम, निवासी शाहजहांपुर की हत्या कर दी गई, यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस सम्बन्ध में दिनांक २६-६-१९६९ को थाना बेहटा-गोकुल, जिला हरदोई में श्रीराम तिवारी निवासी शाहजहांपुर ने एक रिपोर्ट अंकित कराई जिसमें ग्राम शिरोमणि नगर, जिला हरदोई के दो व्यक्तियों द्वारा उनके पुत्र शिवदत्त की हत्या किये जाने का सन्देह व्यक्त किया। इस रिपोर्ट के आधार पर धारा ३६४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत मुकदमा कायम करके विवेचना की जा रही है। दोनों संदिग्ध अभियुक्त अदालत में हाजिर हुए और जेल भेज दिये गये हैं।

श्री मनोहरलाल—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि लड़का किस तारीख को गायब हुआ था और एफ० आई० आर० को पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, प्रश्न स्पष्ट नहीं है। यह घटना ६ जून, १९६९ की है और एफ० आई० आर० २६ जून, १९६९ को हुई .....

श्री मनोहरलाल—

मैंने पूछा कि क्या माननीय मंत्री जी एफ० आई० आर० को पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री कृष्णानन्द राय—

श्रीमन्, अगर आपकी आज्ञा होगी तो मैं पढ़ दूंगा। एक पन्ने का है।

इसमें लिखा है कि "निवेदन है कि मेरा नाम श्रीराम पिता का नाम दुर्गा प्रसाद ब्राह्मण निवासी बलिया थाना सदर बाजार शाहजहांपुर है मेरा लड़का शिवदत्त उम्र ३२ साल रोजा लोकों में मुलाजिम था, ६-६-६९ को गिरजा दयाल निवासी डकिया रनिवास जो हमारे साढ़ू और भतीजे दोनों रिश्ते में लगते हैं के लड़के राधेश्याम की शादी थी जिसमें मेरी औरत उनके यहां गई थी बारात मुडरामऊ थाना पाली गई थी उस बारात में मैं और शिवदत्त दोनों शरीक होने के लिये घर से चले। रोजा स्टेशन आने पर मालूम हुआ कि गाड़ी आधा घंटा लेट है, मुझे टट्टी लगी मैं चला गया मेरा लड़का शिवदत्त मेरा सूटकेस जिसमें

२,५०० रुपया नकद था व कपड़े भी थे जिसमें मेरा केवल एक पाजामा सफेद लट्ठे का व कुर्त्ता हलका खाकी पापलीन का था, बाकी कपड़े मेरे लड़के उसी के सिलाये हुये वो बुशशर्ट टेरालीन व एक पाजामा व कुर्त्ता सफेद पापलीन का, एक रोयेंदार हरे रंग का जिसमें सफेद पट्टीदार थी व एक धोती मरदानी पानदार काला नाखूनी थे। सूटकेस टाउन रंग के रेक्सीन, उसी में मेरी बंदूक का लाइसेन्स नं० ३२९०६ भी था अपनी बन्दूक आर्डिनेन्स दुनाली कारतूसी अपने लड़के शिवदत्त को दे दिया था जो प्लेटफार्म पर गाड़ी का इंतजार कर रहा था गाड़ी मेरे लौटने से पहले आ गई और मेरा लड़का उपरोक्त सामान लेकर गाड़ी पर बैठ कर चला गया जब मैं प्लेटफार्म पर गया तो मुझे रज्जन पुत्र आनन्द स्वरूप सिरोमन नगर जो मेरे लड़के के साथ स्टेशन पर था व शिव प्रसाद जो रज्जन का साथी है और सिरोमन नगर में अपने बहनोई के यहां रहता है दोनों को मुरली पुत्र द्वारिका किसान इमामी पुत्र अब्दुल्ला दर्जी जो हमारे गांव के रहने वाले हैं और स्टेशन पर लोडिंग अनलोडिंग का काम करते हैं व श्याम लाल गड़रिया हमारे गांव का और बारामासियों में काम करते हैं बताये कि तुम्हारे लड़के के साथ गये हैं मेरा लड़का हाथ में घड़ी बांधे था अंगूठी सोने की जिसमें मीना नग जड़ा था, हाथ और गले में सोने की जंजीर पहने हुये था। मैं वहीं से घर लौट गया, शादी के बाद जब मेरी औरत लौट कर घर आई तो लड़के के बारे में मालूम हुआ कि लड़का बारात नहीं पहुंचा तब मैं उसकी खोज में निकला तो उमा शंकर फायरमैन रोजा ने बताया कि उसने भी मेरे लड़के के साथ गाड़ी पर रज्जन व शिव प्रसाद को चढ़ते देखा था और इन तीनों को आंझी में साथ उतरते देखा था.....

श्री अध्यक्ष—

बस इतने से उनका काम चल जायगा, काफी है।

श्री मनोहरलाल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि क्या इस रिपोर्ट पर जो श्री राम है उसके दस्तखत हैं और उसकी लाश नदी के किनारे गढ़े में मिली थी ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जी हां, मिली थी।

श्री मनोहरलाल—

क्या इस एफ० आई० आर० पर श्रीराम के हस्ताक्षर हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय—

इस में नीचे लिखा है लेखक—नाम मथुरा प्रसाद पांडेय, पुत्र श्री आशाराम पांडेय, पो० बाल देवता, थाना पसगवां जिला लखीमपुर खीरी तारीख २६-६-६९। श्रीराम तिवारी पुत्र श्री दुर्गा प्रसाद तिवारी, मौ० बलिया, थाना सदर बाजार, जिला शाहजहांपुर। हस्ताक्षर तो इसमें नहीं हैं।

श्री मनोहर लाल—

श्रीमन्, लेखक तो रिपोर्ट लिखने वाला होता है लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं है कि पुलिस ने ३ हजार रुपया लेकर और कांग्रेस के एक विधायक ने ५०० रुपया लेकर सही रिपोर्ट दर्ज नहीं करायी और गलत रिपोर्ट ३०२ में लिखी गई, तो ऐसा क्यों हुआ है ?

श्री कृष्णानन्द राय—

जो रिपोर्ट लाज हुई उसमें लिखा है कि मैं लिख कर दे रहा हूं कि लाश को खुदवाकर दिखाने की और जरूरी कार्यवाही करने की कृपा की जाय, मालूम होता है कि लिखित रिपोर्ट जो है वह स्वाभाविक है और लाश देखने को नहीं मिली।

श्री मनोहरलाल--

नियम ५१ में सूचना दी थी और पूरक भी लिखा था।

श्री अध्यक्ष--

आपको पूरा मामला मूल प्रश्न में पूछना चाहिये था।

श्री मनोहरलाल--

हमने तो पूछा था कि क्या कार्यवाही हुई।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न जो पूछा जाता है उसमें अगर कभी कई चीजें मिली हों तो वह पूछ लेना चाहिये। अगर नहीं पूछेंगे और पुलिस ने रिपोर्ट दे दी तो उसके ही आधार पर उत्तर होगा। पुलिस तो कभी नहीं कहेगी कि हमने रिपोर्ट नहीं लिखी यह नामुमकिन बात है, उसके बाद पूछना बेकार है।

श्री महीलाल--

क्या मंत्री जी पुनः इस बात की जांच करायेंगे कि जो रिपोर्ट लिखी गई वह रिपोर्ट लिखाने वालों की तरफ से नहीं है और दूसरे क्या मंत्री जी जांच करायेंगे कि लड़के के पिता स्थानीय विधायक के यहां यह शिकायत लेकर गये कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई और हरदोई के विधायक ने फोन किया कि रिपोर्ट नहीं लिखी गई ?

श्री कृष्णानन्द राय--

यह ऐसी बात है जो पत्रावली से स्पष्ट नहीं है, लेकिन चूंकि वह कह रहे हैं इसलिये इसकी जांच करा लेंगे।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब लाश २४ तारीख को दरोगा और सिपाहियों ने गड़ी हुई निकाली और सील की तो दफा ३६४ में २ दिन के बाद उसकी रिपोर्ट क्यों लिखी गई ?

श्री कृष्णानन्द राय--

मैंने निवेदन किया था एक दिन कि जिस धारा में रिपोर्ट लिखी जाती है उसकी कोई अहमियत नहीं होती। वैसे ३६४ धारा तो गलत नहीं है क्योंकि लूट के समय जब कि कोई मौत होती है तो उसमें आता है और केवल मौत के लिये ही हत्या होती है तो धारा ३०२ होती है।

श्री अध्यक्ष--

मैं मंत्री जी से कहूंगा कि जब लोग प्रश्न किया जाय तो आप उसका फैसला यहां पर नहीं कर सकते वह तो पुलिस वालों ने रिपोर्ट लिखी है, आप कह सकते हैं कि आप सूचना प्राप्त कर लेंगे और माननीय सदस्य को सूचना दे देंगे।

श्री मनोहरलाल--

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो शिकायत है कि ३ हजार रुपये पुलिस ने लिये और ५०० रुपये वहां के स्थानीय विधायक ने लिये तो क्या वह इसकी सी० आई० डी० इन्क्वायरी करायेंगे ?

श्री कृष्णानन्द राय--

जो शिकायत है वह लिख कर दी जाय तो हम उसकी इन्क्वायरी करा लेंगे।

तुलसीपुर, जिला गोंडा में मिहीलाल पर गोली चलाने की घटना

**८---श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

क्या गृह मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि गोंडा जिले के तुलसीपुर नामक स्थान पर एक रईस व्यक्ति ने एक हरिजन मेहतर को गोली मार दिया? (घटना अगस्त, १९६९ में घटी है) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री कृष्णानन्द राय--

दिनांक ३-८-६९ को १०-३० बजे रात में श्री मिहीलाल हरिजन ने थाना तुलसीपुर जिला गोंडा में इस आशय की मौखिक सूचना दी कि रात में ८ बजे जब वह पुरानी बाजार के एक स्कूल के पास से जा रहे थे तो उनके पैर में एक छर्रा लगा जिससे उन्हें चोट आई। एक व्यक्ति उन्हें उठा कर थाने के पास छोड़ गया। इस सूचना में श्री मिहीलाल ने किसी को नामांकित नहीं किया था। इस सूचना के आधार पर धारा ३२४ भा० दं० वि० के अन्तर्गत एक मुकदमा कायम किया गया। ४-८-६९ को श्री राधेश्याम गुप्त नाम के एक व्यक्ति की थाने पर तहरीर प्राप्त हुई जिसमें बताया गया था कि जब वे थाने पर जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि मातेश्वरी प्रसाद नामक एक व्यक्ति फायर कर रहे थे और फायरिंग से घायल होकर श्री मिहीलाल गिर पड़े जिन्हें उन्होंने थाने पर पहुंचाया।

अभी तक की गई जांच से श्री मिही लाल को छर्रे से चोट लगने की बात सही नहीं प्रतीत होती।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि श्री राधेश्याम द्वारा लिखित तहरीर की कोई जांच करायी गयी, यदि हां, तो जिस व्यक्ति का नाम उसमें लिखाया गया है, उसका फायरिंग करना सही पाया गया ? यदि हां, तो उसके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री कृष्णानन्द राय--

इसमें जो डाक्टर की रिपोर्ट है उसमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मिहीलाल की छर्रे की रिपोर्ट है लेकिन श्री गुप्ता जिन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, पुलिस उनका कोई बयान नहीं ले पायी है।

श्री त्रिवेणी सहाय---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मातेश्वरी प्रसाद ने कोई फायरिंग करायी अथवा नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन्, जो बैलिस्टिक एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, उससे यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि छर्रे से चोट लगी है या नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि क्या वे लोग कालेज की प्रबन्धक समिति के लोग हैं और कांग्रेस से सम्बन्धित हैं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

इसकी सूचना हमारे पास तो नहीं, माननीय जायसवाल जी ही जानते होंगे।

श्री हिम्मत सिंह--

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि डाक्टर की रिपोर्ट क्या है और कब डाक्टरी हुयी ? जब यह व्यक्ति उसी दिन थाने पर पहुंच गया था तो उस दिन ही उसका डाक्टरी मुआयना क्यों नहीं कराया गया ?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन, डाक्टर ने अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है जो उसके दूसरे दिन अपनी राय दी है कि उसके पैर पर केवल एक घाव ०"-१" × ०"-०५" का पाया गया जिसमें एक छर्रा पाया गया जो कि आधा अन्दर तथा आधा बाहर था। छर्रा लगने के स्थान पर या इर्द-गिर्द कोई झुलसने का निशान न था। डाक्टर ने यह भी लिखा है कि उसके विचार में ८० प्रतिशत छर्रे की चोट बनावटी है क्योंकि छर्रे के नीचे कोई बाल का टुकड़ा या बाल नहीं पाया गया।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि झगड़े का क्या कारण था ?

श्री कृष्णानन्द राय--

झगड़े का कारण मालूम नहीं है। एफ० आई० आर० में केवल चोट के बारे में लिखा है।

श्री त्रिवेणी सहाय--

क्या माननीय मंत्री जी एफ० आई० आर० को पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री अध्यक्ष--

मैं इसकी इजाजत नहीं दूंगा। सब समय रिपोर्ट के पढ़ने में लग जाता है। हां, अगर छोटी हो तो मंत्री जी उसे पढ़ दें ?

श्री कृष्णानन्द राय--

श्रीमन, इसमें लिखा है कि "हमार नाव मेहो लाल बाप के नाव रामेश्वर जाति मेहतर मोहल्ला नयी बाजार कस्बा तुलसीपुर जबन यही थाना मां लागत है रहित है आज हम करीब आठ बजे रात मां पुरानी बाजार से लकड़ी लवाने खाति लिहे आवत रहेन कि बिजली के खम्भा के पास छबरा वाले स्कूल के सामने मेरे दाहिने पैर की गांठ के ऊपर छर्रा गवा जबन दगत रहा हम आपन पैर पकरि के बैठि गबन कि एक आदमी जेकर नाव हम नाहीं जानित हमका उठाय के लाइ के थाने सामने पेड़ के पास उतार के चला गया रात्रि का आबन है रिपोर्ट लिखि के जांच किया जाय जबन लिखाबा लिखा गया ढ़ाई के सुना ठीक है राय लगाइत है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

इस सम्बन्ध में एक दूसरी छोटी सी एफ० आई० आर० और है। उससे स्पष्ट होगा, उसे भी माननीय मंत्री पढ़ ?

श्री कृष्णानन्द राय--

यह रिपोर्ट राधेश्याम गुप्त ने लिखाई है जो इस प्रकार है "निवेदन है कि दिनांक ३-८-६९ को लगभग रात्रि ८ बजे में मुझे यह मालूम हुआ है कि श्री धीरेन्द्र कुमार आर्य को कुछ लोगों ने मारा है और वह थाने पर है। अतः मैं उन्हें देखने थाने पर जा रहा था। रेलवे की गुमटी पर पहुंचते ही मैंने कई फायरिंग की आवाज सुनी और श्री मातेश्वरी प्रसाद गोयल पुत्र प्रहलाद राय बन्दूक लिये खड़े थे। उनके बगल में उनके भाई श्री हरिकृष्ण खड़े थे। एक व्यक्ति फायरिंग के चोट से घायल होकर गिर पड़ा। तने में वे लोग घर में भाग ग । तब मैं घटनास्थल पर पहुंचा।

वहां मेहीलाल मेहतर घायल पड़ा था। उस के कहने पर मैंने उसे सहारा देकर थाने तक पहुंचाया। वहां से उसे दवा के लिये अस्पताल पहुंचा दिया गया। न्याय के हित में यह रिपोर्ट प्रेषित है। आशा है शीघ्र कार्यवाही की जायगी।"

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)--

रिपोर्ट में मातेश्वरी प्रसाद तथा उसके भाई का नाम लिया गया है तो उनके खिलाफ कोई कार्यवाही हुई ?

श्री कृष्णानन्द राय--

अभी उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी।

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे (जिला जौनपुर)--

आपने कहा कि कार्यवाही नहीं हुई। तो कार्यवाही न करने का कारण क्या है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

अभी तक उनको छर्रे की चोट है या नहीं इसकी तफतीश हो रही है और राधेश्याम जी से अभी तक पुलिस बयान नहीं ले पाई है।

श्री अनन्तराम जायसवाल--

मातेश्वरी प्रसाद गोंडा कांग्रेस कमेटी से सम्बन्धित हैं। डाक्टर ने जो छर्रे की चोट पाई है तो उसकी राय क्या है कि यह बन्दूक से दागा गया या हाथ से पेवस्त कर लिया गया ?

श्री कृष्णानन्द राय--

मुझे खुशी है कि जायसवाल जी को कांग्रेस कमेटीज के बारे में काफी जानकारी है, मुझको जानकारी नहीं है। जहां तक छर्रे की बात है डाक्टर की यह राय है चूंकि कोई भी हिस्सा झुलसा नहीं था और चारों तरफ किनारे पर ललाई नहीं आई थी तो ८० प्रतिशत इस बात का सन्देह है कि यह फायरिंग किया हुआ छर्रा है ?

श्री महेश्वरदत्त सिंह (जिला गोंडा)--

क्या यह सच है कि ३ तारीख को साढ़े ९ बजे मातेश्वरी प्रसाद पर हमला किया गया, उनकी जीप तोड़ी गयी तथा दूकान लूटी गयी और फायरिंग की गयी और उसको छिपाने के लिये यह छर्रा दिखाया गया है ?

श्री कृष्णानन्द राय--

इसकी सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

जो शिकायत अभी माननीय सदस्य ने की कि दूकान लूटी गयी मातेश्वरी प्रसाद की तो क्या थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज की गयी और ३ अगस्त का यह वाकया है तो १७ दिनों में मातेश्वरी प्रसाद के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री अध्यक्ष--

उनके प्रश्न के ऊपर यह प्रश्न नहीं हो सकता। मंत्री जी ने तो कह दिया कि उनको जानकारी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा--

तो दूसरे का बता दें कि जब ३ अगस्त को नामजद रिपोर्ट दर्ज करायी गयी तो १७ दिन बाद आज तक भी मातेश्वरी प्रसाद के खिलाफ कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ?

श्री कृष्णानन्द राय---

श्रीमन्, जिस व्यक्ति को चोट लगी है उसने मातेश्वरी प्रसाद का कोई जिक्र नहीं किया, डाक्टर ने कहा कि यह सन्देहजनक है और राधेश्याम गुप्ता जिन्होंने फायरिंग की बात कही है पुलिस की रिपोर्ट आयी है कि अथक प्रयास के बावजूद भी वह अवेलेबिल नहीं है तो ऐसी हालत में किस प्रकार उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय ?

श्री शचीन्द्रनाथ बख्शी (जिला वाराणसी)---

अभी मंत्री महोदय ने बताया कि वह जगह झुलसी नहीं थी। उनको मालूम होना चाहिये कि दूर से गोली लगने पर झुलसता नहीं है, नजदीक से लगने पर झुलसता है। तो कैसे इस रिपोर्ट पर मंत्री महोदय सैटिस्फाइड हो गये और बन्दूक चलाने वाले को अरेस्ट नहीं किया ?

(उत्तर के लिये मंत्री महोदय को नहीं पुकारा गया।)

श्री यादवेन्द्रदत्त दुबे---

मेडिकल रिपोर्ट यह है कि छर्रा शायद फायरिंग से नहीं घुसा। शायद मंत्री जी को नहीं मालूम है कि ह्यूमन बाडी में कोई भी छर्रा बिना फायरिंग के नहीं घुस सकता। तो क्या इसकी फिर से जांच करायेंगे या नहीं ?

श्री कृष्णानन्द राय---

जांच तो करा लेंगे लेकिन डाक्टरी रिपोर्ट तो यह है कि:---

"In my opinion the injury looks 80 per cent to be artificial because of these reasons."

अब इसमें मैं क्या करूं ?

(माननीय अध्यक्ष के बोलने को इजाजत न देने पर भी)

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)---

गोली चली और उस मेहतर को गोली लगी। ३ तारीख को रिपोर्ट की गयी, लेकिन लिखी नहीं गयी। ४ तारीख को फिर भेजी गयी। यह अन्याय हो रहा है। झूठी रिपोर्टें पेश हो रही हैं। सदन के माननीय सदस्यों को धोखा दिया जा रहा है। इसके विरोध में मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री त्रिवणी सहाय ने सदन का त्याग किया।)

पशुपालन निदेशालय में अंग्रेजी में कार्य करने के परिपत्र की वापसी

**९---श्री अनन्तराम जायसवाल---

क्या कृषि मंत्री बतायेंगे कि क्या शासन को पता है कि पशुपालन निदेशालय द्वारा जुलाई, १९६९ में अपने विभाग के अधिकारियों व इन्चार्जों के नाम एक परिपत्र जारी किया गया है कि विधान सभा के व विधान परिषद् के प्रश्नोत्तर का संक्षिप्त विवरण अंग्रेजी में तैयार किया जाया करे ? यदि हां, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

पशुपालन निदेशालय के एक अधिकारी ने ऐसा एक परिपत्र केवल निदेशालय पर स्थित विभिन्न शाखाओं के लिये जुलाई, १९६९ में प्रसारित किया था। ऐसा परिपत्र जारी करने का कारण निदेशालय ने यह बताया है कि प्राविधिक विभाग होने के नाते यदि हिन्दी उत्तर में प्रयुक्त प्राविधिक शब्दों में कहीं अस्पष्टता रह गई हो तो उसे अंग्रेजी से तुलना करके दूर किया जा सके शासन ने इस परिपत्र को वापस लेने का आदेश दिया है।

नये उद्योगों से सम्बन्धित मशीनों व निर्माण सामग्री पर चुंगी न लेना

**१०---श्री रूपनाथसिंह यादव (जिला इलाहाबाद)---

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री कृपया बतायेंगे कि क्या इस प्रदेश में नये उद्योगों की स्थापना में काम करने वाली मशीनरी तथा माल बनाने वाले सामान को चुंगीकर से ३ वर्ष की छूट दी है ?

श्री अतीकुर्रहमान--

केवल नये उद्योगों की स्थापना में काम आने वाली मशीनरी तथा भवन निर्माण सामग्री को नागर स्थानीय निकायों द्वारा लगाये गये चुंगी, पथ कर तथा सीमा कर से ३१ मार्च, १९७२ तक के लिये छूट दी गई है।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २९ (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

जिलाधीश हरदोई के खिलाफ कथित पत्र

*१--श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि हरदोई शहर के छोटे दूकानदार जो सड़क के किनारे दुकानें लगाये बैठे थे, उनकी दुकानें मय सामान जिलाधीश, हरदोई ने हाल में जब्त करके कोतवाली हरदोई में रखवा ली है ? यदि हां, तो क्यों ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (चौधरी गिरधारी लाल)---

सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क की पटरियों पर कुछ अनधिकृत गुमटियां, जिनसे यातायात में दिक्कत पड़ती थी, इनके मालिकों से कह कर पीछे हटा दी गई। किसी दुकान का सामान न तो जब्त किया न कहीं जमा किया।

*२--श्री रियासत हुसैन--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिलाधीश, हरदोई इस कार्य के विरुद्ध जिला कांग्रेस कमेटी के हजारों कार्यकर्त्ताओं ने विरोध करते हुये प्रस्ताव पास करके सरकार से जांच की मांग की है ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

चौधरी गिरधारीलाल--

ऐसा कोई विरोध पत्र न तो जिलाधीश के कार्यालय में प्राप्त हुआ और न शासन को अभी तक प्राप्त हुआ है।

*३--श्री प्रियदर्शी जेटली तथा श्री जगदम्बा प्रसाद--

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

बुलन्दशहर में सड़कों पर से अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही

*४--श्री मुमताज मोहम्मद खां तथा श्री जगबीर सिंह (जिला बुलन्दशहर)--

क्या सरकार को ज्ञात है कि बुलन्दशहर नगर में नगरपालिका की ओर से जो कि इस समय सरकारी प्रशासन में है, छोटे-छोटे दूकानदारों के खोखे तथा झोपड़ियों को हटवाने का अभियान चल रहा है, जिससे हजारों गरीब व्यक्तियों के जीविकोपार्जन पर प्रभाव पड़ रहा है ?

श्री अतीकुर्रहमान--

नगरपालिका बुलन्दशहर द्वारा नगर की मुख्य आम सड़कों पर अनाधिकृत रूप से रखे हुए खोखे आदि को जिनसे वह सड़कें तंग हो गई हैं और यातायात में असुविधा होने के अलावा दुर्घटना का भी डर रहता है, हटाने का प्रयत्न किया जा रहा है। प्रभावित दूकानदारों के लिये नगरपालिका ने सुविधा जनक दूसरे स्थान नियत किये हैं।

नोट--अल्प सूचित तारांकित प्रश्न के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*५—श्री मुमताज मोहम्मद खां तथा श्री जगवीर सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऐसे पीड़ित दूकानदारों को फिर से बसाने के लिये नगरपालिका को राज्य सहायता या ऋण देकर पक्की दुकानें बनवाने की व्यवस्था करने की ओर तुरन्त ध्यान देगी ? यदि हां, तो कब तक ? और यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अतीकुर्रहमान—

प्रभावित दूकानदारों को बसाने हेतु पक्की दूकानों के निर्माण के लिये नगरपालिका बुलन्दशहर ने ऋण दिये जाने के लिये एक प्रस्ताव भेजा है जो शासन के विचाराधीन है।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २८ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

नैनीताल में मालरोड पहाड़ धंसने की सूचना

*१—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह ज्ञात है कि नैनीताल का मालरोड पहाड़ नीचे को धंस रहा है ? यदि हां, तो इस विषय में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

अभी ऐसी कोई सूचना शासन को नहीं मिली है कि मालरोड पहाड़ नीचे को धंस रहा है। माल रोड पहाड़ के सर्वे के लिये केन्द्रीय भू-गर्भ विभाग के एक्सपर्ट्स ने कुछ सुझाव दिये हैं जो सार्वजनिक निर्माण विभाग के विचाराधीन है।

बदायूं तहसील के वसूली विभाग के चपरासियों से सम्बन्धित शिकायत

*२—श्री शिवराज सिंह (जिला बदायूं)—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या दिनांक ५ अगस्त, १९६७ को जिलाधीश, बदायूं को एक ऐसी शिकायत लिखित मौसूल हुई जिसमें यह कहा गया था कि बदायूं तहसील के तीन फर्जी चपरासी लगान वसूली विभाग में वेतन पाते रहे हैं और उसमें एस०डी०एम० तथा नायब-तहसीलदार की सांठ-गांठ है ?

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

जिलाधिकारी बदायूं को ५ अगस्त, १९६७ को एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया था कि वसूली विभाग के कुछ चपरासी, जिन्हें सरकार की ओर से वेतन मिलता है, नायब तहसीलदारों के यहां घरेलू काम करते हैं, स्पष्ट शब्दों में यह नहीं कहा गया था कि इस काम में एस० डी० एम० तथा नायब-तहसीलदार की सांठ-गांठ है।

*३—श्री शिवराज सिंह—

यदि हां, तो उस शिकायत पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जांच के फलस्वरूप आरोप निराधार पाये गये। शिकायत को दाखिल दफ्तर कर दिया गया।

[२० अगस्त, १९६९ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

तराई-भावर में खाम स्टेट के कृषकों को भूमिधरी अधिकार

*१—श्री इन्द्रलाल (जिला नैनीताल)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तराई भावर में खाम स्टेट के कृषकों को शासन ने क्या भूमिधरी अधिकार देने का निश्चय किया है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां, जिला नैनीताल में स्थित तराई भावर सरकारी आस्थान के केवल कुछ ही गांवों को छोड़कर शेष सभी ऐसे गांवों में, जिनमें कोई भी व्यक्ति राज्य एवं कृषक के बीच मध्यवर्ती नहीं था, १ जुलाई, १९६९ से ऐसे काश्तकारों एवं पट्टेदारों को भूमिधरी अधिकार दे दिया गया है जिन्हें भूमि बेंच सकने का अधिकार प्राप्त था और जिन काश्तकारों को भूमि बेंच सकने का अधिकार प्राप्त नहीं था उन्हें सीरदारी अधिकार दे दिये गये हैं।

*२—श्री इन्द्रलाल—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि भावरी क्षेत्र में खाम स्टेट के अतिरिक्त बन्दोबस्ती भूमि के कृषकों के लिये भूमिधरी अधिकार दिये जाने का शासन का विचार है ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

संभवतः "बन्दोबस्ती भूमि" से माननीय प्रश्नकर्त्ता का अभिप्राय हिस्सेदारी गांवों में स्थित भूमि से है। इन गांवों के हिस्सेदारों एवं उनके काश्तकारों को प्राप्त अधिकारों की स्थिति का परीक्षण किया जा रहा है और यह परीक्षण समाप्त हो जाने के बाद जमींदारी विनाश अधिनियम में वांछित अनुकूलन एवं परिष्कार करके अगले वर्ष पहली जुलाई तक इन गांवों में भी मध्यवर्तियों के अधिकार समाप्त कर भूमि व्यवस्था लागू कर दी जायगी।

भूमिहीन खेतिहर मजदूर संघ, जिला सहारनपुर का मांग-पत्र

*३—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भूमिहीन खतिहर मजदूर संघ, जिला सहारनपुर की ओर से १४ मार्च, १९६९ के आस-पास उन्हें कोई मांग-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो मांगें कौन-कौन सी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मुख्य मंत्री जी को सम्बोधित भूमिहीन खेतिहार मजदूर संघ के दिनांक १४ मार्च, १९६९ के पत्र की प्रति राजस्व विभाग में प्राप्त हुई थी। मांगों की सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ २६८—२६९ पर।)

*४—श्री अनन्तराम जायसवाल—

क्या राजस्व मंत्री यह भी बतायेंगे कि उपर्युक्त मांगों को या उनमें से किसी मांग को पूरा करने के लिये शासन ने कोई निर्णय लिये हैं, या नहीं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मांग-पत्र में उल्लिखित मांगों का संबंध राजस्व विभाग के अलावा सहकारिता, श्रम, पंचायती राज तथा वन विभाग से भी है जहां तक राजस्व विभाग का संबंध है उसमें बहुत सी बातें पूछी गयी हैं। इन तमाम प्रश्नों का उत्तर बहुत लम्बा हो जायेगा। इसमें बहुत सी बातें

ऐसी हैं जिन पर बजट के संबंध में बहस के दौरान काफी प्रकाश डाला जा चुका है। वार्षिक रिपोर्ट तथा बजट के दौरान माननीय सदस्यों को जो छोटी पुस्तिका दी गई है उसमें राजस्व की नीतियों का उल्लेख किया गया है।

*५-६—श्री वीरेन्द्र वर्मा तथा श्री चन्द्रभान—

[पुनरावृत्ति होने के कारण हटा दिये गये।]

पयागपुर इकौना मार्ग का निर्माण

*७—श्री वासुदेव सिंह (जिला बहराइच)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बहराइच जिले में कुड़ासर से हजूरपुर पयागपुर से इकौना सरकारी मार्ग पर जिसका बनाने का आदेश संविद सरकार द्वारा दिया जा चुका था अभी तक कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ? क्या सरकार उसे शीघ्र बनवाने की कृपा करेगी?

चौधरी गिरधारीलाल—

प्रश्नगत मार्गों को बनाने का आदेश संविद सरकार द्वारा नहीं दिया गया था। पयागपुर के इकौना मार्ग के इकौना विकास खंड में पड़ने वाले पांच मील भाग का निर्माण १९६४ में स्वीकृत किया गया था। कार्य प्रगति पर है।

*८—श्री हरिवंश—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त किया गया।]

खाली भूमि वितरण के संबंध में जिलाधिकारियों को निदेश

*९—श्री हरिवंश—

क्या सरकार बतायेगी कि क्या यह सही है कि सीलिंग की निकली भूमि प्रत्येक जिले में उन्हीं व्यक्तियों को पट्टे पर दी जा रही है जिनसे वह जमीन निकाली गई थी? यदि हां, तो एसा क्यों?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं। शासन ने अक्तूबर, १९६७ में जिलाधिकारियों को यह निदेश दिया है कि भूमिहीनों के अतिरिक्त अन्य लोगों को दिये गये पट्टे की अवधि समाप्त होने के उपरान्त खाली भूमि गांव के भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दी जाय।

दूसरे भाग के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता।

*१०—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

[प्रश्नकर्ता से स्पष्टीकरण हेतु हटा दिया गया।]

नगरपालिका चित्रकूट धाम के अध्यक्ष के विरुद्ध जांच तथा ई० ओ० की नियुक्ति

*११—श्री दुर्जन (जिला बांदा)—

क्या स्वशासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले की चित्रकूट नगरपालिका, करवी और उसके अध्यक्ष के विरुद्ध भ्रष्टाचार की जांच पालिका सदस्य श्री काशी प्रसाद चौरसिया के १९६७ और १९६८ के प्रार्थना-पत्रों पर हुई थी? उस जांच में क्या रिपोर्ट मिली तथा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, जांच की गई थी। इस संबंध में कार्यवाही शासन के विचाराधीन है।

*१२—श्री बुर्जन—

क्या स्वशासन मंत्री यह भी बातने की कृपा करेंगे कि १९६९ में उक्त नगरपालिका के ई० ओ० के रिक्त स्थान पर नियुक्ति के बारे में पालिका ने एक प्रस्ताव पास करके श्री चितरंजनदास सेमेटरी इंस्पेक्टर को ई० ओ० का कार्यभार संभालने के लिये कहा था ? यदि हां, तो क्या पालिका के प्रस्ताव का उल्लंघन करके पालिका अध्यक्ष ने रेवेन्यु इंस्पेक्टर श्री रामदीन को इंचार्ज ई० ओ० बनाया है ? यदि हां, तो अध्यक्ष के नियमोल्लंघन और मनमानी ढंग से काम करने पर सरकार क्या कोई नियंत्रण रखेगी ? क्या सरकार अवैधानिक इंचार्ज ई० ओ०, श्री रामदीन को हटाकर वहां स्थायी ई० ओ० नियुक्त करेगी ? यदि हां, तो कब और कितने दिनों में ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां, नगरपालिका ने प्रस्ताव पारित किया था परन्तु नियमों में ई० ओ० की नियुक्ति का अधिकार नगरपालिका को नहीं है। नियमों में नगरपालिका के अध्यक्ष को ६ सप्ताह के लिये अस्थायी स्थानापन्न व्यवस्था करने का अधिकार है इससे अधिक अवधि के लिये स्थानापन्न व्यवस्था सरकार करती है। अध्यक्ष ने श्री रामदीन की अस्थायी नियुक्ति की अब शासन से स्वीकृति मांगी है जिस पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है। इस बीच शासन ने नगरपालिका हमीरपुर के स्थानापन्न ई० ओ० का स्थानान्तरण जून, १९६९ में नगरपालिका चित्रकूट धाम में कर दिया है परन्तु उन्होंने अभी वहां कार्यभार ग्रहण नहीं किया है, स्थाई ई० ओ० की व्यवस्था का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

स्वायत्त साशन विभाग के राजपत्रित अधिकारियों के स्थानान्तरण आदेश रद्द करना

*१३—श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उनके विभाग में कितने राजपत्रित अधिकारी, मार्च, सन् १९६९ से अब तक स्थानान्तरित किये गये और कितने स्थानान्तरण के आदेश रद्द किये गये ?

श्री अतीकुर्रहमान—

स्वायत्त शासन शाखा के अधीन मार्च, १९६९ से जुलाई ३१, १९६९ तक ७९ राजपत्रित अधिकारियों का स्थानान्तरण किया गया और उनमें से १२ अधिकारियों के स्थानान्तरण के आदेश रद्द किये गये।

फतेहपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*१४—श्री जयनारायण सिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतेहपुर जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में कितने मील पक्की सड़कें सरकार बनाने का विचार कर रही है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

फतेहपुर जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग ४२ मील पक्की सड़कों के निर्माण को सम्मिलित करने का प्रस्ताव है।

*१५—श्री जयनारायण सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फतहपुर जनपद में चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में से इस जनपद की कौन-कौन सी सड़कों को पक्का करने का विचार है ?

चौधरी गिरधारी लाल--

यह निर्णय अभी नहीं लिया गया है ।

परीक्षितगढ़-किठौर सड़क पक्की करने की प्रार्थना

*१६--श्री मंजूर अहमद (जिला मेरठ)--

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बतायेंगे कि जिला मेरठ की तहसील मवाना के अन्तर्गत परीक्षितगढ़ से हस्तिनापुर के बीच की सरकारी सड़क का ८ मील का टुकड़ा जो परीक्षितगढ़-किठौर तक जाती है, को पक्का कराने का कष्ट करेगी ?

चौधरी गिरधारीलाल--

प्रश्नगत सड़क के निर्माण के लिये आवश्यक धन का प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में किया गया है ।

मवाना तथा अनूपशहर तहसील में जमीन के बेनामे

*१७--श्री मंजूर अहमद--

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि तहसील मवाना, जिला मेरठ और तहसील अनूपशहर जिला बुलन्दशहर में अप्रैल, सन् १९६८ से जून, सन् १९६९ तक जमीन के कितने बेनामे हुए और उनमें से कितने के दाखिल-खारिज हुये तथा कितने अभी बकाया हैं ? और क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

तहसील मवाना तथा अनूपशहर में बेनामा के आधार पर दायर हुये दाखिल खारिज के मुकदमों की स्थिति इस प्रकार है:

		मवाना	अनूपशहर
पहली अप्रैल, १९६८ को अवशेष मुकदमें	..	६८१	५०
दायर	..	२,६७६	२,५८४
योग	..	३,३५७	२,६३४
निस्तारण	..	२,८६०	२,५४२
अवशेष	..	४९७	९२

अवशेष मुकदमों का अब तक निस्तारण न होने के कारण फरीकैनों का तारीखों पर हाजिर न होना तथा न्यायालय के अधिकारियों का अन्य प्रशासनिक कार्यों में व्यस्त रहना है ।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश सीमा-परिवर्तन

*१८--श्री शम्भूनाथ चौधरी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिला में बिहार उत्तर प्रदेश राज्यों की सीमाओं को निश्चित करने का कार्य प्रारम्भ हो गया है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

बिहार तथा उत्तर प्रदेश की सीमा परिवर्तित करने के लिये भारत सरकार ने बिहार उत्तर प्रदेश सीमा परिवर्तन अधिनियम, १९६८ बना दिया है और उस अधिनियम के अनुसार सीमांकन कार्य सर्वे आफ इंडिया ने प्रारम्भ कर दिया है ।

*१९—श्री शम्भूनाथ चौधरी—

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि बेलासपुर कलां, शोभापुर, सबदलपुर, कुर्मीपुर बिसारपुर मौजे जो गंगा नदी की धूरधारा नियम के अनुसार, त्रिवेदी आयोग के प्रतिवेदन के पूर्व बलिया जिला में पड़ते थे, उनकी स्थिति चालू वर्तमान सीमांकन में बलिया जिला में कायम है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

वर्तमान सीमांकन से ग्रामों की स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । इन पांचों ग्रामों की भूमि वर्तमान धूरधारा के अनुसार उत्तर प्रदेश में है पर स्थायी सीमा रेखा प्रभावी हो जाने के बाद केवल शोभापुर गांव की भूमि उत्तर प्रदेश में रहेगी । शेष चार गांवों की भूमि बिहार को हस्तान्तरित हो जावेगी ।

इलाहाबाद जिले में टेस्ट वर्क

*२०—श्री श्यामसूरत—

क्या सरकार को ज्ञात है कि पिछले ३–४ वर्षों से इलाहाबाद, मिर्जापुर, वाराणसी, फतेहपुर में लगातार सूखा पड़ रहा है ? यदि हां, तो सरकार इसके संबंध में कोई आयोग बैठाने का विचार कर रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । सरकार कोई आयोग बैठाने का विचार नहीं कर रही है ।

*२१—श्री श्यामसूरत—

क्या माल मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जिला इलाहाबाद में इस वर्ष किन-किन स्थानों पर कितने टेस्ट वर्क खोले गये ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

कुल ३४ टेस्ट वर्क खोले गये । सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ २७० पर ।)

ग्राम प्रधानों द्वारा दिये गये जमीन के पट्टों की मन्सूखी

*२२—श्री गया प्रसाद (जिला प्रतापगढ़)—

क्या माल मंत्री कृपया बतायेंगे कि संविद सरकार ने एक आदेश पारित कर गत ३ वर्षों के अन्दर किये गये ग्राम प्रधानों द्वारा जमीन के पट्टों को रद्द कर उस भूमि को पुनः भूमिहीनों में वितरित करने का निर्णय लिया था ? यदि हां, तो मौजूदा सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी हां । मौजूदा सरकार इस विषय में समुचित कार्यवाही कर रही है ।

स्वायत्त शासन कर्मचारियों की मांगें

*२३—श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश स्वायत्त शासन कर्मचारियों की मांगें पूरी करने के लिये, सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, लखनऊ ने दिनांक १३ मई, १९६९ को पत्र संख्या ११०७ एतद्द्वारा वेतन आयोग बनाने तथा अन्य मांगें पूरी करने का आश्वासन दिया था ? यदि हां, तो क्या-क्या मांगें पूरी हुईं ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जिस पत्र का जिक्र प्रश्न में किया गया है, उसमें शासन ने यह कहा था कि यह मामला शासन के विचाराधीन है और आशा है कि इस पर शीघ्र कुछ निर्णय हो जायेगा। मामला अभी भी शासन के विचाराधीन है ।

दादरी–छलेरा सड़क को बढ़ाने का सुझाव

*२४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री, जिला बुलन्दशहर की दादरी-छलेरा रोड जो कि सरकारी सड़क है, को और अधिक बढ़ा कर दिल्ली राज्य की सीमा से मिलाने का विचार रखते हैं ? यदि हां तो कब तक ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जी हां। इस कार्य के लिये आवश्यक प्राविधान चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में किया गया है ।

*२५–२६—श्री शिवानन्द नौटियाल—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

दाऊजी–राया–सादाबाद सड़क

*२७—श्री चन्द्रपाल आजाद (जिला मथुरा)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मथुरा की राया से दाऊजी की सड़क का निर्माण कार्य जो राष्ट्रपति शासन काल में प्रारम्भ किया जा रहा था बाद में रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी गिरधारी लाल—

जिला मथुरा में राया से दाऊजी सड़क का निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया।

*२८—श्री चन्द्रपाल आजाद—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि राया से सादाबाद तक सड़क के निर्माण की कब तक संभावना है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

राया से सादाबाद तक सड़क का निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया है ।

नगरपालिका टांडा के खिलाफ शिकायतें

*२९—श्री रामचन्द्र आजाद—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि टाण्डा नगरपालिका में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में उनके विभाग में टाण्डा की जनता तथा प्रश्नकर्त्ता की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई और उन पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जनता तथा माननीय सदस्य से वित्तीय वर्ष १९६७–६८ में नगरपालिका टांडा में व्याप्त अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार के संबंध में केवल चार शिकायतें प्राप्त हुई थीं। इनमें से एक शिकायत शासन के शिक्षा विभाग से भी संबंधित थी जिसपर शिक्षा विभाग में कार्यवाही हो रही है । अन्य तीन शिकायतों पर जिला मैजिस्ट्रेट, फैजाबाद से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई थी और

उनकी जांच रिपोर्ट का परीक्षण करने के उपरान्त केवल एक यह शिकायत सही पायी गयी थी कि पालिका के एक भूतपूर्व अध्यक्ष का दिनांक १४-७-६६ से ४-५-६७ तक (जब वे पालिका के अध्यक्ष नहीं रहे थे) टेलीफून का व्यय पालिका के फन्ड से दिया गया था। इस पर जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद से यह अनुरोध किया गया था कि भूतपूर्व पालिकाध्यक्ष से यह धन वसूल करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाय। भूतपूर्व अध्यक्ष ने अपना प्रत्यावेदन भी भेजा है जिस पर पुनः जिला मैजिस्ट्रेट से अपनी विशिष्ट संस्तुति शासन को भेजने के लिए दिनांक १८-७-६९ को लिखा गया है।

नगरपालिका बदायूं को सुपरसेशन नोटिस

*३०—रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को यह ज्ञात है कि म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं में बहुत ज्यादा गोलमाल होने के कारण सरकार ने सुपरसेशन नोटिस दिया था जो किन्हीं कारणों से पोस्टपोन कर दिया गया था? यदि हां, तो क्या मन्त्री जी उस विषय पर पुनर्विचार करने की कृपा करेंगे?

श्री अतीकुर्रहमान—

नगरपालिका, बदायूं द्वारा अपने कर्तव्यों का पालन न करने के कारण उसे सुपरसेशन नोटिस जारी किया गया था और उक्त नोटिस पर बोर्ड के उत्तर पर विचार करने के पश्चात् शासन ने उसे अपनी दशा सुधारने हेतु अपने आदेश दिनांक १०-३-६९ द्वारा छः माह का समय दे दिया। पुनर्विचार का प्रश्न अभी नहीं उठता।

*३१—श्री रियासत हुसैन—

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री को मालूम है कि श्री कमर अहमद, भूतपूर्व चेयरमैन, म्युनिसिपल बोर्ड, बदायूं ने ५६,००० रुपये से संबंधित ठेके की फाइलों के गुम होने के बारे में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, बदायूं को दिनांक ३० मार्च, १९६८ को लिखित सूचना दी, यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा ४०९/४२० के अन्तर्गत नगरपालिका, बदायूं के कर अधीक्षक श्री ओम प्रकाश रस्तोगी के विरुद्ध पुलिस द्वारा तफतीश की जा रही है।

हरिजनों के खारिज किये गये पट्टे

*३२—श्री उदितनारायण (जिला फतेहपुर)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि संविद सरकार के कार्यकाल में दिये गये इस आशय के आदेश कि तीन साल के अन्दर किये गये ग्राम समाज की जमीन के अवैधानिक पट्टों की जांच कर खारिज किये जाने के परिणामस्वरूप जितने पट्टे खारिज किये गये उनमें से कितने पट्टे ऐसे हरिजनों के थे जिनके पास या तो कोई भूमि नहीं है या ६ १/४ एकड़ से कम है?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रदेश के समस्त जिलों से आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

*३३-३४—श्री जगदीश गान्धी—

[प्रश्न-विषय उच्च न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त किये गये।]

नगीना–बढ़ापुर सड़क पर खो नदी का पुल बनाने की प्रार्थना

*३५––श्री महीलाल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि नगीना–बढ़ापुर सरकारी मार्ग, जिला बिजनौर, वर्षा ऋतु में खो नदी पर पुल न होने के कारण बन्द हो जाता है जिससे मार्ग के दोनों ओर की आबादी का जिले के मुख्यालय से संबंध टूट जाता है ?

चौधरी गिरधारीलाल––

बिजनौर जिले में नगीना–बढ़ापुर मार्ग पर खो नदी पर पुल न होने के कारण वर्षा ऋतु में यातायात में कठिनाइयां पड़ती हैं ।

सम्भल–हसनपुर मार्ग

*३६––श्री महीलाल––

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बतायेंगे कि सम्भल–हसनपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग–मार्ग, जिला मुरादाबाद पर बगद नदी पर पुल का निर्माण कब हुआ था और उसमें कितना व्यय हुआ ?

चौधरी गिरधारीलाल––

मुरादाबाद जिले में सम्भल–हसनपुर मार्ग को बगद नदी नहीं काटती है इसलिये उस पर पुल के निर्माण का प्रश्न नहीं उठता ।

कुन्डा तहसील में ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा

*३७––श्री जैराम (जिला प्रतापगढ़)––

क्या माल मन्त्री को ज्ञात है कि जिला प्रतापगढ़, तहसील कुन्डा के ग्राम बेंती के बेंती तालाब की लगभग ३ १/२ (साढ़े तीन) सौ एकड़ ग्राम समाज की भूमि पर भूतपूर्व जमींदारों ने अनधिकार कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ? क्या उपरोक्त भूमि की मौके पर हदबन्दी की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

जी हां । अनधिकृत कब्जा हटाने की कार्यवाही की जायेगी । गांव सभा भूमि की मौके पर हदबन्दी हो चुकी है ।

*३८––श्री जैराम––

क्या माल मन्त्री को जानकारी है कि जिला प्रतापगढ़, तहसील कुन्डा के गांव गोतनी मऊदारा दिलेरगंज, शाहपुर तथा वलीपुर गंगा के कछार की ग्राम समाज की भूमि पर लोगों ने अनधिकार कब्जा कर लिया है इस तरह की अनधिकार कब्जे की भूमि का क्षेत्रफल क्या है तथा उनको बेदखल करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा––

ग्राम व गोतनी शाहपुर व मोहब्बी नगर (वलीपुर) की क्रमशः २१५ बीघा ३ बिस्वा १८ बिस्वांसी, ११ बीघा ४ बिस्वा १० बिस्वांसी व ३३ बीघा १० बिस्वा भूमि पर लोगों का अनधिकार कब्जा है । अनधिकृत कब्जेदारों के खिलाफ जमींदारी विनाश नियमावली के नियम ११५-सी० के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही की जा रही है । दिलेरगंज तथा मऊदारा गांव सभा की भूमि पर किसी का अनधिकार कब्जा नहीं है ।

बलिया जिले में अग्निपीड़ितों को सहायता

*३९--श्री मनेजरसिंह (जिला बलिया)--

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि १ अप्रैल, १९६८ से १५ जून, १९६९ की अवधि में बलिया जिले के किन किन गांवों में आग लगने से धन-जन की कितनी क्षति हुई और किन गांवों के किन क्षति-ग्रस्त परिवारों को आपद सहायता दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

१ अप्रैल, १९६८ से १५ जून, १९६९ तक बलिया जिले के ६७ गांवों में आग लगने से कुल ८,४७,२७२ रुपये की क्षति हुयी तथा तीन मनुष्य और आठ पशु मर गये। ४५३ क्षति-ग्रस्त परिवारों को आपदा सहायता दी गयी।

*४०--श्री मनेजरसिंह--

क्या राजस्व मन्त्री यह भी कृपया बतायेंगे कि उपरोक्त अवधि में आग किन-किन तारीखों को कहां-कहां लगी और उसकी सूचना तहसील कार्यालय को कब प्राप्त हुई और अधीनस्थ कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट कब प्राप्त हुई और सहायता कब दी गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

वांछित सूचना संलग्न है।

(देखिये तारांकित प्रश्नों 'ग' आगे पृष्ठ २७१-२७२ पर)

*४१--श्री रामदेव--

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त किया गया।]

जालौन जिले में ज्वाला प्रसाद लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही

*४२--श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम भेंड़ के निवासियों की ओर से ग्राम भेंड़, चम्पतपुर तथा रतनापुर कोंच, जिला जालौन की मौजूदा खतौनियों में फर्जी अभिलेखों के लिखने के संबंध में कोई प्रार्थना-पत्र दिनांक ६ या ७ जुलाई, १९६९ का सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां। श्री हरिचरन सिंह से दिनांक ६ जुलाई, १९६९ का एक प्रार्थना-पत्र श्री ज्वाला प्रसाद, लेखपाल, भेंड़ के विरुद्ध अनियमित कार्य करने के संबंध में प्राप्त हुआ था। लेखपाल का स्थानान्तरण कर दिया गया है तथा उसके विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जिलाधिकारी द्वारा जांच की जा रही है।

*४३--श्री कन्हैयालाल सोनकर--

[५ वें सोमवार के प्रश्न संख्या २२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

चकबन्दी विभाग में विचाराधीन निगरानियां

*४४--श्री शिवराज सिंह--

क्या माल मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस समय उत्तर प्रदेश में कितने रिवीजन (मुकदमें) चकबन्दी विभाग में निर्णय होने को बाकी हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

विगत तीस जून, १९६९ को उत्तर प्रदेश के समस्त चकबन्दी जिलों में ४७,०४६ निगरानियां (रिवीजन) निस्तारण हेतु अवशेष थी ।

भूमिधरी अधिकार के लिए बीस-गुना लगान

*४५--श्री शिवराज सिंह--

क्या माल मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उत्तर प्रदेश में भूमिधरी के अधिकार प्राप्त करने हेतु लगान का दस गुने के बजाय २० गुना धनराशि कृषकों से वसूल किये जाने का आदेश सरकार द्वारा प्रसारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां, ६ जून, १९६९ को प्रख्यापित उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९ द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० में आवश्यक संशोधन कर यह धनराशि मालगुजारी के दस गुने से बढ़ा कर मालगुजारी के बीस गुने निर्धारित कर दी गई है ।

यह धनराशि मालगुजारी के दस गुने के बराबर सन् १९५० में, जब उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम अधिनियमित किया गया था, निर्धारित की गई थी । तब से मालगुजारी की दरों में तो कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ किन्तु भूमि के मूल्य में तब से बहुत बढ़ोत्तरी हो चुकी है, जिस कारण भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लिये जमा की जाने के लिये निर्धारित धनराशि में भी बढ़ोत्तरी करना पूर्णतः न्याय संगत है ।

पलटन बाजार, देहरादून में अग्निकाण्ड

*४६--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देहरादून के मुख्य बाजार, पलटन बाजार में दिनांक ४ मई, १९६९ को भीषण अग्निकांड हुआ ? यदि हां, तो जिला अधिकारियों को सूचना कब मिली तथा मौके पर कितने देर बाद पहुंचे ? अग्नि के फलस्वरूप कितनी क्षति हुई तथा सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

जी हां । अग्निकांड सबेरे चार बजकर पैंतालीस मिनट पर हुआ । सूचना पाते ही फायर ब्रिगेड पांच बजकर इक्कीस मिनट पर पहुंचा । आग पर काबू पाया । केवल चार दुकानें जलीं और नुकसान लगभग ३१ हजार रुपये का हुआ । कोतवाली पुलिस भी शीघ्र ही घटनास्थल पर पहुंच गई थी । कलेक्टर को सूचना करीब आठ बजे मिली और उन्होंने अतिरिक्त कलेक्टर को तत्काल घटना-स्थल पर भेजा । अग्नि-पीड़ितों में एक ने बीमा करा रखा था उसे बीमा कम्पनी से मुआवजा मिला है । शासन ने कोई सहायता नहीं दी क्योंकि इन अग्नि-पीड़ितों में कोई निर्धन और असहाय नहीं है ।

प्रेमनगर, देहरादून के नलकूप में खराबी

*४७--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार को यह विदित है कि देहरादून के प्रेमनगर, बस्ती में एकमात्र पानी के श्रोता ट्यूबवेल के मई, १९६९ के प्रथम सप्ताह में खराब हो जाने पर वहां का ट्यूबवेल लगभग १५ दिन तक ठीक नहीं हो पाया जिससे प्रेम नगर के हजारों नागरिक लगभग १५ दिन तक पानी की एक-एक बूंद के लिये तड़पते रहे ? यदि हां, तो सरकार ने इस विषय में क्या कार्यवाही की ?

श्री अतीकुर्रहमान—

यह ठीक है कि प्रेम नगर का ट्यूबवेल मई, १९६९ में खराब हो गया था। यह ट्यूबवेल वहां के छावनी बोर्ड के अधीन है और उन्हीं के द्वारा उसका रखरखाव होता है। छावनी बोर्ड भारत के रक्षा मंत्रालय के अन्तर्गत आता है। अतः उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कोई कायवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४८—श्री सुखपाल पैय—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

खीरी जिले में जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

*४९—श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खीरी जिले की तहसील लखीमपुर, मोहम्मदी तथा निधासन में जोत सीमा निर्धारण कानून के लागू होने के कारण कुल कितनी भूमि राज्य सरकार में निहित हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला खीरी की तहसील लखीमपुर, मोहम्मदी तथा निधासन में कुल ४१,९८७.५४ एकड़ भूमि जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत राज्य सरकार में निहित हुई।

*५०—श्री छेदालाल चौधरी—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त कथित कानून के लागू होने पर तहसील लखीमपुर में हिन्दुस्तान शुगर मिल, गोला के जमुनाबाद फार्म तथा अवध शुगर मिल्स हरगांव के पिपरा फार्म से कुल कितनी भूमि सरकार में निहित हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जोत सीमा आरोपण अधिनियम के लागू होने पर हिन्दुस्तान सुगर मिल गोला जमुनाबाद फार्म की २,७५४.०८ एकड़ भूमि सरकार में निहित हुई है तथा अवध शुगर मिल, हरगांव के पिपरा फार्म की ३,४५२.२७ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी। जिसके संबंध में मिल ने अपील दायर की है।

टांडा में चेचक के संबंध में स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

*५१—श्री रामचन्द्र आजाद—

क्या सरकार को ज्ञात है कि २२ दिसम्बर, १९६७ को स्वास्थ्य मंत्री ने विधान परिषद् में यह वक्तव्य दिया था कि दिसम्बर, १९६७ में टांडा नगर में चेचक से जो अत्यधिक मृत्युयें हुई थीं उनके संबंध में स्वायत्त शासन विभाग नगरपालिका के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये कहा गया है ? यदि हां, तो उक्त नगरपालिका के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

श्री अतीकुर्रहमान—

जी हां। सरकार ने जिला मजिस्ट्रेट, फैजाबाद से इस विषय में संस्तुति मांगी थी जिन्होंने नगरपालिका, टांडा द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण शासन को भेजा। परीक्षण के उपरान्त यह पता चला कि नगरपालिका, टांडा इसके लिये उत्तरदायी नहीं ठहरायी जा सकती। तत्कालीन जिला स्वास्थ्य अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने के प्रश्न पर सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है।

लखनऊ में गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पर पुल बनाने का विचार

*५२—श्री बंशगोपाल शुक्ल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री को ज्ञात है कि जियामऊ (लखनऊ नगरमहापालिका नरही वार्ड) और मार्टीन का पुरवा के निवासियों को वर्षा के दिनों में शहर लखनऊ आने के लिये पानी में होकर आना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस कठिनाई को दूर करने के लिये नहर के ऊपर पुल बनवाने की योजना पर विचार करेगी ?

श्री अतीकुर्रहमान—

लखनऊ नगर और ग्राम जियामऊ तथा मार्टिनपुरवा को एक कच्ची सड़क मिलाती है। इसके बीच गाजीउद्दीन हैदर कैनाल पड़ती है। बरसात के दिनों में कैनाल का पानी बढ़ जाने से ग्रामवासियों को पानी से होकर आना पड़ता है।

इस नहर पर एक पुल, सड़क तथा पुलिया आदि बनाने की योजना नगरमहापालिका के विचाराधीन है।

*५३—श्री रामस्वरूप वर्मा—

[पुनरावृत्ति होने के कारण निरस्त किया गया।]

बिल्हौर-सिकन्दरा सड़क का निर्माण

*५४—श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर जिले में बिल्हौर से सिकन्दरा जाने वाली सार्वजनिक निर्माण विभाग की सड़क के कच्चे व पक्के भाग पर सन् १९६१ से लेकर १९६९ के ३१ मार्च तक अलग-अलग कितना रुपया मरम्मत पर खर्च हुआ, उक्त सड़क की चौड़ाई बिल्हौर से सिकन्दरा तक मुख्य रूप से कितनी रखी गई है तथा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक उक्त सड़क का कुल कितना भाग पक्का हो जायेगा ?

चौधरी गिरधारीलाल—

इस सड़क की मरम्मत पर १-४-१९६१ से ३१-३-१९६९ तक जो व्यय हुआ है तथा इस सड़क की जो चौड़ाई है उसकी सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रखी हुई सूची में दी है। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इस सड़क का ८ मील ३ फर्लांग के भाग को पक्का करने का प्रस्ताव है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ २७३ पर)

भरथना तहसील में गांव सभा मल्हौसी की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन

*५५—श्री उपेन्द्र नाथ (जिला कानपुर)—

क्या राजस्व मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि श्री शारदानन्द संसद सदस्य का जो रजिस्टर्ड पत्र माह दिसम्बर, १९६८ में राजस्व सचिव, उत्तर प्रदेश को गांव सभा मल्हौसी, तहसील भरथना जिला इटावा की भूमि पर दोषपूर्ण अध्यासन के संबंध में प्राप्त हुआ था उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? कितनी गांव सभा की भूमि पर से दोषपूर्ण अध्यासन हटाया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

प्रश्नगत पत्र पर अब तक की गई कार्यवाही के फलस्वरूप १४.२२ एकड़ गांव सभा भूमि पर से दोषपूर्ण अध्यासन हटाया गया।

पीलीभीत जिले में पक्की सड़कों का निर्माण

*५६—श्री तेजबहादुर (जिला पीलीभीत)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में पीलीभीत जिले में कितनी पक्की सड़क के निर्माण का लक्ष्य है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जिला पीलीभीत में, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में लगभग १३ मील पक्की सड़कों का निर्माण सम्मिलित करने का प्रस्ताव है ।

देहली–शाहदरा सीमा पर पकड़े गये कथित कोलतार ड्रम

*५७—श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री चन्द्रभान तथा श्री धर्मवीर सिंह (जिला मेरठ)—

क्या सरकार को ज्ञात है कि जुलाई, १९६९ के आरम्भ में सार्वजनिक निर्माण विभाग के २०० कोलतार ड्रम देहली-शाहदरा की सीमा पर बिक्री हेतु ले जाते हुए पुलिस द्वारा पकड़े गये ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले की जांच तथा इन अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही कर रही है ?

चौधरी गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

*५८–५९—श्री ईश्वर दयाल—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये ।]

टेहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी में लगान की दर

*६०—श्री गोविन्द सिंह—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिहरी-गढ़वाल तथा उत्तरकाशी जिले में लगान की रेट जिला अल्मोड़ा व गढ़वाल के मुताबिक करने का फैसला किया है ? यदि हां, तो कब से ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जी नहीं । शासन ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है । किन्तु शासन ने यह निर्णय लिया है कि टेहरी–गढ़वाल के २ रुपये प्रति जरब बीसी से अधिक रेट वाले गांवों में कमी की जायेगी जो २ रुपये से जितना अधिक है उसकी आधी धनराशि के बराबर होगी ।

तराई भूमि जांच समिति की रिपोर्ट

*६१—श्री गोविन्द सिंह—

क्या माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री बी० डी० सानवाल की अध्यक्षता में श्री राज्यपाल द्वारा गठित तराई भूमि जांच समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे सदन की मेज पर रखने की कृपा करगी तथा सरकार कृपया बतायगी कि उक्त रिपोर्ट पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

तराई भूमि जांच समिति की रिपोर्ट सरकार को प्राप्त हो गई है और उसकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है ।

समिति की सिफारिश के अनुसार नैनीताल जिले के तराई-भावर सरकारी आस्थान के अधिकांश ग्रामों में उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, १ जुलाई, १९६९ से लागू कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त न केवल तराई-भावर सरकारी आस्थान में बल्कि सम्पूर्ण प्रदेश में अनुसूचित आदिम जाति के खातेदारों के हस्तान्तरण अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। समिति की अन्य सिफारिशों का परीक्षण किया जा रहा है।

*६२—श्री अनीसुर्रहमान—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किया गया।]

अतारांकित प्रश्न

गढ़वाल मण्डल में पेयजल योजनायें

१—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गढ़वाल मंडल में कौन-कौन सी पेय-जल योजनायें आरम्भ होने वाली हैं और उनके पूरे होने की अवधि क्या है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

सूचना संलग्नक में दी हुयी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ २७४ पर।)

२—श्री शिवानन्द नौटियाल—

क्या स्वायत्त शासन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेय-जल वितरण जल संपूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत गढ़वाल तथा कुमायूं मंडल के लिये कितने धन का प्राविधान चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में है ?

श्री अतीकुर्रहमान—

प्रदेश के समस्त क्षेत्रों को पेय-जल तथा जल निकासी व्यवस्था हेतु चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में १८.३० करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। इसमें से गढ़वाल व कुमायूं मंडलों के लिये निम्नांकित धनराशियां निर्धारित करने का प्रस्ताव है:

गढ़वाल मंडल, ९५.६४६ लाख रुपये, कुमायूं मंडल १९२.२४० लाख रुपये।

चालू वित्तीय वर्ष में एक करोड़ रुपये का प्राविधान पहाड़ी क्षेत्रों की जल सम्पूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन के लिये और किया गया है। यह धन संबंधित जिला परिषदों को पर्वतीय विकास परिषद् की सिफारिश पर मंजूर किया जायगा।

सगड़ी तहसील में भूमिहीनों के पट्टे

३—श्री दलसिंगार (जिला आजमगढ़)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ जिला तहसील सगड़ी, परगना गोपालपुर के अन्तर्गत सन् १९६६, १९६७, १९६८ में कितने भूमिहीनों के नाम भूमि का पट्टा सरकार की ओर से किया गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

सरकार की ओर से पट्टा नहीं दिया जाता है। वर्ष १९६६-६७ में गांव सभाओं द्वारा भूमिहीनों को क्रमशः ६४ और १४७ पट्टे जारी किये गये थे।

४—६—श्री दलसिंगार—

[प्रश्नकर्त्ता द्वारा वापस ले लिये गये ।]

बहेड़ी तहसील में किछा नदी के पुल पर पथ-कर

७—श्री शफीक अहमद खां (जिला बरेली)—

क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि उसने जो नया पुल किछा नदी पर नारायन नगला-धार पर तहसील बहेड़ी, जिला बरेली में बनाया है, उस पर गुजरने वाली गाड़ियां आदि से जो कर लिया जाता है, वह १९६७–६८ में कितना लिया गया है, और उसके स्टाफ पर कितना खर्चा हुआ है ?

चौधरी गिरधारी लाल—

इस पुल पर १९६७–६८ वर्ष में रुपये २,०३४.१८ पथ-कर के रूप में वसूल हुआ था तथा इसी वर्ष में उसके स्टाफ पर लगभग ९,१२० रुपये व्यय हुआ।

तिलहर व फरीदपुर तहसील में ग्राम समाज की भूमि

८—श्री सुरेन्द्र विक्रम (जिला शाहजहांपुर)—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि ग्राम सभा भरहे, विकास क्षेत्र, जैतीपुर, तहसील तिलहर, जिला शाहजहांपुर में ५०० बीघा उपजाऊ भूमि ग्राम समाज के पास उपलब्ध है ? यदि हां, तो गत ५ वर्षों से प्रति वर्ष ग्राम समाज को कितनी-कितनी आय हुई ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

केवल ५३.२४ एकड़ उपजाऊ भूमि ही उपलब्ध है जिससे गत पांच वर्षों में ग्राम सभा को कोई आमदनी नहीं हुई ।

९—श्री सुरेन्द्रविक्रम—

क्या राजस्व मंत्री को पता है कि विकास क्षेत्र एवं तहसील फरीदपुर, जिला बरेली के अन्तर्गत ग्राम सभा, नगरियाकलां, नगरिया खुर्द, मानपुर एवं बंडिया में लाखों बीघा भूमि ग्राम समाजों के पास है ? यदि हां, तो उपरोक्त जमीन का किस प्रकार उपयोग किया जा रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

ग्राम सभा, मानपुर, नगरियाकलां व बंडिया में क्रमशः ५३२.६६, ११८.६५ व २०५.९७ एकड़ उपलब्ध ग्राम सभा भूमि में से क्रमशः ८८.८१, ५६.९६ व १९.०० एकड़ भूमि पर किसानों का अनधिकार कब्जा है । शेष भूमि में से अधिकांश खादर तथा बाढ़ से प्रभावित हैं और उसे पट्टे पर उठाने के लिये गांव सभा ने कोई कार्यवाही नहीं की है । जिला बरेली में नगरिया खुर्द नाम का कोई ग्राम नहीं है ।

सगड़ी तहसील में पंचसाला बन्दोबस्त

१०—श्री दलसिंगार—

क्या माल मन्त्री कृपा करके यह बतायेंगे कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील के परगना गोपालपुर के घाघरा नदी के किनारे के किन-किन ग्रामों में कितने दिनों से पंचशाला व बन्दोबस्त हो रहा है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस परगने के ७५ ग्रामों में १३६९ फसली (सन १९६१) से पंचसाला बन्दोबस्त का कार्य हो रहा है । इन ग्रामों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ २७५–२७६ पर)

११—श्री दलसिंगार—

क्या माल मन्त्री कृपा कर बतायेंगे कि इस बन्दोबस्त के दौरान में कितने लोगों ने ग्राम समाजों के अध्यक्षों से पट्टा कराया है उनमें से कितने भूमिहीन हैं तथा कितने अध्यक्षों के परिवार के लोग हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

इस बन्दोबस्त के दौरान में १५७ पट्टे ग्राम समाज के अध्यक्षों द्वारा किये गये जिसमें से ९५ पट्टे भूमिहीनों के नाम किये गये और एक पट्टा अध्यक्ष के परिवार के नाम किया गया है।

चकबन्दी

१२—श्री रियासत हुसैन—

क्या माल मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि चकबन्दी विभाग में काम करने वाले जो कर्मचारी चकबन्दी का काम समाप्त होने के कारण बेकार होंगे, सरकार उन्हें किस विभाग में काम देगी ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

चकबन्दी कर्मचारियों को, छटनी के बाद, उनकी योग्यता के अनुसार, अन्य विभागों के उपयुक्त रिक्त स्थानों पर, जहां तक सम्भव होगा, खपाये जाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है।

१३—श्री रियासत हुसैन—

क्या माल मन्त्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कितनी तहसीलों में चकबन्दी का कार्य समाप्त हो चुका है और कौन-कौन सी तहसीलों में कार्य चल रहा है ? प्रदेश के कितने मुकदमे तीन साल से ज्यादा के चकबन्दी डायरेक्टरेट में पेंडिंग हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उत्तर प्रदेश की कुल १०८ तहसीलों में, नये चकों पर कब्जा परिवर्तित किया जा चुका है और ५९ तहसीलों में चकबन्दी क्रियायें चल रही हैं। इन तहसीलों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

दिनांक ३१ जुलाई, १९६९ को विभिन्न चकबन्दी जिलों में कुल ८५४ निगरानियां तीन साल से अधिक अवधि की निस्तारण के लिये जिलाधिकारी, जिला उप चकबन्दी निदेशक तथा क्षेत्रीय उपसंचालकों के पास अवशेष थीं।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ २७९—२८० पर।)

१४—१५—श्री रियासत हुसैन—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

हरदोई जिले में ऊसर भूमि

१६—श्रीमती आशा सिंह (जिला हरदोई)

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हरदोई जिले में कितने प्रतिशत ऊसर जमीन है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

४.०९ प्रतिशत।

बबेरू टाउन एरिया के नागरिकों का प्रार्थना-पत्र

१७--श्री बुर्जन--

क्या स्वायत्त शासन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि बांदा जिले के बबेरू टाउन एरिया के नागरिकों का एक प्रार्थना-पत्र चेयरमैन श्री भगवत प्रसाद को निलम्बित किये जाने के बारे में राज्यपाल महोदय के पास जो विगत ४ जुलाई, १९६९ को भेजा गया था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो नागरिकों के उस प्रार्थना-पत्र पर सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

श्री अतीकुर्रहमान--

जी हां। अभी इस मामले में विचार किया जा रहा है।

बिसौली क्षेत्र में निर्माण-कार्य

१८--श्री शिवराजसिंह--

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वर्ष १९६९-७० में ४० बिसौली निर्वाचन क्षेत्र में कौन-कौन सी सड़कें तथा पुल बनवाने की योजना है ?

चौधरी गिरधारी लाल--

चालीस बिसौली निर्वाचन क्षेत्र में बिसौली इसलामनगर-बहजोई सड़क तथा मोहकमपुर के लिये संयोजक मार्ग (४५० मीटर) का निर्माण-कार्य १९६९-७० में आरम्भ करने की योजना है। अभी कोई पुल बनाने की योजना नहीं है।

जिला देहरादून में सौंग नदी के पुल पर पथ-कर

१९--श्री नित्यानन्द स्वामी--

क्या सरकार बतायेगी कि देहरादून में सौंग नदी पर डोईवाला के समीप स्थित पुल के निर्माण पर क्या व्यय हुआ था तथा अब तक टोल टैक्स द्वारा कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है ?

चौधरी गिरधारीलाल--

जिला देहरादून में प्रश्नगत पुल के निर्माण पर १३,७१,५०० रुपया व्यय हुआ था तथा ३०-६-१९६९ तक टोल टैक्स द्वारा ११,०९,८४८ रुपया प्राप्त हो चुका है।

देवरिया जिले में जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त भूमि

२०--श्री रामधारी (जिला देवरिया)--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की प्रत्येक तहसील में कितनी भूमि लैन्ड सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत निकली ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत देवरिया जिले की तहसील देवरिया, सलीमपुर, हाटा तथा पडरौना में क्रमशः २६९, ७२७, ३२१ तथा ५८६५.३६ एकड़ भूमि अतिरिक्त घोषित हुई थी।

२१--श्री रामधारी--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सेवरही शुगर फैक्टरी (जिला देवरिया) के अन्तर्गत कुल कितने एकड़ कृषि फार्म था, और उसमें से कितना लैन्ड सीलिंग ऐक्ट के लागू होने से निकल गया ?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

स्योराही शुगर फैक्टरी के पास ३०५१.१६ एकड़ भूमि थी जिसमें से २९१९.३६ एकड़ भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हुई थी।

पडरौना तहसील में मालगुजारी की वसूली

२२—श्री रामधारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि देवरिया जिले की पडरौना तहसील में मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में १ अप्रैल, १९६८ से ३० जून, १९६९ तक कितने लोगों के विरुद्ध कुर्की और वारंट जारी किये गये और उनमें से कितने ऐसे थे जो पांच एकड़ से कम खेत जोतते हैं और कितने ऐसे थे जो ५ एकड़ से अधिक खेत जोतते हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

देवरिया जिले की पडरौना तहसील में मालगुजारी की वसूली के सिलसिले में १ अप्रैल, १९६८ से ३० जून, १९६९ तक कुल २८ लोगों के विरुद्ध कुर्की और १८१ लोगों के विरुद्ध वारन्ट जारी किये गये। इनमें से ३ कुर्कियां पांच एकड़ से कम जोत वालों के विरुद्ध तथा २५, पांच एकड़ से अधिक जोत वालों के विरुद्ध जारी की गईं। ३४ वारन्ट गिरफ्तरियां पांच एकड़ से कम जोत वालों के विरुद्ध तथा १४७, पांच एकड़ से अधिक जोत वालों के विरुद्ध जारी की गई।

घोसी तहसील में जमीन पर नाजायज कब्जे के मुकदमे

२३—श्री श्यामलाल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत तहसील घोसी में मार्च, १९६८ से मार्च, १९६९ तक कितने पट्टे जो गांव सभा द्वारा किये गये दाखिल हुये और उनमें से कितनों पर निर्णय हुआ और कितने अब भी विचाराधीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

जिला आजमगढ़ की तहसील घोसी में मार्च, १९६८ से मार्च, १९६९ तक २७५३ पट्टे दाखिल हुये और १९३५ पट्टों का निर्णय हुआ। ८१८ पट्टे अब भी विचाराधीन हैं।

२४—श्री श्यामलाल—

क्या राजस्व मन्त्री कृपया यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त तहसील में मार्च, १९६८ से मार्च, १९६९ तक कितने मुकदमें गांव समाज की जमीन पर नाजायज किये गये कब्जे सम्बन्धी दाखिल हुये और उनमें से कितनों पर निर्णय हुआ तथा कितने अभी विचाराधीन हैं ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

उक्त तहसील में मार्च, १९६८ से मार्च, १९६९ तक गांव सभा भूमि पर नाजायज कब्जे सम्बन्धी २८७ मुकदमे दाखिल किये गये। इनमें से २६६ मुकदमों का फैसला हो गया है और २१ मुकदमे विचाराधीन हैं।

२५—२७—श्री उदयनाथ—

[५वें बुधवार के लिये स्थगित किये गये।]

प्रश्नों के संबंध में जानकारी

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

श्रीमन, मेरा प्रश्न संख्या ६६ इस प्रकार है—"क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतायेंगे कि सम्भल-हसनपुर सार्वजनिक निर्माण विभाग मार्ग, जिला मुरादाबाद पर वगद नदी पर पुल का निर्माण कब हुआ था और उसमें कितना व्यय हुआ ?"

उसका उत्तर निम्न प्रकार से दिया गया है—"मुरादाबाद जिले में संभल-हसनपुर मार्ग को वगद नदी नहीं काटती है इसलिये उस पर पुल निर्माण का प्रश्न नहीं उठता।"

अध्यक्ष महोदय, पुल वहां बना हुआ है और उत्तर यह आ रहा है कि निर्माण की आवश्यकता ही नहीं। प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ दिया जा रहा है।

श्री अध्यक्ष—

यह सवाल यहां नहीं हो सकता। इसको आप मेरे पास लिख कर भेज दीजिये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय त्रिवेणी सहाय जी सदन छोड़ कर चले गये। जो प्रश्न उपस्थित हुआ है उसके बारे में यह बात भी सामने आयी कि कोई दल उसमें दिलचस्पी ले रहा है और यह बात भी आयी कि एक भूतपूर्व मंत्री महोदय वहां गये और दबाव डाला। एक आदमी मारा गया, लेकिन पुलिस ने उसमें कुछ नहीं किया। पी० ए० सी० भी वहां तैनात थी। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इसको नियम ४९ में आप चर्चा करने के लिये रख दें।

श्री अध्यक्ष—

इसको आप लिख कर मेरे पास भेज दीजिये। इस प्रकार कई प्रश्नों को मैं मंजूर भी कर चुका हूं।

श्री मनफूल सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)—

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। आजकल देखा जा रहा है कि केवल ८–९ सवाल ही हो पाते हैं। मेरा सवाल नम्बर ५७ पर है। अगर रोज की यही परम्परा है तो फिर इतना गवर्नमेंट का खर्चा बेकार ही किया जाता है। मेरा जो ५७ नम्बर पर सवाल है वह बड़ा महत्वपूर्ण है २०० कोलतार के ड्रम शहादरा रोड पर पकड़े गये हैं। इसका कोई उत्तर भी मुझे नहीं दिया गया है।

श्री अध्यक्ष—

बात यह है कि एक-एक सवाल पर गर्मागर्मी में २५–२५ सवाल हो जाते हैं इसलिये ७–८ ही हो पाते हैं। मैं क्या करूं। फ़ैक्टस को जानने की माननीय सदस्यों को ज्यादा इच्छा नहीं होती। पहले प्रश्न पर पूरी जानकारी मिल जाय तो अधिक क्रास एक्जामिनेशन न हो। लेकिन कभी ऐसा भी प्रश्न होता है कि मंत्री जी कितनी काबलियत रखते हैं, यह देखा जाय। इस तरह से समय ज्यादा लग जाता है। अगर कम पूरक प्रश्न आप लोग करें तो अधिक सवाल हो जायं।

श्री शिवकुमार (जिला सुलतानपुर)—

मैंने ध्यान आकर्षणार्थ एक प्रश्न दिया था, उसको आपने अस्वीकार कर दिया। उसी दिन १३ तारीख को मैंने एक अल्पसूचित तारांकित प्रश्न उसके बारे में दे दिया। नियमावली के नियमों के अनुसार ३ दिन में उसका जवाब मिल जाना चाहिये, लेकिन आज तक उसका कोई जवाब नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष—

आपने तीन दिन बाद ही मुझसे कह दिया होता तो मैं उसका उत्तर मंगवा लेता।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मैं पहली मर्तबा मेम्बर होकर आया हूं। जो कायदा आपकी नियमावली में लिखा है, उसके अनुसार मैं कार्य करने का प्रयत्न करता हूं। यह मैं नहीं जानता था कि आपकी या अधिकारियों की सिफ़ारिश भी करानी होती है या अलहदा से रिक्वेस्ट करनी होती है। मैंने अभी-अभी फिर उसको लिखकर भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, मैं उसको मंगवा लूंगा।

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन, मैंने आज तक जितने भी प्रश्न दिये हैं, उनमें से एक भी सदन में आज तक नहीं आया। इसका मुझे अफ़सोस है। भगवान जाने क्या कारण है। कुछ खास व्यक्तियों के ही प्रश्न सीरियल नम्बर ८ तक आ जाते हैं। नये सदस्यों के प्रश्न न जाने अपोलो पर लाद कर चांद पर भेजे जा रहे हैं। हम नये सदस्यों के लिये भी कुछ इन्तजाम कीजिये। मेरा आज जो प्रश्न ४३ नम्बर पर है, उसका भी उत्तर मुझे प्राप्त नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष—

अगर उत्तर नहीं आया तो मेरे पास आप लिख कर भेज दीजिये।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

अगर यह बात लिख कर देते रहेंगे तो नये मेम्बरों के तो कोई प्रश्न आ ही नहीं पायेंगे।

श्री अध्यक्ष—

प्रतिदिन बहुत से नये मेम्बरों के सवाल लिये जाते हैं।

श्री कन्हैयालाल सोनकर—

मैं तो समझता हूं कि जो आपके कक्ष में चले जाते हैं, उनके प्रश्न ले लिये जाते हैं। पार्टी विशेष के साथ पक्षपात किया जा रहा है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

ये प्रश्न हमारे सेक्रेटरी के पास आते हैं। वे उनको उपाध्यक्ष जी के पास भेज देते हैं। उपाध्यक्ष जी किसी के साथ पक्षपात नहीं करते। नियम ५१ के सवाल मेरे पास आते हैं। उनको मैं देखता हूं। जो स्वीकार नहीं करता, उनके लिये कहता हूं कृपा करके अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लीजिये।

अब अल्पसूचित प्रश्न यदि ज्यादा हो गये तो पूछने में कम कैसे हों। पूरक प्रश्न यदि ज्यादा न करें तो यह हो जायगा और मालूम हो सकेगा। यह शिकायत कोई एक पार्टी की ही नहीं है, बल्कि तमाम पार्टी के लोगों की है। पार्टी के नेतागण, यह आगे बैठने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रश्न पूछते हैं, पूरक प्रश्न ज्यादा करते हैं, और इस कारण पीछे वाले सदस्यों को मौका नहीं मिलता ऐसी शिकायतें मेरे पास आती हैं। मैं आगे वाले बैठने वालों से कहता हूं कि अब जब आपकी प्रश्न पूछने की इच्छा होती है तो कभी-कभी आप लोग पीछे वालों से पुछवा लिया करें।

श्री नगीना सिंह (जिला बलिया)—

मेरा एक श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय जब हमें सन्तोषप्रद उत्तर नहीं देते हैं, यहां पर तो वह हमें सदस्यों को पत्र लिखने पर उत्तर दे दिया करें, तो बड़ा अच्छा हुआ करे। इस पर आप व्यवस्था दे दें।

श्री हरनरायन (जिला पीलीभीत)—

मान्यवर, आज की प्रश्नावली में आपने १०७ प्रश्न रखे हैं, तो ये १०७ प्रश्न एक घंटे में कैसे हो सकते हैं, और कैसे हल हो जायंगे, इसके ऊपर आपकी व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री शिवकुमार (जिला सुल्तानपुर)—

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। दो प्रश्न आपके सामने आये। एक आदमी को गोली लगी जिसमें डाक्टर ने बताया कि मुझे सन्देह है कि इसमें गोली से मौत हुई है दूसरे एक प्रश्न में यह था कि श्री माता बख्श सिंह का कत्ल उनके घर पर किया गया। तो इसमें आपने केवल २-३ मिनट का हम लोगों को मौका दिया और फ़िर बिठा दिया और पूछने नहीं दिया और पहले वाले में जिसमें उधर वाले सदस्य दिलचस्पी रखते थे और बहुत देर तक प्रश्न पूछने दिया। तो यह मेरी शिकायत है कि उन माननीय सदस्यों को आप बहुत समय देते हैं और हम लोग जिसमें इन्ट्रेस्टेड होते हैं उसमें आप शीघ्र खत्म करा देते हैं। जो प्रश्न वे सिर्फ़ अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिये और हमारी पार्टी को बदनाम करने के लिये करते हैं, उसमें आप ज्यादा समय देते हैं।

श्री अध्यक्ष—

जिसमें किसी के ऊपर मुकदमा चला दिया गया हो और उस पर कार्यवाही चली हो, उसमें मैं ज्यादा प्रश्न पूछने देने की इच्छा नहीं करता हूं। जिसमें मुकदमा चला न हो और जांच होने को है, उसमें मैं पूछने के लिये ज्यादा समय दे दिया करता हूं।

अब माधव प्रसाद त्रिपाठी जी अपनी याचिका कृपा करके पढ़ कर सुना दें:—

काश्तकारों को बिना दस गुना जमा किये, भूमिधरी अधिकार प्रदान करने के संबंध में याचिका

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्री सचिव विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

काश्तकारों को बिना दस गुना लिये उसकी जोत पर भूमिधरी अधिकार प्रदान किये जाने के संबंध में श्री प्रताप नारायण तिवारी, भू० पू० विधायक द्वारा हस्ताक्षरित याचिका आदरणीय सदन में प्रस्तुत करता हूं।

"आदरणीय विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

आदरणीय सदन,

आपकी सेवा में हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता अधोलिखित प्रार्थना करना चाहते हैं—

१— यह कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ आदरणीय सदन में पुरःस्थापित किया जा चुका है।

२—यह कि उक्त संशोधन विधेयक में यह प्राविधान होने जा रहा है कि प्रदेश के काश्तकार की अपनी जोत पर भूमिधरी अधिकार प्राप्त करने के लिये अब दस गुना के स्थान पर अपने लगान का बीस गुना राजकोष में जमा करना पड़ेगा।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

३—यह कि किसान वास्तव में भूमि का मालिक होता है अस्तु नियम तो यह होना चाहिये कि प्रत्येक काश्तकार को स्वतः अपनी जोत पर भूमिधरी अधिकार मिल जाना चाहिए।

४—यह कि अभी तक लिया जाने वाला दस गुना ही उनके साथ घोर अन्याय था और अब बीस गुना किये जाने के निश्चय ने तो उनकी स्थिति बड़ी विस्फोटक कर दी है।

५—यह कि उक्त विधेयक पुरःस्थापित किये जाने से प्रदेश के समस्त काश्तकारों में घोर असंतोष एवं उत्तेजना व्याप्त है।

अस्तु, आदरणीय सदन से प्रार्थना है कि वह राज्य सरकार को आदेश दें कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ में उल्लिखित धारा ५ को वापस लेकर ऐसी व्यवस्था करने का प्रबन्ध किया जाय जिससे कि प्रदेश के समस्त काश्तकारों को अपनी भूमि पर बिना कुछ अतिरिक्त धन दिये स्वतः भूमिधरी अधिकार प्राप्त हो जाय। यह कराने के लिये और भी जो आवश्यक हो किया जाये।

भवदीय,

प्रताप नारायण तिवारी,

भू० पू० एम०एल०ए०।'

श्री अध्यक्ष—

चूंकि आज यह विषय सामने आया है इसलिये मैंने इसे सदन के सामने रखवा दिया क्योंकि अभी याचिका समिति नहीं बनी है। वैसे तो इस विषय को याचिका समिति के सामने जाना चाहिये था परन्तु याचिका समिति अभी बनी नहीं है इसलिये यह विषय आज यहां पर आ गया है। अगर यह विषय इस सदन के सामने न आता तो पहले याचिका समिति इसके ऊपर विचार करती। इसलिये सदन के इस पर विचार करने के लिये जो पांचवां खंड है उसमें यह संस्तुति दी है। मान्यवर, माधव प्रसाद जी की तरफ से जो याचिका आप ने उपस्थित की है, उस पर विचार करते हुये माननीय सदस्य यह ध्यान में रखें। फिर उस पर बहस होनी चाहिये। जैसे यह याचिका समिति के सामने जाता वैसे ही यह सदन में मैंने पेश कर दिया। नहीं तो पहले याचिका समिति के सामने जाता और उसमें काफी समय लग जाता।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर आपने जो राय व्यक्त की है कि याचिका समिति नहीं बनी है इसलिये इसको सदन में प्रस्तुत कर दिया। मैं विनम्रतापूर्वक कहूंगा आपकी दूसरी राय से भिन्न है। प्रिविलेज कमेटी बनी नहीं और उस दिन आपने घोषणा की थी कि चूंकि मंत्री महोदय ने अनकंडीशनल अपोलोजी की मांग हो रही है, इसलिये हम इसको प्रिविलेज कमेटी के सुपुर्द करते हैं—बावजूद इसके कि प्रिविलेज कमेटी नहीं बनी। इसलिये समिति बनने के विषय में.....।

श्री अध्यक्ष—

हम तो आपके पक्ष में कह रहे हैं। आप उल्टा समझे हैं। सवाल यह है कि यह उत्तर दिया है उस पर फिर से विचार कर लिया जाय। इसमें ऐसा था कि इसको विशेषाधिकार समिति में दे देते तो भी इसमें कोई फर्क नहीं है क्योंकि जो फैसला होने वाला है उसको सदन में आ जाना चाहिये और जो याचिका है उस पर उनको विचार नहीं करना चाहिये। यह आपके पक्ष में है। इसमें जो फैसला होगा उस पर उसी वक्त विचार कर लेंगे।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

यह मानता हूं कि यह आपके ध्यान में है कि याचिका समिति नहीं बनी है, इसलिये पूरे सदन में इस पर विचार कर सकते हैं। याचिका समिति में जाने से समय लगेगा।

चिकित्सा मंत्री द्वारा प्रश्नों का गलत उत्तर देने के संबंध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष—

माननीय मंत्री जी का कल १८ तारीख का यह एक विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है। कल दिनांक १८ को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या ५ का उत्तर देते हुये कहा था कि श्री गेंदा यादव और उसके लड़के की निर्मम हत्या की जांच सी० आई० डी० द्वारा कराई जा रही है। वास्तविकता यह है कि जांच पुलिस द्वारा की जा रही है और सी० आई० डी० को पुलिस की सहायता का आदेश दिया गया है। इस प्रकार से तथ्यों को छिपाने का प्रयास किया गया है। मैंने इसको विशेषाधिकार का प्रश्न स्वीकार नहीं किया है। जो थोड़ा सा अन्तर है उसके बारे में माननीय मंत्री जी स्पष्टीकरण कर दें।

*चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)—

श्रीमन्, यह जो प्रश्न उठाया गया है, इसमें लिखा है कि प्रश्नों का उत्तर देते हुये कहा था कि श्री गेंदा यादव और उसके लड़के की जांच सी० आई० डी० द्वारा करवाई जा रही है। तारीख १८ की प्रोसीडिंग्स आप देखें। हमसे कोई कैटेगरीकल प्रश्न नहीं पूछा गया था कि इसकी तफतीश पुलिस द्वारा की जा रही है या सी० आई० डी० द्वारा की जा रही है। माननीय जायसवाल जी श्रीमन्, इसे मान कर चले थे कि सी०आई० डी० द्वारा कोई जांच हो रही है और उन्होंने पूछा था कि इस जांच की क्या कोई रिपोर्ट आई है तो वह पढ़ कर सुना दें। श्री जायसवाल ने प्रश्न पूछा था कि क्या सरकार को पता है कि एस०पी० देवरिया ने सलेमपुर के थानाध्यक्ष को मदाखलत करके रोका और कहा कि समधी की रिपोर्ट को रोका जाय और रोजनामचा रोक रखा जाय और जब वापस आऊं तब लिखा जाय तो श्रीमन्, अगर कैटेगरीकल प्रश्न पूछा जाता कि जांच सी०आई०डी० द्वारा हो रही है या पुलिस द्वारा हो रही है तो श्रीमन् उसका उत्तर दिये होते। इसमें वास्तविकता यह है कि जांच पुलिस के हाथों में है और सी०आई० डी० उनको एसिस्ट करेगी। असिस्ट करने में सी०आई०डी० की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट थी उसके बारे में बतलाया। हम से प्रश्न इस तरीके से पूछा गया इसका यह उत्तर दिया कि सी० आई० डी० की जांच अभी जारी है और रिपोर्ट अभी नहीं आई है। हमारा इरादा हरगिज तथ्य छिपाने का नहीं था। अगर सदन को कुछ भ्रम हो गया तो उसके लिये मुझे खेद है क्योंकि हमारा तथ्य को छिपाने का कोई मंशा नहीं था।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को प्रस्तुत करने के संबंध में वैधानिक आपत्ति

(श्री अध्यक्ष द्वारा राजस्व मंत्री का नाम पुकारने पर।)

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मान्यवर, तब तक मैं इस विधेयक के संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

हां, आप उठाइये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि आज मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि लगान की वसूली विधेयक के सेक्शन ३ को हाईकोर्ट ने अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया है। ऐसी परिस्थिति में यहां इस विधेयक को अब यहां लाना बेसूद और कानून के खिलाफ है। यह आज के अखबारों में भी है और व्यक्तिगत रूप से मुझे पता भी चला है कि वह अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया है। तो अब आप स्वयं इसका निर्णय करेंगे।

राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)—

माननीय सदस्य ने हाई कोर्ट की बात कही है कि आज वह अखबार में आयी है। हमारे पास अभी उसकी कोई अधिकृत सूचना नहीं है। लेकिन अगर हाई कोर्ट का ऐसा फैसला है तो उसकी विशेष अपील सरकार करेगी और उसके बाद शायद वह फैसला न रहे। लेकिन अगर उसके बाद भी वह फैसला रहेगा तो जरूरत पड़ने पर उसी के अनुसार कोई संशोधन हम ले आ सकते हैं। इस वक्त तो जैसा यह विधेयक है उसी के अनुसार हम चलेंगे।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इसमें बहुत ही गम्भीर कानूनी पहलू निहित है। आप भी कहते हैं कि हाईकोर्ट का फैसला हो गया है और अखबारों में निकला है। लेकिन आप हाईकोर्ट में अपील करने की बात को लेकर कहते हैं कि मुमकिन है कि वह फैसला परिवर्तित हो जाय, लेकिन यह भी मुमकिन है कि न हो और जब आप कानून बनाने जा रहे हैं तो उन सब बातों को विचार में रखकर चलना ही चाहिये। दूसरी बात यह है कि जब तक इनको स्टे आर्डर नहीं मिलता तब तक इसपर विचार करना सदन के समय और धन का अपव्यय करना होगा। वह हम बेकार के लिये क्यों करें जब हम जानते हैं कानून की दृष्टि से यह उचित नहीं है।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

मान्यवर, त्रिपाठी जी ने जो एतराज उठाया है वह जोरदार, दमदार और कानूनी है और हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसके अन्तर्गत उस ऐक्ट की धारा ३ अपने संविधान के प्रतिकूल घोषित की गयी है। और जब तक वह आदेश अपील में रद्द न हो जाय तब तक वह कानून की सूरत में है। आपके सामने मौजूद है। चूंकि इस सदन को कांस्टीट्यूशन के खिलाफ कोई ऐक्ट बनाने का यहां मजाज नहीं है। इसलिये जब तक वह अपील से रद्द न हो जाय और जब तक पार्लियामेंट किसी तरह से हस्तक्षेप नहीं करती तब तक इस सदन को किसी तरह से अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये मान्यवर, त्रिपाठी जी ने जो एतराज किया है, उसी को आप कायम रखें यह मेरी आपसे इस्तदुआ है।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)—

त्रिपाठी जी ने जो वैधानिक आपत्ति उठाई है कि इस प्रस्ताव को सदन के समक्ष लाकर सदन के समय को क्यों बरबाद किया जा रहा है वह उचित ही है। हाईकोर्ट ने एक फैसला कर दिया है। वह राजस्व मन्त्री जी के पास नहीं आया है वह उसकी जानकारी कर लें। वह संविधान के विरुद्ध घोषित कर दिया गया है। अब आप कहते हैं कि यह पास हो जायगा तो फिर बाद का संशोधन लायेंगे तो फिर समय सदन का बरबाद होगा। मैं समझता हूं सदन का समय बचाने के लिये ठीक से पहले निश्चय कर लिया जाय कि यह संविधान के अनुकूल है या नहीं और क्या संशोधन है तभी इसको लायें तो अच्छा है।

श्री अध्यक्ष—

इस व्यवस्था के प्रश्न पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह अभी निश्चय से पाता नहीं कि क्या-क्या संविधान के विरुद्ध कही है। दूसरी चीज यह है कि अगर है भी तो इस सदन को विधेयक पर विचार करने के लिये कोई बाधा नहीं पहुंचती। सदन को पूर्ण अधिकार है कि वह विचार

करे और विवाद करे। जब तीसरी दफा आयेगी तो उस पर विचार करते समय उसको आप थ्रो आउट कर दें यह आपको अधिकार है। इसलिये यह प्रश्न नहीं उठता है कि वह बाधक हो सकता है किसी तरह से। फर्ज कर लीजिये संविधान के विरुद्ध डिक्लेयर कर दें तो उसके बाद भी सदन में यह चीज आती है और उसको संविधान के हिसाब से करना चाहते हैं तो वैसा करते हैं। इसलिये समय का ख्याल करके इस चीज पर विचार नहीं किया जाता बल्कि इस बात पर विचार किया जाता है कि गवर्नमेंट ला रही है और वह समझती है कि यह चीज आवश्यक है तो सदन के सामने रखती है। अगर आप थ्रो आउट करना चाहें तो जब ३ दफा पर विवाद हो आप कर सकते हैं। मैं इसकी इजाजत देता हूं और मैं समझता हूं कि वह उसको रख सकते हैं बहस के लिये और सदन उस पर विचार कर सकता है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, मैं एक बात कहना चाहता हूं। लेजिस्लेचर ऐक्ट बनाता है और लेजिस्लेचर प्राविजन बनाता है लेकिन उसका इन्टरप्रिटेशन हाईकोर्ट करता है और हाईकोर्ट के इन्टरप्रिटेशन की तहत में फिर कानून अमेंड होता है। ऐसा अनेक बार सुनने में आया है कि हाई कोर्ट एक निर्णय देता है, कुछ गाइडिंग लाइन देता है लेजिस्लेचर को। वह बुद्धि नहीं देता है। आज तथ्य क्या कहता है। वह कहता है कि हमारे सामने जिस बात पर हाईकोर्ट ने अपनी राय प्रकट कर दी, उस पर हमको विचार करने की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष--

वह जजमेंट सदन के सामने नहीं है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)--

श्रीमन्, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १४ के अन्दर जिसमें इक्वेलिटी बिफोर ला के संबंध में दिया गया है, आपको पढ़कर बतला देना चाहता हूं।

The State shall not deny to any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India.

इसमें यह लिखा हुआ है। इसके अन्तर्गत जो विधेयक माननीय माल मंत्री जी लाना चाहते हैं कि भूमिधरी राइट हासिल करने के लिये १० गुना के बजाय २० गुना लें। साथ ही इसके अन्दर यह इन्तजाम किया गया है कि किसी हरिजन की जमीन कोई नान हरिजन नहीं खरीद सकता। तो इसके माने यह हुआ कि दस गुना के बजाय बीस गुना लेना और हरिजनों की जमीन नान हरिजनों द्वारा खरीदने पर प्रतिबन्ध लगाना, यह इक्वेलिटी आफ ला के विरुद्ध है। इसलिये कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल १४ को ध्यान में रखते हुये यह बिल आप यहां नहीं रख सकते हैं।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, जो माननीय सदस्य ने एतराज किया है, वास्तव में शायद उन्होंने उसे पूरा-पूरा समझा नहीं है। हरिजनों के लिये इसमें ऐसा कोई प्रतिबन्ध नहीं है बल्कि आदिम जातियों की एक लिस्ट है--कांस्टीट्यूशन में दिया हुआ है कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन न हो, उनको प्रोटेक्शन देने की बात है। तो कांस्टीट्यूशन के अनुसार उनको प्रोटेक्शन दिया गया है कि वे जमीन को किसी गैर हरिजन के हाथ नहीं बेच सकते। लेकिन इसके लिये उन पर कोई रेक्शन नहीं है कि वे बेच ही नहीं सकते। इसमें उनको इतना प्रोटेक्शन दिया गया है कि कलेक्टर के यहां अगर वे दरख्वास्त दें और कलेक्टर उसे मंजूर कर ले तो दूसरे के हाथ में अपनी जमीन बेच सकते हैं। तो कांस्टीट्यूशन के मुताबिक ही यह आदिम जातियों के लिये किया गया है। यह हरिजनों के लिये नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय मंत्री जी जारी रखें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

इस संबंध में मेरा एक वैधानिक प्रश्न है। चूंकि इस मसले पर वैधानिक आपत्ति की गयी है और इसी विषय पर हाईकोर्ट का जजमेंट भी हुआ है जो अखबारों में आ गया है और माननीय रियासत हुसैन साहब ने जो आर्टिकल १४ का उल्लेख किया है उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है और हाईकोर्ट ने जो सेक्शन ३ है उसे अल्टरावायरस घोषित कर दिया है। फिर उसके बाद उसके मुतल्लिक इस सदन में डिस्कशन कराने का मतलब होता है--जब कभी इस तरह के विधेयक पर वैधानिक आपत्ति उठायी जाती है तो उस पर साधारणतया कोई राय एडवोकेट जेनरल की या और किसी संबंधित लीगल एक्सपर्ट की ले ली जाती है परन्तु यह जो मसला उठाया गया है . . .

श्री बसन्तलाल शर्मा (जिला बहराइच)--

अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि जब आपने इस पर व्यवस्था एक दे दी तो फिर इस पर व्यवस्था का प्रश्न उठा कर बहस करने का किसी को क्या अधिकार है? इस बीच में माननीय सदस्य नेजो कुछ कहा है उसे कार्यवाही से निकाल देना चाहिये।

(व्यवधान)

श्री त्रिवेणी सहाय--

श्रीमन्, एक वैधानिक प्रश्न था, इसलिये मैंने यह कहा था।

श्री अध्यक्ष--

इस पर मेरी व्यवस्था है कि यह विधेयक इन आर्डर है। माननीय मंत्री जी जारी रखें।

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९†

*राजस्व मंत्री (श्री चतुर्भुज शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाय।

मान्यवर, यह जो विधेयक है, कुछ तो जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने कहा--माननीय सदन की कुछ मंशा होती है और वह मंशा हम शब्दों में व्यक्त करते हैं धाराओं में लिख कर। अगर हाईकोर्ट के अनुसार इन शब्दों का कोई दूसरा अर्थ निकलता है या वह और कोई रूलिंग देता है तो उस वक्त रूलिंग को मानते हुए इस माननीय सदन को अधिकार है कि अगर हमारी मंशा उन शब्दों से नहीं पूरी होती है तो हम कोई संशोधन लावें और जो हमारी मंशा है उसको इस विधेयक के जरिये या और किसी विधेयक के जरिये पूरा करें। तो यह जो विधेयक आपके सामने है, कुछ तो ऐसी चीज है कि हाईकोर्ट की रूलिंग में जो हमारी मंशा थी उस मंशा के विपरीत अर्थ शब्दों के लगाये गये हैं या उसका कोई दूसरा अर्थ निकाला गया है, उनको ठीक करने के लिये इसमें कुछ प्रावधान किया गया है। कुछ चीजें जो जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था कानून, कांसोलिडेशन एक्ट, और सीलिंग एक्ट के बरतने में दिक्कतें सामने आयीं जो दिक्कतें या जो कमियां थीं उनको समय-समय पर पहली सरकार ने जो प्रेसीडेंट रूल के वक्त में आई तो तरमीमें इस बारे में सोची गयीं। उसके बाद इसके लिए विधेय प्रेजीडेंट रूल में राज्यपाल महोदय ने पार्लियामेंट से बनवाया। कानून में यह है कि प्रेसीडेंट रूल में जो इस तरह के विधेयक बनते हैं उनको इस माननीय सदन के द्वारा भी पास होना जरूरी होता है। तो उस वक्त ये ४ विधेयक बने थे। एक था उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९६८ राष्ट्रपति संख्या १७/६८,।

---

†५ अगस्त, १९६९ की कार्यवाही में छपा है।
*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा था उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९६८। राष्ट्रपति संख्या १८/६८; तीसरा था उत्तर प्रदेश लोकधन देयों की वसूली अधिनियम, १९६८, राष्ट्रपति संख्या ३४/६८; चौथा मालगुजारी उपबन्ध रामपुर का विस्तारण अधिनियम, १९६९ राष्ट्रपति संख्या ५/६९; इनके अलावा एक अध्यादेश भी यहां सरकार के वक्त म जारी हुआ। उसको भी यहां इस सदन में लाना आवश्यक है और इसमें यह भी शामिलहै-उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश व भूमि व्यवस्था संशोधन अध्यादेश, १९६९, इसकी संख्या ३/६९ है। तो जैसा मैंने कहा, ऐसी दिक्कतें थीं उनको दूर करने के लिये या कुछ तरमीम जोकि जरूरी समझी गयी परिवर्तित परिस्थितियों में उसमें खास तौर से जिस अध्यादेश की चर्चा की गयी थी, जिसमें माननीय त्रिपाठी जी ने अपना एक बहुत बड़ा संशोधन भी दिया है तो संशोधन में वह अपना संशोधन ला सकते हैं, बहस कर सकते हैं और यहां तो यह सदन की आज्ञा से माना जायगा। उस अध्यादेश में १० गुने से २० गुना करने की बात है। श्रीमन्, जो परिस्थिति बदली है, अपनी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना चलानी है और रुपये की जरूरत है, दूसरे भूमि की कीमत पहले से चौगुनी, पचगुनी बढ़ गयी। अब करीब करीब मुश्किल से २ करोड़ रुपये के हर साल जो लोग भूमिधर बनते हैं वह जमा करते हैं और वह ज्यादातर ट्रांस्फर्स या बेनामे वे लोग कराते हैं जो मालदार लोग है और वही उसका पैसा देते हैं, वही ज्यादातर भूमिधर बनते हैं, जो नये अब बन रहे हैं।

श्री अध्यक्ष--

आम बहस में १५ मिनट का समय दिया जाना है, यह ख्याल रखिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

तो मैं बतला देना चाहता हूं कि जिस परस्थिति में अध्यादेश रखा गया है और जब वह खंड आयेगा तो मैं बाद में कहूंगा। जो जमींदारी विनाश अधिनियम में यह संशोधन किया गया है, उसमें पहले तो यह है कि जो ऐसी संस्थायें हैं या जो वक्फ हैं या मंदिर हैं जिन में पुण्य का काम होता है। उसमें अगर कहीं किसी कर्मचारी की गलती से या कहीं पर किसी को बे उनवानी से जो मैनेजर और मुतवल्ली वगैरह रहते हों उन्होंने या कहीं ऐनुइटी वार्षिक दी जाती है उसमें उन्होंने अपनी ट्रांसफर की दरखास्त देकर कम्पेंसेशन ले लिया, पुनर्वास ले लिया, कुछ उसमें दे दिया गया और जब गलती पकड़ी गयी तो दे दिया गया। तो इस तरह से काम में हर्ज होता है और धार्मिक कार्य नहीं हो पाता है। तो प्राविधान किया जा रहा है कि ऐसी दरखास्तों पर कम्पेंसेशन देने के बजाय जो बाकी रह गया है जिन जिन संस्थाओं की एनुइटी होगी उसको वार्षिक शक्ल दी जायगी। दूसरी इसी तरह की एक प्राबलम यह है कि ऐसी संस्थायें जो बिल्कुल धार्मिक हैं और जिनका पहले ऐक्ट में नाम नहीं था बल्कि १९०१ के पहले जो खेवटें बनती थीं तो तितम्मा का नाम जोड़ा जाता था और अब वह तितम्मा इसी कारण से नहीं लिखा जाता, ऐसी संस्थायें जो बराबर माफ़ी वगैरह पाती रही हैं लेकिन अब इस वक्त नहीं मिल रही हैं तो एक प्राविधान किया गया है दूसरे क्लाज के जरिये से कि ऐसी संस्थाओं को भी वार्षिक वृत्ति दी जाय। अभी तक यह था कि पंचायत राज ऐक्ट में कुछ गांव समाज की भूमि प्रबन्धक समिति थीं। पंचायतराज ऐक्ट में वह अपनी जगह रहेगा। यहां कानून में कुछ अड़चन पड़ रही थी तो वह सेक्शन इसमें जोड़ा जा रहा है। १२२ का ४ है उसमें संशोधन किया जा रहा है। श्रीमन जैसा अभी बतलाया गया था शब्दों का हेरफ़ेर है जो हाई कोर्ट से हुआ।

पांचवां तो बीस गुना के बारे में है। छठवें क्लाज में शाब्दिक हेर फ़ेर किया गया है। हिन्दी और अंग्रेजी के अनुवाद में कुछ गड़बड़ी थी, उस अनुवाद को ठीक करने के लिये यह किया गया है। इसी तरह से एक और क्लाज है। अभी जो ऋण वगैरह लोग लेते थे तो गवर्नमेंट गारन्टी देती थी और गवर्नमेंट या सरकारी बैंक से मिलता था लेकिन अब यह हो गया है कि स्टेट बैंक देगा, शिडयूल बैंक देगा और यह भी प्राविधान किया गया है कि उन्हें अपनी जमीन इन बैंकों में बन्धक रखने का अधिकार हो। यह क्लाज ९ में किया गया है। बाकी कुछ कंसीक्वेन्शल जो इनकी वजह से होता है वह होता है। हाई कोर्ट की वजह से कुछ किये हैं जैसे क्लाज १५ या

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

और क्लाज थे। सोलहवां क्लाज है प्रोसीजरल। इसमें प्रोसीजर की व्यवस्था की गई है कि किस तरह से कलेक्टर वगैरह काम करेंगे। यह संशोधन किया गया है। तराई भावर के लिये नया संशोधन ला रहे हैं जहां आर्डिनेंस को जरिये से जमींदारी विनाश कानून लागू किया था उसके लिये १७वां क्लाज है। इसमें एक प्राविधान यह किया गया है कि अभी तक वहां पर जो लगान दिया जाता था उसमें लगान भी था और सिंचाई की भी दर उसी में शामिल थी और वह लगान कम था और उसमें कुछ गड़बड़ियां भी थीं। तो इसलिये उसमें प्राविधान किया गया है। दो साल के अन्दर वहां पर बन्दोबस्त कराके फिर से लगान फिक्स कर दिया जायेगा। यह प्राविधान इसलिये किया गया है ताकि जमींदारी विनाश उन्मूलन में देर न हो। इस सिलसिले में सनवाल कमेटी ने विचार किया है। उस कमेटी ने तराई भावर जमींदारी विनाश के संबंध में अपनी रिपोर्ट भी दी और जो माननीय सदन के सामने आ गयी है। उस कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि १-७-१९६९ तक वहां पर जमींदारी तोड़ दी जाये और उन्होंने यह भी सिफ़ारिश की थी कि उसके लिये नया बन्दोबस्त लगाने के लिये किया जाये। वही प्राविधान इसमें किया गया है।

इसी तरह ये क्लाजेज हैं जिनमें कुछ रूल मेकिंग पावर है। क्लाज २१ में ये दिये हुये हैं। तो श्रीमन्, यह तो हुयी जमींदारी विनाश के बारे में। चकबन्दी में जो संशोधन किये गये हैं वे बहुत माईनर हैं। जो हाईकोर्ट की रूलिंग है कि जो पहले डाइरेक्टर चकबन्दी थे उनके अधीन कौन-कौन लोग रहे हैं, इसका स्पष्टीकरण नहीं था, वह स्पष्टीकरण कर दिया गया है। दूसरे जो डाइरेक्टर साहब हैं और चकबन्दी के संचालक हैं उनके कामों के बारे में भी साफ़ स्पष्टीकरण कर दिया गया है।

इसके अलावा जो त्रिपाठी जी ने बात उठायी थी लोक-धन (देयों की वसूली) के सिलसिले में, ये जनता के फ़ायदे के लिये ही रखे गये हैं और जो परिस्थिति इस वक्त है उसी के अनुसार लोगों को फ़ायदा होगा और लोग उस से अधिक से अधिक फ़ायदा उठा सकेंगे। इस सिलसिले में मैंने पहले ही अर्ज किया था कि उनकी वसूली में सहूलियत देना चाहते हैं जैसे कि सरकार को प्राप्त है कि जिस प्रकार मालगुजारी (लैंड रेवेन्यू) वसूल होती है। जिस प्रकार से सहकारी बैंक या और शेड्यूल्ड बैंक्स वगैरह के ऋण होते हैं उसको भी इसमें बढ़ा दिया गया है कि उनके भी एरियर्स मालगुजारी की तरह से वसूल किये जायें। इस से काश्तकारों को भी सुविधा रहेगी। छोटे-छोटे काश्तकारों को कर्जा मिलने में जो हिचकिचाहट थी वह दूर हो जायेगी। तो श्रीमन, उसी के बारे में यह अधिनियम था। यह जो अध्यादेश है उसका जिक्र मैंने कर दिया है।

इस विधेयक में कई ऐसी बातें हैं जो ज्यादातर तो पुरानी सरकार जो एस०वी०डी० की थी उसी के सजेशन्स के मुताबिक हैं। सजेशन्स पर उसी समय नोटिंग हुयी और विचार हुआ। विचार करने के पश्चात ऐक्ट बनाने का मौका आपको न मिल सका। प्रेसीडेंट रूल में उनका ऐक्ट बना। कहीं वह ऐक्ट लेप्स न हो जाये इसलिये जो काम उन्होंने अच्छा समझा था और जिस पर उन्होंने गौर भी किया था और यह पाया था कि वह बड़ा अच्छा है लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिये और लोगों को सहूलियतें देनेके लिये तो जो कानूनी अड़चनें हैं, उनपर हमने भी विचार किया और यह समझा कि ठीक है। ऐसा परिवर्तन करने से किसानों को फ़ायदा होगा और यह कानूनी अड़चनें दूर होनी चाहिये। बाद में गवर्नर्स रूल में जो ऐक्ट बना वह इस अधिनियम में लाया गया है। मैं एक बात और अर्ज कर दूं। कल नेता विरोधी दल, चौधरी साहब से मेरी बात हुई थी और यह सब बातें विस्तार से उनसे की थीं। मैंने क्लाज बाई क्लाज डिसकशन भी किया था। मैं यह कह सकता हूं कि चौधरी साहब इस समय नहीं हैं, लेकिन उनको इसमें कोई एतराज नहीं है, बल्कि वह इसको सपोर्ट करना चाहते थे। तो यह उन्हीं के जमाने की बात है और चूंकि वह रेवन्यू के माहिर भी हैं इसलिये सभी साथी इसको समर्थन देंगे। इस

तरह का यह विधेयक है। मैं समझता हूं कि सदन में क्लाज बाई क्लाज विचार होगा लेकिन मैं साथियों से प्रार्थना करता हूं कि जो आपने काम किये हैं उसमें हमें समर्थन करें और इसको अधिनियम बनायें।

श्री हरिनाथ तिवारी (जिला फैजाबाद)—

किसके लिये कितना समय है यह मुकर्रर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—

ढाई बजे तक जनरल डिस्कशन होगा, डेढ़ घंटे तक विधेयक के ऊपर होगा १५ मिनट जनरल डिस्कशन करने वाले नेताओं को देंगे और बाकी लोगों को १० मिनट देंगे।

श्री हिम्मत सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को जनता की राय जानने के लिये दो सप्ताह तक परिचालित किया जाये।

मान्यवर, आज अपने प्रदेश में यह धारणा होती चली जा रही है कि न जाने कब कानून में तबदीली आ जाये और क्या आ जाये, इसलिये लड़ते रहो, झगड़ते रहो, मुकदमें में तारीखें डलवाते रहो। पहले कानून के प्रति जो आस्था लोगों की होती थी वह नष्ट होती जा रही है। जितने भी संशोधन आये हैं वह इसी तरह के हैं कि जनता का विश्वास कानूनों पर से डिग जावे। आज मंत्री जी ने कहा कि दिक्कतें आईं और हमारे कर्मचारियों ने कुछ गलतियां कर दी थीं। तो श्रीमन्, माननीय मंत्री जी कर्मचारियों की गलतियों के कारण संशोधन लाये हैं। तो मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अपीलों का मौका दिया गया था अपील नहीं की गयी तो अपील की धारा का क्या होगा। आप कुछ लोगों को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं तो आज तक सदन में नहीं बतलाया गया कि कितनी दरख्वास्तें आई हैं जिनकी धारायें तरमीम की जा रही हैं। मैं देखता हूं किसी भी विधेयक में जब संशोधन होता है तो असली मंशा फारफीट हो जाती है। श्रीमन् अथवा हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जब किसी विधेयक को रद्द करता है तो तब्दीली की जाती है परन्तु यहां ऐसी स्थिति नहीं है। आपको जमींदारी अबालिशन ऐक्ट, चकबन्दी ऐक्ट या सीलिंग ऐक्ट में आपत्ति नहीं है लेकिन रीहैबिलिटेशन शंट जो एक बहुत छोटा सा हिस्सा है उसको लाये हैं। आपने सारा जमींदारी ऐक्ट क्यों नहीं लिया? आप कहते हैं तरमीम इसलिये की जा रही है कि जानकारी कानून की नहीं थी इसलिये हम ऐसा कर रहे हैं तो माननीय मंत्री जी इगनोरेन्स आफ ला इज नो एक्सक्यूज (ignorance of law is no excuse) अगर कोई कत्ल कर दे और अदालत में जाकर कहे कि वह नहीं जानता था कि कत्ल की सजा मौत है तो क्या वह छोड़ दिया जायगा?

जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में ८ अगस्त या उसके ओरे-धोरे जिन जमींदारों ने अपने पट्टे कर दिए हैं वह सब निरस्त कर दिये जायेंगे। १७-१८ साल के बाद, सन् १९४६ में जो उस डेट की सैक्टिटी दी गयी थी उसको क्यों खत्म कर रहे हैं? कौन सी दिक्कत पड़ गयी? क्या कुछ ऐसे आदमी हैं जिनको वह देना चाहते हैं? तो मैं जानना चाहूंगा कि ८ अगस्त, १९४६ की सैक्टिटी वह क्यों नष्ट कर रहे हैं। मैं उनसे जानना चाहूंगा कि २० अगस्त, १९५९ की सीलिंग की डेट को कब खत्म करेंगे। क्या उस डेट की सैक्टिटी को भी खत्म करेंगे? जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में सेक्शन ८ है कि सब पट्टे नल ऐन्ड वाइड किये जायेंगे। ऐसे १९४६ में बने दानोत्तर, धर्मोत्तर संस्थाओं को अवैध किया। तो यह सब कैसे हो रहा है? श्रीमन्, एक तरकीब और है खण्ड ५ में। कहा जाता है, कि कीमतें बढ़ रही हैं इसलिए दस गुने से बीस गुना कर रहे हैं। श्रीमन्, कुछ तो बिना दस गुना दिये हुए बन गए, लेकिन असामियों के लगान दुगने थे, तो आज उन पर बीस गुना नहीं बल्कि चालीस गुना पड़ेगा। सीरदार, अधिवासी और असामी को अगर स्क्रुटनाइज करेंगे तो मालूम होगा कि जो दस गुना से बीस गुना कर रहे हैं वह चालीस गुना हो रहा है और वही छोटे किसान जो नहीं दे पाये हैं वह आप के हाथों से मारे

[श्री हिम्मत सिंह]

जाएंगे। वह बचत नहीं हैं, काम करने के लिए बीस गुना दाखिल करते हैं। मान्यवर, एक और संशोधन किया है, दो एकड़ से डेढ़ एकड़ किया है। क्या सीलिंग ऐक्ट में भी आप उसे करेंगे, जिससे कि सीलिंग ऐक्ट में जिनकी सीमा बहुत बढ़ गयी है उसे भी घटाया जा सके। जहां ८० एकड़ हो गयी उसकी ६० एकड़ रह जाएगी तो ऐसे कितने काश्तकार आएंगे जिनसे छीन कर आप गरीबों को बांटेंगे। माननीय मंत्री जी बड़े किसानों को भी राहत दे रहे हैं। तो क्या सीलिंग वाले भी इसको लागू करेंगे? चकबन्दी का एक माइनर संशोधन कह कर टाला है। वह माइनर नहीं है।

धारा ११ और ९ में जो तरमीम कर रहे हैं वह बड़ी भयंकर है। आप चकबन्दी विभाग में देखें। एक ए० सी० ओ० प्रति दिन बरखास्त करने का एवरेज पड़ेगा। कहीं वह कम कीमत लगाता है, कहीं ज्यादा लगाता है, एस० ओ० सी० और सी० ओ० स्टेज पर तरमीम हो जाती है। हमें कोई एक्सट्रैक्ट नहीं मिलता है। उससे हमें एक्सचेन्ज रेशो आफ प्लाट कैसे मालूम पड़ सकती थी। जो गरीब किसान हैं उनको आप उस अधिकार से वंचित करने जा रहे हैं। तो आप जो कहते हैं कि माइनर तरमीम है, वह माइनर नहीं है, बहुत भयंकर है वह इतना भयंकर होगा कि इसके कारण आगे चल कर जो गलतियां होंगी उसको आप रेक्टीफाइ नहीं कर सकेंगे। पहले जो यू० पी० टेनेन्सी ऐक्ट बना था उसके मातहत जमींदारों को यह अधिकार मिला हुआ था कि वे किसानों को बेदखल करें। फिर वह धारा १७१ के अन्तर्गत बेदखल किसानों की जमीन वापिस दिलाएं और किसानों को राहत देने के लिये आपने दूसरा कानून यहां से पास किया। ऐसी ही गलती पुनः होगी फिर सीलिंग ऐक्ट आप लाये। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जो बड़े बड़े मैकेनाइज्ड फार्म्स हैं उनको आप क्यों टच नहीं कर रहे हैं? उनके पास आपने क्यों जमीन छोड़ रखी है? मैं कहता हूं कि इस विधेयक को लाकर आप काश्तकारों की दिक्कतें कम नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप उनको और बढ़ाने जा रहे हैं। इससे भ्रष्टाचार और बढ़ेगा, भ्रष्टाचार के लिये आप दरवाजा खोल रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे प्रस्ताव पर विचार करें और उसे स्वीकार करें, इस बिल को जनता की राय जानने के लिये प्रसारित करवा दें।

श्री हरिनाथ तिवारी—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को सदन की एक प्रवर समिति जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का हक हो, को सिपुर्द किया जाय जो पूरी तौर पर भूमि सम्बन्धी कानून तथा नियमों को देखकर संशोधन परिवर्धन के सुझाव सहित अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर प्रस्तुत कर दें। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायेंगे)

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने जो इस विधेयक के संबंध में वैधानिक आपत्ति उठायी थी, वह उचित थी। उसको देखते हुये माननीय माल मंत्री जी कम से कम इतना कर सकते थे कि वे सेक्शन ३ को विड्रा कर लेते। आप कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को देख कर फिर संशोधन ले आयेंगे। तो जब आप फिर संशोधन लायेंगे तो फिर हम उस पर बहस करेंगे, तो यह तो ठीक नहीं है। सन् १९६५ में भी आप इसी प्रकार का विधेयक लाये थे। हमने उस समय भी कहा था कि इस तरह का विधेयक कि कई एक्टस में एक ही विधेयक द्वारा संशोधन आप न लाया करें। संशोधन अगर करना है तो एक एक ऐक्ट का अलग अलग विधेयक आप लायें। उस समय माननीय हुकुम सिंह राजस्व मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि इस तरह का विधेयक फिर नहीं आयेगा। पांचों ऐक्टस का संशोधन आप इसमें ला रहे हैं। अब उनको कैसे फिट किया जायेगा, कैसे उनको फिट करके पढ़ा जायेगा, यह मेरी समझ में नहीं आता। इससे उन कानूनों का स्टडी करने वालों को बड़ी दिक्कत होगी। जिस प्रकार और संशोधन विधेयक आप लाते हैं उसी तरह इसको लाइये। तो यह जो परम्परा

डाल रहे हैं यह बहुत गलत है। अब मैं यह बताना चाहता हूं कि क्यों यह प्रवर समिति में जाय। हमारे माननीय मित्र हिम्मत सिंह ने बताया है कि इसमें जो गलतियां हैं उनको सुधारने के लिए प्रचार किया जाय और गलतियों पर जनता द्वारा सुझाव क्या आते हैं उन पर विचार करके उसको बाद में लाते। हम कहते हैं कि कुछ व्यक्ति जो ला से परिचित हैं, उनकी एक समिति बना कर उनकी खामियों को पूरा किया जाय। पहली बात आपने बताई है कि कुछ दिक्कतें हैं जिसकी वजह से हम संशोधन ला रहे हैं। आप कितने ही संशोधन ले आये हैं जमींदारी विनाश अधिनियम में। इस तरह से कितना ही पैसा वकीलों का खर्च होता है .....

श्री अध्यक्ष—

पैसा वकीलों का खर्च होता है या किसानों का ?

श्री हरिनाथ तिवारी—

श्रीमन्, वकीलों का पैसा खर्च होता है। वे रोज किताबें खरीदते हैं। श्रीमन्, आप भी वकील हैं और हम लोग भी हैं। कम से कम हम लोगों का नुक्सान तो होता ही है। इसमें जो ऐक्ट लाये हैं भूमि विधि संशोधन विधेयक है, उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम वगैरह, इसमें सेक्शन १०० एक नई जोड़ी गई है। यह कब आप को ध्यान आया ? १८ वर्ष के बाद लिमिटेशन बारह साल का होता है। आप अट्ठारह साल के बाद जगते हैं और जगते किस के लिये हैं पर्टिकुलर पर्सन्स के लिए। आपने यह भी नहीं बताया है कि कौन सी ऐसी संस्थायें थीं जिनका लास हो गया और कौन से व्यक्ति हैं जिनकी दरख्वास्तें आप के पास आई। आप पर्टिकुलर पर्सन्स के लिये इतना बड़ा संशोधन कर रहे हैं। इतना ही नहीं यह भी कहते हैं कि जहां पर इनका नाम लैन्ड रिकार्ड्स में नहीं है अगर वे दरख्वास्त देंगे तो विचार किया जायेगा। यह समझ में नहीं आता कि वे बगैर नाम के कैसे पूर्ति करेंगे।

चकबन्दी में राजस्व मंत्री मानेंगे कि धारा ९ में ए०सी० ओ० के प्रकाशन के बाद १५ दिन का समय मिलता है। आप को इतना अनुभव है कि चकबन्दी में कितनी गड़बड़ियां हैं और आप पन्द्रह दिन के बाद उसको फाइनल करने जा रहे हैं। किसी की जमीन कहीं है, किसी की कहीं है उसमें दरख्त है, कुआं है या तालाब है यह सब देखना होता है। एक तरफ तो आप १८ वर्ष के बाद जग रहे हैं और यहां दूसरी तरफ आप कहते हैं कि यह मामला पन्द्रह दिन के बाद ही फाइनल हो जायेगा। जिसमें पहले १२ साल का राईट था, उस पर आप को गम्भीरता से विचार करना चाहिये। आपने कह दिया कि यह बहुत मामूली संशोधन है। मैं कहता हूं कि यह बहुत बड़ा संशोधन है। चकबन्दी कहीं-कहीं तो आधी खत्म हुई है और कहीं आधी बाकी है। आप कहते हैं कि धारा ९ में जो पन्द्रह दिन का टाइम मिलता है उसमें आब्जेक्शन नहीं होगा। मेरा तो अनुमान है कि इस धारा से जनता का बड़ा अहित होगा।

अभी आप ने ग्रामसभाओं में सभापतियों का हाल देख कर भूमि पट्टे प्रबन्धक को दे दिये कि प्रबन्ध समिति ही उसको देखे। उसमें आप ने बताया था कि एस० डी० ओ० वगैरह यह देख लें कि उस प्रबन्ध समिति के प्रबन्ध करने को पट्टे हैं, तब उस पर विचार किया जाय। सवाल यह है कि आपने प्रबन्ध समिति के सदस्यों को यह पट्टे दे दिये हैं जिससे भ्रष्टाचार होगा।

आप को बहुत मुहब्बत है आदिम जातियों से। आपकी यह भी जिम्मेदारी है कि यहां अनुसूचित जातियां भी होती हैं, उनके लिये क्यों नहीं हुआ। उनके पास भी जमीन होती हैं। तो यह प्रोटेक्शन आदिम और अनुसूचित दोनों ही जातियों के लिये है और आप केवल आदिम जाति के लिये ही ला रहे हैं। मंत्री जी का सुझाव है कि आदिम जाति के लिये प्रोटेक्शन रहे, लेकिन आप को शायद मालूम नहीं कि सरकार में और उसके विभागों में कितना भ्रष्टाचार है। जब कोई परमिशन लेने जायगा, जैसे चकबन्दी में एस० ओ० सी० इजाजत देते हैं और एक भी मिसाल ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी को इजाजत न मिली हो। पेशकार ५० रुपया लेगा, वकील लेंगे लेखपाल लेगा तो इस तरह से आप एक गरीब आदमी पर कितना बोझ डालेंगे। आपने तो कह दिया कि कलेक्टर की परमिशन की जरूरत होगी। जो शब्द होने चाहिये थे वह आप

[श्री हरिनाथ तिवारी]

ने रखे नहीं हैं। जोत सीमा आरोपण वाले में आप ने कह दिया कि जिसके पास जमीन रहेगी उसी को पट्टा देंगे। धारा १५८ में ३ प्रिफरेंसेज दिये हैं, अगर उन प्रिफरेंसेज में आयेगा तो देंगे। इसमें लिख दिया है कि २७ (३) में होगा तो दे दें इनटेरिम पट्टा होगा तो दे देंगे। लोकधन वाले के लिये तो हाई कोर्ट ने अवैधानिक कह ही दिया है। इसके अलावा छठवां लैंड रेवेन्यू ऐक्ट का संशोधन है और रामपुर के संबंध में जो ऐक्ट बना था उस को निरस्त किया है। आपने यह नहीं देखा कि रामपुर को ऐक्ट में लाने के लिए यह किया गया था तो निरस्त कर के रामपुर में फिर इसे लागू कैसे करेंगे। पता नहीं कि लैंड रेवेन्यू की वसूली के लिये वह रामपुर को कैसे डील करेंगे।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने जो संशोधन दिया था, उस में प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव नहीं था बल्कि मैंने संयुक्त प्रवर समिति का प्रस्ताव किया था, कार्यक्रम में प्रवर समिति ही छपा है, आप मुझे आज्ञा दें तो मैं उसे मूल रूप में ही पढ़ दूं। मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ की सदन की एक संयुक्त प्रवर समिति जिसे कि विधेयक की परिधि को भी बढ़ाने का हक हो, को सुपुर्द किया जाय जो पूरी तौर पर भूमि संबंधी कानून तथा नियमों को देखकर संशोधन परिवर्धन के सुझाव सहित अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर प्रस्तुत कर दे। (समिति के सदस्यों के नाम बाद में दिये जायंगे।)

श्री अध्यक्ष--

आपने तो प्रवर समिति का ही दिया था...

श्री महीलाल--

मैंने संयुक्त प्रवर समिति का ही दिया था।

श्री अध्यक्ष--

धन विधेयक होने के कारण संयुक्त प्रवर समिति नहीं हो सकती।

श्री महीलाल--

तो प्रवर समिति ही मान लिया जाय। माननीय मंत्री जी ने हमारे दल के नेता की चर्चा की कि उन्होंने इसके लिये अपनी स्वीकृति और सहमति दे दी है, सही बात है, लेकिन साथ ही मेरी यह जानकारी है कि मेरे दल के नेता इस अधिकार के विषय में जो आप लेने जा रहे हैं कुछ और आगे वह इसमें जाना चाहते थे। मैंने उनसे इजाजत ले ली थी। मान्यवर, पहली बात तो यह है कि आदिम जातियों के लिये जो आप एक संरक्षण देने जा रहे हैं, अच्छा काम है और आपको बधाई देने का काम है, लेकिन इस सम्बन्ध में मेरा आप से विनम्र निवेदन है कि जिन कठिनाइयों के कारण आप आदिम जातियों को संरक्षण देने जा रहे हैं, वह न केवल आदिम जातियों तक, अनुसूचित जातियों तक सीमित है वरन समाज के उस व्यक्ति तक, जो कमजोर है, दलित है, धन हीन है और जो हमारे छोटे किसान हैं उन सब तक होना चाहिये। आज बड़े-बड़े किसान, और जो शक्ति शाली और लट्ठ बन्द लोग हैं उन छोटे किसानों की जमीनों को जबरदस्ती से और धोखा देकर और जिस तरह से भी सम्भव हो सकता है, उसके पट्टे कराने का प्रयत्न करते हैं। इसलिये मुझे आपसे यह निवेदन करना है और अपने नेता की सहमति से निवेदन करना है कि आप इसको इतना व्यापक बनायें कि यह न केवल आदिम जातियों तक, अनुसूचित जातियों तक ही सीमित रहे बल्कि प्रदेश के उन सभी छोटे किसानों को संरक्षण मिले जो सवा तीन या साढ़े तीन एकड़ तक खेती करते हैं।

मेरे अपने जिले में ऐसे कमजोर और निर्धन ब्राह्मण भी हैं, जिनकी जमीनों को लठ बन्दों ने जाली तरीकों से दूसरे आदमियों को पेश कराकर पट्टे करा लिये हैं और आप जानते हैं कि उनको कैंसिल कराने में कितने बड़े प्रोसीजर को फ़ौलो करना पड़ता है। तो जहां आपने हमारे माननीय नेता विरोधी दल की सहमति का जिक्र किया है वे इस बात में सहमत नहीं हैं कि यह केवल आदिम और अनुसूचित जातियों तक ही सीमित रहे बल्कि प्रदेश के सभी छोटे किसानों को इसमें संरक्षण देने की बात स्वीकार कर लें तो उससे प्रदेश की गरीब जनता का लाभ होगा। तो मैं समझता हूं कि जिस नियत को लेकर यह अध्यादेश निकाला है, संशोधन लाया गया है वह उद्देश्य भी पूरा होगा और व्यापक होगा।

मान्यवर, चूंकि समय कम है, इसलिये लम्बा भाषण न देकर मैं केवल संक्षेप में यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस सरकार ने किसानों के साथ एक फ़ायदा अवश्य किया है और वह यह कि वह १० गुना देकर भूमि धर हो सकता था, लेकिन आज सरकार उस वायदे के खिलाफ़ जा रही है और २० गुने की व्यवस्था कर रही है। कोई भी सरकार हो व्यक्तियों से नहीं बदल जाती है। शासन, शासन है। एक शासन का वायदा है, उसे दूसरे शासन को पूरा करना चाहिये, यह उसका नैतिक कर्त्तव्य है कि वह उस वायदे से न हटे और न केवल नैतिक ही बल्कि कुछ परिस्थितियां ऐसी आ जाती हैं जिनमें वैधानिक तौर से सरकार मजबूर हो जाती है और एक सरकार का वायदा दूसरी सरकार को वैसे ही मानना पड़ता है। उदाहरण स्वरूप रिहन्डट्रैडैम की बिजली बिरला बन्धुओं को उत्पादन की कीमत से भी कम दाम पर २५ साल के कन्ट्रेक्ट पर दी गयी। २५ वर्ष तक कोई भी सरकार उन बिरला बन्धुओं पर बिजली का रेट नहीं बढ़ा सकती है और उसके अनुबन्धन में यह भी चर्चा है कि बढ़ाने का विचार भी होगा तो १६ वर्ष बाद और वह भी सीमा कर दी कि २५ प्रतिशत से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं। चूंकि छोटे किसान इस प्रदेश में कमजोर हैं, निरक्षर हैं, लड़ नहीं सकते हैं, इसलिये आपने व्यवस्था कर ली कि १० गुने के बजाय २० गुना लें लें। मैं इसका घोर विरोध करता हूं और यह समझता हूं कि शासन अपने वादे से पीछे जा रहा है और नैतिकता की दृष्टि से पतन की ओर जा रहा है। जहां तक सीरदारों को ऋण देने की बात है इस विधेयक में उनको ऋण देने की व्यवस्था रखी गयी है जो बहुत अच्छी है। उसका हमें अनुमोदन करना चाहिये। इधर के बैठने वाले जितने साथी हैं सभी उसका अनुमोदन करेंगे लेकिन उस सम्बन्ध में मैं इतना कह देना बहुत जरूरी समझता हूं कि सीरदारी के कानून में आपके यह व्यवस्था है कि २० गुना दाखिल करके वह बेदखल नहीं हो सकता। आपकी कल्पना के मुताबिक तो आप यह भी व्यवस्था कीजिये अलग से कि सीरदारों को भी उसी दर से ऋण दिया जायगा जिस दर से बैंक भूमिधरों को देता है। अभी आपकी ऐसी व्यवस्था है कि सीरदार भी अपनी मालगुजारी का २०० गुना तक प्राप्त कर सकें और अपनी भूमि पर सिंचाई का प्रबन्ध कर सकेगा।

जहां तक चकबन्दी का सम्बन्ध है यह एक प्रगतिशील योजना है। जब चकबन्दी विधेयक यहां आया था तो इस सदन के सभी माननीय सदस्य उससे भयभीत थे। सौभाग्य से मैं ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी तरफ़ से यह आफ़र किया था कि मैं अपने क्षेत्र में उस योजना को कायम करके दिखलाऊंगा। मेरी कांस्टीटुएंसी बिलारी में उसे लागू किया गया लेकिन चकबन्दी की यह दशा है कि १०, १० चक एक आदमी के हैं। चकों के बीच में रास्ते का इन्तजाम नहीं है, पक्की नाली की व्यवस्था नहीं है, अपने चकों से सड़क तक पैदावार लाने के लिये व्यवस्था नहीं है। ज्यादा अच्छा होता आप इस तरह का विधेयक लाते जिससे उन स्थानों पर जहां चकबन्दी उसके उद्देश्यों के हिसाब से नहीं हो पाई है उसको आप पूरा करते। जहां तक वर्तमान संशोधन का सम्बन्ध है उसकी बुराई की ओर मेरे साथियों ने काफ़ी प्रकाश डाला है।

इसमें नियुक्तियों के सम्बन्ध में कुछ चर्चा है। नायब तहसीलदारी से तहसीलदार के पद पर प्रोमोट करने के लिये वन मैन कमेटी बिठाई गयी। उस कमेटी की रिपोर्ट को अगर मंगा कर देखा जाय तो पता चलेगा कि जिनके करेक्टर रोल में कोई बैड एंट्री नहीं थी, जिनकी ईमानदारी में सन्देह नहीं था उनको उस कमेटी ने एप्रूव नहीं किया और जिनकी चरित्रावली

[श्री महीलाल]

दूषित थी, ईमानदारी में सन्देह था उनको उस कमेटी ने स्वीकार किया। खेद के साथ मुझे कहना पड़ता है और हवा में मैं कोई बात नहीं छोड़ना चाहता लेकिन मजबूर हो कर कहना पड़ता है कि वह कमेटी जातीयता के ऊपर नहीं उठी। उसने जाति विशेष के लोगों को ज्यादा मौका दिया। उसने हरिजनों व पिछड़ी जाति के नायब तहसीलदारों को अच्छा करेक्टर रोल होते हुए भी तहसीलदार होने का मौका नहीं दिया। विधेयक में इसकी व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन इस विधेयक पर बोलते हुए मेरा अधिकार है कि मैं इसकी चर्चा करूं।

जहां तक कृषि उद्योग निगम का सम्बन्ध है उसका जिक्र इस विधेयक में आया है। हमारे प्रदेश के कृषि उद्योग निगम की अजीब दशा है। उसके कारनामे ऐसे हैं अगर किसी दिन मौका मिला तो मैं आपको बतलाऊंगा कि उसमें किस कदर गोलमाल है। किसी किसान को यह नहीं बताया जाता कि उसकी दरखवास्त किस नम्बर पर रजिस्टर्ड है। आफ़िस मालिक हैं, चाहे ऊपर वालों को नीचे करे या नीचे वाले को ऊपर करे। मुझे यह भी जानकारी है कि लखनऊ के कुछ वकील इस बात के लिये मुकर्रर हैं कि वे ही तसदीक करेंगे प्रदेश के चाहे किसी कोने से किसान आये और उनकी फ़ीस ५ सौ, ६ सौ, ८ सौ रुपये है। यह तो बहुत अच्छा है कि आप उसके लिये ऋण की व्यवस्था करने जा रहे हैं, लेकिन यह जिम्मेदारी भी आप की ही है---इधर के बैठने वालों को यह अधिकार नहीं है--कि आप यह देखें कि उसमें कितना भ्रष्टाचार है। बड़ी उदारता यह मंत्रि मंडल आजकल हरिजनों के प्रति दिखा रही है, देखने में बड़े अच्छे फैसले लगते हैं, लेकिन कृषि उद्योग निगम में देखिये, एक भी हरिजन कर्मचारी वहां नहीं है और अगर गया है तो कृषि उद्योग निगम के अधिकारियों ने उसे पूछा नहीं है। मेरा यह निवेदन है कि माल मंत्री महोदय पुराने अनुभवी, देश सेवी और राष्ट्रभक्त नेताओं में हैं, हमारे प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे हैं, मैं उनसे यह आशा करता हूं और भरोसा भी रखता हूं कि जो भ्रष्टाचार आज सरकार के विभागों में है उसको दूर करने की जिम्मेदारी उनकी भी आती है न केवल मुख्य मंत्री की ओर जो मैंने सुझाव दिये हैं, मैं आशा करता हूं वह उन पर विचार करेंगे।

आपके रहते दो एक बात जरूर कह देना चाहता हूं। पूरे प्रदेश में एक व्यापक समस्या है कि नदियों के कटाव से इधर की जमीन उधर और उधर की जमीन इधर चली जाती है। इसके लिये वर्षों से इस सदन में आवाज उठायी जा रही है, लेकिन कोई व्यवस्था यह सरकार न कर सकी। मैं स्वयं भुक्तभोगी हूं। मेरी अपनी जमीन रामगंगा के कटाव में चली गयी लेकिन पांच साल से मालगुजारी बराबर वसूल की जा रही है। कोई दरवाजा नहीं है जहां मैं अपनी दीनता की पुकार सुना सकूं। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी गम्भीरतापूर्वक इन कठिनाइयों को सोचेंगे और जहां ऋण व्यवस्था करने का संशोधन लाये हैं वहां इस बात पर भी विचार करेंगे कि किसानों को अपनी फ़र्दों की नकल लेने में ५०-५० रुपये देने पड़ते हैं और १५-१५ दिन खराब करने पड़ते हैं। उनको आप पास बुक दे दीजिये, इसमें कोई कठिनाई नहीं है आप अधिकारियों से गाइड न हों। मुझे खेद है कि मंत्रिमंडल अधिकारियों से गाइड होता है। कठिनाइयों को दूर करने के लिये आप बैठे हैं। आप पास बुकें जल्द से जल्द किसानों को प्रदान करें।

श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)---

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा जो भूमि विधि संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं और इस में जो कुछ बातें आयी हैं उस सम्बन्ध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं।

(इस समय १२ बजकर ५२ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री वासुदेव पीठासीन हुये।)

इसमें सीरदारों के लिये जो बीस गुना रखने की व्यवस्था मंत्री जी ने की है मैं उसका विरोध करता हूं। बात यह है कि सीरदार ज्यादा तर गरीब किसान होते हैं और उनको भूमिधर बनाने के लिये आप दस गुना से बीस गुना कर रहे हैं। यह एक तरह से उन छोटे

किसानों के साथ अन्याय है। हमारे प्रदेश में ऐसे बड़े-बड़े काश्तकार हैं जो एक तरह की भूमि का लगान २ रुपये देते हैं। और यह लोग जिनको आप भूमिधर बना रहे हैं ये उसी किस्म की भूमि के १०-१० और २०-२० रुपये लगान देते हैं। इस तरह से जो इनके लगान में असमानता है वह ठीक नहीं है। सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिये कि प्रदेश भर में ऐसी व्यवस्था हो कि एक तरह की जमीन वालों को एक ही लगान देना पड़े। और गरीबों पर जो लगान बढ़ाया जा रहा है, उसको मैं उचित नहीं समझता हूं।

दूसरी चीज मैं आबादी के विषय में कहना चाहता हूं और खास तौर से हरिजनों की आबादी के विषय में। पुश्त दर पुश्त से वहां आबादी है, लेकिन कागज में दर्ज नहीं है और अगर कहीं दर्ज भी है तो बहुत कम दर्ज है। जहां चकबन्दी हो रही है वहां भी चकबन्दी कर्मचारी उन आबादियों को नहीं दिखाते और उनके स्थान पर भीटा, बाग, बंजर आदि दर्ज कर देते हैं और चक बना देते हैं अब जिस व्यक्ति के नाम में वह बाग या भीटा आता है वह मुकदमा लड़ कर उनको वहां से उजाड़ देता है। अथवा अपने दबाव में लेकर उनसे बेगारी कराता है अथवा बहुत कम मजदूरी देकर उनसे हलवाही करायी जाती है। अतः जो लोग मौके पर आबाद हैं और जिनकी आबादी कागजात में दर्ज नहीं है, उनके दर्ज किये जाने की व्यवस्था की जाय तथा उनके अगाड़ी पिछाड़ी की जमीन, उनका सेहन उनके पशु बांधने का स्थान भी आबादी में गिना जाय। इसके अतिरिक्त जहां चकबन्दी हो रही है वहां भविष्य में होने वाली आबादी के लिये जमीन छोड़ी जाय, भूमिहीनों के लिये जमीन रखी जाय। उनके परिवार जब बढ़ेंगे तो वहां रह सकेंगे। गांव के अन्य लोगों के लिये भी आबादी के लिये जमीन रखी जाय।

इस संशोधन विधेयक के द्वारा आदिम जातियों के लिये यह व्यवस्था की जा रही है कि बिला जिलाधीश की अनुमति के उनकी भूमि कोई नहीं ले सकेगा। यह अच्छा संशोधन है, लेकिन जैसा कि महीलाल जी ने कहा कि इसी प्रकार से अनुसूचित जातियों और गरीब लोगों के लिये भी ऐसी व्यवस्था की जाय तो ज्यादा अच्छा होगा। हमारे क्षेत्र शाहगंज में कुछ गरीब औरतें थीं। उनकी ५-६ बीघा जमीन थी। दूसरे लोगों ने अपनी औरतों को हरिजन औरत बना कर जमीन के पट्टों का बैनामा उनके नाम करा दिया। बहुत दिनों के बाद यह मामला खुला। मुकदमेबाजी हुई। यह बात दूसरी है कि वही औरतें जीत गयीं लेकिन फिर भी वह जमीन उनको नहीं दी जा रही है। इसलिये इसमें हरिजनों और दूसरी जाति के गरीब लोगों को भी शामिल कर लिया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि बड़े बड़े लोग जमीनों को हड़प लेते हैं। १०-२० रुपया कर्जा दे देते हैं और सूद दर सूद लगा कर पट्टा अपने नाम में करा लेते हैं। इस प्रकार से इसकी भी व्यवस्था की जानी चाहिये।

हमारे यहां शाहगंज में भी चकबन्दी हुई, लेकिन उसके खिलाफ वहां बहुत बड़ी बड़ी शिकायतें हैं। मैं तो यहां तक कहता हूं कि सबसे ज्यादा शिकायतें वहां हैं। आपके पास १० हजार से ज्यादा शिकायतें आ चुकी हैं। शुरू में तो यह था कि कर्मचारी कम जानते थे, और जनता भी इसको कम समझती थी लेकिन जो नक्शे बने हैं उनमें तो और भी ज्यादा गड़बड़ी की गयी है। चक किसी व्यक्ति के नाम है और नक्शे में दूसरे का नाम है और बन्दोबस्त में तीसरे का ही नाम है। इस प्रकार की १० हजार से ज्यादा शिकायतें राज्य सरकार को दी जा चुकी हैं। और उसमें से बहुत सी दरख्वास्तों की जांच भी की जा रही है। हमारे यहां बहुत से लोगों की यह जोरदार मांग है कि चकबन्दी फिर से की जाए और उसका सारा खर्च काश्तकार बरदाश्त करने को तैयार हैं। इस प्रकार से चकबन्दी की जो शिकायतें हैं उसे दूर किया जाए। चकबन्दी में और उसके बाद हरिजनों के लिए आबादी नहीं छोड़ी जाती है। चक रोड जो छूटे होते हैं उनको बड़े लोगों ने रोक दिया है, लोगों के आने जाने का कोई रास्ता नहीं रह गया है। सार्वजनिक चक रोड जो हैं और यह गांव समाज की जो भूमि है उस पर यदि कोई अनाधिकृत रूप से से कब्जा करता है तो अधिकारी इसी काम को देखें। जो मुकदमें वे देखते हैं, उनमें उनका ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जाड़े के दौरे में जब अधिकारों

[श्री माताप्रसाद]

जाएं तो केवल इसी प्रकार के मामले को देखें। ग्राम समाज की जमीन सम्बन्धी और दूसरे जो रास्ते और तालाब आदि हैं उनको देखा करें मुकदमें न देखा करें।

चौथी चीज मैं यह कहना चाहता हूं बहुत ही शिकायतें रहीं हैं कि गांव समाज की भूमि जिनको मिलनी चाहिए थी उनको मिली नहीं है। गांव समाज की सारी भूमि होशियार और बड़े लोगों न जिनके पास पहले से भूमि थी, अपनी बहू के नाम, लड़कों के नाम और रिस्तेदारों के नाम स्वयं ही बांट लिया है। अभी संविद सरकार ने ३ साल के पट्टों की जांच के आदेश दिये थे, कुछ उसमें हुए भी हैं। मैं चाहता हूं कि ९--१० साल पहले तक के, सन् ५७ तक के पट्टों की जांच होनी चाहिए और जिन लोगों ने जानकर गलत पट्टा लिया है उनको कसिल कर देना चाहिये। अभी जो मंत्री जी ने भूमि समिति की रिपोर्ट पेश की है, उसमें समिति ने सुझाव दिये हैं कि जमींदारी विनाश अधिनियम, १९५० की १९८ की धारा में ऐसा संशोधन किया जाये कि उसमें 'भूमिहीन' की जगह 'भूमिहीन खेतिहर मजदूर' रख दिया जाए। तो मैं चाहता हूं कि जो विधेयक मंत्री महोदय जी पेश कर रहे हैं उसमें वह वही व्यवस्था कर दें कि 'भूमिहीन' शब्द के बजाए 'भूमिहीन खेतिहर मजदूर' शब्दावली रख दी जाए तो इस बेचारे गरीब लोगों का बड़ा फायदा होगा। जमींदारी उन्मूलन अधिनियम में इस बात को स्पष्ट व्यवस्था की गई है कि ग्राम समाज की भूमि किसको किसको दी जाएगी। पहले सार्वजनिक संस्थाओं, उसके बाद सहकारी संस्थाओं, फिर चरागाहों को और उसके बाद भूमिहीनों, हरिजनों को भूमि देने की व्यवस्था दी गई है। यह कितने दुःख की बात है कि पशुओं के लिए चरागाह की पहले व्यवस्था की गई है उसमें उसके बाद भूमिहीनों, हरिजनों को। यह कितनी उपहास्यास्पद बात है कि आदमी की अपेक्षा पशुओं पर अधिक ध्यान दिया गया है। इसमें भी उन्हें जमीन मिलने की आशा थी लेकिन वास्तव में उन्हें जमीन नहीं मिली। मान्यवर, मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस बात की आपको व्यवस्था करना चाहिये और इसमें यदि आप न कर सकें तो कोई दूसरी व्यवस्था करें तो हमारा जो जमींदारी उन्मूलन बिल है १९५० का उसमें कुछ ऐसा संशोधन किया जाए कि हमारे जो बहुत सी जरूरतें हैं, पूरी हो सकें। मान्यवर, अपने कई बार घोषणा भी की है कि जमीन के पट्टों के बैनामे का मुकदमें तहसीलदार या परगनाधीश के यहां २--२, ३--३ साल चलते हैं। श्रीमन् हमारे जिले में शाहगंज तहसील में एक-एक मुकदमें में साठ-साठ पेशियां पड़ती हैं। तो दो-दो साल तक एक मुकदमा चला है तारीख दिन मुकदमा पेश नहीं किया जाता है, सुना नहीं जाता है सिर्फ तारीख डाल दी जाती है। केवल मुकदमा पड़ता है लेकिन कोई निर्णय नहीं होता है। हम इसका स्वागत करते हैं कि आपने इस्टेटमेंट में कहा था कि इस तरह के आदेश दे दिये गये हैं कि शीघ्र से शीघ्र बैनामों की तरमीम के मुकदमें जल्दी तय किये जायें। इन शब्दों के साथ-साथ आपने जो यह प्रस्ताव पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस तरह की व्यवस्था करेंगें जिससे गरीबों की आकांक्षायें पूरी हो सकेंगी।

श्री गौदासिंह (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्रीमन्, मुझे दुख है कि मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाना पड़ रहा है। आप देखें कि आज के एजेन्डे पर मैंने प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया। मैं दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूं कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने यह कैसे समझ लिया कि मेरे दृष्टिकोण को आप भाइयों ने रख दिया। मेरा प्रस्ताव जो था वह बिल्कुल भिन्न था आप भाइयों से। मैं समझता हूं मेरे साथ यह अन्याय है कि आप प्रवर समिति को प्रस्ताव भेजने में मेरा दृष्टिकोण आप यह समझें कि दूसरे मित्रों ने उसे रख दिया। मैं कहां बैठता हूं और मेरा क्या उद्देश्य हो सकता है उसे कृपा करके आप जरा सोचें और इसका निर्णय दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपको अपने उद्देश्य के प्रकाश के लिये समय मिलेगा। असल में एक सदस्य ने जो रख दिया है माना जा रहा है। अगर आपको अपने किसी उद्देश्य के किसी अंग को प्रकाशित करने की आवश्यकता पड़ेगी तो समय मिलेगा।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—

जिस तरह से जो शब्दावली छपी है वह हमारे प्रस्ताव में नहीं है। श्रीमन्, मेरे साथ अन्याय नहीं होना चाहिये। मैं समझता हूं मुझको असोशियेट कर दिया है चाहे आपके दफ्तर ने असोशियेट किया हो चाहे किसी ने किया हो। मैं इस पर घोर आपत्ति करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—

इस का मूल मंगा कर देखा जाय।

एक सदस्य—

ठीक है, आप उसका मूल मंगा कर देख रहे हैं।

*श्री रूपनाथ सिंह यादव (जिला इलाहाबाद)—

मान्यवर, २० सालों के अन्दर कांग्रेस गवर्नमेंट ने कई वायदे किसानों के साथ किये थे। सबसे पहले यू० पी० ऐक्ट नम्बर १०, १९४९ पास किया। तब आपकी कांग्रेस मिनिस्ट्री थी। उसके अन्दर वायदा किया था कि जो काश्तकार दस गुना जमा कर देगा उसे भूमिधर का हक मिल जायगा और जमींदारी एबोलीशन करने के बाद उसे और हक मिलेगा। मान्यवर, १९५२ में जमींदारी एबालीशन हुआ। इस ऐक्ट की १३४ और १३५ धाराओं के अन्दर प्रावीजन किया कि जो यू० पी० ऐक्ट नम्बर १०, १९४९ के अन्तर्गत दस गुना जमा करेगा वह भूमिधर बन जायगा। दस गुना जमा करवा कर भूमिधर बनाने का वायदा जनता के साथ करके न निभाने के कारण १९६७ में जनता ने आपको अपदस्थ कर दिया। आज श्री गेंदा सिंह जी यहां विराजमान हैं। वह एक कटौती का प्रस्ताव लाये थे कि अलाभकर जोतों से लगान माफ कर दिया जाय। सवा छः एकड़ पर लगान माफ कर दिया जाय। कांग्रेस के लोगों ने उसका समर्थन किया था और उसके बाद जब अब मौका आया है और आप उधर बैठे हुए हैं उन कुर्सियों पर बैठे हुये हैं तो मान्यवर, क्या आपका वह वायदा खत्म हो गया। मान्यवर, माननीय माल मंत्री जी ने यह कटौती का प्रस्ताव रखा था तो यह प्रश्न उठा था तो उन्होंने कहा था कि सन् ६७ के कांग्रेस के चुनाव मैनीफेस्टो में यह था कि अलाभकर जोतों से लगान माफ होगा। परन्तु १९६९ में चुनाव लड़ने के लिये उन्होंने वह प्रस्ताव बदल दिया। मान्यवर, मैं आपके द्वारा यह जानना चाहता हूं कि माननीय माल मंत्री जी और माननीय मुख्य मंत्री जी ने सन् १९६७ और सन् १९६९ के बीच में कौन सा चमत्कार दिखा दिया जिससे किसानों को पैसा मिला गया और किसान अमीर हो गये और उनका चुनाव मैनीफैस्टो बदल गया। यह कोई औचित्य नहीं था कि इस मैनीफैस्टो को लेकर अपनी पुरानी चीज को आपने काट दिया।

मान्यवर, कैसे यह सरकार प्रजातन्त्र राज को चला रही है। मान्यवर, कांग्रेस सरकार का कोई मोरल स्टैन्डर्ड नहीं रह गया है। कांग्रेस सरकार का मौरल स्टैन्डर्ड दिन ब दिन गिरता जा रहा है। जनता के साथ आपने जो वायदे किये थे उन वायदों का क्या हुआ। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन कर रहा था कि सरकार ने जो कमिटमेंट जनता को दिये थे वह अब क्यों समाप्त होने जा रहे हैं। उस ऐक्ट में था कि ४० वर्षों तक कोई तरमीम नहीं होगी उसको सरकार कांग्रेस की क्यों नहीं मानती। यह न मानकर कांग्रेस की सरकार ने जनता

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रूपनाथसिंह यादव]

के साथ, किसानों के साथ फ्राड किया है। डिमोक्रेसी में जब तक जनता का विश्वास सरकार पर नहीं होता तब तक उस सरकार को चलने का कोई अधिकार नहीं है। आज जनता का विश्वास कांग्रेस की सरकार खोती चली जा रही है और इसलिये मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि या तो वे आज घोषणा करें कि वे सवा छः एकड़ तक की जोतवालों का लगान माफ कर देंगे या फिर जैसा १० गुना का पहले से चला आ रहा है उसको वैसा ही रहने दिया जाय और नहीं तो वे इस सदन में या इस सदन से बाहर वे अपनी सरकार का इस्तीफा दे देंगे।

जहां तक १० गुने की वैधानिकता की बात कही गयी है तो मैं एक बात कहूंगा कि १४ के अन्दर ईक्वलिटी विफोर ला है और उसको देखते हुये यह कांस्टीटयूशन को हिट करता है। आप एक मरतबा किसानों को एक अधिकार देते हैं और उसके अनुसार सन् ५२ से लेकर ६९ तक दसगुना देकर भूमिधरी हक पाते रहे हैं और अब दूसरों को २० गुना देना पड़ेगा। यह डिस्क्रीमिनेशन किस कारण है? यह बिल्कुल अनकांस्टीटयूशनल है, इल्लीगल है और अल्ट्रा वायरस है। जो कानून सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से अल्ट्रावायरस डिक्लेयर होने वाला है उससे सरकार का कितना पैसा खर्चा होगा। जो सरकार बिना सोचे समझे कानून पारित कराने के लिये लाती है उसके लिये सारी जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट की होती है।

यह सरकार आदिम जातियों और शिडयूल्ड कास्ट्स को हर साल लाइमजूस दिया करती है उसी तरह से इस विधेयक में भी धारा १५ में है कि कोई भी अनुसूचित आदमी अपनी जमीन का बयनामा, पट्टा या बन्धक नहीं कर सकता है लेकिन अगर कलक्टर इजाजत दे दे तो कर सकता है। यानी माननीय जगजीवनराम या कोई बड़ा आदमी या मंत्री अनुसूचित जाति का या आदिम जाति का हो उस भूमि का बयनामा कराना चाहेगा तो वह कलक्टर साहब की आज्ञा ले लेगा और जो इस कानून का उद्देश्य है वह हल नहीं होगा और वह जमीन बड़े होगों के हाथों में चली जावेगी। तो इस कानून से वह समस्या कहां हल हो रही है इससे तो आप सोर्स और सिफारिश का दरवाजा खोल दे रहे हैं। जब कलेक्टर के पास बड़े-बड़े काश्तकार पहुंचेंगे तो सोर्स और सिफारिश को बढ़ावा मिलेगा।

इसके अलावा नियम १३१ में यह था कि अगर कोर्ट में मामला उपस्थित हो तो अपील में या निगरानी में या किसी उच्चस्तर से यह बता दिया जाय कि इस कोर्ट को पावर नहीं है तो वह मुकदमा नाजायज माना जाता था लेकिन आज आपने तरमीम करके यह चाहा है कि अगर शुरू के विवाद में, शुरू के इजलास में बयाने तहरीर में इस बात को अगर वह नहीं उठाता है तो किसी अपील में या निगरानी में ऐसी बात को नहीं उठा सकेगा। यह भी एक किस्म का अन्याय है। सभी मुकदमे न्याय के लिये अदालत में जाते हैं। अगर भूल के कारण आरम्भ में वह नहीं कर सका और केस चलता गया और अलाटमेंट करके फैसला कर देता है और वह अपील करना चाहे और जुडिशल प्वाइन्ट रेज करना चाहे तो वह नहीं कर सकेगा यह आपने रोक इस कानून में लगा दी है। इस वजह से यह वैधानिक बात नहीं है क्योंकि ऐसा करके आप न्याय का दरवाजा बन्द कर देते हैं। अदालत में जाने का यह अधिकार नहीं छीनना चाहिये था। जुडिशियल प्वाइन्ट से यह अनुचित हो जाता है। यह सरकार ने जो न्याय पाने का अधिकार जनता को दिया हुआ है उसको छीनने की यह साजिश है। अधिक से अधिक न्याय पाने की गुंजायश नहीं रहेगी। यह कानून के विरुद्ध है। इसलिये माननीय सदन इसके विचार करके ठुकरा दे।

इस चकबन्दी कानून में १९५४ से आज तक १०, १२ तरमीम हुई हैं। सरकार के पास बड़ी-बड़ी किताबें हैं, वकील हैं तो वह इस प्रकार से इसमें तरमीम ले आये जिससे बार-बार तरमीम न करना पड़े। आज जो तरमीम करते हैं उससे अन्याय होगा। दफा ९ में अगर किसी ने उजरदारी नहीं की और वह भूल गया तो वह बाद को किसी स्टेज पर भी एतराज नहीं कर सकता है। पहले दफा ११ में अधिकार दिया गया था कि अगर वह ९ में भूल गया तो

११ के अन्तर्गत कर सकता था। अब अगर वह दफा ९ में किसी वजह से आपत्ति नहीं कर सका तो फिर बाद को नहीं कर सकेगा। इसलिये इससे भी न्याय का दरवाजा बन्द कर दिया है। यह जो तरमीम की जा रही है इससे छोटे किसान और मजदूरों की हानि होगी। छोटे छोटे किसानों की जमीन बाहर फेंक दी जायगी। जमींदारी उन्मूलन की धारा १८, १९ में जितनी सीर, खुदकाश्त और बागात बड़ जमींदारों के थे उनको बिना १० गुने के मालिक बना दिया गया है। आज एक आदमी के पास हजारों बीघे के बाग हैं वह बदस्तूर कायम हैं। उसमें न मालगुजारी लगती है और न उनको जमींदारी उन्मूलन में छीना गया है। एक तरफ तो बड़े राजा, महाराजा और बड़े काश्तकार हैं उनको बिना १० गुने के मालिक बना दिया है और दूसरी तरफ छोटे किसान और मजदूर गरीब हैं जिनके पास ५ बीघे, २ बीघे या बंजर परती है उसको २० गुना देना पड़ेगा। यह एक किस्म का अन्याय है। एक बड़ी क्लास को छूट दी गई है और जो गरीब या छोटे किसान हैं उनक लिये कहा है कि बिना १० गुने और २० गुने के वे भूमिधर नहीं हो सकते। पहले ही जमींदारी उन्मूलन के समय कानून के अन्दर उनको हक मिलना चाहिये था लेकिन अब आप कहते हैं कि उनको १० गुना और २० गुना देने पर भूमिधरी मिलेगी और उन पर मुनाफे के हिसाब से टैक्स लगा कर अपना टैक्स वसूल करना चाहिये। फिर इस तरह से अन्याय नहीं होता, लेकिन आप एक किसान पर कुछ लगाते हैं और दूसरे पर कुछ, इस तरह से मान्यवर, यह जो संशोधन विधेयक आया है यह गैरकानूनी हो जाता है। इससे जनता का कोई लाभ नहीं होगा।

तीसरी बात आप देखेंगे कि चकबन्दी में जितने चक हैं, उसमें एक लफ्ज है "एज फार एज पासिबिल" यानी जहां तक सम्भव होगा, आपने सेटिलमेंट आफिसर को यह जुरिस्डिक्शन दे दिया है कि चाहे वह एक आदमी को दो चक दे दे या १० चक दे दे। इस चक के लेनदेन में तमाम गरीब पिसते जा रहे हैं और गांव के असरदार लोग अपने माफिक चक बनवा लेते हैं। इस तरह से तरमीम करने के लिये जो विधेयक आप लाये हैं उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि किन-किन कारणों से आप इस तरह की रोक लगाते हैं। आज सरकार का जो रवैया चल रहा है, उसकी वजह से छोटे किसान, हरिजन और गरीब पिसते जा रहे हैं और अमीर लोग और अमीर होते जा रहे हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि सरकार इस मामले पर विचार करे और यह विधेयक जो तरमीम के लिये लाया गया है उसे वह वापस ले और हमारा जो संशोधन आया है उसे स्वीकार करे। संविधान के आर्टिकल १९ (एफ) के अनुसार भी यह संशोधन विधेयक अनकांस्टीटयूशनल हो जायगा। उसमें दिया हुआ है—"आल सिटिजन्स शैल हैव दि राइट टु एक्वायर, होल्ड ऐंड डिस्पोज आफ प्रापर्टी"। इसके अनुसार अगर कोई गरीब आदमी हाई कोर्ट में चला गया तो वह अनकांस्टीटयूशनल डिक्लअर करार दिया जायगा। जब आपने यह रोक लगा दी कि आदिम जाति का कोई आदमी अपनी कोई जमीन नहीं बेच सकता है, आर्टिकल १९ (एफ) इसको बार करता है और यह अनकांस्टीटयूशनल और अल्टरावायरस डिक्लेअर हो जायेगा। इस तरह के रेस्ट्रिक्शन लगाने का कोई रिजनेबिलनेस सरकार ने नहीं बतलाया है कि उसका कौन सा पैमाना है, उसकी कौन सी परिभाषा है कि किन-किन अवस्थाओं में ऐसा कर सकते हैं। विधेयक के उद्देश्य में भी यह नहीं आया है कि रेस्ट्रिक्शन लगाने की रिजनेबिलनेस क्या होगी। मान्यवर, जब यह मालूम है कि यह कानून हाई कोर्ट के फैसले के अनुसार अल्टरावायरस होने वाला है तब इसे इस आदरणीय सदन के सामने नहीं लाना चाहिये था। इसलिये मैं यह बात कहता हूं कि इस सम्बन्ध में जो आर्डिनेंस जारी किया गया था वह गैरकानूनी है। लेकिन माननीय माल मंत्री जी इस पर बिना विचार किये हुए ही इस विधेयक को सदन के सामने ले आये। यदि यह कानून हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के सामने गया तो अल्टरावायरस डिक्लेअर हो जायगा। उसी वजह से मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस संशोधन विधेयक को वापस ले लें और सब को एकदम से भूमिधर बना दें।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो सवाल उठाया था—मैंने मूल प्रति मंगा ली है। इस मूल प्रति में आपने संशोधन के रूप में यह कहा है —"उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को सदन की प्रवर समिति को भेजा जाय जो पूरी तौर पर भूमि सम्बन्धी कानून तथा नियमों को देख कर संशोधन और परिवर्तन के सुझाव दे।" इस संशोधन और जो संशोधन रखा गया है उसमें अन्तर केवल इतना है कि न केवल अविकल रूप में आपका संशोधन इसमें संशोधित है बल्कि सीमा बांध कर उसको और सुस्पष्ट किया गया है। तो मैं प्रत्यक्षतः कोई ऐसा कारण नहीं देखता कि इस संशोधन को...

श्री गेंदासिंह—

श्रीमन्, अभी रूलिंग न दें, मुझे भी बोलने का मौका दें।

श्री उपाध्यक्ष—

अभी मैं रूलिंग नहीं दे रहा हूं। तो जो प्रत्यक्षतः देखने में आता है, इसमें अन्तर नहीं है, बल्कि आपके आशय का अधिक स्पष्टता के साथ उल्लेख इसमें हुआ है, इसलिए दोनों एक साथ रख दिये। अगर आप सोचते हैं कि कोई अन्तर है तो कृपया अपने मंतव्य को सदन के सामने रखें।

श्री गेंदा सिंह—

श्रीमन्, यह ऐसा सदन है कि जहां कामा और फुलस्टाप को भी बहुत ध्यानपूर्वक देखा जाना चाहिए। यहां मैं तो कोई सीमा निर्धारित नहीं करता कि १५ दिन के भीतर उसकी रिपोर्ट आ जाय। मैं कहता हूं कि १५ दिन के भीतर रिपोर्ट नहीं आ सकती, इसलिए श्रीमन, उसकी सीमा निर्धारित न की जाय। तो मेरे विचारों में यह रख दिया है कि १५ दिन की सीमा मैं निर्धारित करा रहा हूं। तो इस पर विचार करियेगा और शायद आपने मुझे इस विधेयक के सम्बन्ध में बुलाया हो तो मैं अर्ज करूं?

श्री उपाध्यक्ष—

बोलने के लिए अगर आप चाहें तो इजाजत दूंगा, लेकिन इसके बारे में देख रहा हूं। क्योंकि अगर समय निर्धारित नहीं है तो जरूर आशय तो एक है, लेकिन समय का अन्तर है। आप समय से बांधना नहीं चाहते हैं और संशोधन में १५ दिन का उल्लेख है, अतएव समय का अगर यह अन्तर आपका अभीष्ट था और समय बहुत परिवर्तन करता है तो मैं इसको देख लेता हूं और इस बीच में आप अपने इस संशोधन के सम्बन्ध में जो बोलना चाहें उसको आप सदन के सामने रख सकते हैं।

श्री भगवती सिंह विशारद (जिला उन्नाव)—

उपाध्यक्ष जी, इसमें निवेदन यह है कि जो इस तरह के संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं उसमें जो अधिक व्यापक होते हैं उसको वरीयता दी जाती है और अगर दोनों को देखें तो माननीय गेंदा सिंह जी का जो संशोधन है वह अधिक व्यापक है। इसलिये मेरा यह आपसे अनुरोध है कि आप उसको वरीयता दें और उसको ही पहले प्रस्तुत होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं देखता हूं इसको।

*श्री गेंदा सिंह--

श्रीमन्, मैं इस विधेयक को महत्वपूर्ण समझता हूं और इसमें बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनका स्वागत किया जाना चाहिए। ऐसी बातें भी हैं कि जिनकी इससे सहायता होनी चाहिए उनकी होगी। मेरा प्रस्ताव जो प्रवर समिति के लिए था वह केवल इसलिए था कि जमीन सम्बन्धी कानून बहुत व्यापक हैं और जमींदारी उन्मूलन के बाद बहुत सी चीजों में आवश्यकता है कि उसको संशोधित किया जाय, परिवर्तित किया जाय। श्रीमन्, उस पर विस्तार से तो यहां बहस हो नहीं सकती इस दो घंटे के विवाद में। मैं समझता हूं कि इस जमीन सम्बन्धी कानून के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों को कुछ विस्तार के साथ अपने विचार रखने का अवसर प्राप्त हो सके इसलिए मैंने यह प्रस्ताव किया। तो उसकी उपयोगिता को और उसके सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए उसे प्रवर समिति को भेज दिया जाय ताकि वहां माननीय सदस्यों को और भी कुछ कहने और सुनने, विचार करने के बाद उस सरकार के सामने रखने का मौका मिल सके। उदाहरण के तौर पर इस वक्त मुख्यमंत्री जी और राजस्वमंत्री जी विराजमान हैं। मैं राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वह कृपा करके भूमि संबंधी अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार की धारा १५५ को देखें। और ठीक उसी के साथ-साथ १६३ को को देखें। श्रीमन्, १५५ जो है उसमें यह लिखा हुआ है कि कोई भी भूमिधर अपनी जमीन को रेहन नहीं कर सकता, वह किसी रुपये के बदले में गिरव नहीं रख सकता। श्रीमन्, आपका ध्यान और माननीय राजस्व मंत्री जी का ध्यान और सदन के माननीय सदस्यों का ध्यान विशेष रूप से इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जिस समय यह कानून बन रहा था उस समय भी मैं इत्तिफाक से इस हाउस में था। उस समय राजस्व मंत्री जी को मैंने बहुत कोशिश की समझाने की कि जब भूमिधर को आप सारे अधिकार दे रहे हैं, जब भूमिधर को आप बैनामा करने का अधिकार दे रहे हैं तो रेहन करने का, गिरवी करने का अधिकार क्यों नहीं दे रहे हैं लेकिन श्रीमन्, आप जानते हैं कि उस जमाने के राजस्व मंत्री जी आज नेता विरोधी दल हैं। किसी बात को जब वह पकड़ लेते हैं तो उससे विलग करना उन्हें आसान नहीं है।

श्रीमन्, नहीं माना उन्होंने और यह कानून बन गया। अब श्रीमन्, १५५ के बाद, अगर आपके पास कानून की किताब हो तो १६३ आप देखें। १५५ में यह अधिकार नहीं है कि कोई भूमिधर किसी तरह से रुपया लेकर किसी तरह के वायदे में या सेवा के बदले में अपनी भूमि दे सके, लेकिन एक परिपाटी है लोग करते हैं। तो १६३ में हरिनाथ जी को मैं चाहता हूं कि देखें उसमें यह है कि वह जमींन अगर किसी भूमिधर ने रेहन कर दी तो बैनामा समझी जायगी और वह जमीन फिर कुछ धाराओं के अनुसार अगर ग्राम सभा उसको बेदखल करना चाहे तो कर सकेगी। श्रीमन्, ऐसा विरोधाभास मैंने कभी नहीं देखा। भूमिधर अपनी जमीन को बेंच सकता है, दान में दे सकता है और बाग लगा सकता है लेकिन अगर उसको जरूरत पड़ जाय कुछ रुपये की, जो समाज में कोई ऐसी बात तो नहीं है कि जरूरत न पड़े, और गांव के किसी महाजन को रुपये के बदले कहे कि हमारी जमीन ले लो और जब इतने दिन बाद रुपया दे देंगे तो वापस कर देना। तो यह अधिकार उसको नहीं है और उसके लिए दण्ड यह है कि अगर उसने रेहन कर दिया तो बैनामा समझ ली जायगी। मैं श्रीमन्, राजस्व मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस तरह की धाराओं को भी कायम रखना चाहते हैं। क्या जरूरत है इसकी? श्रीमन्, जमींदारी उन्मूलन और भूमिव्यवस्था अधिनियम जो है उसका मैंने सिर्फ एक उदाहरण दिया है इसमें ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनकी कतई आवश्यकता नहीं है कि इस कानून में रहें। इसमें खून खराबा कराने वाली धारायें हैं। एक बात का और उदाहरण देना चाहता हूं। सीलिंग से जो जमीन निकले उस अतिरिक्त भूमि पर सहकारिता के आधार पर खेती हो यह सदन का मत था और सदन ने यह निश्चय किया था कि जो जमीन सरप्लस निकलेगी उस जमीन को कोआपरेटिव फार्मिंग के लिए जो छोटे-छोटे लोग हैं उन्हें दी जाय। श्रीमन्,

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गेंदासिंह]

आज यह स्वीकार किया गया है कि सहकारिता की खेती के क्षेत्र में हम नगन्य हैं। हम नहीं कुछ कर सके। सीलिंग ऐक्ट पास हुआ कितने वर्ष हुये और अगर हमसे यह गलती हुई कि हम सहकारिता की तरफ नहीं गये और गरीब लोगों को जमीन देकर सहकारिता के लाभ को नहीं उठवाये तो है क्या जो उसको बदल दिया जाय। क्यों बदल दिया जाय। मैं समझता हूं कि दृढ़तापूर्वक निश्चय करना चाहिए कि हम उस जमीन को उन गरीब लोगों को देंगे जो भूमिहीन हैं और भूमिहीन रहे हैं और उन भूमिहीनों को देकर पैसा देंगे, हर प्रकार से सहायता देंगे और उस प्रकार सहायता देकर सहकारिता के लाभ को उठवायेंगे। श्रीमन, इस तरह की बातें हैं जिन पर हम आपका ध्यान दिलाना चाहते थे। मैं समझता हूं कि सदन को इस पर भी विचार करना चाहिए कि क्या ये सरप्लस जमीनें जो सीलिंग से निकली, उसके हकदार ये चीनी मिल वाले कैसे हो गये। उस अधिनियम में यह गुंजाइश जरूर की गयी थी कि अगर पट्टे पर देना चाहें तो पट्टे पर कुछ दिनों के लिए दे सकते हैं और दिया। लेकिन श्रीमन, मैं जानना चाहता हूं कि इतने दिनों तक पट्टे देने के बाद क्या हमको इवैलुएट करना चाहिए, क्या हमको मूल्यांकन नहीं करना चाहिए कि हम जमीन को मिलों को देने के बाद समाज और सरकार को क्या लाभ पहुंचा। हमने उनको पट्टे देने के लिए भी इसलिए सोचा था कि उनसे विकास के काम में मदद मिल सकेगी, अच्छा बीज सप्लाई कर सकेंगे, अच्छी खेती करके आदर्श उत्पन्न कर सकेंगे। श्रीमन, किसी फैक्टरी ने ऐसा काम किया। अगर ऐसा कोई काम नहीं किया तो हम स्वीकार नहीं कर सकते कि उन को लम्बे पट्टे पर जमीन दी जाय। मैं राजस्व मंत्री जी से अदब से कहना चाहता हूं कि वे कृपा कर के इस बात को स्पष्ट करें कि इस विधेयक की यह मंशा तो नहीं है कि जहां पर यह लिखा गया है कि हम उन पट्टों को भी जायज करार दे देंगे जो पट्टे पहले से दिये गये हैं और उसमें लिखा गया है कि उन को स्थायी कर दिया जायगा तो क्या उन मिलों को दिये गये पट्टों को तो स्थायी नहीं कर देना है, क्या उन फर्जी पट्टों को तो स्थायी नहीं कर देना है जिन्होंने रिश्वत देकर और जिनको जमीन नहीं मिलनी चाहिए थी जमीन ले ली। इन बातों की सफाई होनी चाहिए।

श्रीमन, आज के युग में किसी भी कीमत पर किसी बड़े मिल मालिक को और बड़े काश्तकार को नयी जमीन को हथियाने का अधिकार नहीं होना चाहिए चाहे वह कितना ही कर्मठ हो। हम कर्मठता इससे देखेंगे कि वह समाज की कितनी सेवा करता है और अगर समाज सेवा सेवा भी करता है तो यह नहीं है कि वह सारी चीजों को अपनी संपत्ति बना ले। हमारे मुख्य मंत्री जी जितनी सेवा करते हैं उतनी कोई नहीं करता। लेकिन कितनी संपत्ति उन्होंने बनायी है। अगर माननीय चन्द्रभानु गुप्त ने नाम से कोई संपत्ति बनायी हो तो मैं कायल हो जाऊंगा और कहूंगा कि इन मिल मालिकों को भी बना दो। बदनाम करने को तो लोग बदनाम करते हैं कि उन्होंने बड़ी संपत्ति बना ली। लेकिन मैं कहता हूं कि वे एक-एक पैसे का हिसाब रखने वाले आदमी हैं। जो पैसा जहां से लिया उसका ठीक से उपयोग किया। उनके अपने व्यक्तिगत खर्चे जो हैं वे मैं जानता हूं कि कितने कम खर्चे हैं, कितनी किफायत सारी से काम चलाते हैं। आज समाज की सेवा करने वाले मिल मालिक नहीं हैं, बड़े जमीनों के मालिक नहीं हैं। समाज की सेवा करने वाले गरीब लोग हैं। उन गरीब लोगों को जो हजारों वर्ष से हमारे पैर के नीचे रहे हैं वह सीलिंग की जमीन, बंजर की जमीन जो आबादी लायक है जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि इसमें गड़बड़ हुयी है और सरकारी अधिकारियों ने गड़बड़ की है। इस गड़बड़ में लेखपाल, सभापति और तहसील तक सब जिम्मेदार हैं और इसका ज्ञान राजस्व मंत्री को भी है। श्रीमन, उन लोगों को अपने किए हुए कामों की सजा मिलनी चाहिए। अगर हम आज कानून के जरिये से उसको स्थायित्व देते हैं तो इसमें हमारी गलती होगी। यह स्थायित्व नहीं देना चाहिए। हमारे समाज में दबे हुए लोग हैं। उन्होंने गांवों के बड़े लोगों के दबाव में आकर लेखपालों कानूनगोओं और तहसील तक हजारों रुपये, लाखों रुपये खर्च किए। पट्टा दिलाने में इतना खर्च होता है। जिन लोगों को कानून के अनुसार भूमि नहीं मिल सकती है और अगर उनको भूमि दी जाती है तो उसमें व्यापक जांच की जरूरत है।

श्रीमन, मैंने भी एक संशोधन रखा है। मुझे आशा है कि राजस्व मंत्री उस पर विचार करेंगे। इसमें बहुत कम सजा रखी है। जिन अधिकारियों के जरिए गलत पट्टे दिए गए हैं, अगर वे पट्टे खारिज हों तो उनकी चरित्र पंजिका में नोट कर दिया जाएगा। इससे मुलायम सजा और क्या हो सकती है? मैं आप से कहता हूं कि सिर्फ सीलिंग वाली जमीनों के पट्टे की जांच की जाए। मैं ऐसे जिले से आता हूं जिसका कि मुझे जाती तौर पर तजुर्बा है कि सीलिंग वाली जमीनों का किस तरह से पट्टों में बंटवारा किया है। श्रीमन्, हमारे इलाके में मुझे मालूम है कि ३०० –४०० एकड़ जमीन का बन्दोबस्त ऐसे लोगों में किया गया है जिन्हें कानून के मुताबिक किसी भी हालत में जमीन नहीं मिल सकती थी। इसलिए मैं सोचता हूं कि इस विधेयक को और व्यापक बनाया जाए और उपयोगी बनाए जाएं ताकि गरीबों की हालत अच्छी हो सके। इन विचारों को ध्यान में रखते हुए मैंने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है। मुझे आशा है कि प्रवर समिति में आ कर इसमें सुधार होगा और जो सरकार का इरादा है वह भी पूरा होगा। मुझे आशा है कि राजस्व मन्त्री इस पर विचार करेंगे और उनकी सदारत में, उनके नेतृत्व में यह काम आसान हो पाएगा। मैं समझता हूं कि ऐसी ही उनकी भी इच्छा है और सारे सदन की भी इच्छा है।

श्री उपाध्यक्ष--

क्या श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी का व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

श्री गेंदा सिंह जी आप व्यवस्था के प्रश्न के विषय में उठे हैं।

श्री गेंदासिंह--

जी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष--

अगर आप व्यवस्था के प्रश्न के विषय में कुछ प्रकाश डालना नहीं चाहते हैं, तो आप बैठिए।

श्री गेंदा सिंह जी ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके बारे में कुछ पूर्व नियम हैं और नियमों की स्थिति को देखकर के ही होना चाहिए। इससे तो आप सहमत होंगे ही कि जो अधिक व्यापक संशोधन हैं उन्हीं को लेना चाहिए। तो यह अध्यक्ष की क्या आज्ञा इसके पूर्व हुयी है, वह यह है।

श्री गेंदा सिंह--

श्रीमन्, मैं इसकी बाबत यह कहता हूं कि एक दूसरे को नहीं जोड़ना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष--

लेकिन अगर, आशय और अभिप्राय सामिप्य या निकटतम हो तब तो आप जोड़ने के पक्ष में होंगे। तब तो कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तो यह लिखा हुआ है:--

विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव पर संशोधन के रूप में जो राय जानने के लिए विधेयक को परिचालित करने या विधेयक को प्रवर समिति या संयुक्त प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्तावों की सूचनायें प्राप्त होंगी उन सब को उक्त तीन वर्गों में संहत कर दिया जायेगा और निर्देश २९–क के उपबन्धों के अधीन प्रत्येक वर्ग में संशोधन का जो सब से विस्तृत रूप होगा वही कार्यसूची में विधेयक भारसाधक सदस्य प्रस्ताव के नीचे छापा जायेगा और उसमें उस अधिकतम अवधि का उल्लेख किया जायेगा जो संबद्ध वर्ग के प्राप्त प्रस्तावों में दी हो। तो यह अधिक विस्तार से है और अधिक व्यापक है।

श्री गेंदा सिंह---

आप जानते हैं कि मैं ट्रेजरी बेंचेज का सदस्य हूं। तो सुनने के बाद अपना प्रस्ताव वापस लूं तो कैसे लूंगा?

श्री उपाध्यक्ष---

अगर कुछ आप कहना चाहते हों तो कह दें। जब यह सदन में आ गया है तो आप अपनी इच्छा से कैसे वापस लेंगे? जब छपा है तो नियम की जानकारी आप को और हमको होनी चाहिये। वैसे किसी विधेयक के पक्ष या विपक्ष में आप हों तो दूसरी स्थिति है। जो प्रश्न आप ने उठाया है वह यह है कि क्या आपके साथ अन्याय हुआ है, क्या आप के संशोधन को अधिक व्यापक होने के बाद भी वह स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिये था, तो यहां २५८ में इस विधेयक में जो तथ्य हैं जिस पर आप को अवसर दे रहे हैं वह बहुत अधिक महत्व नहीं रखते हैं। विधेयक के प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने के बाद शीघ्र ही प्रवर समिति विधेयक पर विचार करने के लिये समय-समय पर समवेत होगी और सदन द्वारा निश्चित समय के भीतर उस पर प्रतिवेदन देगी परन्तु जब सदन ने प्रतिवेदन उपस्थापन के लिये कोई समय निश्चित न किया हो तो प्रतिवेदन उस तिथि से तीन मास समाप्त होने से पहले उपस्थित कर दिया जायगा।

श्री भगवती सिंह विशारद---

श्री गेंदा सिंह का प्रस्ताव अधिक व्यापक है। इस पर आप व्यवस्था दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष---

त्रिपाठी जी, आपको इस बारे में कुछ कहना है?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी---

जी नहीं।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

श्रीमन्, इस सदन में दो पक्ष हैं और आये दिन यहां विधेयक पेश होते रहते हैं। तो क्या यह ठीक होगा कि विपक्ष की ओर से जो संशोधन आये और जो पक्ष की ओर से आये, उसको जोड़ दिया जाय?

श्री उपाध्यक्ष---

इधर और उधर के पक्षों का इसमें सवाल नहीं है। अगर संशोधन एक रूप हैं तो उनको न जोड़ने का कोई कारण नहीं है।

श्री गेंदा सिंह---

यह प्रश्न बड़ा पेचीदा है। इसलिये आप फिर सोच लें और एक दम रूलिंग देने की आवश्यकता नहीं है। सोचकर आप रूलिंग दें। मैं सदन का समय खराब नहीं करना चाहता हूं, फिर आप से इसके सम्बन्ध में कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष---

मैं आपको समय दूंगा। वैसे मेरा मत इस बारे में बन चुका है और संशोधन में कहीं भी यह नहीं लिखा है कि दोनों ओर के लोग एक प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं। इसके पूर्व के भी प्रस्ताव अगर देखे जायं तो आप के प्रस्ताव पर विपक्षी दल के लोगों ने समर्थन किया है। आप को याद होगा कि जब आप ने राष्ट्रीयकरण का सवाल उठाया था तो विपक्ष के हस्ताक्षर थे। तो दोनों तरफ के हो सकते हैं, लेकिन मैं आप को सुनकर व्यवस्था दूंगा।

*श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, आप के सम्मुख यह तीन प्रस्ताव हैं। प्रस्ताव तो दरअसल दो ही हैं लेकिन तीन व्यक्तियों ने आपके सामने रक्खे हैं और एक माननीय सदस्य ने यह भी कह दिया कि संयुक्त प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। दरअसल इस विधेयक के लगभग हर पहलू पर माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये हैं। मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि क्यों यह प्रस्ताव मंजूर किये जायं। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब से कांग्रेस सरकार आयी तब से अमेन्डमेन्ट्स की भरमार है। क्या कारण है? कारण यह है कि ड्राफ्टिंग ठीक नहीं होती है। जो ड्राफ्टिंग डिपार्टमेन्ट है वह बड़ा अयोग्य है। क्या कारण है जब हमने एक मनतव्य बना लिया है कि हम जमींदारी एबालिशन करेंगे और गरीबों के हित का कानून बनायेंगे, तो सन् १९५२ से आज तक क्यों १२ अमेन्डमेन्ट्स करने पड़े? क्या आज भी मंत्री जी स्पष्ट घोषणा करने के लिये तैयार हैं कि इस अमेंडमेंट के बाद फिर कोई अमेन्डमेन्ट हम नहीं करेंगे? ऐसा है तो ठीक है। लेकिन ऐसा लगता है कि स्वयं मंत्री जी इस बात पर स्थिर नहीं हैं कि अब अमेन्डमेन्ट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिये यह आवश्यक है कि बहुत सोच-समझ कर अमेन्डमेन्ट किया जाय और जिस आब्जेक्ट के लिए विधेयक लाया जाय उसकी पूर्ति हो सके। इसलि इस प्रस्ताव का समर्थन करना अत्यन्त आवश्यक है।

मान्यवर, कुछ पहलू आप के सामने लाना चाहता हूं। जमींदारी एबालिशन ऐक्ट के बारे में हमारे माननीय गेंदा सिंह जी ने जो कहा उसी को दोहराना चाहता हूं। दरअसल गांव समाज की सम्पत्ति के बारे में भी अमेन्डमेन्ट की आवश्यकता पड़ेगी। इन्होंने ऐसा गलत कानून बनाया, जिससे जिसको लाभ पहुंचना था उसको नहीं पहुंचा या दूसरों को पहुंचा। सीलिंग ऐक्ट में कहा था कि २० अगस्त, १९५९ के पहले जो जमीन जिसके पास थी वह रह जाएगी, २० अगस्त के दिन जो होगी वही सीलिंग के अन्दर आएगी। नतीजा यह हुआ कि २० अगस्त, १९५९ के पहले जिनके पास काफी जमीन थी उन्होंने ट्रांसफर कर दी, अपने भाई के नाम, बहन के नाम और अन्य लोगों के नाम। सीलिंग का परपज डिफीट हो गया। जो किसी मजबूरी के कारण ट्रांसफर नहीं कर पाए उनके छोड़ कर बाकी सब ने ट्रांसफर करदी। इसी तरह से जमींदारी एबालीशन ऐक्ट में जो परती, बंजर भूमि बची वह गांव सभापतियों ने और बड़े बड़े असरदार लोगों ने अपने नाम कर ली या अपने भाई, भतीजा और रिश्तेदारों के के नाम कर दी, या जिसके पास अधिक पैसा था उसने गांव प्रधान को दे कर अपने नाम करवा ली। इन्होंने उसके रोकने के लिये कोई कानून नहीं बनाया। इतना नहीं, लोगों ने गलत डिगरियां पास करवा लीं। जो भूमि हीन को भूमि मिलयी थी वह नहीं मिलीं। मान्यवर, पहले जो भूमि वापस लेनी थी उसके लिये भी एक कानून बनाया गया था। पहले का जो कानून था शायद उसका सेक्शन २३२ उसके सम्बन्ध में था। तो आज भी कानून बन सकता था कि १९५२ में जो जमींन बंजर या परती थी, अगर पहले की नहीं थी तो उस दिन जो भूमि परती या बंजर थी वह भूमि किसी भी रूप में दूसरे को नहीं मिल सकती और अगर मिल गयी है किसी तरह से तो उसको नल एन्ड वाइड किया जाय। यह भी नहीं किया गया। मान्यवर, लैन्डलेस का डेफ़ीनीशन दिया, वह भी गलत दिया। आज अगर हमारे पास १०० बीघा जमीन है और हमारा लड़का अलग या साथ रहता है और उसके नाम जमीन नहीं है तो गांव सभा की जमीन उसे पट्टे पर दे दी जाती है। ऐसे सैकड़ों मामले हैं। उनके लिए क्या किया? तो जानबूझ कर ऐसे लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जिनके साथ पहले ही जमीन थी, जिनके पास शक्ति थी और पैसा था। दूसरी बात यह है श्रीमन, कि किसी कानून को बनाते वक्त इनके विशेषज्ञ ध्यान नहीं देते। विधि विभाग का ऐसा दिवालियापन निकल गया है कि वह कोई कानून ठीक बना ही नहीं पाता। हमारे माननीय मंत्री जी को आजतक पता ही नहीं कि हाई कोर्ट की रूलिंग हो गयी है और उसने सेक्शन ३ को अल्ट्रावायरस डिक्लेअर कर दिया है। श्रीमन् जमींदारी अबालिशन ऐक्ट की सम्भवतः धारा २०९–२१० है जिसमें यह है कि अगर ३ वर्ष तक डिग्री एग्जीक्यूट न हो पाये तो फिर उसके सीरदारी हक हो जायेंगे। अगर कोई इस तरह से गांव सभा से मिल जाय और तीन वर्ष तक डिग्री एग्जीक्यूट न होने दे, तो उसका नतीजा

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

क्या होगा, आटोमेटिकली सीरदारी के हक मिल जायेंगे। तमाम केसेज ऐसे हुये हैं जिनमें गांव प्रधान वगैरह सब मिल गये, और जमीन निकल गयी। आज तक उसकी कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। आपके पास रिपोर्ट आती होंगी मगर आप के पास इतनी फुर्सत नहीं जो उसको देख पायें।

श्रीमन, गरीबों के लाभ के लिये जमींदारी अबालीशन ऐक्ट बना। मैं यह नहीं कहता कि उससे गरीबों का बिलकुल लाभ नहीं हुआ, मगर जमीन देने का जहां तक प्रश्न है उस बारे में कानून में एक पोल रख दी गयी। उसमें आर्डर आफ़ प्रिफ़रेन्स रख दिया कि जो जमीन मिलेगी वह पहले रिकग्नाइज्ड एजूकेशनल इन्स्टीट्यूशन्स को दी जाया करेगी। नतीजा क्या हुआ? सैकड़ों एजूकेशनल इन्स्टीट्यूट्स ऐसे निकल आये जिन्होंने तमाम जमीन हथिया ली। आज उन स्कूलों के प्रिन्सिपल और मैनेजर दूसरों के पास उस जमीन को उठाये हुये हैं और उससे पैसा पैदा कर रहे हैं। इसकी सैकड़ों मिसालें मौजूद हैं। आप को अगर फ़र्स्ट प्रीफ़रेंस रखना था तो अपने लैंडलेस लेबरर्स का नाम क्यों नहीं रखा? उनको फ़र्स्ट प्रिफ़रेंस देना चाहिये था। २० गुना लगान आप ने कर दिया। किसी ने अच्छा उस पर व्यंग करते हुये कहा कि मेम्बरों का जो भत्ता वगैरह बढ़ रहा है उसके लिये यह कर दिया गया है। आखिर पैसा कहां से आयेगा। अच्छी तरकीब निकाली आपने। श्रीमन, इससे साफ़ जाहिर है कि इनकी नीयत गरीब को राहत देने की नहीं है।

एक बात और मैं सीलिंग के बारे में कहना चाहता हूं। सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत जो जमीन छूटी, वह कहां गयी? वह जमीन किसके हाथ लगी? जिनके खिलाफ़ कार्यवाही हुई, उन्हीं के पास आज भी वह जमीन पड़ी हुई है। जो जमीन निकाली भी आप ने वह बहुत कुछ तो स्कूलों को दे दी, जो बची वह बड़े-बड़े लोगों को मिल गयी क्योंकि आप ने बाग लगाने के लिये ऐक्ट में सैकड़ों बीघा जमीन छोड़ दी है। बाग लगाने के नाम पर, भाई भतीजों और रिश्तेदारों के नाम पर जमीन बचाने का और आप ने मौका दे दिया। कितनी ही जमीन इस तरह से आप के हाथ से निकल गयी। आज भी सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत निकली हुई भूमि का ठीक से वितरण नहीं हो रहा है। गरीबों को जमीन नहीं मिल रही है। अगर सोच विचार कर संशोधन नहीं लाये गये तो गरीबों को जमीन नहीं मिल पायेगी।

एक बात जूरिस्डिक्शन के बारे में और कहना चाहता हूं। तमाम जमींदारी ऐक्ट का ही ओवरहालिंग होने की आज आवश्यकता है। इसमें जल्दी नहीं हो सकती क्योंकि इसमें कई प्रश्न हैं---टाइटिल का प्रश्न है, हक का प्रश्न है, कई चीजें इसमें हैं जिन पर विचार करना है। दो घण्टे में डिस्कशन हो इस पर आप यह चाहते हैं। अब कितनी पार्लियामेन्टरी डेमोक्रेसी की वकत है इनके सामने। आप अन्दाज लगाइये। दो घंटे में बहस करना चाहते हैं। हाई कोर्ट के जजमेन्ट को नहीं मानना चाहते। तो आज ऐसी प्रवृत्ति हो गई है कि ऐसा विधेयक पास कराना चाहते हैं जो जन-जीवन से सम्बन्धित है। इसलिये मैं कहता हूं कि इस पर फिर से विचार करना चाहिये।

अब मैं जुरिस्डिक्शन के प्वाइन्ट पर आता हूं। अनेक बार इस सदन के सामने प्रश्न आये। जहां टाइटिल का प्रश्न है, जहां कैन्सेलेशन का प्रश्न है, जहां डिक्लेरेशन का प्रश्न है, जहां कम्पेन्सेशन का प्रश्न है अनेक प्रश्न जो गुत्थीदार प्रश्न हैं, वे सब रेवेन्यू कोर्टस को दे दिये हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं, मान्यवर, जिसमें जो वकील हैं, उनको परेशानी होती है। रूल २ में दिया गया है कि इसका सूट रेवेन्यू कोर्ट में और इसका सिविल कोर्ट में फ़ाइल हो सकता है। इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देता हूं कि अगर किसी ने किसी जमीन पर कब्जा कर लिया तो हम उसको कब्जे से बेदखल करने के लिये रेवेन्यू कोर्ट में जायेंगे। हमारा फैसला टल गया तो उसके डैमजेज क्लेम करने के लिये हम सिविल कोर्ट में जायेंगे। वैसे ही अगर पार्टीशन का मामला आ गया तो खेत के पार्टीशन के संबंध में हम रेवेन्यू कोर्ट में जायेंगे। दूसरे के पार्टीशन के संबंध में हम सिविल कोर्ट में जायेंगे। शरीर ऐसा चीर दिया गया है, जिससे राहत न मिले। मैं कहना चाहता हूं कि आप जूरिस्डिक्शन के प्वाइंट पर ध्यान दें। ये कहते हैं कि रेवेन्यू कोर्ट्स

में चीपर जस्टिस मिलता है। मुझे याद है कि जो वांचू कमेटी की रिपोर्ट है उसमें यह कहा गया है कि बोर्ड आफ रेवेन्यू को एबालिश कर दिया जाय और उसका जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट को दे दिया जाय क्योंकि उस से राहत नहीं मिल रही है। वह जुरिस्डिक्शन से संबंध रखती है रिपोर्ट। गरीब आदमी को उससे कौन सी राहत मिलती है। रेवेन्यू कोर्ट से उस गरीब आदमी को कोई मुनासिब राहत नहीं मिल पाती है। वह स्वयं प्रेफर करता है कि वह हाई कोर्ट को जाय। सैपरेशन आफ जुडिशियरी और एक्जीक्यूटिव हो ताकि उस गरीब आदमी को विश्वास हो सके। वह बजाय रेवेन्यू कोर्टस के सिविल कोर्टस में जाना चाहता है। श्रीमन्, इन्होंने एक कानून बनाया था रिकवरी आफ गवर्नमेंट ड्यूज। इसके लिये मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि हमारे माननीय मंत्री को चाहिये कि ये सैक्शन हटा लें। बल्कि यह जिस विधेयक से संबंध रखती है उसको पूरी को हटा लें, यहां न लायें और बाकी चीजें संयुक्त प्रवर समिति को यह जनता की राय जानने के लिये परिचालित करें। हमारे तिवारी जी ने जस्टिस के विषय में जैसा कहा है कि इसको तो जंगल आफ् लाज बना दिया गया है। जज की कौन कहे वकील लोग समझ नहीं पाते हैं उन लाज को। जैसे भूमि विधेयक में संशोधन हो रहे हैं तथा और भी ऐसे संशोधन कई जगह हुये हैं, जब तक हम पूरी तरह कंसल्ट न कर लें तब तक हम किसी को भी मुनासिब राय नहीं दे सकते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये बहुत अच्छा होगा कि माननीय गेंदासिंह जी ने कहा तथा अन्य सदस्यों ने भी कहा कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द किया जाय और इसकी परिधि बढ़ाई जाय और काफी समय दिया जाय जिस से कि एक काम्प्रिहेन्सिव ऐक्ट सामने आवे और जो खामियां रहती हैं जमींदारी अबालिशन ऐक्ट या दूसरे ऐक्ट्स में, वे दूर हो सकें।

*श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि जिन्होंने काफी दिलचस्पी इस विधेयक में ली। लेकिन मुझे यह कहना पड़ा कि उनकी सारी जो भावनायें हैं खासतौर से जो बाद में अभी व्यक्त की गईं, उन भावनाओं से मुझे पूरी-पूरी हमदर्दी है। मैं भी वही भावनायें रखता हूं। लेकिन श्रीमन्, जैसा मैंने अर्ज किया था प्रारम्भ में कि जो उद्देश्य इस विधेयक के लाने का था वह यह था कि जो अधिनियम बन गया है प्रेसीडेन्ट रूल के वक्त में, यहां वह अधिनियम कानून को अगर हम पास नहीं कराते तो वह लैप्स हो जायगा और उनसे अगर कोई फायदा हो रहा है किसानों को जनता को तो उस फायदे से जनता और किसान वंचित हो जायेंगे। तो उस प्वाइंट को उस उद्देश्य को जो इसका है और जिस से लोग संबंधित हैं, जैसा मैंने अर्ज किया था, ज्यादातर प्रश्न वही है जो हमारे मित्रों ने जो इस वक्त इत्तफाक से दूसरी तरफ बैठे हैं उन्होंने जब वे सरकार में थे, तब उन्होंने जो डिसीजन लिया था इस बारे में कमेटीज के जरिये से, आफिसर्स के जरिये से, नोटिंग्स के जरिये से जो करीब-करीब फैसला हो गया था, वही फैसला राज्यपाल महोदय ने, जब प्रेजीडेन्ट रूल था, उन्हीं फैसलों को जो उनकी मांग थी कि प्रेसीडेन्ट रूल में, जो अभी उसके पहिले सरकार रही है, उनकी जो जो नीतियां रही हैं, जो उन्होंने काम किये हैं, उनमें परिवर्तन न किया जाय। राज्यपाल महोदय ने प्रेजीडेन्ट रूल में उसी के अनुसार काम किया और जो उन्होंने फैसले लिये थे उन्हीं फैसलों को उन्होंने और जो बनाना चाहिये था अधिनियम जिसका ड्राफ्ट तैयार करा लिया था राज्यपाल महोदय ने, चूंकि विधान सभा फंक्शन नहीं कर रही थी पार्लियामेंट में भेजा और वहां से वह अधिनियम हो गया। जैसा मैंने अर्ज किया था अगर पास न कराते तो लैप्स हो जायेगा और इसीलिये इसमें जल्दी की गई। हम तो यह समझते थे कि आपका किया कराया काम है जिसका आप श्रेय लेना चाहते हैं। उसी श्रेय को देने के लिये, हम नहीं कहते कि आपने नई बात की। तो श्रीमन, मैं जो कह रहा हूं जो बहस हुई वह बहस यह हुई कि जो भूमि संबंधी कानून हैं, उसमें जल्दी जल्दी परिवर्तन होता है। कोई ऐसा कानून बनना चाहिये कि जिस से इसकी सारी चीजें एक ही जगह आ जायं। वे अलग-अलग न रहें। मैं सदन को यह सूचना देना चाहता हूं कि इसके लिये एक कमेटी बना दी गयी है जिसमें एक्सपर्ट्स

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चतुर्भुज शर्मा]

कुछ लायर्स, कुछ हमारे आफिसर्स और एक हाई कोर्ट के एक्स-जज भी कमेटी में हैं। उसका काम यह होगा कि जितने लैंड लाज हैं उनको एक जगह ले लें। उसमें जैसा अभी बतलाया गया और यह सही बात है कि जमींदारी विनाश अधिनियम में काफी ऐसी चीजें हैं, हर माननीय सदस्य ने उस पर जोर दिया है, मैं भी मानता हूं उसमें बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो निकाली ही जानी चाहिये, बहुतसी चीजें हैं, जिसमें परिवर्तन होना चाहिये। बहुत बड़े कानून हैं बहुतसी चीजें हैं जिनमें परिवर्तन होना चाहिये, बहुत से भूमि संबंधी जो बड़े कानून हैं उनमें जहां गुंजाइश है सुधार होना चाहिये। इसके लिये एक एक्सपर्ट्स की कमेटी अलग से बनी है। यह विधेयक तो एक सीमित आबजेक्ट के लिये बनाया जा रहा है और तमाम चीजें जो आपके दिमाग में इस वक्त घूम रही हैं उनको लाने के लिये प्रवर समिति में भी अगर भेजें तो उसमें २-३ साल लगेंगे। एक एक्सपर्टस की स्थायी समिति तो है ही और यह प्रवर समिति की बैठक हमेशा तो होगी नहीं। जो कमेटी है उसमें रेवेन्यू के एक्सपर्टस बैठे हैं वकील हैं उनकी रिपोर्ट पर जो ऐक्ट काम्प्रीहेन्सिव बनेगा वह सही होगा। माननीय त्रिपाठी जी ने और कई माननीय सदस्यों ने इस चीज को उठाया कि एक रूलिंग आ गई है, लेकिन आप देखें कि वह रूलिंग तो केवल एक केस में आई है और वह केवल उसी पर बाइन्डिंग है सब पर नहीं है। उसकी अपील होगी और सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा वह मान्य होगा क्योंकि वह तो ला आफ दि लैंड की तरह से माना जाता है और जब उसके बदलना होता है तो जैसे कानून बदलते हैं वैसे संशोधन ला कर किया जाता है। किसी तरह से भी हाई कोर्ट के फैसले की कन्टेम्ट या उसकी इज्जत न करने का सवाल नहीं है क्योंकि हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का अधिकार प्राप्त है, अपील होगी, वह करना चाहिये और अगर हम देखेंगे कि कोई असर पड़ता है तो क्या करना है हालांकि ला डिपार्टमेंट की राय है कि कोई असर नहीं पड़ता है। अगर पड़ता भी है तो जो संशोधन आवश्यक होगा वह कर लिया जायगा, तो जजमेंट भी बदल जायगा .....

श्री उपाध्यक्ष—

इस पर तो माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दे दी है और विचार हो रहा है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मैं तो बहस के दरमियान जो बातें कही गई हैं, उनके बारे में कह रहा हूं। माननीय-यादव जी ने संविधान की धारा पढ़कर सुनाई जिसके अनुसार हम किसी के साथ कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं कर सकते। उन्होंने संविधान की धारा १९ पढ़ी उसके अनुसार हम किसी के मौलिक अधिकार नहीं छीन सकते। हम भी कभी नहीं चाहते कि किसी के मौलिक अधिकार छीनें जायं। माननीय महीलाल जी ने और दूसरे लोगों ने भी यह बात कही थी। इस ऐक्ट में जो हमने प्राविधान किया है वह केवल शिड्यूल ट्राइब्स के लिये है, आपने तो स्वयं अपना उत्तर दे दिया वह हक हम नहीं ले रहे हैं, जो बेचने का हक है वह तो हम संविधान के अनुसार ले ही नहीं सकते वह तो चाहे हरिजन हों या छोटे किसानों का हक हो, हम उसे ले ही कैसे सकते हैं। लेकिन उसमें दिया हुआ है कि संविधान में जो शिड्यूल ट्राइब दिया हुआ है उनके हित में है। हम उनके राइट का संरक्षण कर सकते हैं, उनके राइट का प्रोटेक्शन कर सकते हैं। बुन्देलखंड में लैंड एलीमिनेशन ऐक्ट था उसमें यह था कि जो जातियां किसान जातियां हैं, वे मनी लैंडर्स को एलीमिनेट नहीं कर सकते हैं तो वह रेक्ट्रिक्शन था। तो रेक्ट्रिक्शन उन्हीं पर लगा सकते हैं संविधान में जिनके हित के लिये शिड्यूल ट्राइब्स लिख दिया गया है। मिर्जापुर में कुछ जातियां हैं, जिनके शेड्यूल में नाम नहीं है तो उन्हें हम पहले जुड़वाने की कोशिश करेंगे तो फिर जिनके लिये हमने लिख दिया है तो उन पर यह रैस्ट्रिक्शन लागू हो जायगा। यहां पर माननीय यादव जी ने कहा कि यह तो ज्यादातर थारू, बोक्सा आदि जो भोले-भाले लोग हैं, जौनसारी हैं, वे बड़े सीधे-सादे हैं उनकी जमीन निकल रही है, दूसरे लोग उनको बहकावा देकर खरीद लेते हैं। उन पर लागू होता है। तो संविधान में जैसा है तो वह रिजनेबिलनस इसमें है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिये

होता यह है कि इन सीधे सादे लोगों को इस तरह से प्रलोभन देकर जमीन ले लेते हैं। एक तरफ से तो यह कहा गया है और दूसरी तरफ से कहा गया है कि करप्शन बढ़ेगा। तो हमने जिलाधीश को देखने के लिये कह दिया है वे अच्छी तरह से इसको देख सकते हैं। यह सही है कि किसी के फंडामेंटल राइट्स में हम रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते हैं। उनकी जमीनें निकाली जा रही हैं। वे लोग जमीन छिन जाने के बाद मजदूरी करते हैं, उनके फायदे के लिये यह रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है। डिप्टी कलक्टरों को अधिकार दिया जाय कि वे परमीशन दे दें लेकिन वहां पर ज्यादा गड़बड़ी की शिकायतें आ सकती हैं। अब तो वह जिले के जिले में ही परमीशन ले सकते हैं। अगर हम इसके लिये कमिश्नर या सरकार के हाथ में यह राइट रखते तो उस परमीशन को प्राप्त करने के लिये संबंधित व्यक्ति को दौड़ना पड़ सकता है, लेकिन इसमें तो हमने जिलाधीश को रखा है जो एक जिम्मेदार व्यक्ति है।

श्री चेतराम गंगवार (जिला बरेली)—

अभी माननीय मंत्री जी ने अपने प्रत्युत्तर में प्रतिपक्ष के सामने एक हव्वा रखा है कि जनता की राय को जानने के लिये २ वर्ष लगेंगे क्योंकि प्रवर समिति की मीटिंग नहीं होती है। दूसरे आपने यह भी कहा कि इसमें से ८५ प्रतिशत ऐसे संशोधन हैं जिनसे किसानों का बड़ा भारी हित होगा तो मैं जानना चाहता हूं कि खंड ५ में जो १० गुने के स्थान पर २० गुना कर दिया है, इससे कृषकों का कौन सा फायदा होने वाला है और जो जमींदार हैं उनको फ्री फंड में भूमिधर बना दिया गया है।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, मैंने कोई दावा नहीं किया कि इस से बहुत बड़ा फायदा होगा। सिर्फ इतना मैं कह सकता हूं कि जितना फायदा सोचा था वह होगा। असली चीज हमने यह की है कि जो २० गुना देगा वह भूमिधर बनेगा बजाय १० गुना देने के और यह जनता के हित में किया है। यह कहा गया कि जो वायदा किया गया जमींदारी अधिनियम के बनते वक्त, उसकी वायदा खिलाफी की गयी। ऐसा कोई वायदा नहीं था। दफा २५७ में जो भूमिधर होंगे उनका ४० वर्ष तक कोई लगान नहीं बढ़ाया जायगा। वह वायदा आज भी स्टेन्ड करता है। उस समय १० गुना रखा गया था, उसके बाद १५ गुना हो जाता और आज उसे २० गुना किया गया और जैसा कहा गया वह किसानों के फायदे के लिये किया गया। हमको सिंचाई के साधन जुटाने हैं, बिजली देनी है, अच्छी खाद, अच्छे बीज देने हैं और खेती की उन्नति करनी है। इसके लिये पैसा चाहिये और देखा यह गया है कि आज कल भूमिधर वे लोग नहीं बनते हैं जैसे पहले बनते थे आज तो जो जमीन बेचता है वह मार्केट रेट से बेचता है। जिस समय यह ऐक्ट बना था उस समय मार्केट रेट १ बीघे का १०० रुपये था लेकिन आज एक बीघे जमीन की कीमत २००० रुपये है। तो जो जमीन खरीदता है वह इस २० गुने को जमा करता है। तो खरीददार के पास रुपया है उसके जेब से वह रुपया जायगा, किसान की जेब से नहीं जायगा।

श्री चेतराम गंगवार—

माननीय मंत्री अगर कोई जमीन एक्वायर करेंगे तो क्या वह उसकी कीमत मार्केट रेट पर २००० बीघा देने को तैयार हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

मेरा अन्दाजा गलत हो सकता है। कल बी० के० डी० के एक माननीय सदस्य जगवीरसिंह ने कहा था कि उनके यहां कच्चा एक बीघा दो, तीन हजार रुपये में जाता है। यह आम जनता का खयाल है, गलत हो सकता है। अनधिकार कब्जे की बात कही गयी। इस संबंध में कार्यवाही हो रही है। आदेश दे रखे हैं और जो कानून में हो सकता है वह किया जा रहा है। कुछ इसके उद्देश्य के बाहर की चीजें हैं। धर्मादे में जो संस्थायें थीं उनको पैसा नहीं मिलता है, चालबाजी से गड़बड़ी कर ली, उसमें थोड़ी बहुत राहत दे रहे हैं। फर्जी पट्टों का सवाल पैदा नहीं होता। तो श्रीमन्, मैं यह दरख्वास्त करूंगा कि सदन इस पर विचार करे।

श्री गेंदा सिंह—

मैं अपना प्रस्ताव वापस लेता हूं ।

श्री चेतराम गंगवार—

इनका प्रस्ताव वापस नहीं हो सकता, जब तक अन्य सदस्य न वापस ले लें ।

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैंने मंत्री जी को बड़े ध्यान से सुना । उन्होंने मेरी बातों का तो कोई उत्तर दिया नहीं और आधार यह बताया कि एस० वी० डी० सरकार ने जो निर्णय लिये थे, उन्हीं को कार्यान्वित कर रहे हैं। एस० वी० डी० सरकार ने ऐसा नहीं किया था। आप यह कह कर जनता में भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यह तो एस० वी० डी० सरकार ने ही किया था। एस० वी० डी० सरकार ने तो जो बहुत से काम किये थे, उनको आपने खत्म कर दिया, जैसे उसने आनरेरी मैजिस्ट्रेट को खत्म कर दिया था मगर आपने उनको फिर रेवाइव कर दिया। इसलिये आप एस० वी० डी० को बीच में न लायें और जो कर रहे हैं वह अपनी ओर से कहें। अपनी कमजोरियों को एस० वी० डी० के नाम पर नहीं ढक सकते हैं। आज जो भूमि सीलिंग ऐक्ट के अन्तर्गत निकली थी वह वहीं पड़ी हुयी है। मैकनाइज्ड फार्म्स पर हजारों एकड़ भूमि पड़ी हुई है। वही मालिक बनाये जा रहे हैं और इस संशोधन विधेयक द्वारा उनको ही देने की साजिश की जा रही है। जिनकी चली गयी वह कैसे लेंगे यह आपने नहीं सोचा। तो मैं पुनः जानना चाहता हूं कि क्या जनमत जानने के लिये इसे घुमायेंगे ? जिन लोगों को रिहैबिलिटेशन ग्रांट मिली है, जैसे फौज के सिपाही वगैरह-वगैरह उनको भी कवर करते तो मैं समझता कि कोई प्रिंसिपिल आपने बनाया है। प्रिंसिपिल तो आपने छोड़ दिया। सन् ४६ में आपने कहा था कि ८ अगस्त के बाद जो वक्फ वगैरह बने हैं उनको नहीं देंगे। आज कौन-सी अर्जेंसी आ गयी जो आप उनको भी दे रहे हैं ? इसके लिये जनता की राय जानने की आवश्यकता है, इससे प्रदेश का भला होगा। लेकिन आप कहते हैं कि हमने जान लिया है, हम जल्दी से जल्दी करने जा रहे हैं। आप संविधान की धारा का सहारा ले कर कहते हैं कि उसमें आदिम जाति के लिये है, अनुसूचित जातियां उसमें नहीं आती हैं। इसलिये संविधान हमारे रास्ते में बाधक है। लेकिन संविधान जनता के संरक्षण के लिये है और जब-जब जनता के लिये जरूरत पड़ी है तो संविधान का संशोधन किया गया है। माननीय मंत्री जी जरा इस ओर ध्यान दें कि गांवों में किसानों की किस तरह से लुटाई हो रही है। १०० रुपया कर्जा उसको दे दिया जाता है और ब्याज दर ब्याज लगा कर ४-५ साल में ५००० रुपया कर दिया जाता है। क्या मंत्री जी ने उसको संरक्षण देने की सोची है। ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जमीन इस प्रकार से छिन गयी है, क्या आपने इसका पता लगाया है ? जनता के इस विचार को जानने के लिये इसको जनता में प्रचारित करना चाहिये, बार रूम में इसको भेजा जाय। आपको यह भी सोचना चाहिये था कि चकबन्दी के द्वारा जो जमीन आयेगी वह किसको जायगी। ऐसी बहुत सी कमियां इसमें हैं जो आपके परव्यू से बाहर हैं। इसलिये इसको जनता के विचार जानने के लिये भेजा जाना चाहिये।

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने कहा कि जो ऐक्ट गवर्नर के समय में बनाये गये थे, वे अगर पास नहीं किये जायेंगे तो रद्द हो जायेंगे। उन्होंने इस सदन के सदस्यों की राय को सुना और उनको मालूम हुआ होगा कि अगर कोई ऐक्ट गलत है तो उसका रद्द हो जाना ही अच्छा है। ऐसा कोई ऐक्ट होता, जिससे गरीबों को राहत मिलती होती, तब तो आपको उसकी चिन्ता होनी चाहिये थी। एस० वी० डी० ने भी अगर कोई गलत बात की थी तो आप उसको क्यों मानते हैं ? आपने उसकी बहुत सी और बातों को भी नहीं माना। आपने यह भी कहा कि सब विधेयकों को एक जगह पर ही ला रहे हैं। उसके लिये आप जो कमेटी बना रहे हैं उसमें

अगर आप अपने ही सब सदस्यों को रखेंगे तो आपको सुझाव कौन देगा। उसमें अपोजीशन के मेम्बरों को रखा जाना चाहिये और उनके सुझावों के अनुसार उसको बनाना चाहिये।

मंत्री जी ने कहा कि १० गुने से २० गुना इसलिये किया गया कि वे बेचने के लिये ही ऐसा करते हैं और बेचने की कीमत बहुत बढ़ गयी है। फिर आपने यह क्यों नहीं किया कि जो जमीन बिक रही हो उसके लिये २० गुना होगा? एक ओर आपने अधिवासी के लगान को आठ गुना बढ़ाने पर ही उसको मीरदार बनाने की बात कही है। इस प्रकार से यह दुगुना ही आप नहीं कर रहे हैं, १६ गुना कर रहे हैं। इस पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया। इसलिये इस पर पुनः विचार करने के लिये इसको प्रवर समिति के पास भेज दीजिये या जनता में घुमा कर इस पर उनकी राय जान लीजिये।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय हिम्मत सिंह जी ने जो बात कही, मुझे खेद है कि मैं उसको नहीं स्वीकार कर सकता। उन्होंने कहा कि सीलिंग ऐक्ट में जो यह कहा गया है कि पुराने पट्टों को मंसूख कर दिया जायगा, लेकिन कानून में तो केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूर लिखा हुआ है। भूमिहीन खेतिहर मजदूर जो नहीं और उसके नाम पर किसी को अगर कोई जमीन दे दी गयी है, उसको हटा दिया जायगा, ऐसा कानून में है। दूसरे भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की कोआपरेटिव सोसाइटीज बनी नहीं हैं। उनको सीलिंग ऐक्ट से जो जमीन निकलती वह उनको दी जाती। वह बनी नहीं इसलिये इसमें यह प्राविधान किया गया है।

वह जमीन जो सीलिंग से निकली है, उसके परमानेन्ट पट्टे उन्हें किये जायेंगे और जिन भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को पट्टे किये गये हैं वे स्थायी किये जायेंगे। इसमें बड़ी फैक्टरी वालों या जोतदारों की फायदे की कोई बात नहीं है। जिन्हें कानून में दिया जा सकता है उनके लिये किया गया है और उन्हीं को फायदा होगा। मुझे खेद है कि मैं इसे मंजूर नहीं कर सकता। इसका जो मकसद है, इसको चाहे प्रवर समिति में भेजिये या कहीं और भेजिये ये जो छोटी-छोटी चीजें हैं, जरूरी हैं वह पूरी होंगी, इसीलिये यह किया गया है। इसलिये मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य का सुझाव स्वीकार नहीं कर सकता।

(इस समय २ बजकर ३७ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को जनता की राय जानने के लिये दो सप्ताह तक परिचालित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ को सदन की एक प्रवर समिति, जिसे कि विधेयक की परिधि भी बढ़ाने का हक हो को सुपुर्द किया जाय जो पूरी तौर पर भूमि संबंधी कानून तथा नियमों को देख कर संशोधन, परिवर्धन के सुझाव सहित अपना प्रतिवेदन १५ दिन के भीतर प्रस्तुत कर दे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ पर विचार किया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २

उत्तर प्रदेश अधिनियम १, १९५१ में नई धारा १००-क तथा १००-ख का बढ़ाया जान

२--उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा १०० के पश्चात निम्नलिखित धाराएं बढ़ा दी जाएं, अर्थात्--

"१००-क (१) जहां कि किसी व्यक्ति ने, जो धारा ७६ के खण्ड (क) या खंड (ख) में अभिदिष्ट किसी वक्फ़, न्यास या निबंध की ओर से कार्य कर रहा हो या कार्यकरता अभिप्रेत हो, धारा ९९ के अधीन उस वक्फ़, न्यास या निबंध को देय वार्षिक वृत्ति का दावा करने का लोप किया हो, अथवा उसके संबंध में गलत दावा किया हो, अथवा उस वक्फ़, न्यास या निबंध को देय वार्षिक वृत्ति का अवधारण करने में पुनर्वासन अनुदान अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि की गई हो, और ऐसे लोप, गलत दावे या त्रुटि के परिणामस्वरूप उसे देय के रूप में अवधारित धनराशि उक्त धारा ९९ के अधीन वास्तव में देय धनराशि से कम हो, अथवा इस प्रकार अवधारित धनराशि वार्षिक वृत्ति के रूप में न हो, वहां उस वक्फ़, न्यास या निबंध की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम कोई व्यक्ति उस वक्फ़, न्यास या निबंध को इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार देय वार्षिक वृत्ति की धनराशि के पुनः अवधारण के लिए प्रार्थना-पत्र पुनर्वासन अनुदान अधिकारी के समक्ष दे सकता है।

कतिपय वक्फ़ों, न्यासों और निबंधों की वार्षिक वृत्ति के पुनः अवधारण के लिए विशेष उपबन्ध

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रार्थना-पत्र उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर दिया जा सकता है और वह ऐसे आकार में होगा जो नियत किया जाय और इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध उस पर उसी प्रकार लागू होंगे मानो पूर्वोक्त प्रार्थना-पत्र धारा ७९ के अधीन प्रार्थना-पत्र था :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी वक्फ़, न्यास या निबंध को देय धनराशि का पुनः अवधारण करने में, उस आस्थान के संबंध में, जिससे प्रार्थना-पत्र संबंधित हो, नगद या बन्धों के रूप में अथवा अंशतः नगद और अंशतः बन्धों के रूप में पहले ही दी गयी अथवा इस प्रकार देय के रूप में पहले अवधारित की गयी धनराशि, यथास्थिति, कम कर दी जाएगी अथवा मुजरा कर दी जाएगी।

(३) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश, अथवा इस अधिनियम या तदधीन बनाए गए किसी नियम के किसी अन्य उपबन्ध में दी गयी किसी बात के होते हुए भी इस धारा के उपबन्ध प्रभावी होंगे।

१००-ख-(१) प्रत्येक ऐसे वक्फ़, न्यास या निबन्ध को--

(क) जो पूर्णतः धर्मोत्तर या दानोत्तर प्रयोजनों के लिए हो, और (ख) जिसका सृजन ८ अगस्त, १९४६ ई० के पूर्व किया गया था, और (ग) जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व किसी ऐसे आस्थान में की, जो इस अधिनियम के अधीन राज्य में निहित हो गया हो, किसी भूमि के संबंध में अर्थापित या अनुदानगृहीता के रूप में मालगुजारी वसूल करने का अधिकार रखता था,

कतिपय वक्फ़ों, न्यासों और निबन्धों के लिए विशेष सहायता

इस बात के होते हुए भी कि उसका नाम यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ की धारा ३२ के, जैसी कि वह इस अधिनियम के प्रचलित होने के ठीक पूर्व थी, खण्ड (ए) से (डी) तक के अधीन रखे गए अधिकार अभिलेख में अभिलिखित नहीं किया गया था और तदनुसार वह इस अधिनियम के अधीन कोई प्रतिकर तथा पुनर्वासन अनुदान पाने का अधिकारी नहीं था, निहित होने के दिनांक से ऐसी वार्षिक वृत्ति का भुगतान किया जाएगा जो निहित होने के दिनांक के ठीक पूर्व पूर्वोक्त रूप में उसे देय वार्षिक मालगुजारी में से उसका पन्द्रह प्रतिशत, अनुमानित प्रबन्ध व्यय तथा अशोध्य ऋणों के कारण काटकर शेष के बराबर होगी। यू० पी० ऐक्ट ३, १९०१।

(२) उपधारा (१) में अभिदिष्ट कोई वक्फ़, न्यास या निबन्ध उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारम्भ से एक वर्ष के भीतर उपधारा (१) में अभिदिष्ट वार्षिक वृत्ति के अवधारण तथा भुगतान के लिए प्रार्थना-पत्र दे सकता है।

(३) इस अधिनियम और तदधीन बनाए गए नियमों के उपबन्ध जहां तक कि उनका संबंध पुनर्वासन अनुदान के अवधारण तथा भुगतान से है, उपधारा (१) के अधीन वार्षिक वृत्ति के अवधारण तथा भुगतान पर आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे।"

श्री हिम्मत सिंह—

मान्यवर, मैं खंड २ का विरोध कर रहा हूं और उसका आधार एक ही है और वह आधार यह है कि माननीय मंत्री जी अपनी इस धारा के अन्दर यह जब कहते हैं कि हमारे आफिसर्स की गलती से किसी को पूरा न मिल सके वह सब बातें देखते हुये हम इसका संशोधन कर रहे हैं, जिनको पूरा पैसा नहीं मिल पाया, इसलिये यह तरमीम कर रहा हूं। तो मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि एक प्रिंसिपल क्या आपने बना लिया कि आपके अधिकारियों की गलती की वजह से यदि किसी को रिहैब्लिटेशन ग्रांट नहीं मिल पायी है तो उसे आप ओपेन कर रहे हैं। लेकिन केवल कुछ खंडों का संशोधन करने और जिस तरह से यह किया जा रहा है उसमें मुझे शक हो रहा है और मुझे उसका विरोध करना पड़ा। अगर आप उस पूरे चैप्टर को ओपेन करते तो मैं समझता कि वह एक बड़े समुदाय का लाभ करने जा रहे हैं। लेकिन आप इससे केवल एक हिस्से को, एक वर्ग को लाभ पहुंचा रहे हैं। यह इससे मालूम पड़ता है कि आपने कोई आंकड़े नहीं रखे कि कितने आदमियों को इससे लाभ होगा, किनको इस से लाभ होगा। आपने एक गोल मटोल खंड दो रख दिया और यह साफ कर दिया कि हमारे अफसर कितने नकारा हैं, कुछ जानते नहीं हैं। इसलिये मैं इसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इसमें या तो सरकार स्वीकार करे कि इसमें गलतियों की भरमार है और गरीबों के साथ अन्याय हुआ है, वे अपील नहीं कर सके हैं, इसलिये मैं यह कर रहा हूं। आपको यह कहना चाहिये कि अपीलों का समय भी निकल गया था और मेरे पास इतने प्रार्थना-पत्र आये कि उन पर विचार नहीं हो सका। इसलिये १८ साल बाद मुझे होश आया है और हम इसे कर रहे हैं, अब हमें एक नई दुनिया दिखाई दी है। इतने समय से आपको मालूम था जिनको आप नहीं देना चाहते थे, उनको दिया जा रहा था। आज कैसे इस संशोधन की जरूरत पड़ रही है। श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं इसमें से दो लाइनें पढ़ देना चाहता हूं।

"....अथवा उसके संबंध में गलत दावा किया हो, अथवा उस वक्फ, न्यास या निबन्ध को देय वार्षिक वृत्ति का अवधारण करने में पुनर्वासन अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि की गई हो, और ऐसे लोग, गलत दावे या त्रुटि के परिणाम स्वरूप उसे देय के रूप में अवधारित धनराशि उक्त धारा ९९ के अधीन वास्तव में देय धनराशि से कम हो, अथवा इस प्रकार अवधारित धनराशि वार्षिक वृत्ति के रूप में न हो....."

[श्री हिम्मतसिंह]

अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि की गई हो। मैं जानना चाहता हूं कि इस त्रुटि को, आपने इस ऐक्ट में कोई ऐसा प्राविधान किया था या नहीं जिसके द्वारा वह उसको दुरुस्त कर लेते। तो मैं माननीय मंत्री जी को तसलीम करता हूं कि इनको ऐसी सुविधा दी जाय जिससे माननीय मंत्री जी जो काम कर रहे हैं वह कर सकें परन्तु मैं इसको बड़ा भारी पक्षपात मानता हूं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उनकी जिम्मदारी थी कि जो अपनी गफलत के कारण सोते रहे हैं आज उनको क्यों मौका दिया जा रहा है। इस कानून के अन्तर्गत उनको तीन वर्ष का मौका दिया गया है। आज एक साल का मौका देकर उनको ऐसा क्यों करने जा रहे हैं। इसलिये मैं खंड २ का विरोध करता हूं। जो आदमी तीन वर्ष तक सोता रहा आज उसको जाग्रत करके १८ साल बाद एक साल का मौका दें यह गलती आप अपने कर्मचारियों पर मढ़ते हैं और कहते हैं कि कर्मचारी अयोग्य थे। मैं जानना चाहता हूं कि इस आधार पर क्या कर्मचारियों को बर्खास्त किया और निलम्बित किया और उनके करेक्टर रोल में एन्ट्री की? अगर ऐसा नहीं किया तो मैं जानना चाहता हूं कि किसे आधार बनाये बैठे रहे। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

*श्री चतुर्भुज शर्मा—

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है माननीय सदस्य ने संभवतः पूरा पूरा इसका अर्थ नहीं समझा। यह जो संशोधन किया गया है यह संशोधन किसी को फायदा पहुंचाने के लिये नहीं किया बल्कि वह देखें कि उन धर्मार्थ संस्थाओं को—किन्हीं लोगों ने व्यक्तिगत तरीके से दरख्वास्त देकर और कम्पेंनसेशन वगैरह लेने की कोशिश की और उन्हें कम्पेनसेशन वगैरह मिल गया तो वह मिल गया, लेकिन अब उनका काम चूंकि रुका हुआ था, बाकी रुपया जो बाकी रह गया वह बाकी रुपया उनको न देकर बल्कि उसी संस्था को दिया जायगा और वह ऐन्युटी के रूप में दिया जायगा वार्षिक वृत्ति का। इसमें यह प्रतिबन्ध लगा है जिससे साफ जाहिर है कि कोई रुपया नहीं देंगे।

'किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि किसी वक्फ, न्यास या निबंध की देय धनराशि का पुनः अवधारण करने में, उस आस्थान के सम्बन्ध में, जिससे प्रार्थना-पत्र संबंधित हो, नगद या बन्धों के रूप में अथवा अंशतः नगद और अंशतः बन्धों के रूप में पहले ही दी गई अथवा इस प्रकार देय के रूप में पहले अवधारित की गई धनराशि, यथास्थिति, कम कर दी जायगी अथवा मुजरा कर दी जायगी।' तो श्रीमन्, यह कहा गया है कि अधिकारी ने कोई गलती की हो—अधिकारी की गलती श्रीमन् इस माने में कि अगर कोई धोखा देना चाहता है तो अधिकारी धोखा खा ही जाते हैं। मान-लीजिये किसी ने लिखा लिया जो मुतवल्ली नहीं है किसी क्लर्क वगैरह को पैसा देकर कि वह प्रोप्राइटर है और उसे कम्पेनसेशन मिलना चाहिये। तो इस प्रकार से यह कंपेनसेशन का इतना बड़ा काम है कि इसमें गलती हो गई और उसे नहीं पकड़ पाये और उसको दे दिया तो वह गलती भी कम है तो जो थोड़ा बहुत नालायक या थोड़ा बहुत गलत आदमी हैं उनको माफ करना पड़ता है। होता यह है और जो उन्होंने कहा कि जब इस तरह से प्रार्थना-पत्र लेकर आया और लोगों ने भी बतलाया कि ऐसा-ऐसा हुआ है और इसमें कुछ नहीं है तो जो कुछ धनराशि दी है तो ऐसी संस्थाओं को वह धनराशि कुछ न कुछ देंगे। हम उनको कम्पेनसशन नहीं देंगे। वहां पर कोई फर्जी नाम बना कर धोखा देकर ले ले तो ले ले, उसके लिये कानूनी कार्यवाही करके वसूल करना चाहता है तो कर सकता है लेकिन जो बकाया रह गया है वह उनको दे दिया जाय संस्थाओं को। किन्तु अब आधा दे दें और आधा के लिये कोई प्रोवीजन न करें तो जो रुपया बाकी है वह पड़ा रह जायगा या लैप्स हो जायगा। यह उनको देना चाहते हैं तो यह उनको एन्युटी बता कर उन संस्थाओं वक्फ वगैरह को जो चैरिटेबिल परपज के लिये संस्थायें हैं उनको बाकी रुपया दे दिया जायगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

यह जवाब हो गया।

प्रश्न यह है कि खण्ड २ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ३

धारा १०१ का संशोधन

३--मूल अधिनियम की धारा १०१ में अंक तथा शब्द "९८ या ९९" के स्थान पर अंक, अक्षर तथा शब्द "९८, ९९, १००-क या १००-ख" रख दिए जाएं।

श्री हिम्मतसिंह--

श्रीमन् यह धारा ३ जो संशोधन के रूप में इस विधेयक में आ रही है इस पर सन् १९७२ से पूर्व इस सदन में विचार हो चुका है और इतना विचार हुआ कि वे इस निर्णय पर पहुंचे कि ८ अगस्त को ऐसी तारीख निश्चित की जाय जिसके द्वारा जो जमींदारों ने अपनी प्रापर्टी को अपनी निजी प्रयोगों के लिये दूसरे ढंग सोच रखे हैं उन ढंगों को नष्ट कर दिया जाय और उनको रिहैबिलिट्रेट करने न दिया जाय, लेकिन आज पता नहीं क्या जरूरत पड़ गयी जिसे मैं नहीं जानता कि आज १८ वर्षों के बाद यह संशोधन लेकर मंत्री जी आ गये। क्या उस वक्त उनको इग्नोरेंस आफ ला थी या इनके कर्मचारी गफलत में थे जिनसे ऐसी गलतियां हो गयीं और आज आपको आवश्यकता पड़ गयी कि इसको इस तरह से इस बिल में ला दें। यह उचित नहीं है और इसलिये इसको निकाल दिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, इसमें कोई ज्यादा उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। यह कांसीक्वेंशल अमेंडमेंट है। जब सदन ने अभी एक चीज मंजूर कर ली तो इसमें तो केवल जोड़ा गया है कि जो हमारी मूल अधिनियम की धारा १०१ है उसको रहने दिया जाय। उसको मंजूर किया गया है तो वही सिद्धान्त इस संशोधन में है। इसलिये मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ४

नई धारा १२२-क का बढ़ाया जाना

४--मूल अधिनियम की धारा १२२-ख के पूर्व निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात--

भूमि प्रबंधक समिति द्वारा भूमि आदि का अधीक्षण, प्रबन्ध तथा निरीक्षण

"१२२-क--(१) गांव सभा के निमित्त तथा उसकी ओर से धारा ११७ के अधीन गांव सभा में निहित सब भूमि, गांव की सीमाओं के भीतर स्थित जंगलों (खाते, बाग या आबादी में स्थित पेड़ों को छोड़कर) पेड़ों, मीनाशयों, तालाबों, पोखरों, जल-प्रणालियों, रास्तों, आबादी के स्थलों और हाटों, बाजारों तथा मेलों के सामान्य अधीक्षण प्रबन्ध, संरक्षण, तथा नियंत्रण का भार, भूमि प्रबन्धक समिति पर इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए होगा।

(२) पूर्वोक्त उपबन्धों की व्याप्ति को बाधित न करते हुए, भूमि-प्रबन्धक समिति के कृत्यों तथा कर्त्तव्यों के अन्तर्गत निम्नलिखित होंगे—

(क) भूमि का बन्दोबस्त तथा प्रबन्ध;

(ख) गांव सभा द्वारा अथवा उसके विरुद्ध वादों तथा कार्यवाहियों का संचालन तथा अभियोजन;

(ग) कृषि का विकास तथा उन्नति;

(घ) जंगलों तथा पेड़ों का संरक्षण, रख-रखाव तथा विकास,

(ङ) आबादी के स्थलों तथा ग्राम्य संचार साधनों का रख-रखाव तथा विकास;

(च) हाटों, बाजारों तथा मेलों का प्रबन्ध;

(छ) सहकारी खेती का विकास;

(ज) पशुपालन का, जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन या कुक्कुट पालन भी है, विकास;

(झ) खातों की चकबन्दी;

(ञ) कुटीर उद्योगों का विकास;

(ट) मीनाशयों तथा तालाबों का रख-रखाव तथा विकास, और

(ठ) ऐसे अन्य विषय जो नियत किए जाएं।

(३) भूमि प्रबन्धक समिति का सभापति अथवा कोई अन्य पदाधिकारी या सदस्य ऐसे प्रतिबन्धों के अधीन रहते हुए, जो नियत किए जाएं, भूमि प्रबन्धक समिति के निमित्त तथा उसकी ओर से किसी लेख्य पर हस्ताक्षर करने और वादों तथा अन्य कार्यवाहियों के संचालन एवं अभियोजन के लिए समस्त अन्य कार्य करने का अधिकारी होगा।"

श्री माता प्रसाद—

मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्तावित विधेयक में निम्न संशोधन रखना चाहता हूं कि:—खंड ४ में प्रस्तावित नई धारा १२२—क के पश्चात् निम्न प्रकार से स्पष्टीकरण रख दिया जाय :—

"स्पष्टीकरण—आबादी के स्थलों से तात्पर्य ऐसी भूमि से है जिसमें कच्चे-पक्के या छप्पर के मकानों और उससे लगी हुई भूमि जिसमें सहन, पशु बांधने, उपली पाथने, घूर रखने या अन्य घरेलू कार्यों में इस्तेमाल आने वाली भूमि के अतिरिक्त मकान के चारों तरफ २ लट्ठे भूमि से है। सरकारी कागजात में आबादी दर्ज न होने पर भी आबादी के स्थानों में उसकी गणना की जायगी।"

मान्यवर, इसका तात्पर्य यह है कि बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर मौका पर आबादी है बहुत दिनों से लेकिन सरकारी कागजात में आबादी दर्ज नहीं है। उस आबादी में जो लोगों ने घर बनाये हैं उसके आगे पीछे इधर-उधर उठने बैठने की जगह नहीं है। उनको दिक्कतें हैं तो मैं यह चाहता हूं कि मंत्री जी इस तरह का आदेश दे दें कि जहां मौके पर आबादी बनी हुई है उसके घर के चारों तरफ आगे पीछे इधर उधर कुछ जमीन छोड़ दी जाय यानी एक दो लट्ठा जमीन छोड़ दी जाय। गलती से सरकारी कागजात में आबादी दर्ज नहीं है तो वहां पर दर्ज की जाय। जहां पर चकबन्दी हो रही है वहां पर यह आदेश हो कि वहां वह कागजात में उस १, २ लट्ठा जमीन को भी उसमें दर्ज कर दें। कहीं-कहीं पर ऐसा होता है कि पास में बागात, बंजर या परती जमीन है तो वह जमींदारों की जमीन होती है और हलवाहे या और जो गरीब लोगों के मकान होते हैं उनके पास की जमीन पर वह जमींदार कब्जा कर लेते हैं और उनको तंग करते हैं

और उनको वहां से हटा देते हैं। मुकदमा तक चलाते हैं। सरकारी कागज में उनका नाम नहीं होता है तो उनको भी बहुत दिक्कत होती है। इसलिये मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था मंत्री जी करें जिससे वह जमीन छूट जाय और कागज में वह दर्ज हो जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, जैसा माता प्रसाद जी कहते हैं उससे पूरी हमदर्दी है। लेकिन जिस जगह पर वह यह संशोधन चाहते हैं वहां पर यह नहीं हो सकता। दफा ४ जो पहले थी वह प्राविजन पंचायत राज ऐक्ट में कर दिया था और यहां से इसको हटा दिया था लेकिन बाद में कुछ दिक्कत सामने आई तो फिर उसको यहां ला रहे हैं। इसमें वह आबादी के लिये संशोधन करना चाहते हैं तो आबादी के लिये जमींदारी उन्मूलन ऐक्ट में व्यवस्था कर दी गई है कि मकानों के आसपास जो जमीन पड़ी है वह उसी मकान मालिक की होगी उसका मालिक जमींदार नहीं है। गांव समाज उसका मालिक है। अगर किसी का मकान खेत में बना है तो वह खेत के साथ जाता है। जिसका खेत है वह मकान भी उसीका है उसकी गिनती आबादी में नहीं हो सकती है। आबादी में अगर मकान बना है तो उसके आसपास १, २ लट्ठा जमीन कैसे छोड़ी जा सकती है। हर मकान के आसपास मकान बने होते हैं, पीछे भी बने होते हैं तो उनको कैसे हटाया जा सकता है। इसमें बड़ी दिक्कत आयेगी। उनका जो उद्देश्य है वह चकबन्दी अधिकारियों को आदेश है कि जहां तक मुमकिन हो हरिजनों के लिये ज्यादा से ज्यादा जमीन छोड़ी जाय जहां वह रह सकें। गांव वालों के लिये आबादी की जमीन छोड़ी जाती है। उनका जो उद्देश्य है उसके अनुसार हम पूर्ण रूप से कोशिश करेंगे कि हरिजनों के लिये जमीन मिले। इसलिये वह इसको वापस ले लें।

श्री माता प्रसाद--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के इस आश्वासन के बाद कि हरिजनों की आबादी के लिये चकबन्दी में खयाल किया जायगा और दूसरे आदेशों द्वारा यह खयाल रखा जायेगा कि उनके लिये आबादी की जमीन छूटे, मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ५

५--मूल अधिनियम की धारा १३४ में शब्द "दस गुना" के स्थान पर शब्द "बीस गुना" रख दिए जाएं। धारा १३४ का संशोधन

*श्री कृष्णस्वरूप (जिला बदायूं)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से खंड ५ में एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है:--

खंड ५ को बदल कर उसके स्थान पर अधोलिखित कर दिया जाय:--

"खंड ५--प्रत्येक सीरदार को स्वतः भूमिधरी अधिकार प्राप्त होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सीरदार को अपने इस आशय का प्रार्थना-पत्र हाकिम परगना को देना होगा।"

मान्यवर, जिस समय जमींदारी का उन्मूलन किया गया था तो उसके पीछे यह भावना निहित थी कि किसान खेत के मालिक हैं, वे खेती करते हैं इसलिये उनको भूमि मिलेगी। जो किसान अपनी भूमि पर मेहनत करता है उसकी मेहनत का पैसा जमींदार को जो बीच का दलाल

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कृष्ण स्वरूप]

था, क्यों मिले। इस भावना से प्रेरित होकर जमींदारी को समाप्त किया गया था। होना तो यह चाहिये था कि उसी समय एक आदेश द्वारा घोषित कर देना चाहिये था कि जो किसान जिस भूमि को जोतता है वह उस भूमि का मालिक है और बीच में किसानों से किसी को पैसा नहीं लेना चाहिये था। लेकिन गवर्नमेंट ने किसानों के भूमि के मालिक होने पर प्रतिबन्ध लगा दिया। उसके ऊपर प्रतिबन्ध यह था कि उस भूमि के लिये उसे दसगुना देना होगा तब वह उसका भूमिधर घोषित किया जायेगा। यह उस समय उनके साथ अन्याय था और हमारी जो भावना थी उसके विपरीत था कि १० गुना लेकर किसानों को भूमिधर बनावें। लेकिन आज जो संशोधन माननीय मालमंत्री जी लाये हैं वह किसानोंके साथ बहुत बड़ा धोखा, विश्वासघात और अन्याय है। जिस समय सन १९५१ में ऐक्ट बना था उस समय सरकार ने किसानों से वादा किया था और उनको आश्वासन दिया था कि दसगुना देने के बाद भूमिधर बना देंगे, लेकिन आज दस गुने को बीसगुना करके किसानों के साथ जुल्म और ज्यादती की जा रही है। होना तो यह चाहिये था कि जो किसान जिस जमीन को जोतता है, उसमें हल चलाता है, वह उसका मालिक है और उससे बीस गुना या दसगुना न लिया जाय। किसानों से भूमिधरी के लिये लगान का दसगुना या बीसगुना लेना, जमींदारी एबालिशन ऐक्ट की भावना के विपरीत होगा। बीच के बिचवैये को समाप्त करने के लिये जमींदारी समाप्त की गयी थी। लेकिन हमने क्या किया? छोटे जमींदारों को समाप्त करके बहुत बड़ा जमींदार सरकार स्वयं लखनऊ में बन गयी। आज आपके इस संशोधन विधेयक की बात सुन कर जो ग्रामीण हैं, किसान हैं उनमें एक उत्तेजना है, कि कांग्रेस ने पहले हमसे वादा किया था कि दस गुना लेकर तुम्हें जमीन का मालिक बना देंगे, लेकिन आज यह सरकार उसे चोर दरवाजे से बीसगुना करने जा रही है। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का घोर विरोध करता हूं और माननीय माल मंत्री जी से आग्रह करता हूं कि वे मेरे इस संशोधन को मान लें।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड ५ के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस साल का बजट जब प्रस्तुत किया गया था तो उस समय हमारे माननीय वित्त मंत्री जी ने इस बात की घोषणा की थी कि इस बार प्रदेश के किसानों को विशेष रूप से सुविधा दी जायेगी—बिजली में, पानी में और उनको टैक्स में छूट दी जायेगी और हमारे प्रदेश के किसान आगे और खुशहाल होंगे। बजट पेश करते हुए माननीय वित्त मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और कहा था कि किसानों को जितनी सुविधायें हो सकती हैं, देंगे। लेकिन वस्तुस्थिति देखी जाती है कि आज जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है और जो खण्ड लिया गया है उसमें कहा जाता है कि जमीन के दाम बहुत बढ़ गये हैं ऐसी स्थिति में किसान २० गुना देने लायक हो गया है, उसे कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि सरकार इस तरह का ढोल पीटकर गलत वादे क्यों करती है? जब सरकार जमीन अक्वायर करती है तो जनता को बहुत ही कम रेट उसका दिया जाता है, लेकिन लगान लेते वक्त आप अनुमान लगा लेते हैं कि जमीन की कीमत ५ गुनी बढ़ चुकी है। जमींदारी खत्म होने के बाद यह कहा गया था कि जो काश्तकार ९—१० साल से काबिज हैं वह उसके मालिक हो जायेंगे और सरकार ने घोषणा की थी कि जो जोतेगा और काटेगा उसी की जमीन होगी, प्रजा उस वादे से क्यों हट रहे हैं? १० साल लगान ले चुके, हम आशा करते थे कि १० साल लगान धीरे-धीरे कम होकर ५ साला हो गया और धीरे-धीरे खत्म हो जाएगा। लेकिन २० साल की कांग्रेसी सरकार ने किसानों को इस सम्बन्ध में कोई सुविधा देने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। जिस समय जमींदारी उन्मूलन किया गया था उस समय ७, साढ़े सात करोड़ रुपया लगान वसूल होता था और जमींदार किसानों से १८ करोड़ वसूल कर लिया करता था, ११ करोड़ रुपया जमींदारों की जेब में जाता था, आज इस प्रदेश में किसानों से ३० करोड़ रुपया वसूल किया जाता है, यानी चौगुना वसूल किया जाता है। और वह सारा रुपया सरकारी खजाने में जाता है। तो यह किसानों के हित की बात नहीं है, इसलिए मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री राजितराम पांडय (जिला इलाहाबाद)--

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आज २० गुने का सवाल इस सदन में पेश है, मुझे तो बड़ी हैरत होती है। शर्मा जी मौजूद हैं, आप भी मौजूद हैं। एक बार आपने यह आन्दोलन किया था कि लगान देना पाप है, वह दिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। बर्तानियां के जमाने में आप लोगों ने आन्दोलन किया था कि किसानों को लगान नहीं देना चाहिए, लेकिन जमींदारी खत्म करने के बाद कहा कि जमींदारों को मुआवजा देंगे और किसान पर १० गुना लगा दिया। फिर भी जब इस सरकार का पेट नहीं भरा, क्योंकि स्तर नीचे गिर गया ता २० गुना कर रहे हैं। आज आप उन बुजुर्ग हस्तियों में से हैं, आप लाग गांधी जी की रहनुमाई में उनके साथ रह चुके हैं और उनका वादा था, जवाहरलाल जी मेरे गांव में झंडी लेकर इस बात का ऐलान किये थे कि लगान देना पाप है और जब चुनाव आया तो उस समय भी शर्मा जी आपने कहा कि सवा ६ एकड़ का लगान माफ करेंगे, लकिन जब इस सदन में हमारे रूपनाथ जी और दूसरे लीडरो गेंदासिंह जी यह बहस कर रहे थे तो मैं बड़ा चौक रहा था। मैं देहात का आदमी हूं कानून-कायदा नहीं जानता। मैं सिपाही रहा हूं, अब भी हूं। इत्तफाक से जनता की मेहरबानी से यहां आ गया। तो जब १० गुना हुआ तो डा० लाहिया और, सोशलिस्ट पार्टी ने विरोध किया कि जनता से १० गुना लगान मत लो, वैसे ही भूमिधर बनाओ, तब आपने कहा था कि हमें जमींदारों को मुआवजा देना है।

हमारे पन्त जी वगैरह ने कहा कि हमें राजा महाराजाओं को मुआविजा देना है इसलिये दस गुना लग रहा है। जहां-जहां पंचायत अदालतें थीं सरपंच थे वह गेंदा सिंह जी वगैरह जाते थे और कहते थे कि भाई १० गुना दे दो जमींदारी तोड़ी जा रही है। तब जाकर १० गुना दिलाया गया और जमींदारों का ेट भरा गया और जितनी भी देश में जमीन थी उन पर भी जमींदारों ने कब्जा किया किसी ने पांच हजार बीघे का फार्म बनाया तो किसी ने दस हजार बीघे का फार्म बनाया। इस पर भी अब किसान से बीस गुना मांगते हो। अब होगा यह कि छोटे आदमी गरीब आदमी जमीन खरीदेंगे क्योंकि बड़े आदमी काफी जमीन अपने कब्जे में किये हैं और उनके पैर भी खिसक गये हैं। तो जो गरीब आदमी जमीन खरीदेगा वह कहां से बीस गुना लगान दे पावेगा। मैं बड़ा विरोध करता हूं इस सदन में इस बीस गुने का। हम उम्मीद करते थे कि दर्जा १० तक फीस माफ होगी किसानों को सुविधायें मिलेगी और सवा छः एकड़ तक का लगान माफ करेंगे। जो बीस गुने का प्रस्ताव रख हैं, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा खास कर राजस्व मंत्री जी से जो गांधी जी से चेले रहे हैं और तमाम जेल काटी है और आजादी की लड़ाई के सेनानी रहे हैं कि आप यह कलंक अपने ऊपर मत लीजिये। आपका इतिहास बनेगा। इन चन्द शब्दों के साथ श्रीमन् जी मैं इसका घोर विरोध करता हूं।

श्री हरिनाथ तिवारी--

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने बयान में स्वयं कहा था कि जब उनको कुछ कर्जा देना पड़ा था तो सीरदारी का दो सौ गुना मालियत मिली थी तो वही याद दिलाना चाहता हूं कि जो काश्तकार से भूमिधर हो जायगा उसकी मालियत और ज्यादा हो जायगी और अगर वह लेना चाहेंगे। तो उसको कौन सा फ़ायदा मिलेगा? आपने कहा कि हम विकास के लि पैसा खर्च कर रहे हैं। आप कहते हैं कि हमने कोई वायदा नहीं किया था। आपने ऐक्ट बनाया था और आज उसी ऐक्ट में संशोधन कर रहे हैं। आपने ऐक्ट बनाया था कि जो १० गुना जमा कर देगा वह भूमिधर हो जायगा। आपकी शाख इससे गिर जायगी। आपने वायदा किया था कि १० गुना कर ही भूमिधर बन जायेगा लेकिन अब आप २० गुना मांग रहे हैं। इससे आपकी शाख गिरेगी। इसलिये हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप इस खंड को जरूर विदड्रा कर लें।

श्री चेतराम गंगवार--

अध्यक्ष महोदय, खंड ५ इस विधेयक का अंग बनाया जाय इस पर मुझे भारी आपत्ति है। और मैं यह संशोधन जो हमार जनसंघ के नेता माधवप्रसाद त्रिपाठी जी की ओर से आया

[श्री चतराम गंगवार]

है कि "प्रत्येक सीरदार को स्वतः भूमिधर अधिकार प्राप्त होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सीरदार को अपने इस आशय का प्रार्थना पत्र हाकिम परगना को देना होगा" का समर्थन करता हूं।

माननीय राजस्व मंत्री ने यह बताया कि दस गुना बीस गुना क्यों किया वह इसलिये कि भूमि की कीमत ज्यादा हो गयी है और इसलिये बीस गुना कर दिया है। पहले कानून में दस गुना इसलिये लगाया था कि उसे कुछ राइट्स दिये थे कि वह बेच सकता है, बाग लगा सकता है, भट्टा चला सकता है, ताल बना सकता है। श्रीमन्, मैं सन ४८, ४९, ५० का जमाना भूला नहीं हूं। सन् ४२ की मुझे याद है कि मेरे बाबा भी तिरंगा झंडा उठाये कहते थे कि इस नहर पर आबपाशी नहीं लगनी चाहिये क्योंकि नहर को बनाने में जो पैसा खर्च हुआ वह वसूल हो चुका है। ऐसे ही कांग्रेस वाले कहा करते थे कि अब दस गुना लिया जायगा और एस० एस० पी०, जो कि बहुमत में थी, कहती थी कि फ्री होना चाहिये। कहा गया कि जमींदार की जमींदारी समाप्त की है और उसके पंजे से राहत दिलाना है तो उसको मुआवजा दिया जायगा जिसके लिये किसानों से मदद ली जाय। उसको इस तरह आपने मुआवजा दिया और रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट देकर दूसरा मुआवजा दिया। इस बात की शिकायत नहीं है कि बीस गुना कर दिया जाय। लेकिन आपका ख्याल यह है और आदत रही है कि देश में इक्वीलिटी नहीं लानी चाहिये। आप हर जगह अमीर गरीब, छोटे-बड़े का रिश्ता कायम रखना चाहते हैं। हम कहते हैं कि आप सब किसानों की जो देश प्रदेश में रहते हैं एक जैसी व्यवस्था कर दें चाहें अधिवासी बनावें, सीरदार बनावें या भूमिधर बनावें। आपका बहुमत है तो आप उनको बनवासी बनवा दें। तो श्रीमन् इस खंड को इस विधेयक का अंग माना जाय तो मैं चाहता हूं कि इसको जगह जगह पर मोबाइल कराया जाय, फिराया जाय। अगर आप बहुमत के बलपर इसको मनवाना चाहें तो जनसंघ पूरे प्रदेश में आन्दोलन करेगा, मंत्री जी का घेराव करेगा और इस मंत्रिमंडल को चलने नहीं देगा।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी--

मेरा यह निवेदन है कि यह जो २० गुने का रखा है संशोधन, इसको वापस ले लें और हमारे संशोधन को मान लें।

श्री अध्यक्ष--

आप संशोधन को स्वीकार करते हैं?

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी मजबूरी है।

श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)--

अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। बी० के० डी० वालों का भी कुछ कहना था, लेकिन उनका नम्बर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--

आप उठे नहीं।

श्री बलवीर सिंह--

उठा तो था लेकिन आपका ध्यान इधर नहीं गया। दस गुने के बजाय बीस गुना कर रहे हैं तो बी० के० डी० इसके सख्त खिलाफ है। मैं ज्यादा न कह कर इतना ही कहना चाहता हूं। कि अगर यह जबरदस्ती ठूंसा गया तो बी० के० डी० समझती है कि यह जनता के साथ अन्याय होगा और बी० के० डी० कोशिश करेगी कि जिससे किसान को न्याय मिले। इसलिये राजस्व मंत्री जी इसको वापस ले लें और इस विवाद को खत्म करें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, मुझे खेद है लेकिन हमारी पूरी-पूरी कोशिश होगी कि हर किसान को, क्योंकि उस के कायदे की चीज है, उससे फायदा पहुंचे। मैं इसमें कोई ऐसी चीज नहीं देख रहा हूं, थोड़ा बहुत तो होता ही है। लेकिन जो माननीय सदस्यों ने बात कही उसी का थोड़ा सा जबाव देना चाहता हूं। आज एक माननीय सदस्य ने कहा, पाण्डे साहब ने कहा कि जमींदारों को कम्पेंसेशन तो दे दिया गया है और अब कुछ नहीं रह गया है और अब क्यों १० गुना लगान लिया जा रहा है। अभी कम्पेंसेशन भी बाकी है और पुनर्वास का जो था वह भी बाकी है। मेरा जहां तक खयाल है यह राशि १६ करोड़ और १८ करोड़ रुपये के बीच में होगी और यह खर्चा सालाना हमको देना पड़ता है। इसकी रेवेन्यु २०-२२ करोड़ की होती है। असल बात यह है कि हम किसानों को सुविधायें देना चाहते हैं। किसी वक्त में बिजली के खम्भों आदि के लगाने में जो सुविधायें किसानों को प्राप्त थीं वे किसी वजह से खत्म हो गयी थीं। हमने वे सुविधाएं दीं सब किसानों को और जो छोटे छोटे किसान हैं उनको लघु सिंचाई के जरिये से फायदा पहुंच रहा है। इसका प्राविधान इस बजट में किया गया है ताकि किसानों को फायदा हो सके। इसमें कोई खास बात नहीं है और जैसा कि मैंने बार-बार कहा कि चूंकि जमीन की कीमत बढ़ गयी है इसलिये इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्री चेतराम गंगवार--

श्रीमन् राजस्व मन्त्री ने कहा कि सिंचाई के साधन किसानों के फायदे के लिये कर रहे हैं। कहते हैं कि जनता के लिये हमने यह कर दिया....

श्री अध्यक्ष--

उन्हें बोलने दें।

एक सदस्य--

मैं मंत्री जी की जानकारी के लिये अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक किसान को खेत बेचने का अधिकार रहेगा तब तक उसे कोई फायदा नहीं हो सकता है। २० गुना कर देने से कोई फायदा नहीं होगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

पहले आप सदन में नहीं थे, वर्ना यह बात नहीं कहते। हर मनुष्य के अपने राइट्स हैं जो कि कान्सटीटयूशन में गारंटीड हैं। हमें भी नियम संविधान के अनुसार बनाने पड़ते हैं। वह हमारा अधिकार नहीं है। तो श्रीमन्, जो इजाफा किया गया है उससे मुश्किल से सरकार को २ करोड़ रुपया मिलेगा। डेढ़ और २ करोड़ पये के बीच में मिलेगा। अभी हमारे इलाहाबाद वाले माननीय सदस्य ने कहा कि गरीब अपनी जमीन बेचता है और अमीर लोग खरीदते हैं। अमीर अपनी कीमत उसमें लगाता है और वही भूमिधरी का पैसा लेता है। जो भूमिधरी का पैसा गरीब देगा वही अमीर लोग भी देंगे। तो इसमें कोई बात नहीं है। यह सब हिसाब लगा कर आपके सामने बजट रखा है और बजट में प्राविधान किया है। उसी के हिसाब से खर्चे बने हुये हैं। तो मेरी भी मजबूरी है और यह एक छोटी सी चीज है। माननीय सदस्य जैसा कह रहे हैं, यह बात नहीं है। इसका असर सब पर नहीं पड़ेगा, सारे किसानों पर इसका असर नहीं पड़ेगा। यह किसानों के हित में है और इसलिये हम इसे करने जा रहे हैं। २० गुना इसलिये किया गया है, क्योंकि गल्ले की कीमतें बढ़ गयी हैं, जमीनों की कीमतें बढ़ गयी हैं। उन सबको देखते हुये यह कुछ ज्यादा नहीं है। मैं माननीय त्रिपाठी जी, जो कि काफी होशियार आदमी हैं, से यह प्रार्थना करूंगा कि वे इसे वापस ले लें। मैं वकील साहब, तिवारी जी से भी अनुरोध करूंगा, जो कि होशियार वकील हैं कि सरकार की साख नहीं गिर रही है, सरकार को अपनी साख मालूम है। इसलिये आप उसकी चिन्ता न करें, बल्कि कृपया उसे वापस ले लें।

श्री कृष्ण स्वरूप--

अध्यक्ष महोदय, यह जो १० गुने से २० गुना करना चाहते हैं, हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसा न किया जाय। इसके विरोध में हम २ मिनट के लिये सदन त्याग करते हैं।

(श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जनसंघ दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री रूपनाथ सिंह यादव--

मैं इसके खिलाफ हूं, इसलिये सदन त्याग कर रहा हूं।

(श्री रूपनाथ सिंह यादव अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

(भारतीय क्रान्ति दल के सदस्य भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)--

मैं भी इसी कारण सदन त्याग कर रहा हूं।

(श्री छांगुर अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ को बदल कर उसके स्थान पर अधोलिखित कर दिया जाय--

[खंड ५--"प्रत्येक सीरदार को स्वतः भूमिधरी अधिकार प्राप्त होंगे। प्रतिबन्ध यह है कि सीरदार को अपने इस आशय का प्रार्थना-पत्र हाकिम परगना को देना होगा।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड ६, ७ तथा ८

धारा १३५ का संशोधन — ६--मूल अधिनियम की धारा १३५ में शब्द "प्रार्थी ने पूर्वोक्त दस गुना रुपया जमा कर दिया है" के स्थान पर शब्द, "पूर्वोक्त के अनुसार धनराशि जमा कर दी गयी है" रख दिये जाएं।

धारा १३६ का संशोधन — ७--मूल अधिनियम की धारा १३६ में जहां-जहां भी शब्द "दस गुने" आए हों, उनके स्थान पर शब्द "बीस गुने" रख दिए जायं।

धारा १५३ का संशोधन — ८--मूल अधिनियम की धारा १५३ की उपधारा (२) में, शब्द "सहकारी समिति से" के पश्चात् शब्द, कोष्ठक अक्षर और अंक "या स्टेट बैंक आफ इंडिया से, या किसी अन्य ऐसे बैंक से जो रिजर्व बैंक आफ इंडिया ऐक्ट, १९३४ की धारा २ के खण्ड (ई) के अर्थ में शेड्यूल बैंक हो, या यू० पी० स्टेट एग्रो-इंडस्ट्रियल कार्पोरेशन लिमिटेड से" बढ़ा दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ६, ७ और ८ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ९

९—मूल अधिनियम की धारा १५७ के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:— नई धारा १५७-क का बढ़ाया जाना

"१५७-क—(१) धारा १५३ से १५७ में उल्लिखित प्रतिबधों को बाधित न करते हुए, किसी भी ऐसे भूमिधर, सीरदार, अथवा असामी को, जो किसी अनुसूचित आदिम जाति का हो, कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना कोई भूमि किसी ऐसे व्यक्ति को, जो किसी अनुसूचित आदिम जाति का न हो, विक्रय, दान, बन्धक अथवा पट्टे द्वारा संक्रमित करने का अधिकार न होगा ।

अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों द्वारा भूमि के संक्रमण पर प्रतिबन्ध

(२) नियत रीति से तदर्थ प्रार्थना-पत्र दिए जाने पर कलेक्टर ऐसी जांच करेगा जो नियत की जाए ।

स्पष्टीकरण—इस अध्याय में पद "अनुसूचित आदिम जाति" का तात्पर्य "राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३४२ के खण्ड (१) के अन्तर्गत दिए गए आदेश में निर्दिष्ट अनुसूचित आदिम जाति से है ।"

श्री अध्यक्ष—

खंड ९ पर श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी बोलेंगे ।

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड ९ की प्रथम पंक्ति में १५७ के स्थान पर १५४ कर दिया जाय और "१५७-क" के स्थान पर "१५४-क" कर दिया जाय। जो संशोधन पेश किया है इसको विरोध में मैं नहीं मानता हूं। यह तो रेस्ट्रिक्शन का सेक्शन है। १५४ को आप इसमें कर और १५४-ए रिस्ट्रिक्शन का प्राविजन कर और जो लिखा है उस पर मुझे कुछ नहीं कहना है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

१५३ के बाद जो सेक्शन्स हैं वह भी इससे सम्बन्ध रख सकते हैं, इसलिये उनके बाद फिट इन नहीं होता है। तो अगर १५३ के बाद कर दिया जायगा तो असंगत हो जायगा, इसलिये यह यहीं ठीक है। मैंने इसको आपके संशोधन के बाद देखा था। तो मैं प्रार्थना करूंगा कि ऐक्ट को देखते हुये इसको यहीं रहना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष—

त्रिपाठी जी क्या आप इसको वापस लेते हैं ?

माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, यह ठीक है ।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खण्ड ९ के प्रथम पंक्ति में १५७ के स्थान पर १५४ कर दिया जाय और "१५७-क" के स्थान पर "१५४-क" कर दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री माता प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करूंगा कि प्रस्तुत विधेयक में खंड ९ में नई प्रस्तावित धारा १५७-क की उपधारा (१) की पंक्ति तीन में "अनुसूचित आदिम जाति" शब्द के पूर्व "अनुसूचित जाति" वाक्यांश बढ़ा दिये जायें।

मान्यवर, इस विधेयक द्वारा सरकार इस तरह की व्यवस्था कर रही है कि अनुसूचित आदिम जातियों की जो जमीन है वह कोई दूसरा आदमी न ले सके। उसी के साथ मैं यह चाहता हूं कि अनुसूचित आदिम जातियों के साथ-साथ अनुसूचित जातियों को भी उसमें कर दिया जाय। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले निवेदन किया था, अनुसूचित जाति और और अनुसूचित आदिम जाति के लोग ऐसे हैं जो बिलकुल भूमिहीन हैं। कुछ थोड़े से लोगों के पास कुछ थोड़ी-सी जमीन है। लेकिन आज उनकी जमीनों को लोग छीन रहे हैं। कभी थोड़ा-सा कर्ज दे देते हैं और सूद दर सूद लगाकर ज्यादा का प्रनोट लिखा लेते हैं और फिर खेत ले लेते हैं। कहीं दूसरे आदमी को खड़ा करके बैनामा करा लेते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। यह गांधी शताब्दी वर्ष है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुसूचित जातियों के लिये बड़ी अच्छी घोषणाएं की हैं। तो इस साल सरकार यह व्यवस्था कर दे कि इनकी जमीन को दूसरे लोग जाल-फ़रेब से जो हड़पने की कोशिश करते हैं, उस पर प्रतिबन्ध लगा दे। इससे हरिजनों का बहुत बड़ा कल्याण होगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, जैसा मैंने पहले अर्ज किया था, यह संशोधन जो माननीय माता प्रसाद जी कह रहे हैं वह विधान के प्रतिकूल पड़ेगा। इसलिये हम उसे नहीं कर सकते। विधान के अनुसार हम रेस्ट्रिक्शन या तो इन दि इंटरेस्ट आफ़ शैडयूल्ड ट्राइब्स कर सकते हैं या इन दि इंटरेस्ट आफ़ दि जनरल पब्लिक कर सकते हैं। इसलिये वैधानिक दिक्कत है। वैसे हम सोच भी सकते थे लेकिन इस दिक्कत के कारण मजबूर हैं। मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह इसे वापस ले लें।

श्री माताप्रसाद--

श्रीमन्, मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री सूबेदार प्रसाद (जिला मिर्जापुर)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में "किसी" और "अनुसूचित आदिम जाति" के बीच निम्नलिखित लिख दिया जाय--

तथा पूरे विधेयक में आगे जहां कहीं भी उपरोक्त प्रयोग आवे वहां इसी प्रकार बढ़ा दिया जाय।

"अनुसूचित जाति, विमुक्त जन-जाति तथा"

अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित आदिम जातियों के साथ-साथ अनुसूचित जाति और विमुक्त जन-जातियों की स्थिति भी बहुत खराब है। नैनीताल, गढ़वाल और जौनसारी जौनपुर एरिया के जो हरिजन और विमुक्त जनजाति के लोग हैं और मिर्जापुर पहाड़ी क्षेत्र--दुद्धी आदि क्षेत्र के जो हरिजन लोग हैं, इन सब की दशा बहुत खराब है। उनकी आर्थिक और सामाजिक दशा बहुत खराब है। इसलिये मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि अनुसूचित आदिम जातियों के साथ-साथ इन लोगों को भी अगर आप सुविधा दे दें तो बहुत बड़ा कल्याण होगा।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

मान्यवर, अभी जो संशोधन आया है अनुसूचित जाति और विमुक्त जन-जाति के सम्बन्ध में, सब लोगों को मालूम है कि यही एक ऐसा समाज है जिसके पास जमीन नहीं है, विमुक्त जन-

जाति बहुत कम संख्या में है और वह अभी भी खेती का ज्यादा काम नहीं करती है, और उन्हीं को छोड़ा जा रहा है श्रीमन्, अगर सरकार इनको इसमें से निकाल देगी तो फिर इसमें उनके लिये रह ही क्या जायेगा ? आज भी इस युग में उन लोगों के हकों को छीना जा रहा है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस संशोधन को सरकार स्वीकार करने की कृपा करे।

श्री हरिनाथ तिवारी—

माननीय मंत्री जी ने इस संशोधन को स्वीकार करने में जो वैधानिक आपत्ति बतलायी है, वह सही नहीं है। संविधान में कहीं भी यह नहीं है कि अगर आप किसी जाति के लिये कोई प्रोटेक्शन देना चाहते हैं तो वह अवैधानिक होगा। मंत्री जी तो व्यर्थ में उसका सहारा ले रहे हैं। अगर आदिम जातियों से आपको मोहब्बत है तो अनुसूचित जाति के लोग, जिनके पास थोड़ी-सी जमीन है, जोड़ देने में आपको क्या आपत्ति है ? अगर आपकी नीयत साफ़ है तो आप इस संशोधन को स्वीकार कर सकते हैं। इसलिये उसमें अनुसूचित जाति, विमुक्त जनजाति को भी आप जोड़ दें।

श्री धर्म सिंह (जिला बुलन्दशहर)—

श्रीमन्, माननीय सूबेदार सिंह जी ने जो संशोधन पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं। अगर आप संविधान को भी देखें तो विमुक्त जातियों के लिये कुछ सामाजिक और राजनैतिक अधिकार दिये गये हैं। अगर इनको इसमें जोड़ दिया जायेगा तो इससे प्रदेश का भला होगा। जहां तक विमुक्त जाति वालों का संबंध है उनके पास न के बराबर आज जमीन है। आज भी केन्द्रीय सरकार की तरफ़ से उनको सहूलियतें दी जाती हैं। इसलिये इस संशोधन को माननीय मंत्री जी को स्वीकार कर लेना चाहिये।

श्री त्रिवेणी सहाय—

श्रीमन, इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों में लिखा है ". . . शोषण से उनकी रक्षा करने के लिये यह उपबन्ध आवश्यक समझा गया है"। अब प्रश्न यह है कि क्या आदिम जाति ही शोषण का शिकार हो रही है ? इस प्रदेश में अनुसूचित जाति और विमुक्त जाति के भी लोग हैं जिनके पास साढ़े तीन बीघे से कम जमीन है। यह बहुत कम जोत वाले लोग हैं। इसलिये मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन रखा गया है यह बहुत उचित है और इसको स्वीकार करने में मंत्री महोदय कोई आपत्ति नहीं होना चाहिये। वैसे तो हम इस बात को आपसे कहना चाहेंगे कि हमारा संविधान हमें राइट टू पार्टी का मूलभूत अधिकार देता है। साथ ही साथ डिस्क्रिमेशन के आधार पर कोई काम नहीं किया जाना चाहिये, यह भी संविधान कहता है। इन दोनों विषयों को देखते हुए इसे पेश नहीं होना चाहिये। लेकिन अगर आप आदिम जातियों के साथ शोषण न हो, इस भावना से कर रहे हैं तो मेरा निवेदन है कि केवल इसमें उन जातियों को जोड़ दिया जाय जो इन्हीं के समकक्ष हैं।

श्री मोतीलाल देहलवी (जिला कानपुर)—

इस सदन को याद होगा कि पिछली बार हरिजनों के सम्बन्ध में इस तरफ़ के माननीय कांग्रेसी सदस्यों ने हरिजनों के लिये बड़ी उछल-कूद मचाई थी और बड़ी हमदर्दी जाहिर की थी। लेकिन आज जब यह संशोधन रक्खा गया है हरिजनों के हित के लिये, भलाई के लिये तो उसको मानने में उनको झिझक हो रही है। मैं बड़े गर्व के साथ और बड़े दावे के साथ यह बात कहना चाहूंगा कि कांग्रेसी सरकार ने अभी तक हरिजनों को सिर्फ़ गुलाम और भिखारी की स्थिति में बनाये रखने की कोशिश की है। अगर अब यह बात उनके मन में नहीं है और मंत्री जी इस बात को गलत सिद्ध करना चाहें तो फ़िर उन्हें इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि आखिर हरिजनों के पास बहुत कम जमीनें हैं और ज्यादातर हरिजन ऐसे ही मिलेंगे जो पांच रुपये की चौकीदारी करते हैं। ज्यादातर हरिजन ऐसे मिलेंगे जो अब भी बीस आना और एक रुपये में दूसरे के खेतों में मजदूरी करते हैं। अगर आपको इस स्थिति का ज्ञान है तो मैं बड़े निवेदन के साथ में यह अपील करूंगा कि

[श्री मोतीलाल बेहलवी]

मंत्री महोदय इस संशोधन को मान लें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

श्रीमन्, मैं आपसे अर्ज कर चुका कि यह संविधान के अनुसार नहीं है । संविधान के अनुसार इसे हम नहीं कर सकते वरना शिड्यूल कास्ट का क्या इसमें नहीं हो सकता । अभी माननीय तिवारी जी ने कहा कि आपने इसके बारे में बतलाया नहीं मेरा खयाल है कि शायद उन्होंने सुना ही नहीं है संविधान की धारा १९ (५) में लिखा है--

केवल ऐसी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई है जो रीजनेबुल हो । जो मौलिक अधिकार है आदमी को कोई चीज एक्वायर करने का, इसी प्रकार से और भी हो सकते हैं तो उस पर ऐसी ही रेस्ट्रिक्शन्स लगा सकते हैं जो रीजनेबुल हों । आईदर इन दी इन्टेरेस्ट आव दि जनरल पब्लिक और फार दी प्रोटेक्शन आव दी इन्टरेस्ट्स आव एनी शैड्यूल ट्राईब । यह जो संशोधन है वह केवल शैड्यूल ट्राइब के लिये है । उसका इन्टेरेस्ट है इसमें । शैड्यूल कास्ट इसमें नहीं आ सकती । तो जो दफा १९ है संविधान की उसमें रेस्ट्रिक्शन शैड्यूल ट्राइब के लिए है । उनके हित के लिए कर सकते हैं । तो जैसा कि और जातियों के लिये कहा गया है कि विमुक्त जातियां भी हैं--चाहे वे जितनी थोड़ी हों. चूंकि उसमें शिड्यूल ट्राईब दिया हुआ है इसलिये वे उसमें नहीं आ सकतीं । पहले यह कोशिश करनी चाहिये वे जातियां भी शैड्यूल ट्राइब में आ जायं, उनके लिये हम कोशिश करें कि वे शैड्यूल ट्राइब में आ सकें । उसमें रस्ट्रिक्शन है । दूसरी एड नहीं हो सकती ।

श्री सूबेदार प्रसाद--

अध्यक्ष महोदय, यह इसलिये बड़ा गम्भीर है कि इस सूबे में आदिम जनजातियां जो ५ और मिलाई गई हैं उनको लेकर उन की संख्या इस समय ८.१४ लाख के लगभग है, लेकिन इसके मुकाबले में हरिजनों की संख्या यानी अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक है । अभी समाज कल्याण निरीक्षक की ओर से एक पुस्तिका प्रकाशित हुई है उसमें देखा जाय कि वह किस हालत में है । संविधान के चौथे भाग या अध्याय में धारा ४६ में डायरेक्टिव प्रिन्सपुल्स में लिखा है कि शिड्यूल्ड कास्ट को सुविधायें दी जायं ताकि उनको संरक्षण मिल सके । इसलिये मैं मंत्री महोदय से पुनः निवेदन करता हूं कि वह इस पर विचार करके इस संशोधन को स्वीकार कर लें ।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

मैं तो बता चुका पहले ही कि विधान के खिलाफ हम नहीं कर सकते ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की तीसरी पंक्ति में "किसी" और "अनुसूचित आदिम जाति" के बीच निम्नलिखित लिख दिया जाय तथा पूरे विधेयक में आगे जहां कहीं भी उपरोक्त प्रयोग आवे वहां इसी प्रकार बढ़ा दिया जाय--

"अनुसूचित जाति, विमुक्त जन जाति तथा"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री गेंदा सिंह--

श्रीमन्, आपकी आज्ञा से मैं निम्नलिखित संशोधन उपस्थित करता हूं कि खंड ९ में मूल अधिनियम की नयी प्रस्तावित धारा १५७-क की उपधारा (१) की पंक्ति ४ में शब्द "आदिम जाति का हो" तथा शब्द "कलेक्टर" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"अथवा अन्य जाति में से मतिभ्रम, डर से रूठा हुआ या बहकाया हुआ हो ।"

कानून के पढ़ने वाले लोग यह कह सकते हैं कि यह बड़ा वैधानिक और व्यापक प्रश्न है लेकिन आज बेनामे की यह हालत हो गई है कि इस वक्त किसी भी तहसील में या उसके पजिस्ट्री आफिस में आप देखेंगे कि हर मास दस बीस बनाये ऐसे हो जाते हैं कि वह पहुंचे नहीं और बेनामा हो गया। घर से रूठा हुआ आदमी, जरा झगड़ा हुआ पुलिस वाले जानते हैं और उसको बुलाकर ले जाते हैं और फौरन बेनामा हो जाता है, जरा विभाग गड़बड़ हुआ रूठ गये या मतिभ्रम हुआ तो लोग बहकाकर बेनामा करा लेते हैं। मतलब यह है कि जैसे उन की ओर सुरक्षा दी जा रही है कि वह बेनामे करा सकते हैं, लेकिन उन्हें कलेक्टर से स्वीकृति लेनी पड़ेगी। घर वालों को बहका कर अगर जाते हैं तो कलेक्टर की स्वीकृति से और दीवानी जाने पर कुछ राहत मिल सकती है। यह सही है कि काम जरा मुश्किल है, लेकिन रूठे हुये लोग, मतिभ्रम और बहकाये हुये लोगों के गलत बेनामे न हो सकेंगे। यह काम व्यापक रूप से हो रहा है। इसके मानने से बयनामा लिखने वाले को भय बना रहेगा कि जिसके हक में वह बयनामा लिखा जा रहा है उसके खिलाफ लिखने वाला या दूसरा अदालत में जायगा दीवानी में तो वह खारिज हो सकता है। अगर इस बोझ को माननीय राजस्व मंत्री जी उठा सकें, इस तरह की सुरक्षा की बात अगर वह जरूरी समझते हैं तो कर दें।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह तो इन दि इन्टरेस्ट आफ शिड्यूल्ड ट्राइब्स है इसलिये यह वैधानिक तरीके से उसमें नहीं आ सकता। जहां तक रूठे हुये की बात है वह तो मान भी सकते हैं और फिर रूठे हुये की परिभाषा क्या होगी। वह कोई और चीज लाते तो समझ में आ सकती थी और उनके दिमाग में कोई रूठा हो तो उसको वह आज ही मना लें। जहां तक मतिभ्रम की बात है, उसका मतलब है कि जो अपने सेन्सेज में न हो, किसी ने शराब पी हो या दिमाग खराब हो गया हो तो यह चीज तो जनरल ला से ही कवर हो जाती है और ऐसे लोगों के द्वारा किये गये बयनामे खारिज हो जाते हैं। जो आम कानून बना है, उसके अनुसार होगा तो इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

माननीय गेंदा सिंह जी, तो आप इसको वापिस लेते हैं ?

श्री गेंदा सिंह--

श्रीमन्, जिन बातों की ओर मैंने सरकार का ध्यान दिलाया है वह उनकी बेनामों का ओर है जो फर्जी होते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार कोई कदम ऐसा उठाये जिससे इस प्रकार के बेनामे न हों। इस आशय से मैं अपने संशोधन को वापिस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री हिम्मत सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति चार में शब्द "कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना" निकाल दिया जाय तथा इसके उप खंड (२) को भी निकाल दिया जाय।

श्रीमन्, अगर सरकार के संशोधन को मान लिया गया तो किसान को जो राहत दिलाना चाहते हैं, वह अनुसूचित आदमी को नहीं मिल सकती है। क्योंकि कलेक्टर की स्वीकृति लेकर उसके लिये एक रास्ता खुला हुआ है। इसलिये अगर आप चाहते हैं कि आदिम जाति की जमीन आदिम जाति के ही लोग खरीद सकें तो मेरे संशोधन को मान लें। मेरा इस संशोधन से केवल इतना ही मतलब निकलता है। इसलिये मैं प्रार्थना करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरे इस संशोधन को जो बड़ा मौलिक और निर्दोष संशोधन है, मान लें क्योंकि जो आपकी भावना है, यह उसको परिपुष्ट करता है ?

श्री चतुर्भुज शर्मा—

माननीय हिम्मत सिंह जी की जो भावना है, उसकी मैं कद्र करता हूं लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया संविधान के अनुसार हम यहां पर कार्य कर रहे हैं। हरएक को अपने राइट्स बचाने का मौलिक अधिकार है। हम उन्हें रोक नहीं सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा कर दिया तो डिस्क्रिमिनेशन हो जायगा। हमने "कलेक्टर" को रखकर उन्हें संरक्षण दिया है, इसलिये यह नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ के उपखंड (१) की पंक्ति चार में शब्द "कलेक्टर की पूर्व स्वीकृति के बिना" निकाल दिया जाय तथा इसके उपखंड (२) को भी निकाल दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १०

धारा १६३ का संशोधन

१०—मूल अधिनियम की धारा १६३ में शब्द तथा अंक "धारा १५४" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा १५४ अथवा धारा १५७-क" रख दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष—

माननीय त्रिपाठी जी, आप अपने संशोधन को वापस लेते हैं?

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं इसे प्रेस नहीं करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ११

धारा १६९ का संशोधन

११—मूल अधिनियम की धारा १६९ में—

(१) उपधारा (१) में, शब्द अंक तथा कोष्ठक "उपधारा (२)" के स्थान पर शब्द, अंक, अक्षर तथा कोष्ठक "उपधारा (२) तथा (२-क)" रख दिए जाएं; तथा

(२) उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:—

"(२-क) किसी अनुसूचित आदिम जाति के भूमिधर की दशा में दिरसा (वसीयत) करने के निमित्त धारा १५७-क के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे जीवन-काल के दौरान संक्रमण पर लागू होते हैं।"

श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी—

अब इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। मैं इसे पेश नहीं करता।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड ११ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १२ व १३

धारा १९५ का संशोधन

१२—मूल अधिनियम की धारा १९५ में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति को" के पश्चात् शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से", बढ़ा दिए जाएं ।

धारा १९७ का संशोधन

१३—मूल अधिनियम की धारा १९७ के प्रारम्भिक पैरा में शब्द "भूमि प्रबन्धक समिति को", के पश्चात् , जहां वे पहली बार आये हैं, शब्द "परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर के पूर्वानुमोदन से", बढ़ा दिए जाएं ।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड १२ और १३ स विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १४

धारा १९८ का संशोधन

१४—मूल अधिनियम की धारा १९८ में—

(क) उपधारा (२) में शब्द, अंक और कोष्ठक, "परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर उपधारा (१) के अधीन की गयी प्रादेशना (allotment) के विषय में नियत रीति से जांच स्वयमेव कर सकता है और उपधारा (१) के अधीन दी गयी भूमि प्रबन्धक समिति की आज्ञा से असंतुष्ट किसी व्यक्ति के प्रार्थना पर तो उक्त जांच अवश्य ही करेगा" के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक "कलेक्टर उपधारा (१) में अभिदिष्ट किसी प्रादेशना के विषय में नियत रीति से जांच स्वयमेव कर सकता है और ऐसी प्रादेशना से असंतुष्ट किसी व्यक्ति की प्रार्थना पर तो नियत रीति से उक्त जांच अवश्य ही करेगा", रख दिए जाएं, और

(ख) उपधारा (३) में शब्द "परगने का इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर" के स्थान पर शब्द "कलेक्टर" रख दिया जाए ।

श्री गेंदा सिंह---

मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में उल्लिखित मूल अधिनियम की धारा १९८ की उपधारा (२) के विषय में उप खंड (क) की पंक्ति आठ के शब्द "प्रार्थना" के स्थान पर शब्द "सूचना" रख दिया जाय ।

यह पट्टे देने वाली बात जो है सारे प्रदेश में स्थिति यह है कि इसमें थोड़ी अनियमितता नीचे के अधिकारी कर देते हैं । इसको ठीक ऊपर का अधिकारी स्वयंमेव भी कर सकता है, लेकिन अगर कोई सूचना दे दे तो मेरा निवेदन है कि उस पर भी वह विचार करें और सूचना देने पर उस शख्स को कोई टिकट नहीं लगाना होगा, जिस प्रकार की प्रार्थना पर लगाना हो सकता है ।

श्री चतुर्भुज शर्मा---

पहली बात तो यह है कि स्वयमेव कर सकता है । फिर जब किसी को सूचना मिलेगी तभी तो वह करेगा । यह सूचना इसमें आ ही जाती है । क्योंकि अफसर को जानकारी स्वयं तो होती नहीं है, कोई उसे बतलायेगा ही । दूसरे यह रखा है कोई विशेष प्रार्थना-पत्र दगा तो अवश्य उसे देखना पड़ेगा । इसलिये यह संगत है, इसे रहना चाहिये ।

श्री गेंदा सिंह--

शर्मा जी ने सूचना और प्रार्थना का महत्व बताया। मैं चाहता हूं कि कृपा कर वह यह कह दें कि प्रार्थना में किसी टिकट के लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोई एक चिट्ठी भेज दें तो उसे प्रार्थना मान लिया जायगा। तब मैं इसे वापस ले लूंगा।

श्री चतुर्भुज शर्मा--

गेंदा सिंह जी यह कह रहे हैं कि प्रार्थना में टिकट लगाना पड़ता है तो यह जरूरी नहीं है। सरकार के पास जो पत्र आते हैं तो उन पर कोई टिकट नहीं होता है। हम अफसर से कार्यवाही करने के लिये उस पर लिख देते हैं। लेकिन अब अगर ऐक्ट में कोई प्राविधान है तो चीज दूसरी है। फिर ऐसी कोई चीज नहीं कि बहुत बड़ा खर्चा इसमें पड़ेगा। अगर कोई ऐसी बात हो सकती है तो उसे देखा जायगा।

श्री गेंदा सिंह--

मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--

देखिये, अब जितने आगे संशोधन रह जायेंगे मैं पढ़ता जाऊंगा क्योंकि ४ बजे खत्म होना है। यह मान लिया जाय कि जो संशोधन दिये हुये हैं वह उपस्थित किये गये और उसके ऊपर मैं वोट ले लूंगा।

श्री हरिनाथ तिवारी--

खंड २७ में केवल कामा है, वह तो मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १४ के उपखंड (क) के अन्त में शब्द "करेगा" और "रख दिये" के बीच निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय--

"और जांच से प्रावेशना अनुचित सिद्ध हो तो अधिकारी की चरित्र पंजिका में इसे नोट कर दिया जाय।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

धारा २०२ का संशोधन

१५--मूल अधिनियम की धारा २०२ के खण्ड (ग) में शब्द "या देय धनराशि न्यायालय में जमा कर दी गयी है" के स्थान पर शब्द "या बन्धक के अधीन देय धनराशि चाहे वह तदधीन भुगतान के योग्य हुई हो या नहीं न्यायालय में जमा कर दी गयी है," रख दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १६

१६—मूल अधिनियम की धारा २३० में, खण्ड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जाए, अर्थात्:— धारा २३० का संशोधन

"(धध) धारा १५७-क के अधीन प्रार्थना-पत्र दिय जाने और उसके संबंध में कलेक्टर द्वारा जांच किये जाने से संबंधित प्रक्रिया";

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १७, १८, १९, २०, २१ तथा २२

१७—मूल अधिनियम की धारा २५१ में उपधारा (२) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:— धारा २५१ का संशोधन

"(३) उपधारा (१) तथा (२) में किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों, जिनमें यह अधिनियम ६ जून, १९६९ के पश्चात प्रवृत्त किया जाए, के संबंध में, ऐसे प्रवर्तन से दो वर्ष की अवधि समाप्त होने के पूर्व किसी भी समय, ऐसे क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग की मालगुजारी का बन्दोबस्त करने का निदेश दे सकती है। इस प्रकार किया गया बन्दोबस्त ऐसे क्षेत्र अथवा भाग के संबंध में धारा २५३ में अभिदिष्ट प्रारम्भिक बन्दोबस्त समझा जाएगा और, तदनुसार, ऐसे क्षत्र अथवा भाग पर धारा २५२ के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।"

१८—मूल अधिनियम की धारा २८६ की उपधारा (२) में शब्द "किसी भी अचल संपत्ति से" और शब्द "प्रसार द्वारा वसूल किया जा सकता है" के बीच शब्द "जिसमें वह खाता जिसका वह भूमिधर, सीरवार अथवा असामी हो भी सम्मिलित है" बढ़ा दिए जाएं। धारा २८६ का संशोधन

१९—मूल अधिनियम की धारा ३३१ में उपधारा (१) क पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:— धारा ३३१ का संशोधन

"(१-क) उपधारा (१) में किसी बात के होते हुए भी, किसी अपील अथवा पुनरीक्षण न्यायालय द्वारा यह आपत्ति कि यथास्थिति अनुसूची २ के स्तम्भ ४ में निर्दिष्ट किसी न्यायालय, अथवा किसी दीवानी न्यायालय ने, जिस वाद, प्रार्थना-पत्र अथवा व्यवहार के सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र नहीं था, उसके सम्बन्ध में अधिकार क्षेत्र का प्रयोग किया है, तब तक ग्रहण नहीं की जायगी जब तक कि ऐसी आपत्ति यथासम्भव प्रथम प्राप्त अवसर पर ही प्रारम्भिक न्यायालय में न की गयी हो, और उन सभी मामलों में जिनमें वाद-प्रश्न निश्चित कि जाने हैं। ऐसी आपत्ति इस प्रकार निश्चित किये जाने के समय या उसके पूर्व ही न कर दी गयी हो, और जब तक कि ऐसे मामले में परिणामस्वरूप न्याय में चक न हो गई हो।"

२०—मूल अधिनियम की धारा ३३७ में, शब्द और अंक "२ एकड़ एक एकड़ के रूप में गिना जायगा," के स्थान पर शब्द "डेढ़ एकड़ एक एकड़ के रूप में गिना जाएगा" रख दिए जाए। धारा ३३७ का संशोधन

धारा ३४४ का संशोधन

२१—मूल अधिनियम की धारा ३४४ की उपधारा (१) के खण्ड (ख) में शब्द "वाद या दूसरे व्यवहार" के स्थान पर शब्द तथा कोष्ठक "वाद-प्रार्थना-पत्र अपील, तथा दूसरे व्यवहार (जिनमें पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण के लिये व्यवहार भी सम्मिलित है)" रख दिए जाएं।

अनुसूची २ का संशोधन

२२—मूल अधिनियम की अनुसूची २ में क्रम संख्या २० और २०-क और उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित रख दिए जाएं, अर्थात्:—

१	२	३	४	५	६
"२०	१९८(२)	भूमि के प्रदेशन पर आपत्ति करने का प्रार्थना-पत्र	कलेक्टर	कमिश्नर	,,
२०-क	१९८(४)	भूमि में अभियाचित अधिकार स्थापित करने का वाद।	,,	,,	,,

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १७, १८, १९, २०, २१ तथा २२ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २३, २४, २५ और २६

संक्रमण कालीन निदेश

२३—इस अधिनियम द्वारा मूल अधिनियम की धारा १९८ और अनुसूची २ में किए गए संशोधनों के होते हुए भी, उक्त धारा की उपधारा (१) में अभिदिष्ट प्रदेशनों के संबंध में, जो २८ जून, १९६८ ई० से पूर्व किए गए हों:—

(क) उक्त धारा १९८ की उपधारा (२) के अधीन जांच की जाने और आदेश देने का क्षेत्राधिकार, तथा

(ख) उक्त धारा की उपधारा (४) के अधीन वादों को ग्रहण करने और उनका निर्णय करने का क्षेत्राधिकार

परगने के इंचार्ज असिस्टेंट कलेक्टर में उसी प्रकार निहित बना रहेगा मानों यह अधिनियम पारित हीन हुआ हो।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० ५, १९५४ ई० की धारा ११ का संशोधन

२४—उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३ (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा ११-क में, शब्द तथा अंक "जो धारा ९ के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था" के स्थान पर शब्द तथा अंक "जो धारा ९ के अधीन उठाया गया हो या जो उक्त धारा के अधीन उठाया जा सकता था या उठाया जाना चाहिए था" रख दिए जाएं।

धारा ४८ का संशोधन

२५—मूल अधिनियम की धारा ४८ में निम्नलिखित स्पष्टीकरण बढ़ा दिया जाए और सदैव से बढ़ा दिया गया समझा जाए, अर्थात्:—

"स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, चकबन्दी अधिकारी, सहायक चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दीकर्त्ता और चकबन्दी लेखपाल, चकबन्दी संचालक के अधीन होंगे।"

२६---मूल अधिनियम की धारा ५३-ख में शब्द, कामा तथा अंक "इंडियन लिमिटेशन एक्ट, १९०८" के स्थान पर शब्द, कामा तथा अंक " परिसीमन अधिनियम, १९६३" रख दिए जाएं। धारा ५३-का संशोधन

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २३ के अन्त में यह जोड़ दिया जायगा:---

मूल अधिनियम की धारा १९८ में अभिदिष्ट वरीयताओं को इस प्रकार कर दिया जायगा:---

(डी) को (ई) कर दिया जाय तथा (अ:ई--ए) को हटा कर (डी) के स्थान पर कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि खंड २३, २४, २५ और २६ इस विधेयक के अंग माने जायें।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २७

२७---(१) (क) प्रत्येक अधिकारी या प्राधिकारी जिसे, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय, राज्य सरकार द्वारा मूल अधिनियम की धारा ४४ के खण्ड (२) के अधीन चकबन्दी संचालक के अधिकार प्रदान किए गए हों, उसे ऐसे अधिकार प्रदान किए जाने के दिनांक से, उक्त अधिनियम की धारा ३ के खण्ड (४) के अधीन चकबन्दी संचालक के रूप में यथाविधि नियुक्त किया गया समझा जाएगा; तथा वैधीकरण उपबन्ध

(ख) किसी ऐसे अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा राज्य सरकार के ऐसे अधिकारों का प्रयोग करके, जो उसे मूल अधिनियम की धारा ४४ के खण्ड (१) के अधीन प्रदान किए गए अभिप्रेत हों, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व किसी भी समय बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी या अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, या सहायक बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, के रूप में की गई किसी व्यक्ति की हर नियुक्ति वैध समझी जाएगी और सदैव से वैध समझी जाएगी, भले ही उक्त खण्ड के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्रतिनिधान आदेश उक्त धारा के उपबन्धों के अनुसार न दिया गया हो अथवा सरकारी गजट में प्रकाशित न किया गया हो।

(२) किसी न्यायालय के किसी निर्णय, डिक्री या आदेश के होते हुए भी, उपधारा (१) में निर्दिष्ट किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा, इस अधिनियम के प्रारंभ होने के पूर्व, मूल अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन अधिकारों का प्रयोग करने या कर्त्तव्यों का पालन करने में प्रयुक्त क्षेत्राधिकार, दिया गया निर्णय या आदेश और ऐसे अधिकारों का प्रयोग करने या कर्तव्यों का पालन करने में किया गया अन्य कार्य या की गई अन्य कार्यवाही केवल इस कारण से न तो अवैध या अमान्य समझी जाएगी, न कभी अवैध या अमान्य रही समझी जाएगी, कि ऐसा अधिकारी या प्राधिकारी उक्त अधिनियम के अधीन, यथास्थिति चकबन्दी संचालक, बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी, अतिरिक्त बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी या सहायक बन्दोबस्त चकबन्दी अधिकारी, चकबन्दी के रूप में यथाविधि नियुक्त नहीं किया गया था।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति ४ में चकबन्दी अधिकारी के बाद',' तथा उसी लाइन में बन्दोबस्त अधिकारी के बाद',' हटा दिया जाय।

श्री चतुर्भुज शर्मा—

श्रीमन्, विरोध पक्ष वाले कहते हैं कि कोई भी चीज, कामा तक नहीं मानते हैं इसलिये ग्रैमेटिकली तो वह करेक्ट है लेकिन अगर सदस्य चाहते हैं तो मैं माने लेता हूं। कामा वगैरह तो वैसे ही ठीक किये जा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २७ के उपखंड (१) के भाग (ख) की पंक्ति ४ में चकबन्दी अधिकारी के बाद',' तथा उसी लाइन में बन्दोबस्त अधिकारी के बाद',' हटा दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २८

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० १, १९६१ की धारा २६ का संशोधन

२८—उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत-सीमा आरोपण अधिनियम, १९६० (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा २६ में—

(१) उपधारा (१) में शब्द तथा अंक "धारा २७" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा २६-क और २७" रख दिए जाएं; तथा

(२) उपधारा (२) निकाल दी जाए।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २८ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड २९

नई धारा २६-क का बढ़ाया जाना

२९—मूल अधिनियम की धारा २६ के पश्चात् निम्नलिखित नई धारा बढ़ा दी जाए, अर्थात्:—

उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम १९६९ के प्रारंभ होने के पूर्व अन्तरिम अवधि के लिए पट्टे पर दी गई भूमि का बन्दोबस्त

"२६-क—(१) यदि कोई अतिरिक्त भूमि किसी व्यक्ति को धारा २६ की उपधारा (२) के अधीन जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व थी अन्तरिम अवधि के लिए पट्टे पर दी गई हो और ऐसा व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ ऐसी अतिरिक्त भूमि का उक्त अधिनियम द्वारा यथा संशोधित धारा २७ की उपधारा (३) के अधीन बन्दोबस्त किया जाना चाहिए, तो उस भूमि का, उस व्यक्ति की इच्छा पर, या तो ऐसी अवधि के पूर्व अथवा उसके अन्त में कलेक्टर द्वारा उसी व्यक्ति के साथ बन्दोबस्त किया जाएगा।

(२) अन्य सभी मामलों में, अन्तरिम अवधि के लिए इस प्रकार पट्टे पर दी गई भूमि, ऐसी अवधि के अन्त में, कलेक्टर द्वारा वापस ले ली जाएगी, और तत्पश्चात् उसका बन्दोबस्त धारा २७ के उपबन्धों के अनुसार किया जाएगा।"

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २९ में प्रस्तावित नयी धारा २६—क के उपखंड (१) में "२७ की उपधारा (३) के अधीन" व "बन्दोबस्त" के बीच "वरीयता के अनुकूल" बढ़ाये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड २९ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३०

३०—मूल अधिनियम की धारा २७ में, वर्तमान उपधारा (३) और (४) के स्थान पर निम्नलिखित नई उपधारा रख दी जाए, अर्थात्:— धारा २७ का संशोधन

"(३) किसी भी अतिरिक्त शेष भूमि का बन्दोबस्त कलेक्टर द्वारा उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५० की धारा १९८ और उसके अधीन बने नियमों के में दिए गए तारतम्य के अनुसार किया जाएगा।" उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या १, १९५१

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३० में प्रस्तावित नयी उपधारा (३) की प्रथम पंक्ति में "किसी भी" के बाद शब्द "अतिरिक्त" हटा दिया जाय और उसके स्थान पर "जोत सीमा आरोपण की निकली हुई" रखा जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३० इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३१, ३२, ३३, ३४

३१—मूल अधिनियम की धारा २८ में— धारा २८ का संशोधन

(१) उपधारा (१) और (२) में जहां-जहां भी शब्द तथा अंक "धारा २७" आये हों, उनके स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा २६-क या धारा २७" रख दिये जायें, तथा

(२) उपधारा (३) में शब्द तथा अंक "धारा २७" के स्थान पर शब्द, अंक तथा अक्षर "धारा २६-क या धारा २७" रख दिए जाएं, और शब्द तथा अंक "धारा २६" के पश्चात् शब्द तथा अंक "जैसी कि वह उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ के प्रारम्भ होने के ठीक पूर्व थी" बढ़ा दिए जाएं।

उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० २५, १९६५

३२—लोक-धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ के (जिसे आगे इस अध्याय में मूल अधिनियम कहा गया है) वृहत् नाम में शब्द "उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम को" के पश्चात् शब्द "या राज्य सरकार द्वारा एतदर्थ विज्ञापित किसी अन्य निगम को, या भारत के स्टेट बैंक, या किसी अनुसूचित बैंक या सरकारी कम्पनी को" बढ़ा दिए जाएं। वृहत् नाम का संशोधन

धारा २ का संशोधन

३३—मूल अधिनियम की धारा २ में—

(१) खंड (क) के अन्त में निम्नलिखित बढ़ा दिया जाय, अर्थात्:—

"और इसके अन्तर्गत कोई अन्य ऐसा निगम भी है जो राज्य सरकार के स्वामित्व अथवा नियंत्रण में हो और जिसे राज्य सरकार ने सरकारी गजट में जारी की गई विज्ञप्ति द्वारा एतदर्थ निर्दिष्ट किया हो।"

(२) खंड (ख) के उपखंड (३) में शब्द "पशुपालन" के स्थान पर शब्द "कृषि, उद्यान-कर्म, पशु-पालन, या कृषि उद्योग" रख दिए जांए।

(३) खंड (ख) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाय, अर्थात्—

१९५६ का १

"(ख ख) 'सरकारी कंपनी' का तात्पर्य कंपनीज ऐक्ट, १९५६ की धारा ६१७ में यथापरिभाषित गवर्नमेन्ट कंपनी से है।"

(४) खंड (ध) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिए जायें अर्थात्

१९३४ का २

"(ध ध) 'अनुसूचित बैंक' का तात्पर्य रिजर्व बैंक आफ़ इंडिया ऐक्ट, १९३४ की द्वितीय अनुसूची में तत्समय सम्मिलित बैंक से है,

१९५५ का २३

(धधध) 'भारत का स्टेट बैंक' का तात्पर्य स्टेट बक आफ इंडिया ऐक्ट, १९५५ के अधीन संगठित स्टेट बैंक आफ इंडिया से है।"

(५) खंड (ङ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड बढ़ा दिया जाये, अर्थात्—

"(च) 'राज्य द्वारा पुरोनिधानित योजना' का तात्पर्य वित्तीय सहायता के रूप में राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित ऐसी योजना से है, जिसके अन्तर्गत राज्य सरकार या तो भारत के स्टेट बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या किसी सरकारी कंपनी को ऋण वितरित करने, अग्रिम धनराशि देने या अनुदान देने के लिए अथवा माल को उधार बेचने या उसके क्रयविक्रय के प्रयोजन के लिए धनराशि देती है या ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान की वापसी अथवा उधार या—क्रयविक्रय पर बेचे गए माल की कीमत के भुगतान की प्रत्याभूति देती है या प्रत्याभूति देने का अनुबन्ध करती है।"

धारा ३ का संशोधन

३४—मूल अधिनियम की धारा ३ की उपधारा (१) में—

(१) खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिए जाएं, अर्थात्:—

"(क) राज्य सरकार या निगम द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में उसे दिए गए किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान अथवा उसे उधार बेचे गए या क्रयविक्रय पर बेचे गए माल से, संबद्ध अनुबन्ध में, या

(कक) राज्य सरकार द्वारा पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत, यथास्थिति, भारत के स्टेट बैंक या किसी अनुसूचित बैंक या सरकारी कंपनी द्वारा उसे दिए गए किसी ऋण, अग्रिम धनराशि या अनुदान से संबद्ध या उसे उधार बेचे गए या क्रयविक्रय पर बेचे गए माल से संबद्ध किसी अनुबन्ध में, या", और

(२) शब्द "निगम की दशा में उसका प्रबन्ध निदेशक" के स्थान पर शब्द "निगम या सरकारी कंपनी की दशा में उसका प्रबन्ध निदेशक और भारत के स्टेट बैंक या अनुसूचित बैंक की दशा में उसका स्थानीय एजेंट, वह चाहे जिस नाम से पुकारा जाता हो," रख दिए जाएं।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३१, ३२, ३३ तथा ३४ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड ३५ तथा ३६

विस्तारण और वैधीकरण

उ० प्र० ऐक्ट सं० ३, १९०१ उ० प्र० अधिनियम सं० ९, १९५७

३५—(१) यू० पी० लैंड रेवेन्यू ऐक्ट, १९०१ के अध्याय ८ के उपबन्ध, और उस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियम जहां तक कि वे उस अध्याय से सम्बद्ध हैं, १८ जून, १९६५ की ओर से रामपुर की नगरपालिका में सम्मिलित उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५६ के अधीन अभिगृहीत कृषि क्षेत्र से भिन्न, क्षेत्रों में विस्तृत किए जाएंगे और किए गए समझे जाएंगे और ऐसे क्षेत्र में उक्त दिनांक के ठीक पूर्व प्रवृत्त उक्त उपबन्धों के तदनुरूप कोई विधि उस दिनांक से निरसित हो जाएगी।

(२) मालगुजारी की या मालगुजारी की बकाया के रूप में वसूली किसी राशि की वसूली के लिए रामपुर के कलेक्टर द्वारा या किसी अन्य आफिसर या प्राधिकारी द्वारा या कलेक्टर द्वारा नियुक्त किसी रिसीवर द्वारा, उक्त क्षेत्र में की गई कोई बात या कोई कार्रवाई (जिसके अन्तर्गत पारित आदेश, की गई नियुक्ति, की गई कार्यवाही, निकाला गया निदेश या आदेशिका अथवा प्रयुक्त अधिकार क्षेत्र आते हैं), ऐसे ही विधि मान्य अथवा वैध रूप से की हुई या की गई समझी जाएगी मानों स अधिनियम के उपबन्ध उन सभी तात्विक समयों पर जब ऐसी बात या कार्रवाई की गई थी प्रवृत्त थे।

निरसन

निरसन

३६—निम्नलिखित अधिनियमितियां एतद्द्वारा निरसित की जाती हैं—

(१) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अधिनियम, १९६८,	राष्ट्रपति अधिनियम सं० १७ १९६८ ई०
(२) उत्तर प्रदेश जोत-चकबन्दी (संशोधन) अधिनियम, १९६८,	राष्ट्रपति अधिनियम सं० १८, १९६८ ई०
(३) उत्तर प्रदेश लोक-धन (देयों की वसूली) (संशोधन) अधिनियम, १९६८,	राष्ट्रपति अधिनियम सं० ३४, १९६८ ई०
(४) उत्तर प्रदेश मालगुजारी उपबन्ध (रामपुर को विस्तारण) अधिनियम, १९६९, तथा	राष्ट्रपति अधिनियम सं० ५ १९६९ ई०
(५) उत्तर प्रदेश जमींदारी-विनाश और भूमि-व्यवस्था (संशोधन) अध्यादेश, १९६९।	उत्तर प्रदेश अध्यादेश सं० ३, १९६९ ई०

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३५ के उपखंड (१) व (२) में जहां कहीं भी "रामपुर की नगरपालिका" लिखा गया है उन सभी स्थानों पर उसके पूर्व "राबट्सगंज टाउन एरिया तथा" जोड़ दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड ३५ और ३६ इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९

(जैसा कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, १९५०, उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, १९५३, उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण, अधिनियम, १९६०, तथा लोक धन (देयों की वसूली) अधिनियम, १९६५ का और संशोधन करने, और ० पी० लैंड रेवेन्यू एक्ट, १९०१ के कतिपय उपबन्धों का विस्तार रामपुर को करने तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए व्यवस्था करने के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के बीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त शीर्षनाम

१—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश भूमि-विधि (संशोधन) अधिनियम, १९६९ कहलाएगा।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री चतुर्भुज शर्मा—

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश भूमि विधि (संशोधन) विधेयक, १९६९ जैसा कि इस सदन द्वारा संशोधित हुआ है, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक, १९६९ के अनुसमर्थन का संकल्प

न्याय मंत्री (श्री स्वामीप्रसाद सिंह)—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह संकल्प प्रस्तुत करता हूं कि यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक, १९६९ द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को, जो संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिबन्धात्मक खंड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करता है।

श्रीमन्, यह विधेयक लोक सभा और राज्य सभा से पास हो चुका है तथा राष्ट्रपति की अनुमति के लिये पड़ा हुआ है। लेकिन संविधान के अनुसार संविधान के किसी संशोधन को आधे से ज्यादा राज्यों की स्वीकृति मिल जाय तभी राष्ट्रपति अनुमति देते हैं। इसलिये यह विधयक राज्य सभा में पास हो जाने के बाद यहां भेजा गया है। विधान परिषद् इसको पास कर चुकी है। अब इस सदन के माननीय सदस्यों के सामने इसको रखा जा रहा है। श्रीमन्,

इसकी जो एतिहासिक बैक-ग्राउन्ड है वह यह है कि आसाम राज्य के अन्दर संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि एक उप राज्य कायम किया जाए और उप राज्य कायम करने के लिए केन्द्र को उस विधेयक के द्वारा अधिकार मिला था। वह स्वायत्त अधिकार प्राप्त करने के हकदार है, लेकिन जो आसाम स्टेट होगी उसके अन्दर ही उप राज्य बनेगा। श्रीमन्, सन् ४७ के पहले जो आदिम जिले थे वह इस आसाम के क्षेत्र के बाहर थे और वह गवर्नर या गवर्नर जनरल के मातहत होते थे। सन् १९४७ के बाद यह आसाम स्टेट में शामिल कर लिया गया, लेकिन फिर वहां के लोगों ने इसको लेकर आसाम स्टेट की व्यवस्था उनके साथ ठीक नहीं है, आन्दोलन शुरू किया और इस आन्दोलन के फलस्वरूप आखिरकार कई बार संस्तुतियां हुईं, कई आयोग बनें और अन्ततोगत्वा यह तय किया गया कि इस तरह का एक उप राज्य कायम हो और संविधान में जो ८वां अनुच्छेद है उसके अनुसार संसद अलग राज्य कर सकती है, लेकिन कोई नई राज्य कायम नहीं कर सकती। इसके लिये आधे से अधिक राज्यों की स्वीकृति आवश्यक है। इसके अन्तर्गत जो ला एण्ड आर्डर की बात है वह आसाम को दिया जाएगा और स्वायत्त अधिकार जो हैं यह उनको यानी उप राज्य को दिया जाएगा। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि चूंकि इसे लोकसभा में भी सभी लोगों ने पास किया है, केवल जनसंघ के सदस्यों ने उसका विरोध किया है, शायद यहां पर उनकी स्वीकृति मिल जाए, आप सब इसे एक मत से स्वीकृति प्रदान करें।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि संकल्प की अन्तिम पंक्ति में "अनुसमर्थित" के स्थान पर 'अननुमोदन" कर दिया जाय।

मान्यवर, यह संशोधन मेरी दृष्टि में और मैं ऐसा समझता हूं कि समस्त राष्ट्रवादी शक्तियों की दृष्टि से बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं ऐसा भी समझता हूं कि यह संविधान की स्प्रिट के भी विरुद्ध है। अभी तक संविधान में ३ प्रकार के राज्यों का प्राविधान है। जैसे पहले प्रकार के उत्तर प्रदेश, बिहार व मध्य प्रदेश आदि, दूसरे प्रकार के ऐसे थे जैसे हिमांचल प्रदेश और तीसरे प्रकार के ऐसे थे जैसे दिल्ली, जिनमें महानगर परिषद् कायम हैं। लेकिन अब एक नई चौथी जो यह अपने मन से पैदा कर रहे हैं कि एक राज्य के अन्दर दूसरा राज्य। अब मान्यवर, आप देखेंगे पहली बात यह है कि यह क्या सिद्धान्ततः सही है। मुझे बड़ा दुःख होता है कि राज्यों का पुनःगंठन करने के लिए स्टेट रिआर्गनाइजेशन कमेटी किसी वक्त आर्गनाईज हुई थी, उसने जब अपने विचार कांग्रेस सरकार के सामने रखे, क्योंकि उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी, और जिसने ही वह रिआर्गनाइजेशन कमेटी बनाई थी, लेकिन उसकी रेकमेन्डेशन को उसी ने ठुकरा दिया। इस कांग्रेस का इतिहास ही यही रहा है इस देश को छिन्न भिन्न करने का, इस देश में अलगाव की प्रवृति पैदा करने का, विघटनकारी शक्तियों को दूध पिलाने का, और तुष्टीकरण की नीति को पनपाने का। इसी इतिहास का यह कारण था कि पाकिस्तान बना आज हम जिस जिस सम्प्रदायवाद की आलोचना करते हैं कांग्रेसियों ने उसी सम्प्रदायवाद का ऐसा वटवृक्ष जमाया जो जीवन में कभी सूखने वाला नहीं है, सदैव पनपता जायेगा। उसके पीछे भी यही तुष्ठीकरण की नीति थी। सरदार पटेल ने जिस वक्त राज्यों का पुनर्गठन किया, ५०० राज्यों का उसका बड़ा नाम लिया गया, उसे देश का बिस्मार्क कहा गया। जैसा कि जर्मनी में उसके बारे में कहा जाता था वैसा ही इस देश में सरदार जी के बारे में कहा गया। बात सही है और हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी जो वंशज आयेंगे वह सदा सराहना करेंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल की कि उन्होंने राज्यों का विलीनीकरण करके भारतवर्ष को महानता प्रदान की और भारतवर्ष को एकता की राह पर आसीन किया, लेकिन उनके किये हुये सब कार्य निरर्थक हो गये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी]

आज हमारी यह कांग्रेस की सरकार उनके कि हुये कार्यों को मिटाने के लिये कृतसंकल्प है। इसी का परिणाम यह है कि आज इतने प्रदेश बन गये। रिआर्गनाइजेशन की बात को न मानने के बाद दूसरे राज्य बने। अलग मैसूर उन्होंने बनाया, गुजरात और महाराष्ट्र इन्होंने बनाया, आन्ध्र प्रदेश इन्होंने बनाया, और यह क्यों इसी तुष्टीकरण की नीति के कारण, उन्हें समझाने बुझाने के लिये और उनकी भावनाओं को संतोष दिलाने के लिये इन्होंने दूसरे छोटे-छोटे राज्यों की स्थापना की। इन्हें इतने से ही संतोष नहीं हुआ, श्रीमन्, अभी मल्लापुरम जिला बनाया गया है यह उसी की कारोलरी है। जब ऐसी प्रवृत्तियां बढ़ेंगी तो क्या होगा? हमने फेडरल शासन की बात कही थी उसके अन्दर जो क्लाजेज थे वह ढीले हो रहे हैं। आज ऐसा लगता है कि हर प्रदेश अलग होना चाहता है। आज प्रदेशीय एकता भी छिन्न-भिन्न हो रही है। इन्होंने प्रदेश न कहकर उसको राज्य कह दिया और उस शब्द के संबोधन में ही इन्होंने जो राष्ट्रीय एकता के बंधन थे उनको छिन्न भिन्न करने का सूत्रपात्र किया। इन्होंने इस संबंध में जितने भी कारनामे किये उनको अधिनियम बताकर बिखराव और अलगाव की प्रवृत्तियों को और भी बल देने का प्रयास किया है। आज भी इस सरकार को कोई चेत नहीं है। जितनी कमेटियां इस सरकार ने स्थापित की हैं, उनकी सभी रिपोर्टों को इन्होंने ठुकरा दिया है। जैसे भाषावार प्रान्त के बारे में जो उनका सुझाव था उसको भी उन्होंने ठुकरा दिया। पता नहीं इतना रुपया इन्होंने क्यों पब्लिक का बरबाद किया है। इस वक्त एक राज्य बन रहा है, जिसके बारे में संशोधन किया जा रहा है। इसके बारे में अनेक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्णय हो चुके हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इनको, मूल सिद्धान्तों को, बदलने का क्या अधिकार है।

दूसरी बात मैं यह भी चैलेंज करता हूं कि इस देश की अखंडता को हटाने के लिये और इस देश की एकता को नष्ट करने के लिये देश की भावात्मक एकता की जड़ हिलाने के लिये क्या इनको अधिकार है? और राष्ट्रीय एकता को मिटाने के लिये संविधान में संशोधन करने का इनको अधिकार नहीं है। न मारल, न लीगल इनके इन कृत्यों के लिये कभी भी कोई औचित्य ठहराया नहीं जा सकता।

आज यह हम क्यों करने जा रहे हैं? आज आसाम में हम यह करने जा रहे हैं? आसाम की स्थिति क्या है? आज आसाम वह प्रान्त है जो संकट के कगार पर खड़ा है। एक ओर जहां चीन अपना पंजा गड़ाये बैठा है तो दूसरी ओर पाकिस्तान और तीसरी ओर इन्हीं की परम कृपा के कारण नागालैण्ड का उपराज्य बना जो आज सशस्त्र विद्रोह कर रहा है। बनाया तो उन्होंने नागालैंड और वह भी उसी तुष्टीकरण की नीति के परिणाम स्वरूप, नागालैंड माननीय स्वर्गीय पंडित जवाहर लाल नेहरू ने स्थापित किया, लेकिन वहां की समस्या का हल नहीं निकला, आज भी वहां सशस्त्र विद्रोह है। एक ओर नागालैंड सशस्त्र विद्रोह करने के लिये तैयार है तो दूसरी ओर पाकिस्तान अपनी घुसपैठ लगाये हुये है और इस तरह से आज आसाम का कलेवर, उसका कलेजा जर्जर और दुर्बल हो रहा है। आसाम की आज यह स्थिति है जिसका बहुत बड़ा सामरिक महत्व है, जो सीमान्त का प्रदेश है और जो सजग प्रहरी के रूप में हमारी रक्षा करता है पूर्व में, अगर वह केन्द्र के शासन में होता, यूनियन टेरीटरी होता जहां जिस केन्द्र से मैं समझता हूं कि सारे भारत में रोशनी होती है अगर उसके पीछे रहता तो बहुत उत्तम होता लेकिन इन्होंने किया क्या? ऐसे प्रदेश के लिये जिसकी हमने चर्चा की है उसके साथ इन्होंने कितनी बड़ी अनीति की है।

पहली बात तो यह है कि इन्होंने बीज बोया ही देश के टुकड़े-टुकड़े करने का। लैंगुएज ईशू को उठाकर इन्होंने उसमें भी बंगलिंग की है। इसके साथ ही जो इन्होंने विभाजन पर विभाजन किये उसी का परिणाम है कि आज आसाम, बंगाल और हिल्स के जो लोग रहते हैं उन्होंने जो मार-काट वहां की है उसको मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इनकी गलत नीतियों और पालिसी की ओर आपकी दृष्टि ले जाना चाहता हूं कि वहां कितनी घटनायें हुई, कितनी

मौतें हुई, कितना अत्याचार हुआ, वह मैं कहना नहीं चाहता। नागालैंड की स्थिति आई और इस तरह से २ सूबे बना लिये। इन दूसरे प्रदेशों के निर्माण से जो स्थिति उत्पन्न हुई, उस से हमने कोई सबक नहीं लिया। अगर हमारा पंजा बड़ा होता तो स्थिति हमने अपने हाथ में रखी होती, इसको पहले खत्म कर देते तो आज यह स्थिति न पैदा होती। इसका परिणाम यह है कि राज्य के अन्दर हम उप राज्य का निर्माण देख रहे हैं। आप मुक्त हैं। आप किसी की नहीं सुनते हैं। अगर आप पहले कोई कड़ा कदम उठाते तो अच्छा होता। मगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। मान्यवर, आज वही स्थिति आसाम में है। नागालैंड को आसाम का उप राज्य बनाया गया है। वह कहते हैं उसके कुछ कारण हैं, उसके अन्दर इकोनामिक इम्बेलेन्सेज हैं। वह उसको मजबूत करना चाहते हैं। अगर वह ऐसा नहीं करते तो यह नहीं कर सकते थे, उसको मजबूत नहीं कर सकते थे।

मान्यवर, वहां की जो परम्परा हैं, वहां के जो रहने वाले हैं, उनकी जो परम्परायें हैं वह बिलकुल अलग हैं। अनेकों ऐसे कारण हैं, मान्यवर, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने पाकिस्तान बनाया था तो क्या कारण था, क्या वह उनको दरवाजे पर बुलाकर घर में बैठाना चाहते थे। यह उद्देश्य था? वह क्या करना चाहते थे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं। उस इलाके के सामरिक महत्व के लिये, उस समस्त प्रदेश के विकास के लिये आपने क्या किया? अगर आपने कुछ नहीं किया, तो उसकी सारी जिम्मेदारी आप पर है। जब वह इतना अविकसित प्रान्त था वह छिन्न भिन्न प्रान्त था तो आपको उसको विकसित करना चाहिये था। आपने तिब्बत को चीन के हाथों में डाल दिया, आपने उसकी रोकथाम नहीं की और उसको जर्जर करने का प्रयास किया। आपने क्यों नहीं उस प्रान्त का विकास किया? जो उसमें इकोनोमिक इम्बलेंसेज थे, आपकी रेस्पौंसिबिलिटी थी उनको दूर करने की। आपने क्यों नहीं उनको दूर किया। आपने केन्द्र में बीस साल तक शासन किया। बीस साल के शासन में आपका वहां कोई खास विरोधी नहीं है? आज आप क्यों ख्याल करते हैं कि अगर कोई राष्ट्रवादिता की बात करता है तो वह विद्रोह करता है। वहां पर राष्ट्रवादियों की शिकायत थी। समय-समय पर उन्होंने खतरे की घंटी बजायी तो आपने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। आपने किसी को साम्प्रदायिक कह दिया और किसी को राष्ट्र विरोधी कह दिया। आप खुद राष्ट्र विरोधी थे। आपने खड़े होकर राष्ट्र विरोध किया। दूसरों ने आपको राय दी उसका आपने विरोध किया। यह आपका राष्ट्र द्रोह था। हमारा कहना था कि देश एक होना चाहिये और राष्ट्र के विभिन्न प्रान्तों को केन्द्र के अन्दर होना चाहिये। क्या यह राष्ट्र विरोध है। हमारी संस्था ने कहा था कि देश का एकीकरण होना चाहिये। जो आपका विरोधी है उसको आप खत्म कर देना चाहते हैं। आपने उनसे कोई सबक नहीं लिया। आज स्थिति बिगड़ने से हमारे हाथ में क्या आया। इसकी जिम्मेदारी किस की है? प्रदेशों को बिगाड़ने की जिम्मेदारी किसकी है? आपको देखना चाहिये कि क्या इस तरह से कुछ सौल्यूशन समस्या का निकलता है।

(लाल बत्ती दिखाने पर।)

मान्यवर, मैं तो समझता था कि केवल मैं ही बोलने वाला था। आप मुझे कुछ समय और दे दीजिये। मैं कहीं पहुंच नहीं पाया हूं। मैं आपके कहने से एमेन्डमेंट पेश करता हूं और आप कहते हैं तो मैं तुरन्त बैठ जाता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप कितना समय और चाहते हैं?

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मुझे बीस मिनट दे दीजिये।

श्री अध्यक्ष--

पांच बजे तो खत्म ही करना है। बी० के० डी० बाल भी बोलना चाहते हैं। आप दस मिनट ले लें।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी--

मान्यवर, माननीय मंत्री जी तो बहुमत के आधार पर इसे पास करा ही लेंगे। पर मेरी बात तो आप सुन ही लें। मैं जितनी जल्दी हो सकेगा खत्म करूंगा।

१९५४-५५ में राज्य पुनर्गठन आयोग ने इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिये अपना सुझाव दिया वह ७११ पैरा में लिखा है--

"It will be desirable to bring the entire border between India and Pakistan in this region under one single control namely that of the Assam."

उन्होंने संस्तुति की है। यह महत्व की बात है, लेकिन उस कमीशन की रिपोर्ट नहीं मानी। दूसरे माने में मान्यवर, यह बड़ा विद्रोह हुआ। इसके बाद पाटस्कर रिपोर्ट आयी। उसको भी देख लें। उस पाटस्कर कमेटी की रिपोर्ट को भी इन्होंने ठुकरा दिया। इलेक्शन के जमाने में इनको बहुत सूझ आती है। इन्होंने देखा कि बड़ा विद्रोह है तो अशोक मेहता कमेटी बनाई और अशोक मेहता कमेटी ने भी अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन इन्होंने उसको भी ठुकरा दिया क्योंकि इनको तो वोट से मतलब है राष्ट्र की एकता से इनको मतलब नहीं है।

अब आगे इन्होंने क्या किया कि राज्य के अन्दर राज्य बनाने की घोषणा की। मैं कहता हूं कि हमारे सब उधर बैठे हुये साथी अपना कान खोलकर राष्ट्रीय विचारधारा को लेकर राष्ट्रीय भावना की रोशनी में इसको देखें कि मैं सही कह रहा हूं या गलत। क्या ईसाइयों की के बहुमत की भावना से यह बात होनी चाहिये कि मैं इसका विरोधी नहीं हूं लेकिन मेरा आशय यह है कि ईसाई भावना उसके पीछे नहीं होनी चाहिये। उन्होंने जो मांग रखी, उसके पीछे मजहबी मांग नहीं होनी चाहिये। ईसाई यदि अपने मजहब के आधार पर अपना प्रदेश बनाने की मांग करते हैं तो उस मांग के आगे इस सरकार को अपने घुटने नहीं टेकने चाहिये। केवल २ लाख ७० हजार वाले लोगों की इस तरह की मांग क्या उचित है? केवल ईसाइयों का राज्य इसी आधार पर माना जाय मैं इसको उचित नहीं मानता हूं। और इस तरह के राज्य होने की मुझे आपत्ति है। आप हर चीज को सोचें कि सर माइकेल स्काट इंगलैंड में बैठा हुआ भी इस तरह की बातों की चर्चा करता है तो इस तरह की स्थिति वहां पर पैदा होगी। यदि इस प्रकार की स्थिति है तो विदर्भ की मांग उठेगी। छोटा नागपुर की मांग उठेगी। झारखंड प्रदेश की मांग उठेगी। हिल प्रदेश की मांग तो पहले से हमारे सुनने में आती है। इन सब मांगों पर सस्ती मांग समझकर इस पर कदम न उठायें। आप क्या करेंगे इन बातों पर आपको ध्यान रखना है। यह राष्ट्रीय भावना से समझने की बात है। कोई भी इसका समर्थन नहीं कर सकता है कि राज्य के अन्दर एक राज्य बना दिया जाय। अगर इतने महत्व का यह प्रदेश समझा जाता है तो हमने सुझाव दिया था कि कमीशन मुकर्रर कीजिये। इकोनामिक एक्सपर्ट की राय मांगिये। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट की राय लीजिये। पार्लियामेंट के मेम्बर या अन्य लोग उसको जाकर देखें कि उसका क्या महत्व है और वह अपनी रिपोर्ट दें। इसकी एकता को कायम करने के लिये यदि यह केन्द्र शासित हो तो इसमें क्या हर्ज है क्या यह काफी नहीं था? वह लोग जाकर विचार करते। जैसा अन्य जगहों में जाकर देखा है पूरी तरह से उन बातों का समावेश करते और उनको समझते मगर आपने नहीं सोचा और सस्ता रास्ता यही देखा कि उनका राज्य घोषित कर दिया। देश में पृथक्करण की प्रवृत्ति को पैदा करना देश के लिये अनर्थ है। उसके लिये संविधान में संशोधन करना पाप है। वोट पाने के लिये देश को जहन्नुम में भेजने की भावना से यह करना अनुचित है और इस संशोधन का विरोध किया जाय। मैं यही निवेदन करना चाहता था।

*श्री बलवीर सिंह (जिला मेरठ)—

अध्यक्ष महोदय, विधि मंत्री जी ने जो प्रस्ताव इस सदन के सामने पेश किया है, मैं उसका घोर विरोध करना चाहता हूं। विधि मंत्री जी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि इस प्रस्ताव से उधर बैठने वालों को कोई विरोध नहीं है। मैं उनको बतलाना चाहता हूं कि वह इस मामले में गुमराह हुये हैं। हर देशभक्त जो अपने देश की अखंडता में विश्वास रखता है, उसको इस प्रस्ताव का विरोध करना चाहिये और इस कानून का विरोध करना चाहिये। मैं उधर के बैठे हुये अपने साथियों से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको सोचना चाहिये कि उनको अपने उन नेताओं का साथ छोड़ना है जो आज देश को गड्ढे में ले जा रहे हैं और देश को बरबाद करने पर तुले हुए हैं। जो देश की तनिक भी परवाह नहीं करते, उनके पीछे नहीं चलना है। उनको कान खोल कर और अक्ल के दरवाजे खोलकर आज उनको समझना जरूरी है कि यह विधेयक क्या है? श्रीमन्, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक जो कांस्टीट्यूशन अमेंडमेंट ऐक्ट बाईसवां रखा गया है पार्लियामेंट में और राज्य सभा ने भी पास किया है यह एक षडयंत्र है कानून के खिलाफ और कानून को इसमें तोड़ने-मरोड़ने की कोशिश की गयी है। संविधान का अमेंडमेंट लाया जा सकता है या तो आर्टिकिल ३ के मातहत, जिस तरह की राज्य बनाने के लिये व्यवस्था है कि एक नया राज्य बनाना चाहते हैं उसके मातहत होना चाहिये था—

"Formation of new States and alteration of areas, boundaries of names of existing States—Parliament may, by law, increase the area of any State."

तो किसी स्टेट का रकबा बढ़ाया जा सकता है या बाउंडरीज अदल-बदल कर सकते हैं या बदल सकते हैं। यह नहीं लाये। मैं कहता हूं कि पार्लियामेंट में इस आर्टिकिल के मातहत पेश नहीं किया गया। उसका कारण यह था कि राष्ट्रपति महोदय इसकी सिफारिश तभी कर सकते थे जब कि पहले वह संबंधित राज्य जिससे इसका संबंध है, या फ्र आसाम का, वहां की असेम्बली से राय ले ली जाय और इसको पास करवा लिया जाय, तभी करवा सकते थे। इसके बाद, श्रीमन्, मैं इस सदन को आर्टिकिल ३६८ जो है हमारे संविधान का उसकी ओर ध्यान ले जाना चाहता हूं जिसके मातहत कोई भी अमेंडमेंट लाया जा सकता है और लाना चाहिये। अगर इसका विरोध कोई हो भी तो संविधान का उससे संशोधन नहीं हो सकता। इसमें साफ लिखा है कि—

"An amendment of this Constitution may be initiated only by the introduction of a Bill for the purpose in either House of Parliament, and when the Bill is passed in each House by a majority of the total membership of that House and by a majority of not less than two-thirds of the members of that House present and voting, it shall be presented to the President for the assent and upon such assent being given to the Bill, the Constitution shall stand amended in accordance with the terms of the Bill."

इसका मंशा यह है कि संविधान में जब कोई भी तरमीम करनी हो तो वह तरमीम आर्टिकिल ३६८ के मातहत आनी चाहिये और जो हमारे देश की असेम्बलियां हैं, उनसे भी ५० प्रतिशत से ज्यादा से, यानी कम से कम ५१ प्रतिशत की मेजारिटी से पास होना चाहिये तभी वह कानून पास हो सकता है। लेकिन वह नहीं लाये, बल्कि लाये २४४ में एक अमेंडमेंट करके और फिर शेड्यूल को उन्होंने तबदील करने की कोशिश की, उस शेड्यूल में लाने की कोशिश में उसका एक हिस्सा जो हमारे सामने है अमेंडमेंट बिल उसका एक सेक्शन पढ़ देना चाहता हूं। वह यह है—"क्लाज —४ ऐसी कोई भी विधि जिसका इस अनुच्छेद में निर्देश है, अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन नहीं माना जायगा।" इससे साफ हो जायगा कि यह जो प्रस्ताव लाये उसमें स्वयं लिखा है कि यह ३६८ के अनुसार संशोधन नहीं माना जायगा। मंशा क्या है? उन्हें दिखाई दिया कि इस तरह से शायद पास नहीं करा पायेंगे इसलिये कांस्टीट्यूशन के साथ

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बलबीर सिंह]

धोखेबाजी करो और दूसरी तरफ से इसको पास कराने की कोशिश करो ।

(इस समय ४ बज कर ३० मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट पीठासीन हुये ।)

आगे इसमें कहा है कि भले ही उसमें कोई उपबन्ध हो जो इस संविधान का संशोधन करता हो लेकिन ३६८ से प्रभावित नहीं माना जाय या जिसका प्रभाव संविधान को संशोधित करने का हो। तो अगर नहीं है तो फार्म क्या है? तरीका यह है कि पहले आर्टिकल ३६८ का संशोधन कर लिया जाय, यह संशोधन करना इसको लाने के लिये लाजमी था और तब वह इस तरह का क्लाज और इस तरह का अमेंडमेंट पेश कर सकते थे। यदि ऐसा नहीं करते तो मैं तो यह कह सकता हूं कि बड़ी चतुराई के साथ संविधान को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गयी है ।

श्रीमन्, यह किस तरह से हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उसका मजाक किया जा रहा है। आज तानाशाही की प्रवृत्ति देश में बढ़ रही है। आज पार्टी के प्रतिबन्ध भी उतार दिये गये हैं सिर्फ इसलिये कि जो हम कहते हैं, वही सही है। इसी की झलक इस संशोधन में मिलती है और अपने बहुमत के बल पर पास करा लिया। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जरा मुलाहिजा फरमाइये इस जगह एक राज बनाना चाहते हैं। यह वह इलाका है जो हमारे दुश्मनों के फ्रान्टियर से मिलता है। नार्थ ईस्ट का इलाका है और उसमें एक तरफ चीन बराबर कोशिश करता है कि हम अपना अड्डा बनावें और अपने एजेन्ट भेजें और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कोई कसर नहीं उठा रखी है। उन्होंने काफी इनफिल्ट्रेशन किया है। मिजोज, फिजोज वगैरह की हलचल वहां है और उसी पर अमेरिका की आंख लगी हुई है। अमेरिका ने नया तरीका निकाला है। अमेरिका सेकुलर अपने को कहता है और वह हमें सतर्क तरीके से ढकेलता है। क्रिश्चियन मिशनरियां इस इलाके में काफी पहुंची हुई हैं क्योंकि यह इलाका बहुत गरीब है। असली समस्या इस इलाके की गरीबी और बेकारी है। हमारी सरकार ने कभी परवाह नहीं की है, सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं ने भी उधर कोई ध्यान नहीं दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि वहां काफी तादाद में मिशनरीज काम कर रही हैं। आज हमारे दुश्मनों की चाहे वह इंगलैंड हो अमेरिका हो, या चीन हो या पाकिस्तान हो सभी की आंखें लगी हैं और वह बर्गलाते हैं।

(इस समय ४ बजकर ३५ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

नागालैंड में भी इन्हीं मिशनरियों ने काम किया है और लोगों को भड़काया है। चूंकि उस इलाके की स्पेशल पोजीशन है इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर इस तरह की बात मान लें जिस तरह की कि इस संशोधन में है तो उसका नतीजा यह होगा कि हमारे प्रदेश में डिसइंटीग्रेशन हो जायगा। सबसे बड़ी यह गलती की गयी कि इस इलाके में एटोनामस डिस्ट्रिक्ट कायम किये गये। श्रीमन्, मैं इस सदन को यह बता देना चाहता हूं कि अगर बिरादरीवाद और जातिवाद कहीं बढ़ाया गया है तो वह इस इलाके में ज्यादा बढ़ाया गया है। उसे जिले में भी अगर कोई तहसील है जिसमें दूसरी जाति के लोग हैं तो उनके लिये रीजनल कौंसिल बना दी गई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से एक फेडरेशन कायम किया गया और उसके नीचे छोटे-छोटे राज्य कायम कर दिये गये इस से हमारे देश को बहुत बड़ा नुक्सान पहुंचेगा और वहां षडयंत्र होगा। वहां राज्य बनाने की समस्या नहीं है। वहां समस्या है गरीबी और बेरोजगारी और मैं इतना और निवेदन कर देना चाहता हूं कि वहां दो पोलिटिकल पार्टी हैं एक तो इसको मानती है और दूसरी कहती है कि हम इसको मानने के लिये तैयार नहीं हैं। तो मैं यह निवेदन करता हूं कि कोई समस्या बदली नहीं और हमारे देश का डिसइंटीग्रेशन होगा। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

*चिकित्सा मंत्री (श्री कृष्णानन्द राय)--

अध्यक्ष जी, मैं जनसंघ के नेता माननीय त्रिपाठी जी के इस दृष्टिकोण से सहानुभूति रखता हूं कि इस देश में बिलगाव की प्रवृत्ति में वृद्धि नहीं होनी चाहिए और जो संविधान द्वारा राज्य बनाए गए हैं, उन्हे तोड़ने का प्रयास नहीं होना चाहिये और इस प्रकार की व्यवस्था और दृष्टिकोण रखना चाहिए कि केंद्र मजबूत हो और उसकी जो इकाइयां हैं उनमें कमजोरी न आने पाए। लेकिन श्रीमन्, जनसंघ के नेता इस बात को जानते हैं कि यह संशोधन जो कि संविधान में किया है वह आसाम से संबंधित है और इसकी आवश्यकता समझी गई। आजादी के पहले ट्राइबल्स लोग थे--मिजो और नागा वगैरह। उस समय संवैधानिक स्थिति स्पष्ट नहीं थी कि आसाम राज्य में पड़ते हैं या केंद्र द्वारा सीधे शासन होता है। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो आसाम स्टेट का एक हिस्सा बना दिया गया और इसके उपरान्त वहां का वातावरण असंतोषजनक रहा और वहां संघर्ष की स्थिति चलती रही और सेना के प्रयोग की आवश्यकता महसूस हुई। नागा, मिजो आदि जातियां हैं। ये बहुत दिनों से संघर्ष करती रही हैं अपनी पालिटिकल पर्सनलटी निर्माण करने में। माननीय त्रिपाठी जी कह रहे थे कि क्योंकि वहां आर्थिक डिफ़रेंसेज थे इस कारण से संशोधन लाया गया है और कांग्रेस सरकार को आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करना चाहिये था। यह आर्थिक विषमताओं को दूर करने का प्रश्न नहीं था बल्कि ट्राइबल लोग अपना राजनीतिक व्यक्तित्व निर्मित करना चाहते थे और पालिटिकल स्टेट्स चाहते थे और लड़ाई करके एक नई स्टेट का निर्माण करना चाहते थे और नई स्टेट का निर्माण करने पर पुनः वही प्रवृत्तियां बढ़ावा पातीं जिनका विरोध माननीय त्रिपाठी जी कर रहे हैं।

इनका जो दल था संसद में वह कुछ इस प्रकार का दृष्टिकोण रखता था और शायद माननीय त्रिपाठी जी का भी इस प्रकार का दृष्टिकोण हो और इन ट्राइब्ज का दृष्टिकोण है कि एक अलग कौंसिल बना दी जाय, आसाम से निकाल कर एक अलग राज्य कर दिया जाय या केंद्र शासित राज्य बना दिया जाय। यह जनसंघ की मांग थी। लेकिन इस दृष्टिकोण में बहुत गंभीरता नहीं थी। अलग-अलग जनपद बना देना, कौंसिल बना देना, केंद्र द्वारा शासन करना; नतीजा यह कि बहुत से सेंट्रली एडमिनिस्टर्ड एरिया हो जाते हैं और जहां तक श्रीमन् सिक्योरिटी का प्रश्न है तो यह चीन की सरहद पर है, बर्मा की सरहद पर है वह भी प्रश्न हो जाता। तो उन सारी प्रवृत्तियों के अनुकूल जो कि जनसंघ के नेता ने प्रस्तुत की केंद्र के सम्मुख थीं। ट्राइबल्स वहां पालिटिकल पर्सनेल बनाना चाहते थे और देश में यह आवश्यकता है कि रोज अलग-अलग राज्यों का निर्माण न हो और बिलगाव की प्रवृत्तियां न बनें तो दोनों प्रवृत्तियों में समन्वय निकालना था तथा संसद और पालिटिकल पार्टियों ने यह समन्वय निकाला कि उनका अलग राज्य न बनाया जाय और फौज द्वारा शासित न किया जाय बल्कि आसाम स्टेट के अन्तर्गत एक उप-राज्य या एक ऐसी एन्टिटी का निर्माण कर दें कि ट्राइब्ज को थोड़ी सी पावर्स मिल जायं, थोड़ी सी फ़ाइनेन्शियल पावर्स मिल जायं और वह होते हुए भी आसाम राज्य में रहे और यह बढ़ावा न मिले कि बिलगाव की प्रवृत्ति हो। एक सज्जन यह बता रहे थे कि संविधान को धोखा दिया गया है और ३६८ के अन्दर संशोधन न लाकर आर्टिकल २४४ के अन्दर संशोधन लाकर धोखा दिया जा रहा है। ऐसा नहीं है। जब मणिपुर राज्य को एन्टिटी देने की बात आई तो आप देखेंगे कि पार्ट १० कांस्टीट्यूशन का ट्राइबल एरिया से संबंधित है और आर्टिकिल २४४ है। ट्राइबल एरिया से संबंधित पार्ट १०, आर्टिकिल २४४ में एक ए आर्टिकिल बढ़ाकर व्यवस्था कर दी गई थी कि आसाम राज्य के अन्तर्गत ही, उसकी सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, एक पालिटिकल एन्टिटी दी जा रही है ट्राइबल लोगों को। तो न तो संविधान को कोई धोखा दिया जा रहा है और न कुछ और। एक विशेष परिस्थिति के कारण किया जा रहा है। जनसंघ के नेता त्रिपाठी जी हैं जिन्होंने कुछ विचार व्यक्त किये हैं। उन्हीं को लागू करने के लिए यह संशोधन लाया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री त्रिवेणी सहाय (जिला गोंडा)--

अध्यक्ष महोदय, जो बाइसवां संशोधन विधेयक, १९६९ इस सदन में प्रस्तुत हुआ है, उससे देश की अखण्डता विषय में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। जिस समय १९४७ में देश का बटवारा हुआ था तो उस समय हमारे पूज्यनीय महात्मा गांधी ने कहा था कि चाहे हमारे शरीर के टुकड़े हो जायं मगर देश के टुकड़े नहीं होंगे और देश का बटवारा कभी नहीं होगा। देश के टुकड़े कभी नहीं स्वीकार करेंगे। कांग्रेस की जो आत्मा थी, जो मूलभूत आत्मा थी उसी ने वह आवाज की थी कि देश के टुकड़े नहीं होंगे। हम देश की अखण्डता चाहते हैं। मगर हुआ क्या, देश के आजाद होने के पश्चात् देश के टुकड़े हो गए और वह अखण्डता नहीं रह पाई।

अभी श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी जी ने बताया है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के उपरान्त हमारे देश के नेताओं ने तीन प्रकार के राज्यों का निर्माण किया है। दिल्ली प्रदेश का राज्य एक प्रकार का है। दूसरे प्रकार का राज्य हिमांचल प्रदेश है और तीसरे प्रकार के राज्यों में बंगाल, बिहार व उत्तर प्रदेश की गणना की जाती है। आसाम में जिस राज्य का निर्माण हो रहा है वह चौथे प्रकार का राज्य है। मैं कहना चाहता हूं कि ५वें प्रकार का भी राज्य यहां रहा है। कश्मीर का राज्य भी एक अजीब प्रकार का रहा है। जहां दो प्रधान, २ निशान और विधान चलते थे। क्या कभी किसी देश में दो प्रधान या २ विधान चलते हैं। आसाम में जिस राज्य का निर्माण हो रहा है वह किस आधार पर हो रहा है। कभी भाषा के आधार पर आप अलग राज्य बनाते हैं, कभी इकानामिक इम्बेलेन्स के आधार पर अलग राज्य की मांग होती है। यह देश के लिये कितना घातक है। जो दूषित भावनायें आजकल देश में फैल रही हैं, वे बड़ी ही खतरनाक हैं और देश की अखडता के लिए बहुत ही घातक है।

यही नहीं, आन्ध्र प्रदेश में अलग प्रान्त बनने की बात आई। सत्याग्रह हुआ कि अलग बनेगा। उस समय के कांग्रेस के बड़े-बड़े नेताओं ने कहा कि अलग प्रान्त नहीं बनेगा और हम देश के टुकड़े नहीं होने देंगे। उस सिलसिले में सत्याग्रह हुए और स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू को मजबूर होकर इस मांग के सामने झुकना पड़ा। तो श्रीमन्, मैं यह कह रहा था कि देश के अन्दर भाषा के आधार पर, जातीयता के आधार पर और इकानोमिक इम्बेलेंस के आधार पर राज्य बन रहे हैं।

इतना ही नहीं, आसाम की पहाड़ियों में अलग-अलग राज्यों की मांग भी रही है। उनकी मांग रही है कि गोरा खासी और जैन्तिया में अलग राज्य हो। बड़े दुख की बात है कि उत्तर बिहार और बंगाल में साम्प्रदायिक दंगों की भरमार रही है। साम्प्रदायिक दंगे होते चले जा रहे हैं। दक्षिण में केरल में भी आज साम्प्रदायिक दंगे होने लगे। आखिर ऐसा क्यों है। मोपला स्थान की मांग ही इसका मुख्य कारण है। छोटी-छोटी मांगों को लेकर अलग-अलग राज्यों की मांग होती चली जा रही है। इन बातों के आधार पर देश के टुकड़े-टुकड़े करना उचित न होगा।

जहां तक संविधान की बात है, हमारा राज्य फ़ेडरल है। उसकी आत्मा एक है और उसी के आधार पर दिल्ली से शासन चलता है। जनसंघ इस बात पर विश्वास करता है कि देश में युनिटरी फ़ार्म आफ़ दि गवर्नमेंट होनी चाहिये। हम एकात्मक शासन में विश्वास करते हैं। इसलिए हमारे लिए यह आवश्यक है कि हम इस प्रस्ताव का विरोध करें। भले ही आप बहुमत में हो, और इसे पास करा ले जायं, मगर हम इसका घोर विरोध करते हैं।

श्री सच्चिदानन्द (जिला लखनऊ)--

माननीय अध्यक्ष महोदय, न्याय मंत्री जी ने जो संशोधन रखा है, हम उसका घोर विरोध करते हैं। सन् १९४२ में महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो का नारा लगाया, उससे जाग्रति उत्पन्न हुई और सन् १९४७ में अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा। सन् १९४७ में देश आजाद हो गया। आजादी मिलने के बाद कुछ थोड़े से लोगों ने जिनके हाथ में शक्ति थी देश का बटवारा कर दिया।

इसका परिणाम यह हुआ कि लगभग एक करोड़ की संख्या में उधर से हमारे भाई बहन इधर आये, और लगभग एक करोड़ की ही संख्या में इधर से उधर गये। इसका फ़ल यह हुआ कि देश में नरमेध यज्ञ हुआ और हमारी लाखों माता बहनों की लाज लूटी गई।

अध्यक्ष महोदय, यहां ४ प्रकार के राज्य हैं। एक प्रकार में उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान आदि हैं। दूसरे प्रकार के राज्य में हिमाचल प्रदेश है और तीसरे प्रकार में दिल्ली है और चौथे प्रकार का राज्य आसाम के अन्दर सरकार बनाने जा रही है। पूना कांग्रेस अधिवेशन में जब गुजरात और महाराष्ट्र का बटवारा किया गया था तो कांग्रेस ने कहा था कि भविष्य में कोई नया राज्य नहीं बनेगा लेकिन फिर भी नागालैंड का निर्माण किया गया और एक चौथे प्रकार के राज्य का प्रश्न उपस्थित है। मान्यवर, केंद्रीय सरकार की यह नीति कि थोड़े-थोड़े दबाव में आकर नए नए राज्य बना रही है यह अच्छा नहीं है। आन्ध्रा में तेलगांना बनाने के लिए बसें आदि जलाई गई है और बहुत से आदमी मारे गये हैं। वहां पर समिति का निर्माण इसके लिए किया गया था, लेकिन देखा यह गया कि दूसरे लोगों पर भी इसका असर पड़ा और मैसूर वालों ने भी यह कहना शुरू कर दिया कि हम अन्य क्षेत्र वालों के साथ नहीं रहेंगे। तो हमारी जो नीति है वह देश के लिये घातक सिद्ध होगी। जो विधेयक लाया गया है पारित करने के लिए इसमें गारो, खासी और जैयन्तिया को मिलाकर प्रान्त बनाने का प्रश्न है, लेकिन कछार के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, मेरा यह सुझाव है कि केंद्रीय सरकार इसके बारे में भी अपनी नीति बनावे और इस विधेयक के अन्दर जो मिजो पहाड़ियों का प्रश्न है उसको हल करे। इस प्रान्त के बनने के बाद मिजो पहाड़ी वाले भी आन्दोलन करना शुरू कर गे तो हमारे देश की पुलिस और फौज और आन्दोलनकारियों का मुकाबला करने के लिये ही हो जावेगी। सलिये भारत सरकार को दृढ़ता के साथ कदम उठाना चाहिये। भारत की उत्तरी सीमा पर हमें चीन आंख दिखा रहा है। ऐसी हालत में आप आसाम में उप राज्य बनाने जा रहे हैं तो देश का क्या होगा। ऐसी स्थिति में प्रान्तों के बटवारा करने में अराजकता फैलेगी और एकता छिन्नभिन्न हो जावेगी। यहां के रहने वाले हिन्दू, मुसलमान, सिख और इसाइयों की एकता पिछले बटवारे से ही छिन्न भिन्न हो चुकी है तो आप इसको और अधिक न बढ़ायें और घोषणा करें कि भविष्य में किसी नये राज्य का निर्माण नहीं होगा। तो जो प्रस्ताव आया उसका मैं घोर विरोध करता हूं और श्रीमन आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

*श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

मान्यवर, माननीय राय साहब ने जो विचार रक्खे उसको सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि अगर कांग्रेस के सदस्यों के साथ व्हिप न लगाया जाय तो वह मेरे साथ रहेंगे। उनका हृदय मेरे साथ है, मान्यवर। कोई दलील ऐसी नहीं थी कि जो किसी को अपील कर सके। आपने कहा कि विशेष परिस्थितियों में इस उपराज्य का निर्माण हो रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि आप किस छोटे राज्य के निर्माता है? जिन विशेष परिस्थितियों का उल्लेख आज आप कर रहे हैं इन विशेष परिस्थितियों के निर्माता भी आप ही हैं। इसकी दवा भी मैंने बताई कि पहले विकास किया होता, विशेष ध्यान दिया होता तो आज यह परिस्थिति उत्पन्न न होती। दूसरे एक बड़ी लचर बात कही। ऐसा न हो कि हमारे कांग्रेसी मित्रों के दिमाग में यह बात घर कर जाय। उन्होंने कहा कि वह लोग अलग व्यक्तित्व को कायम करना चाहते हैं, उपद्रव मचाने वाले थे। तो आपने उनके सामने घुटने टेक दिये। इससे क्या यह समझा जाय कि जितने आदमी अलग व्यक्तित्व बनाना चाहेंगे उनकी मांग को आप मानेंगे। यह अनर्थ की ओर आपका कदम होगा।

तीसरे आपने कहा कि उन्होंने काउन्सिल की मांग की थी। आपने उसे झट से मान लिया। तो किसने आपको सुझाव दिया कि मान लीजिए? अशोक मेहता कमेटी ने दिया, पाटस्कर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधव प्रसाद त्रिपाठी]

कमेटी ने दिया, या रिआर्गेनाइजेशन कमेटी ने दिया, या आपके तथा-कथित अन्तःकरण ने दिया, या आपके स्वार्थ ने दिया, या अपाकी असफलताओं ने यह सुझाव दिया ? कौन इसके लिए जिम्मेदार है ? यह कोई मुनासिब कारण नहीं है कि राज्य के अन्दर उप-राज्य बनाया जाय । यह तो तुष्टिकरण नीति के सामने इनका घुटने टेकना है। देश इनके हाथ में कदापि सुरक्षित नहीं है । अगर कुमायूं एक अलग प्रान्त बनने लगे तो क्या होगा ? मुझे पता लगा हिल बोर्ड के सामने गुप्ता जी ने विचार प्रकट किए कि कोई छोटा प्रान्त बनाना चाहे तो मैं उसका घोर विरोधी हूं । इसीलिये मैंने कहा कि स्वतंत्र कर दीजिए तो सब मेरे साथ रहेंगे कि दूसरा प्रान्त नहीं बनना चाहिये । तो कांग्रेसी चेते, आज वह केंद्र में भी है और दूसरे प्रान्तों में भी है । पिछले २० वर्ष का इतिहास क्या है ? भौगोलिक छिन्न-भिन्नता, आर्थिक छिन्न-भिन्नता ने भारत की आत्मा को छिन्न-भिन्न कर दिया है । जो संविधान इन्होंने बनाया आज उसकी पवित्रता नष्ट कर दी । लोगों की आस्था उसके प्रति जाती रही । लोग सोचते है कि जो हमारे फण्डामेंटल राइट्स है, कांग्रेस के लोग कहीं उनमें भी परिवर्तन न कर दें । मैं फिर कहूंगा कि यह व्हिप न इश करें, सबको फ्री मतदान करने दें तो मैं समझता हूं कि सब लोग अननुमोदन में मेरा साथ देंगे ।

श्री अध्यक्ष--

न्याय मंत्री जी, आपके पास केवल तीन मिनट का समय है ।

श्री स्वामी प्रसाद सिंह--

मान्यवर, मैंने माननीय सदस्यों के विचार सुने । अधिकतर हमारे माननीय सदस्यों ने एक अलग राज्य कायम करने की बात कही । संविधान की दफा ३ में अलग राज्य बनाने की बात है और दफा ३६८ में है कि अगर पार्लियामेंट पास करती है तो उसका रेटीफिकेशन जब तक आधे राज्यों से नहीं होगा तब तक राष्ट्रपति सहमति नहीं देगा । श्रीमन, यह अलग राज्य नहीं बन रहा है । अगल राज्य बनने का प्रश्न होता तो माननीय सदस्यों का कहना ठीक होता कि विघटन हो रहा है, खतरा पैदा हो गया है । इसमें तो उपराज्य बनना है । असम की इन्टेग्रिटी जो है, जो इकाई है, वह बराबर कायम रहेगी और ला ऐण्ड आर्डर उस उप-राज्य को नहीं दिया जायगा । यह तो इसलिये है कि वहां कुछ मैदानी हल्के हैं, कुछ पहाड़ी हल्के हैं । तो यह एक अलग बोडो बनेगी जो उप-राज्य कहलायगा और केंद्र से जो ग्रांट मिलती है वह सीधे वहां पहुंच जायेगी जिससे वह अपनी भाषा और समाज के मामलों में अच्छी तरह से खर्च कर सकें । इस राज्य की जहां तक यूनिटी का संबंध है उसको कोई खतरा नहीं है, वह इससे खत्म नहीं होगी । देहली में सबने इसको मंजूर कर लिया है । इसलिये मुझे आशा है यहां पर भी यह सदन इसे स्वीकार करेगा ।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि संकल्प की अंतिम पंक्ति में "अनुसमर्थित" के स्थान पर "अननुमोदन" रख दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि 'यह सदन, संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित संविधान (बाइसवां संशोधन) विधेयक, १९६९ द्वारा भारत के संविधान में किये जाने के लिये प्रस्तावित उन संशोधनों को, जो संविधान के अनुच्छेद ३६८ के प्रतिबन्धात्मक खण्ड के अन्तर्गत आते हैं, अनुसमर्थित करता है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

हलवाइयों द्वारा बेची जाने वाली भोज्य सामग्री पर बिक्री-कर लगाने के संबंध में कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष--

सर्वश्री हरिनाथ तिवारी, जगन्नाथ खन्ना व नित्यानन्द स्वामी ने नियम ५६ की एक सूचना दी है जो हलवाइयों द्वारा बेची जाने वाली भोज्य सामग्री पर बिक्री-कर के संबंध में है। इस विषय पर ७ अगस्त, १९६९ को वक्तव्य हो चुका है। अतः इस सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं।

पर्वतीय क्षेत्र में हरिजन युवतियों के क्रय-विक्रय के संबंध में नियम ५१ के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना सर्वश्री नित्यानन्द स्वामी, जगन्नाथ खन्ना व शेरसिंह दानू ने पर्वतीय क्षेत्र की हरिजन युवतियों का क्रय-विक्रय के संबंध में दी है। पहले इसको अखबारों की सूचना के आधार पर दिया था, इसलिए मैंने उसको अस्वीकार कर दिया था। अब उन्होंने अपनी व्यक्तिगत सूचना के आधार पर इसको दिया है, देहली के अखबारों में भी यह छपा है, इसलिये इसको मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत स्वीकार किया है। ८ सितम्बर, १९६९ को माननीय मुख्य मंत्री जी इस पर वक्तव्य देंगे।

नियम ५१ के अन्तर्गत अन्य सूचनायें

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना सर्वश्री परमाई लाल व श्रीशचन्द्र अग्रवाल ने हरदोई जिले की नदियों में बाढ़ के संबंध में दी है जिसे मैंने स्वीकार नहीं किया है। वे इस पर अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं। सर्वश्री मनोहरलाल, सुखपाल पांडेय, वा रामकरन सिंह ने भी बाढ़ के संबंध में सूचनाएं दी हैं। उनको भी मैंने अस्वीकार किया है। वे भी अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं। बाढ़ के संबंधमें २९ अगस्त, १९६९ को जो वक्तव्य होगा, उसमें उनके बारे में भी सूचनायें माननीय राजस्व मंत्री देंगे।

एक माननीय सुदामा प्रसाद गोस्वामी ने झांसी की सहकारी बैंक में ८० लाख रुपये का ओवर ड्राफ्ट दिये जाने के सम्बन्ध में दिया है, इस पर भी माननीय सदस्य अल्पसूचित प्रश्न कर सकते हैं। मैंने इसको संबंधित विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के लिये भेज दिया है।

एक माननीय रामचरण त्रिपाठी की है झांसी के कमिश्नर द्वारा एक उच्च अधिकारी को गर्दन दबा कर थप्पड़ मारे जाने के कारण अधिकारियों में असन्तोष के विषय में। इसे भी अस्वीकार किया है, आप प्रश्न पूछ सकते हैं।

एक माननीय परमाईलाल की है इलाहाबाद जिले के मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज के हरिजन छात्रों को चार महीने की छात्र-वृत्ति न दिये जाने के सम्बन्ध में, इसे भी मैंने अस्वीकार किया है। इस पर माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं।

एक सर्वश्री कन्हैयालाल सोनकर व रामगोपाल संड की है इलाहाबाद के ग्राम बरना में देव स्थान के पास हड्डी का कारखाना खोले जाने के संबंध में, इसे मैंने अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य, प्रश्न कर सकते हैं।

[श्री अध्यक्ष]

एक सर्वश्री रामचरण त्रिपाठी व राजितराम पांडेय की है इलाहाबाद के सिटी मैजिस्ट्रेट द्वारा कुछ छात्रों के विश्वविद्यालय के हाते में आने पर रोक लगाये जाने के संबंध में, इसे मैंने अस्वीकार किया है। इस पर माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं।

एक माननीय कृष्ण स्वरूप वैश्य की है--१९६६-६७ में की गयी हड़ताल के सम्बन्ध में ७ राजकीय कर्मचारियों पर अभी तक चल रहे मुकदमों का न उठाये जाने के सम्बन्ध में। इसे भी मैंने अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं।

एक सर्वश्री जैराम यादव व शम्भूनाथ चौधरी की है प्रतापगढ़ जनपद में रोडवेज की बस कम करके प्राइवेट बसें चलाने की अनुमति देने के सम्बन्ध में, इसे मैंने अस्वीकार कर किया है, प्रश्न कर सकते हैं।

एक माननीय संजीवनलाल की है लखनऊ नगर महापालिका के भवन विभाग में ज्यादा भ्रष्टाचार तथा प्रमाणित प्रतिलिपि देने में गैर-कानूनी शुल्क व स्टाम्प लिये जाने के संबंध में, इसे मैंने अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य प्रश्न कर सकते हैं।

एक माननीय दीपनारायणमणि त्रिपाठी का है गोरखपुर शहर में परगनाधीश व चकबन्दी बन्दोबस्त अधिकारी के यहां चोरी के सम्बन्ध में, इसे भी मैंने अस्वीकार किया है। प्रश्न कर सकते हैं।

जो महत्व का था वह मैंने एक स्वीकार कर लिया है। (व्यवधान)

श्री कन्हैयालाल सोनकर (जिला इलाहाबाद)--

अध्यक्ष महोदय, जिला इलाहाबाद में तहसील फूलपुर में बरना ग्राम है जो बरना नदी के किनारे है। जिला इलाहाबाद के सहायक रोजगार अधिकारी ने अपनी पत्नी श्रीमती फातिमा बीबी के नाम गांव सभा से थोड़ी जमीन अवैधानिक तरीके से लेकर और उद्योग विभाग से एक बड़ी धनराशि ऋण के रूप में लेकर उसमें हड्डी पीसने की मशीन लगाई है। आसपास के ग्रामों में रहने वाले हिन्दू निवासियों में उनके इस कार्य से घोर असन्तोष व्याप्त हो गया है। हड्डी की दुर्गन्ध स्कूल, मन्दिर व बाजार तक फैलती है। कौवे, कुत्ते हड्डी लेकर मन्दिर तक पहुच जाते हैं। इस कारखाने से हिन्दुओं की भावनाओं पर ठेस पहुंचती है। इलाहाबाद में साम्प्रदायिक दंगे न हों, इसलि माननीय मुख्य मंत्री महोदय जो मैंने नियम ५१ के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दिया है, उस पर अपना वक्तव्य दें। श्रीमन्, मैं बता देना चाहता हूं कि बरना नदी के पास में ४ तारीख को वहां की जनता ने बहुत बड़ी मीटिंग की थी, जिसमें उन्होंने प्रस्ताव पास किया था और वे माननीय मुख्य मंत्री महोदय के पास भेज दिये गये हैं। परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि जब तक शहर के अन्दर गड़बड़ी न हो तब तक यह सरकार चेतती नहीं है। इलाहाबाद जिस आग से निकला है उसको उस आग में न डालने की कृपा करें। इलाहाबाद की जनता का जो निवेदन है उस पर माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य देने की कृपा करेंगे। इस पर आप तारीख निश्चित कर कि किस तारीख को ये अपना वक्तव्य यहां देंगे।

श्री रामचरण (जिला इलाहाबाद)--

मैं बड़ा आभारी हूं कि आपने मेरे प्रश्न को स्वीकार कर लिया है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब संविधान में लिखा हुआ है कि उनको विश्वविद्यालय में जाने का अधिकार प्राप्त है तो उनका अधिकार छीना नहीं जा सकता। तो किस अधिकार से डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इलाहाबाद इन चार प्रतिष्ठित नागरिकों को वहां जाने से रोक रहे हैं। इसके साथ-साथ में यह भी बता दूं कि एक तो वहां के बड़े भारी वकील हैं। वकालत करते हैं। इनसे किसी प्रकार की शान्ति भंग का अन्देशा नहीं है। इसके बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट इलाहाबाद ने आदेश कर दिया है....

श्री अध्यक्ष--

आप प्रश्न भेज दीजिये।

श्री रामचरण--

मैं प्रश्न भेज दूंगा।

श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैंने कल लिखकर दिया था कि करोड़ों रुपयों का घाटा पावर हाउस कर रहा है। क्योंकि उसका क्वेश्चन नहीं होता इसलिये करोड़ों रुपयों का घाटा वह दे रहा है। वह सात करोड़ तक घाटा दे चुका है आगे भी दे रहा है। मैं उस पर चर्चा करना चाहता था। उसमें गवर्नमेंट इन्वाल्व्ड है। मैं चाहता हूं कि वह पावर हाउस खत्म होना जरूरी है।

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)--

मुझे निवेदन करना है अध्यक्ष महोदय, आपकी सेवा में कि मैंने एक अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न दिया था चर्चा करने के लिये। आपने पिछली बार भी यह कहकर टाल दिया था कि इस पर प्रश्न दिया जाय। पिछली बार जब मैंने इस सम्बन्ध में आपको प्रस्ताव दिया था उस पर माननीय राजस्व मंत्री का वक्तव्य हुआ लेकिन बस्ती की उसमें काफी उपेक्षा हुई। माननीय राजस्व मंत्री ने उसमें बस्ती जिले का नाम नहीं लिया। बस्ती जिले में कई नदियां हैं। घाघरा नदी के कटाव से विक्रम जीत और मुखलिसपुर के गांवों के लोगों के मकान कट रहे हैं। झोपड़ियां कट रही हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर आपको अविलम्ब चर्चा कराने की अनुमति देनी चाहिये।

श्री दीपनारायण मणि (जिला देवरिया)--

श्रीमन्, दफा ५१ के प्रश्नों के बारे में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। मान्यवर, इस सदन में विभिन्न प्रकार के सदस्य हैं और विभिन्न स्वभाव के लोग हैं।

श्री अध्यक्ष--

कृपया आप माननीय सदस्यों के बारे में टीका न कीजिए?

श्री दीपनारायण मणि--

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि समाज में विभिन्न स्वभाव के लोग होते हैं। जब यहां पर यह कुतुहल होता है तो आप चुप हो जाते हैं। आपकी भी मजबूरी है। आप अपने स्वभाव के अनुसार, अपने अनुभव का लाभ उठा कर आप चुप हो जाते हैं, लेकिन दफा ५१ के लिए क्या किया जाय। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ११, २१ और एक भी हो सकता है और हो भी नहीं सकता है। नियमों में आप केवल एक ही ले सकते हैं। जब हम यहां पर इसे उठाते हैं तो आप कहते हैं कि आप प्रश्न कर लें, यह आपको अधिकार है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह अधिकार तो हर सदस्य को है ही। तो मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अगर आपकी आज्ञा होती है कि इस पर प्रश्न कर लिए जायं तो इसे प्रश्नों की सूची में रख लें।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न तो आपको ही बनाने होते हैं, मैं तो नहीं बना सकता हूं। इन्हें आप बना कर दे दें।

श्री दीपनारायण मणि--

श्रीमन मैंने ४-४ प्रश्न बना कर दिए, लेकिन वे सदन के सामने नहीं आये। तो क्या आप इसके लिए कोई विशेष व्यवस्था करने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर ३ या ४ दिन में अवश्य आ जायं।

श्री रामगोपाल संड (जिला इलाहाबाद)—

श्रीमन्, इलाहाबाद में हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई बड़े प्रेम से रहते हैं। वहां पर एक नदी के किनारे पर शंकर जी का एक मन्दिर है वहां पर एक राजपत्रित अधिकारी ने अपनी बीबी के नाम से हड्डियों का एक कारखाना खोल रखा है। तो क्या माननीय मंत्री जी उस हड्डी के कारखाने को जो अवैधानिक रूप से चल रहा है, बन्द कराने की कार्यवाही करेंगे और एक दिन आधे घंटे के लिए बहस का समय निश्चित कर दें जिससे इस विषय पर सदन में बहस हो जाय। श्रीमन्, मैं एकता के नाम पर आपकी आज्ञा चाहता हूं।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, इसमें राजपत्रित अधिकारी ने अपनी स्त्री के नाम पर एक ऐसा काम किया, जिससे स्थिति विस्फोटक हो सकती है तो क्या आप इस विषय पर व्यवस्था देंगे कि माननीय मुख्य मंत्री इस पर एक वक्तव्य दे दें?

बस्ती जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

(मंत्री जी के वक्तव्य पढ़ने पर)

श्री सुखपाल पांडेय (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मुझे इसकी प्रतिलिपि मिलनी चाहिए थी लेकिन मुझे नहीं दी गयी।

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जिला परिषद् बस्ती ने मार्च, १९६६ में ५२५ तथा मार्च, १९६७ में २८६ (कुल ८११) अदीक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की थी। इन अध्यापकों के लिए परिषद् को शासन से अनुदान मिलता रहा है। नवम्बर, १९६७ में एक राजाज्ञा द्वारा प्रदेश के समस्त जिला परिषदों को यह आदेश दिये गये थे कि प्रशिक्षित अध्यापक उपलब्ध होने पर अप्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति न की जाय और ३० नवम्बर, १९६७ को जिन अदीक्षित अध्यापकों की दो वर्ष से कम की सेवा हो उन्हें सेवा से पृथक कर दिया जाय। पर्याप्त संख्या में दीक्षित अध्यापक उपलब्ध न होने पर उन्हें (अप्रशिक्षित अध्यापकों को) ज्येष्ठता के आधार पर पुनः नियुक्ति दी जाय। साथ ही यह भी आदेश दिये गये थे कि उक्त प्रकार के अदीक्षित अध्यापक यदि ३० नवम्बर, १९६७ के पश्चात् सेवा में रखे जाते हैं तो उनके रखरखाव का व्यय अवैध होगा। उक्त राजाज्ञानुसार जिला परिषद्, बस्ती द्वारा उक्त प्रकार के अदीक्षित अध्यापकों की सेवा समाप्त करने की कार्यवाही करने पर अध्यापकों ने न्यायालय मुंसिफी, बस्ती में एक वाद प्रस्तुत किया। न्यायालय ने निषेधाज्ञा निर्गत की, जिसके अनुसार अदीक्षित अध्यापकों की सेवायें अन्य आदेश तक समाप्त न की जावें। इस प्रकार ये अध्यापक परिषद की सेवा से मुक्त नहीं किये गये, किन्तु परिषद ने माह दिसम्बर, १९६७ से इन ८११ अदीक्षित अध्यापकों का वेतन देना बन्द कर दिया एवं इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक से आज्ञा मांगी। अब परिषद ने शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद से इन अध्यापकों को वेतन देने हेतु अनुमति प्राप्त कर ली है और उनके बकाया वेतन बिल तैयार कराये जा रहे हैं। मुख्य अधिकारी, जिला परिषद, बस्ती ने सूचित किया है कि इन अदीक्षित अध्यापकों को ३१ अगस्त, १९६९ तक भुगतान कर दिये जाने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

श्री सुखपाल पांडेय—

बस्ती म्युनिसिपैलिटी के अध्यापकों ने मुकदमा दायर किया जिस पर इंजंक्शन आर्डर हो गया और जब वेतन देने की बात आई तो अध्यापक महोदय ने पैसा लेने की बात उनसे कही?

श्री रामजीलाल सहायक—

अध्यापकों से पैसा लेने की कोई सूचना यहां नहीं है।

श्री रामधारी (जिला देवरिया)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि किस की आज्ञा से अध्यापकों के वेतन रोके गये ?

श्री रामजीलाल सहायक—

निदेशालय से जो राजाज्ञा गई थी, उसके आधार पर वे रोके गये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—

मार्च, ६६ में ५२५ और मार्च, ६७ में २८६ अध्यापक रखे गये तो क्या नये स्कूल खोले गये थे या पहले से स्थान रिक्त थे ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अध्यापकों की कमी थी इसलिये वे रखे गये।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

यह जो न्यायालय ने विशेष निषेधाज्ञा निर्गत की तो कब और शासन ने रुपया कब भेजा ?

श्री रामजीलाल सहायक—

३१ जनवरी, ६८ को कोर्ट ने इंजंक्शन आर्डर दिया और वेतन १९६९ में भेजने की व्यवस्था की जा रही है।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

इंजंक्शन आर्डर वैकेट कब किया ?

श्री रामजीलाल सहायक—

अभी तो जिला परिषद् स्वयं गया है कचहरी में।

श्री माधवप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, इस वक्तव्य में लिखा है कि न्यायालय ने निषेधाज्ञा निर्गत की। अगर मैं सही समझा हूं तो निर्गत के माने वैकेट करने के हैं।

श्री अध्यक्ष—

निर्गत माने भेजा, निरस्त नहीं।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)—

३० नवम्बर, १९६७ की राजाज्ञा के बाद वह राजाज्ञा जिला परिषद् में कब प्राप्त हुई, मुंसिफ के यहां मुकदमा कब गया और जो उनके जरिये से निषेधाज्ञा जारी हुई वह निरस्त कब की गयी ?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री हुक्म सिंह (जिला आगरा-फतेहाबाद)—

श्रीमन्, मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हुक्म सिंह (आगरा-पतेहाबाद)—

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। जब तक आप व्यवस्था नहीं देंगे मैं किसी प्रकार बैठूंगा नहीं। चन्द्रभानु गुप्त द्वारा समर्थित रेड्डी साहब को १२९ वोट मिले और गिरि साहब को १८१ वोट मिले। इसलिये सरकार हार गयी। यह हाउस नहीं चलना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या शिक्षा मंत्री इस प्रकार का कोई नियम बनायेंगे....।

श्री हुक्म सिंह (आगरा-पतेहाबाद)—

आप मेरे प्रश्न को टाल रहे हैं। इस हाउस में कोई गवर्नमेंट नहीं है और जब कोई गवर्नमेंट नहीं है तो इस हाउस की कार्यवाही किसी प्रकार नहीं चल सकती।

श्री अध्यक्ष—

आप तो चिल्ला रहे हैं। स्पष्ट सुनायी नहीं देता है।

श्री अनन्तराम जायसवाल—

श्री हुक्मसिंह परिहार आपसे निवेदन कर रहे हैं व्यवस्था के प्रश्न के रूप में कि माननीय गुप्ता जी ने और उनकी सरकार ने रेड्डी साहब को राष्ट्रपति के चुनाव में समर्थन दिया था। उत्तर प्रदेश के विधायकों का, यानी इस सदन का बहुमत गिरि जी के साथ गया है जिससे नतीजा यह निकलता है कि गुप्ता जी को इस सदन का विश्वास प्राप्त नहीं है। इसलिये कानूनन अब यह सरकार रह नहीं सकती। या तो वे इस्तीफा दें या इस सदन का विश्वास फिर से प्राप्त करें। वे इस प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। यह प्रश्न आप का इसलिये भी असंगत है कि उन दोनों ने यह बात कह दी है कि हमारे मंत्रिमंडल में कोई भेद नहीं है। स्वतंत्रता से वोट देने का अधिकार प्रत्येक को है।

श्री अनीसुर्रहमान (जिला अलीगढ़)—

श्रीमन् एक दिन पहले तो माननीय उपमुख्यमंत्री ने यह घोषणा की थी कि सब लोग रेड्डी को वोट न देंगे, लेकिन दूसरे दिन गिरि को वोट करा दिया। इसके बाद वे कहेंगे कि हम इस कांग्रेस की सरकार का समर्थन नहीं करते हैं। मैं आपकी यह व्यवस्था चाहता हूं कि जो ऐसी गलत बात कहते हैं उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव क्यों न लाया जाय।

श्री अध्यक्ष—

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, अव्यवस्था का प्रश्न है।

श्री रामगोपाल संड—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी ऐसे नियम बनायेंगे कि जिससे जिला परिषद् के अध्यापकों का शोषण न हो सके और उनका ट्रान्सफर उस वर्ष में कहीं न किया जाय।

श्री रामजीलाल सहायक—

जिला परिषद् में ऐसी व्यवस्था है।

श्री रामधारी—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अध्यापकों का वेतन कब तक मिल जायगा।

श्री रामजीलाल सहायक—

अभी यह सूचना मिली है कि वे व्यवस्था कर रहे हैं कि ३१ अगस्त, ६९ तक का बकाया वेतन दे दिया जाय।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि दिसम्बर, १९६७ में ८११ या ८२१ अध्यापकों को तनख्वाह देना बन्द कर दिया था। सरकार की ओर से निदेशक शिक्षा विभाग को कब लिखा गया और शिक्षा निदेशक की स्वीकृति कब प्राप्त हुई है।

श्री रामजीलाल सहायक—

मई, १९६८ में वेतन सम्बन्धी लिखा-पढ़ी की गयी थी, अध्यक्ष जिला परिषद् की तरफ से जून, १९६९ को वेतन भुगतान के आदेश निर्गत हुए थे।

श्री सुखपाल पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जिला परिषद् के अध्यापकों को वेतन, सरकारी कर्मचारियों की तरह से १ तारीख को मिल जाया करे, ऐसी कोई व्यवस्था करने जा रहे हैं?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, इसका सम्बन्ध जिला परिषद् से है। उन्होंने अपने नियम बनाये हुए हैं। सरकार उनको जो अनुदान देती है वह समय से उनको दे देती है। वह अपने ढंग से उसको बंटवाते हैं।

श्री दीपनारायण मणि—

माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रयास हो रहा है। वह क्या प्रयास किया जा रहा है?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, यह देखा जा रहा है कि किसका कितना बकाया है और कहां से इस सारे रुपये को दिया जायगा।

श्री सुखपाल पांडेय—

माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यापकों का प्रावीडेंट फंड आदि का ३ लाख से ऊपर रुपया और जिला परिषदों पर बकाया है?

श्री रामजीलाल सहायक—

इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री रामचरण—

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बतायेंगे कि प्राइमरी स्कूल के अध्यापकों को एक तो वैसे ही वेतन बहुत कम मिलता है। अगर दो माह तक उनको वेतन नहीं दिया जायगा तो उनके बच्चे भूखों मर सकते हैं। इसको देखते हुए क्या मंत्री जी ऐसे आदेश जारी करने जा रहे हैं जिससे उनको जल्दी वतन मिल जाया करे?

श्री रामजीलाल सहायक—

यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

श्री कृष्ण स्वरूप (जिला बदायूं)—

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से पूछूंगा उनके उत्तर के सम्बन्ध में जो उन्होंने श्री संड जी के प्रश्न के उत्तर में कहे कि चुनाव वर्ष में जिला परिषद् के अध्यापकों का स्थानान्तरण न किया जाए, जिससे चुनाव पर असर न पड़े, ऐसी व्यवस्था जिला परिषदों में है, लेकिन जिन जिला परिषदों ने चुनाव वर्ष में इस व्यवस्था को तोड़ कर कांग्रेस को लाभ पहुंचाने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में ट्रांसफर किया है, उनके सम्बन्ध में क्या सरकार कोई कड़ी कार्यवाही करेगी?

श्री रामजीलाल सहायक—

माननीय सदस्य लिख कर दे दें तो उस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष—

(आइटम १३ के बारे में) न्यायिक जांच के लिए भेजा गया और अधिकारी को आपने सस्पेन्ड कर दिया है, यह आपको जानकारी हो चुकी है, उसके बाद मैं समझता हूं वक्तव्य देने की जरूरत नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

नियम ५१ पर चर्चा जो आप ने ले रखा है, उसमें बस्ती जिला हुआ है, लेकिन प्रतापगढ़ नहीं आया, उस पर न वक्तव्य हुआ न प्रश्न हुए न उत्तर मिला। इसमें लिखा है बस्ती जिला परिषद् के कुछ अध्यापकों और प्रतापगढ़ जिला परिषद् के २०० अध्यापक और अध्यापिकाओं के बारे में।

एक सदस्य—

प्रतापगढ़ जिला परिषद् के बारे में न तो उन्होंने वक्तव्य दिया है न प्रश्न पूंछे गये।

श्री अध्यक्ष—

(मंत्री जी से) क्या आपने प्रतापगढ़ के बारे में वक्तव्य नहीं दिया।

श्री रामजीलाल सहायक—

जी नहीं।

श्री अध्यक्ष—

आपको दोनों पर वक्तव्य साथ-साथ दे देना चाहिए था। दोनों नियम ५१ के ही हैं।

श्री राजितराम पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

प्रतापगढ़ के बारे में नहीं आया क्योंकि वह जानते हैं कि वहां पर बड़ी नादिरशाही है और वहां के अध्यापक भूखों मर रहे हैं। वहां अध्यापक दुखी हैं और रो रहे हैं। ४०-४० मील पर उन्हें रखा गया है। वहां पर कांग्रेस पूरी तरह से हार गयी है और वहां से एस० एस० पी० जीती है। वहां पर उन्होंने नादिरशाही करके कांग्रेस की कन्वेंसिंग की उसकी फोटू मेरे पास मौजूद है। उन मास्टरों के साथ इतनी बेरुखी के साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, उस पर पर्दा डालने के लिए शिक्षा मंत्री कोशिश कर रहे हैं....

श्री अध्यक्ष—

देखिए मैंने शिक्षा मंत्री को बुलाया है आप बैठें।

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ के अध्यापकों के स्थानान्तरण तथा वेतन न मिलने के सम्बन्ध में नियम ५१ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष—

अब माननीय शिक्षा मंत्री जी वक्तव्य देंगे।

शिक्षा मंत्री (श्री रामजीलाल सहायक)—

जिला परिषद्, प्रतापगढ़ द्वारा शैक्षिक सत्र १९६८–६९ में कुल २९७ अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया। इन अध्यापकों का स्थानान्तरण निम्नवत् कारणों से किया गया :

	अध्यापकों की संख्या
१—स्वेच्छा से अपने घर के समीप आने के कारण ..	१७८
२—पदोन्नति पर जाने तथा स्थान रिक्त होने पर सन्निकट आने के कारण	२६
३—प्रशासनात्मक दृष्टि से (कार्य के प्रति उदासीनता तथा अनुपस्थित पाया जाना)	७१
४—अनियमित रूप से चुनाव में भाग लेने के कारण ..	२२
योग ..	२९७

इन अध्यापकों का स्थानान्तरण कितनी-कितनी दूरी पर किया गया उसका विवरण निम्नवत् है:—

(१) १ से १० मील के अन्दर	२३८
(२) १० से बीस मील के अन्दर	१५
(३) २० से ४० मील के अन्दर	३२
(४) ४० मील के ऊपर	१२
योग ..	२९७

इस प्रकार ४० मील से ऊपर केवल १२ अध्यापकों का स्थानान्तरण किया गया है। परिषद् से प्राप्त सूचना के अनुसार मई, १९६९ तक का वेतन वितरण किया जा चुका है और माह जून के बिल तैयार किये जा रहे हैं।

परिषद् के केवल ६३ अध्यापकों का वेतन ४ माह से अधिक से रुका हुआ है, जिसका कारण निम्नवत् है :—

(१) अवकाश स्वीकृत न होने,

(२) निलम्बित होने,

(३) स्थानान्तरण हो जाने पर चार्ज रिपोर्ट न प्राप्त होने, तथा

(४) बिना किसी सूचना के पाठशाला से अनुपस्थित रहने के कारण।

इन अध्यापकों के मामले शीघ्र निपटाने की कार्यवाही की जा रही है, जैसा परिषद् कार्यालय से सूचना प्राप्त हुई है।

श्री राम किंकर (जिला प्रतापगढ़)---

जिन अध्यापकों को, मान्यवर, अनियमित रूप से चुनाव में भाग लेने के कारण स्थानान्तरित किया गया है उनके क्या-क्या नाम हैं ? और क्या उनको कोई अभियोग पत्र दिया गया था या नहीं ।

श्री अध्यक्ष---

क्या उन्होंने चुनाव में भाग लिया था जो उनको नहीं लेना चाहिये था ।

श्री रामजी लाल सहायक---

चुनाव में कुछ लोगों ने भाग लिया था जो कि उनको नहीं लेना चाहिये था ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)---

क्या माननीय शिक्षा मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो अध्यापक एक मील और दस मील के अन्दर स्थानान्तरित किये हैं, क्या यह मध्यावधि चुनाव के दौरान में स्थानान्तरित किये हैं जो कि आपके शिक्षा नियमों के विपरीत हैं । नियमों में है कि जनवरी के बाद स्थानान्तरण न किया जाय ।

श्री रामजीलाल सहायक---

इनके स्थानान्तरण की तारीख मेरे पास नहीं है । इसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अनन्तराम जायसवाल (जिला बाराबंकी)---

माननीय मंत्री जी अगर स्थानान्तरण की तारीख नहीं बतला सकते हैं तो क्या वह निश्चित अवधि बता सकते हैं जिसके अन्दर स्थानान्तरण किये गये हैं । आप ने इसी वक्तव्य में कहा है कि १७८ आदमी जो हैं वह अपने मकानों के पास इच्छा के अनुसार भेजे गये हैं । तो १०, २० और ४० मील के अन्दर वह भेजे गये हैं वह क्या अपनी इच्छा से भेजे गये हैं ।

श्री रामजी लाल सहायक---

इसका कारण नहीं दिया । वह प्रशासनिक कारण भी हो सकता है और भी बहुत से कारण हो सकते हैं तबादले के ।

श्री रामदेव (जिला प्रतापगढ़)---

अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सुन लिया जाय । जो अध्यापक निलम्बित हुये हैं, उनके नाम क्या हैं और उनकी संख्या क्या है तथा वह कब निलम्बित हुये ?

श्री रामजी लाल सहायक---

निलम्बित अध्यापकों की संख्या १४ है ।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ६३ अध्यापक हैं जिनको चार महीने से वेतन नहीं दिया गया । उनमें से १४ निलम्बित हैं । अवकाश स्वीकृत न करने के कारण नम्बर १ है । तो कृपया नम्बर तीन और चार की संख्या बताने का कष्ट करेंगे ?

(प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री रामदेव---

निलम्बित अध्यापकों के नाम नहीं बताये गये और न यह बताया गया कि किस तारीख को निलम्बित हुये ?

श्री रामजीलाल सहायक—

मान्यवर, नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष—

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ये डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के अध्यापक हैं ?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा—

मेरे प्रश्न का उत्तर श्रीमन् वह देने वाले हैं दे दें।

श्री रामजीलाल सहायक—

अवकाश स्वीकृत न होने वाले १५, निलम्बित होने वाले १४, स्थानान्तरण होने पर चार्ज रिपोर्ट जिनसे न प्राप्त हो सकी वे २९, और बिना किसी सूचना के अनुपस्थित होनवाले ५।

श्री रामदेव—

अध्यक्ष महोदय, यह अध्यापक कब निलम्बित हुए, उनके नाम क्या हैं। श्रीमन्, यह बड़ा गम्भीर विषय है और न तो इनको आरोप-पत्र दिये गये हैं और मनमाने ढंग से उनको निलम्बित कर दिया गया है। उनको आरोपपत्र दिये गये या नहीं और अगर दिये गये तो स्पष्टीकरण उनसे लिया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं क्योंकि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से उत्तर आये हैं और उनके पास जितनी सूचना है उसमें नहीं है उनके पास नाम और उस जवाब देने के बाद आपका प्रश्न नहीं उठता।

श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)—

४० मील दूरी पर जिन १२ अध्यापकों का आपने तबादिला किया है उसके लिये क्या कारण उपस्थित हो गये थे जिनके कारण उनको इतनी दूर देहात में भेजना पड़ा ?

श्री रामजी लाल सहायक—

अध्यक्ष महोदय . . .

श्री रामदेव—

निलम्बित अध्यापकों को आरोप पत्र दिये गये या नहीं, उनसे स्पष्टीकरण मांगा गया या नहीं और अगर हां तो क्या आरोप पत्र और स्पष्टीकरण पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्री अध्यक्ष—

मैं इसकी इजाजत नहीं दे रहा हूं इतने डिटेल्स में यहां पर जिला परिषदों और लोकल बाडीज के बारे में प्रश्न नहीं उठाये जा सकेंगे।

श्री रामदेव—

मुझे बड़ा खेद है कि यहां तथ्यों को छिपाने की प्रक्रिया अपनायी जा रही है जिला परिषद् से रिपोर्ट आयी है और वह यहां रखना नहीं चाहते। अगर इस समय नहीं है तो फिर

[श्री रामदेव]

दूसरी रिपोर्ट मंगाई जाय उसके लिये दूसरा समय निश्चित किया जाय और रिपोर्ट पर बहस करायी जाय वरना तो इस तरह से प्रश्न करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री धर्म सिंह—

हमारे, प्रश्न का उत्तर दिलवाने की कृपा करें कि ४० मील के ऊपर उनका तबादला हुआ।

(व्यवधान)

श्री रामदेव—

जिला परिषद् से जो रिपोर्ट आयी है, उसको माननीय मंत्री जी पढ़ने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष—

फिर तो आप सवाल नहीं करेंगे।

श्री रामदेव—

अगर यह बात हो तो फिर दफा ५१ में हमारे प्रश्न देने से लाभ क्या? आप इसके लिये दूसरा समय देंगे?

श्री अध्यक्ष—

आप जरा शान्ति से बातें तो करें। बात यह है कि जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स रिपोर्ट भेजती हैं तो उसी के आधार पर उन्होंने वक्तव्य दिया है। क्या अब रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने भेजी है वह तो उन्होंने बता दी है।

श्री धर्म सिंह—

क्या शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि ४० मील की दूरी पर उनका स्थानान्तरण किन परिस्थितियों के कारण वहां के जिला परिषद के अध्यक्ष ने किया?

श्री रामजीलाल सहायक—

महीने की बात तो मेरे पास नहीं है, लेकिन प्रशासक की अनुमति से उनका तबादला किया गया।

श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद)—

क्या शिक्षा मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि ये तबादले चुनाव से एक महीने पहले राजनैतिक लाभ उठाने के लिये किये गये थे?

श्री रामजीलाल सहायक—

जी हां, इसकी जांच कर ली जायगी।

श्री रामदेव—

जिन लोगों के तबादले ४० मील की दूरी पर किये गये, उसका क्या कारण था?

श्री अध्यक्ष—

यह उन्होंने बता दिया कि हमको मालूम नहीं है।

श्री रामदेव—

उन सभी अध्यापकों का तबादला ५ रुपया, १० रुपया चन्दा न देने के कारण हुआ है और उन लोगों का भी तबादला किया गया है जिन्होंने चन्दा देने का विरोध किया है। उन

लोगों का ही वेतन रोका गया है और उनका ही स्थानान्तरण किया गया है जिन्होंने किसी कारण से उस चन्दे की उगाही का विरोध किया है.....

श्री अध्यक्ष—

आप बिना इजाजत ही बोल रहे हैं।

श्री रामदेव—

वहां पर चुनाव चन्दा वसूल किया गया है और लोगों को परेशान किया गया है। जिसने जरा भी चन्दे का विरोध किया या चन्दा नहीं दिया...

(श्री रामदेव के श्री अध्यक्ष द्वारा अनुमति दिये बिना बोलने तथा स्थान न ग्रहण करने पर)

श्री अध्यक्ष—

अब हम उठते हैं और कल १०.३० बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ४५ मिनट पर अगले दिन के १०.३० बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ :
२० अगस्त, १९६९।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न संख्या ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १६७ पर)

सूची

१--गांव समाज की समस्त भूमि का सर्वे कराया जाय और जिन काश्तकारों ने गांव समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जे किये हुये हैं उनको मौके पर बेदखल किया जावे और खड़ी फसल को जब्त किया जाय। इस कार्य के लिये हर जिले में एक विशेष अधिकारी जिसका पद अतिरिक्त जिलाधीश से कम न हो, को नियुक्त किया जाये।

२--गांव समाज की परती भूमि पर अनधिकृत कब्जा कराने अथवा अनधिकृत कब्जे को कानूनी रूप देने में जो अधिकारी व कर्मचारी शामिल रहे हैं और जिन्होंने गांव समाज की सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाया है व अनुचित लाभ उठाया है उनके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावे।

३--अनधिकृत कब्जों से प्राप्त होने वाली व मौजूदा पड़ी हुई ग्राम समाज की समस्त भूमि को एक निश्चित अवधि के अन्दर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व हरिजनों को दी जाने की घोषणा की जाये।

४--भूमि कानून में गांव समाज की बंजर भूमि केवल भूमिहीन खेतिहर मजदूरों व हरिजनों को दिये जाने का प्राविधान किया जाये। जिनको जमीन दी जाये उन्हें सीरदारी के अधिकार दिये जाये और ४० वर्ष तक भूमिधर के अधिकार प्राप्त करने में प्रतिबन्ध लगाया जाये ताकि जमीन का क्रय-विक्रय न हो पाये।

५--गांव समाज की परती भूमि पर लगी १० प्रतिशत की पाबन्दी उठाई जाय। आबादी, श्मशान, कब्रिस्तान व रास्ते जैसे आवश्यक कार्यों को छोड़कर सभी परती भूमि खेती के काम में लाई जायें।

६--चकबन्दी के कारण गांव समाज की परती भूमि जो टुकड़ों में बंट गई है को एक जगह किया जाये ताकि उसको आसानी से उठाया जा सके।

७--गांव में प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर परिवार को रहने के लिये मकान लायक जमीन निःशुल्क दिया जाय।

८--भूमि प्रबन्धक समिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूरों का बहुत में प्रतिनिहित्व हो।

९--जो स्वयं अपना खेत जोतता है किसान की यह परिभाषा मानकर जो व्यक्ति स्वयं खेती नहीं करता उसके पास जमीन बिल्कुल न रहे और भूमि की अधिकतम सीमा ३ हल की खेती निर्धारित की जाये।

१०--शिवालिक पर्वत के मैदानी जंगलों विशेष कर जिला सहारनपुर में स्थित पथरी जंगल, सिकरोडा जंगल और धौलखंड जंगल की खेती योग्य भूमि को वन रहित करके भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दिये जाने की अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

११--पथरी जंगल के जिस भाग पर काश्तकारों ने नाजायज कब्जा कर लिया है उसे तुरन्त खाली कराकर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को दिया जाये। पथरी जंगल की वनरहित भूमि जिन काश्तकारों को उनकी जमीन के बदले में दी गयी है उनसे मिलने वाली भूमि जैसी भी हो भूमिहीन खेतिहर मजदूरों को एक निश्चित अवधि के अन्दर दिये जाने की घोषणा की जाये।

१२--सभी निजी खर्चों पर १,५०० रुपया मासिक की सीमा निर्धारित की जाय।

१३—भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी किसी भी दशा में १५० रुपये मासिक से कम न हो।

१४—सहकारी समितियों के संगठन के नियमों में परिवर्तन कर उनको ऐसा बनाया जाये जिससे भूमिहीन खेतिहर मजदूर भी उसका सदस्य बन कर उसका लाभ उठा सके और उसके दैनिक उपयोग की वस्तुओं का समुचित भण्डार ग्राम स्तर पर बना कर उचित मूल्य पर दिये जाने की व्यवस्था की जाये।

१५—समूचे राज्य की बेरोजगारी व गरीबी दूर करने के लिये उपरोक्त मांगें न्यायोचित है, जिनको पूरा करने के लिये आपेक्षित है कि तुरन्त कानून बना कर भूमिहीन खेतिहर मजदूरों की समस्या का समाधान किया जाये।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७१ पर)

इलाहाबाद जिले में खोले गये टेस्टवर्क्स की तहसीलवार सूची

तहसील मेजा

१—रामपुर हाटा बनवारी रोड
२—अयोद्धा–रामपुर रोड
३—कूदर ऊंचडीह रोड
४—भांडा बरोधा रोड
५—रामपुर कलां छड़गड़ारोड
६—अयोध्या रामगढ़ रोड
७—देवघाट हनुमानगंज रोड
८—बड़ोखर तालाब
९—पचांह बन्धी
१०—मानपुर बन्धी
११—दिघली तालाब
१२—कूबेर तालाब
१३—खूंटा तालाब
१४—जोर तालाब
१५—बोलन तालाब
१६—गोहानी तालाब
१७—सरवनपुर तालाब
१८—मेजा मांडा रोड
१९—उल्दा तालाब
२०—सिरियारी तालाब
२१—खसड़ा खुर्द
२२—अकबरपुर शाहवुर तालाब

तहसील करछना

१—टिकरीकलां लालापुर रोड
२—पिपरांव बन्ध
३—गड़या बाजार तेलधना रोड
४—हर्दी सरसेड़ी रोड
५—सीघ टिकट बन्ध
६—नारी बारी तालाब
७—पिपरहटा तालाब
८—भारत नगर गौरी रोड
९—चामू तालाब

तहसील चायल

१—रसूलपुर बन्धी
२—शेरगढ़ बन्धी

तहसील मंझनपुर

१—बैरमपुर–शाहपुर महेबाघाट रोड

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ४० का उत्तर पीछे पृष्ठ १७५ पर)

प्र० सं० ४० का उत्तर

१ अप्रैल, १९६८ से १५ जून, १९६९ तक की अवधि में बलिया जिले में आग किन-किन तारीखों को कहां-कहां लगी, तहसील कार्यालय में सूचना प्राप्त होने की तिथि, अधीनस्थ कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि और दी गई सहायता की तिथि संबंधी विवरण।

अग्नि दुर्घटनाग्रस्त ग्रामों का नाम	अग्नि दुर्घटना की तिथि	तहसील में सूचना प्राप्त होने की तिथि	अधीनस्थ कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने की तिथि	सहायता देने की तिथि	टिप्पणी
१	२	३	४	५	६
१—हृदयपुर	१–४–६८	२–४–६८	२५–५–६८	१–६–६८	
२—हल्दी	३–४–६८	४–४–६८	१–५–६८	२८–५–६८	
३—कमालपुर	१०–४–५८	१३–४–६८	१५–५–६८	२८–५–६८	
४—श्रीनगर	१२–४–६८	१८–४–६८	२५–५–६८	१–६–६८	
५—उदयपुर	१४–४–६८	१६–४–६८	२५–५–६८	१–६–६८	
६—सिकन्दरापुर	२५–४–६८	१८–५–६८	१३–६–६८	२१–६–६८	
७—रामपुर	७–५–६८	१३–५–६८	१८–५–६८	२८–५–६८	
८—मलप हरसेनमपुर	१०–५–६८	१५–५–६८	३०–५–६८	५–६–६८	
९—ताड़ीबड़ा गांव	१०–५–६८	१७–५–५८	१३–६–६८	२१–६–६८	
१०—नगवा	११–५–६८	१३–५–६८	१३–५–६८	१८–५–६८	
११—तिवारी	१२–५–६८	१३–५–६८	२२–५–६८	२५–५–६८	
१२—गोपालपुर	१३–५–६८	१४–५–६८	१५–५–६८	३०–५–६८	
१३—दया छपरा	१३–५–६८	१४–५–६८	१५–५–६८	२०–५–६८	
१४—मझांवा	२२–५–६८	२३–५–६८	२७–५–६८	२८–५–६८	
१५—डेहरी	२९–५–६८	३–६–६८	१५–६–६८	२१–६–६८	
१६—सींहाचौर कलां	१७–११–६८	१९–११–६८	२७–११–६८	१०–१२–६८	
१७—हुसैनाबाद	५–१२–६८	६–१२–६८	१४–१२–६८	२४–१२–६८	
१८—तियरा हैदरपुर	६–१२–६८	१५–१२–६८	१७–१–६९	२९–१–६९	
१९—भरतपुर	१७–१२–६८	२८–१२–६९	२४–२–६९	९–३–६९	
२०—नौरंगिया	१०–१–६९	१६–१–६९	२२–३–६९	२३–३–६९	
२१—आसन	१२–१–६९	२४–२–६९	७–३–६९	९–३–६९	
२२—असनवार	१३–१–६९	२०–३–६९	२२–३–६९	२३–३–६९	
२३—नीबू कबीरपुर	१५–१–६९	१८–१–६९	२२–३–६९	२३–३–६९	
२४—जगदीशपुर	१७–१–६९	१७–१–६९	१४–३–६९	१६–३–६८	
२५—गेहना	८–२–६९	२२–२–६९	२४–२–६९	२६–२–६९	
२६—चांदपुर	१०–२–६९	१–३–६९	१४–३–६९	१६–३–६९	
२७—दुवहण्ड	११–२–६९	१३–२–६९	१६–४–६९	१८–४–६९	
२८—चिट बड़ा गांव	१३–२–६९	१४–२–६९	२८–३–६९	२–४–६९	

१	२	३	४	५	६
२९—शीतल दवनी	१८–२–६९	२१–२–६९	२४–२–६९	२६–२–५९	
३०—इमृत पाली	२३–२–६९	२५–२–६९	१४–३–६९	१६–३–६९	
३१—गोविंदपुर दुगौली	२४–२–६९	२७–२–६९	२२–३–६९	२३–३–६९	
३२—टेंरहीं	२–३–६९	११–३–६९	२१–४–६९	२२–४–६९	
३३—धम्हनपुरा	३–३–६९	४–३–६९	७–३–६९	९–३–६९	
३४—चकिया	४–३–६९	९–३–६९	१५–४–६९	१७–४–६९	
३५—ठइचा	६–३–६९	११–३–६९	२२–३–६९	२३–३–६९	
३६—मेहमापुर	७–३–६९	१०–३–६९	१२–३–६९	१६–३–६९	
३७—अब्बासपुर	८–३–६९	१२–३–६९	७–४–६९	७–४–६९	
३८—रेपुराहरिहरपुर	८–३–६९	११–३–६९	१६–४–६९	१८–४–६९	
३९—नसरतपुर	९–३–६९	११–३–६९	८–४–६९	९–४–६९	
४०—बरें बोझ	१०–३–६९	११–३–६९	२२–३–६९	२५–३–६९	
४१—धर्मापुर	१०–३–६९	१३–३–६९	१६–४–६९	१८–४–६९	
४२—श्रीनगर	१५–३–६९	१७–३–६९	१५–४–६९	१७–४–६९	
४३—चौबेपुर	१७–३–६९	१८–३–६९	२९–४–६९	१–५–६९	
४४—देवड़िया	१७–३–६९	१९–३–६९	२९–४–६९	१–५–६९	
४५—नई बस्ती तुल्लापुर अखार	१८–३–६९	१९–३–६९	१५–४–६९	१७–४–६९	
४६—कैरिया	१९–३–६९	२०–३–६९	२–४–६९	३–४–६९	
४७—कठौंड	२८–३–६९	२८–३–६९	३१–३–६९	३१–३–६९	
४८—दौलतपुर	३०–३–६९	३१–३–६९	८–४–६९	१०–४–६९	
४९—घोड़हरा	३०–३–६९	३१–३–६९	१६–४–६९	१८–४–६९	
५०—सुल्तानपुर	३१–३–६९	२४–४–६९	२९–४–६९	३०–४–६९	
५१—डुमरिया	३१–३–६९	२४–४–४९	२०–५–६९	२१–५–६९	
५२—चक गिरधर	६–४–६९	८–४–६९	१५–४–६९	१७–४–६९	
५३—शिवपुर दीयर-नई बस्ती	६–४–६९	७–४–६९	१५–४–६९	१७–४–६९	
५४—चैन छपरा	७–४–६९	८–४–६९	१६–४–६९	१८–४–६९	
५५—चांदपुर	७–४–६९	१०–४–६९	१७–४–६९	१९–४–६९	
५६—बसन्तपुर मुस्तहकम	९–४–६९	१०–४–६९	१६–४–६९	१७–४–६९	
५७—चन्दा डीह	१२–४–६९	१–५–६९	७–५–६९	९–५–६९	
५८—दामोदरपुर	१४–४–६९	१८–४–६९	२९–४–६९	१–५–६९	
५९—बिड़हरा	१५–४–६९	१९–४–६९	१२–५–६९	१३–६–६९	
६०—मिश्रवली	१६–४–६९	१६–४–६९	१२–५–६९	१३–५–६९	
६१—शिवपुर दीयर नम्बरी	२१–४–६९	२३–४–६९	२४–६–६९	२६–६–६९	
६२—पाल चन्द्रहा	२३–४–६९	२६–४–६९	९–५–६९	१३–५–६९	
६३—बेमरजा सिउरी	४–५–६९	२०–५–६९	२६–५–६९	२८–५–६९	
६४—इन्दरपुर	१७–५–६९	१९–५–६९	२६–५–६९	२९–५–६९	
६५—सहरस पाली	१७–५–६९	१९–५–६९	२४–६–६९	२६–६–६९	
६६—नदौली	२३–५–६९	२७–५–६९	१६–६–६९	१७–६–६९	
६७—मझौली	३१–५–६९	२–६–६९	२–७–६९	४–७–६९	

नत्थी 'घ'

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या ५४ का उत्तर पीछे पृष्ठ १७८ पर)

बिल्हौर—सिकन्दरपुर सड़क के कच्चे व पक्के भाग पर १ अप्रैल, १९६१ से ३१ मार्च, १९६९ तक मरम्मत पर हुए वार्षिक खर्चे का ब्योरा निम्न प्रकार है।

वर्ष		कच्चे मार्ग पर खर्च	पक्के मार्ग खर्च	योग
१९६१–६२	..	५,७९१.००	७०७.००	६,४९८.००
१९६२–६३	..	११,५७७.००	शून्य	११,५७७.००
१९६३–६४	..	५,७२५.००	५,१८१.००	१०,९०६.००
१९६४–६५	..	६,३१३.००	२०,८४५.००	२७,१५८.००
१९६५–६६	..	६,२९३.००	१७,९३९.००	२४,२३२.००
१९६६–६७	..	३,६०७.००	३५,६९३.००	३९,३००.००
१९६७–६८	..	९,०६९.००	३५,०३२.००	४४,१०१.००
१९६८–६९	..	७,६२७.००	५९,८००.००	६७,४२७.००

सड़क की चौड़ाई निम्नांकित है :

(अ) कच्चा भाग	(१) इम्बैंकमेंट (embankment) चौड़ाई	२४ फीट
	(२) सड़क की भूमि की चौड़ाई	६६ फीट
(ब) पक्का भाग	(१) मैटेल्ड चौड़ाई	१२ फीट (कंकर शेड)
	(२) इम्बैंकमेंट की चौड़ाई	३२ फीट
	(३) सड़क की भूमि की चौड़ाई	१०० फीट

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ङ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८० पर)

संलग्नक

गढ़वाल मण्डल में जिन पेयजल योजनाओं के लिये मार्च, १९६९ में धन स्वीकृत किया गया था उन योजनाओं पर कार्य आरंभ किया जा रहा है। ऐसी योजनाओं का नाम तथा उनके पूरे होने की अवधि नीचे तालिका में दी हुई है —

क्रम-सं०	जिले का नाम	योजना का नाम	कार्य पूरा होने की अवधि
१	टेहरी गढ़ वाल ..	श्रुखेम जल संपूर्ति योजना ..	मार्च, १९७१
२	पौड़ी गढ़वाल ..	झांझर जल संपूर्ति योजना ..	तदेव
३	पौड़ी गढ़वाल ..	बीरोंसाल जल संपूर्ति योजना ..	तदेव
४	पौड़ी गढ़वाल ..	रुडियाली जल संपूर्ति योजना ..	तदेव
५	पौड़ी गढ़वाल ..	गहड जल संपूर्ति योजना ..	तदेव
६	पौड़ी गढ़वाल ..	भिलाई मल्ली जल संपूर्ति योजना ..	तदेव
७	पौड़ी गढ़वाल ..	उफल्डा जल संपूर्ति योजना ..	तदेव
८	पौड़ी गढ़वाल ..	दिगोली अरकनी जल संपूर्ति योजना..	तदेव
९	चमोली ..	गोचर जल संपूर्ति योजना ..	मार्च, १९७४

उत्तराखण्ड विधान सभा पुस्तकालय देहरादून

नत्थी 'च'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १० का उत्तर पीछे पृष्ठ १८१ पर)

आजमगढ़ जिले में सगड़ी तहसील के परगना गोपालपुर के पंचसाला बन्दोबस्त के अन्तर्गत ग्रामों की सूची

१—नौबरार देवारा जदीदकिता १
२—नौबरार देवारा जदीदकिता २
३—नौबरार त्रिपुरारपुर आईमा
४—नौबरार त्रिपुरारपुर खालसा
५—आराजी मलईपुरवा
६—आराजी गंगापुर
७—आराजी पुरंनिदा
८—देवारा जदीद
९—चक नायक
१०—चक रामनगर
११—चक शिवगुलाम
१२—बलुआ भवानी बक्स
१३—देवारा कदीम
१४—देवारा हरखपुरा
१५—देवारा तुर्कचारा
१६—देवारा त्रिपुरारपुर आईमा
१७—देवारा त्रिपुरा पुर खालसा
१८—तुर्कचारा खांस
१९—चांकना रामचन्दर
२०—शिवपुर
२१—नौबरार तुर्कचारा
२२—नौबरार हरखपुरा
२३—शाहराजापुर
२४—बसन्तपुर
२५—आराजी शंकरपुर
२६—आराजी देवारा
२७—बपरी खुर्द
२८—आराजी हुकुहिया
२९—आराजी बगड़वा
३०—आराजी परगास सिंह
३१—महाजी सिंहवार
३२—महाजी बन्जरिया
३३—गेन्दापुर
३४—बन्जरिया खास
३५—कुकनुद्दीनपुर
३६—चौकना परसोत्तम
३७—आराजी अमानी
३८—सैदपुर
३९—कुण्डही
४०—जिवधारी कटघरा
४१—आराजी हरवंश तिवारी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

४२—त्रिपुरार पुर आयमा
४३—त्रिपुरारपुर खालसा
४४—हरखपुरा खास
४५—छठिया भैया
४६—आराजी बकैनिया
४७—मनझरिया-भिक्षुक
४८—मंझरियां झोला
४९—आराजी अतानगर
५०—गोनहा
५१—गुलरहा
५२—बढ़िया चक
५३—आराजी इन्दरजीत
५४—रसूलपुर भैया
५५—बीबीपुर
५६—चेस कटहरा
५७—इब्राहीमपुर
५८—लक्षमन कुण्ड
५९—पल्हवापुर
६०—आराजी खीरूजीत
६१—आराजी खोखर जोत
६२—आराजी जजमना जोत
६३—आराजी गुलाम रसूल
६४—आराजी मछरिहवां रूस्तम खां
६५—आराजी मछरिहवां रोशन बीबी
६६—आराजी खलूंगा
६७—आराजी लरिकहवा
६८—पहाड़पुर
६९—आराजी मौखम तवायफ
७०—ढ़ेढ़मुही
७१—तहवरगंज
७२—आराजी कटहवां
७३—पदरही
७४—दरियापुर
७५—आराजी नसीब अली।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'छ'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या १३ का उत्तर पीछे पृष्ठ १८२ पर)

उन तहसीलों की सूची जिनमें चकबन्दी क्रियाए चल रही हैं

क्रम-सं०	जिले का नाम	तहसील का नाम जहां पर नये चकों पर कब्जा पूर्णरूप से बदला जा चुका है	तहसील का नाम जहां कार्यचल रहा है	विशेष विवरण
१	२	३	४	५
१	मुजफ्फरनगर ..	केराना		
		बुढ़ाना		
		जानसठ		
		सदर		
२	सुल्तानपुर ..	मुसाफिरखाना	अमेठी	
			कादीपुर	
			सदर	
३	सहारनपुर	देवबन्द	रुड़की	
		सदर		
		नकुर		
४	मेरठ ..	सर्धना	गाजियाबाद	
		बागपत	भर	
		भवाना		
५	बुलन्दशहर	सिकन्दराबाद	खुर्जा	
		सदर		
		अनूपशहर		
६	अलीगढ़	इगलास		
		हाथरस		
		अवरोली		
		कोइल		
		सिकन्दराराव		
		खैर		
७	मथुरा ..	सादाबाद		
		सदर		
		छाता		
		माठ		
८	मुरादाबाद	बिलारी	सदर	
		संभल	ठाकुरद्वारा	
		अमरोहा		
		हसनपुर		
९	बरेली	सदर	आंवला	
		नवाबगंज		
		फरीदपुर		
		बहेड़ी		

१	२	३	४	५
१०	फर्रुखाबाद	छिबरामऊ	कन्नौज	
		सदर		
		कायमगंज		
११	बस्ती ..	डुमरियागंज	खलीलाबाद	
		सदर	बांसी	
१२	आजमगढ़	सदर	फूलपुर	
		मोहम्मदाबाद	लालगंज	
			सगड़ी	
१३	जौनपुर	सदर	शाहगंज	
			केराकत	
			मड़ियाहूं	
१४	लखनऊ	सदर		
		मोहनलालगंज		
		मलिहाबाद		
१५	उन्नाव	सदर	पुरवा	
		हसनगंज		
		शफीपुर		
१६	फैजाबाद	सदर ..	अकबरपुर	
		बीकापुर	टांडा	
१७	हरदोई ..	संडिला	बिलग्राम	
		सदर		
		शाहाबाद		
१८	आगरा	खेरागढ़	बाह	
		सदर		
		एतमादपुर		
		फिरोजाबाद		
		किरावली		
		फतेहाबाद		
१९	इलाहाबाद	सोरांव	फूलपुर	
		चायल	हंडिया	
		मंझनपुर		
२०	बदायूं ..	बिसौली	गुन्नौर	
		सदर		
		दातागंज		
		सहसवान		
२१	बिजनौर ..	सदर		नगीना तहसील के परगना अफजलगढ़ के कुछ ग्राम जो पहले नहर के कारण चकबन्दी से अलग कर दिए गये थे अब वे चकबन्दी में लिये जा रहे हैं ।
		धामपुर		
		नजीबाबाद		
		नगीना		

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

१	२	३	४	५
२२	गोरखपुर	फरेन्दा	सदर	
			बांसगांव	
२३	गाजीपुर	सैदपुर	सदर	
			मोहम्मदाबाद	
			जमानियां	
२४	बाराबंकी	राम सनेही घाट	फतेहपुर	
		नवाबगंज		
		हैदरगढ़		
२५	इटावा	भर्थना		
		औरैया		
		सदर		
		बिधूना		
२६	फतेहपुर ..	सदर		
		बिन्दकी		
		खागा		
२७	एटा	जलेसर	अलीगंज	
		सदर		
		कासगंज		
२८	मैनपुरी	कड़हल	भोगांव	
		शिकोहाबाद		
		जसराना		
		सदर		
२९	कानपुर	घाटमपुर	बिल्हौर	
		भोगनीपुर	अकबरपुर	
		सदर		
३०	शाहांपुर	सदर	पुवायां	
		तिलहर		
		जलालाबाद		
३१	बहराइच ..	सदर	नानपारा	
		कैसरगंज		
३२	रायबरेली	महराजगंज	डलमऊ	
		सदर	सलौन	
३३	गोंडा ..	तरबगंज	सदर	
			बलरामपुर	
३४	सीतापुर ..	सदर ..	सिधौली	
		मिश्रिख	बिस्वां	
३५	बलिया ..	सदर ..	रसड़ा	
३६	पीलीभीत	बीसलपुर		
		सदर		
		पूरनपुर		
३७	मिर्जापुर	चुनार	राबर्ट्सगंज	
		सदर		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

१	२	३	४	५
३८	खीरी	मोहम्मदी	लखीमपुर	
३९	वाराणसी		ज्ञानपुर	
			चन्दौली	
			चकिया	
४०	देवरिया		सदर	
			सलमपुर	
४१	प्रतापगढ़		सदर	
४२	रामपुर	सदर	स्वार	
			मिलक	
			विलासपुर	
			शाहाबाद	
४३	हमीरपुर		मौदहा	शासनादेश द्वारा इस तहसील में चकबन्दी कार्य स्थगित कर दिया गया ।
	योग	१०८		५९

विधान सभा सचिवालय

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ७४ एल० ए०—१९६९—४७० ।